अष्टम माला, खंड 3, अंक 11

Tuesday, 31st March, 1992

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Tenth Lok Sabha

(Third Session)

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 31 मार्च, 1992/11 चैत्र, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
18	नीचे से पंक्ति 3	प्रश्न संख्या "*46" के स्थान पर "*476" पढ़िये।
23	नीचे से पंक्ति 3	प्रश्न संख्या "*472" के स्थान पर "*478" पढ़िये।
28	17	"श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)" के स्थान पर "श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)" पढ़िये।
48	नीचे से पंक्ति 8	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" को स्थापित कीजिए।
50	21	प्रश्न का भाग (ख) तथा (ग) इस प्रकार पढ़िये :- (ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राजस्थान तथा बिहार में कल्याण बोर्डों की किन-किन योजनाओं हेतु अनुदान दिया गया; (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और
58	नीचे से पंक्ति 9	शीर्षक में "अमता" के स्थान पर "क्षमता" पढ़िये।
63	नीचे से पंक्ति 5	प्रश्न संख्या "53 0" के स्थान पर "5360" पढ़िये।
74	5	शीर्षक में "भारनीय" के स्थान पर "भारतीय" पढ़िये।

74	7	"श्री संतोष गंगवार" के स्थान पर "श्री संतोष कुमार गंगवार" पढ़िये ।
83	13	प्रश्न संख्या "385" के स्थान पर "5385" पढ़िये।
87	नीचे से पंक्ति 12	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (ग) अंत: स्थापित कीजिए ।
92	नीचे से पंक्ति 2	प्रश्न संख्या "2298" के स्थान पर "5398" पढ़िये।
93	नीचे से पंक्ति 9	"श्री स्वास्थ्य शाहाबुद्दीन" के स्थान पर "श्री सैयद शाहाबुद्दीन" पढ़िये ।
121	नीचे से पंक्ति 10	प्रश्न संख्या "5456" के स्थान पर "5446" पढ़िये।
131	प्रथम पंक्ति	शीर्षक में "कुबन्ध" के स्थान पर "कुपबन्ध" पढ़िये
136	प्रथम पंक्ति	"(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।

विषय–सूची

दशम माला, खंड 10 — तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 25 — मंगलवार, 31 मार्च, 1992/11 चैत्र, 1914 (शक)

विषय			पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	....	....	1—
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या : 470 471, 473, 475, 476 और 477	....	....	7 —227
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	....	22—138
तारांकित प्रश्न संख्या : 472, 474, और 478 से 489	...	...	22—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5327 से 5462	....	....	38—138
बोफोर्स मामले के बारे में	...	....	138—143
विदेश मन्त्री के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव की सूचना के बारे में	....	....	143—180
सभा पटल पर रखे गए पत्र	....	....	180—186
राज्य सभा से संदेश	....	....	186—191
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	....	....	191—203
दिल्ली में प्रमुख अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा चलाया जा रहा नकली औषधों का अवैध धन्धा			
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	....	....	191 192—194

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज	....	....	194—198
श्री एम०एल० फोतेदार	...	....	198—203
नियम 377 के अधीन मामले	....	....	203—207
(एक) विलासपुर, मध्यप्रदेश में मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता			
श्री भवानी लाल वर्मा	....	...	203—204
(दो) आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता			
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	....	....	204
(तीन) हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता			
श्री स्वामी चिन्मयानन्द	...	....	205
(चार) इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मुम्बई की ओर से वारण्टी की गई डिगरी की धनराशि का भुगतान महाराष्ट्र सरकार को किए जाने की आवश्यकता			
श्री अन्ना जोशी	....	....	205
(पांच) हथकरघा वस्त्रों की थोक बिक्री पर दी जाने वाली छूट से प्रतिबन्ध हटाए जाने की आवश्यकता			
श्री पी०जी० नारायणन	....	...	20[illegible]
(छः) बुनकरों तथा लघु उद्योगों को सस्ती दर पर सूत/रेशम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता			
श्री राम बदन	....	....	406
(सात) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता			
श्री सनत कुमार मंडल	....	....	207
खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प			
और	....	....	207—238
खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक			

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही .... 207—211
श्री नीतिश कुमार .... 212—214
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे .... 214—216
कुमारी फ्रिडा तोपनो .... 216—217
श्री हाराधन राय .... 217—220
श्री कमला मिश्र मधुकर .... 220—221
श्री बलराम सिंह यादव .... 221—227
श्री गिरधारी लाल भार्गव .... 227—229

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प —वापस लिया गया
श्री गिरधारी लाल भार्गव .... 229—230

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक
खंडवार विचार 230
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री बलराम सिंह यादव .... 232—233
श्री लोकनाथ चौधरी 231
श्री श्रीकान्त जेना 231
श्री नीतीश कुमार .... 231—232
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 232

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93
मानव संसाधन विकास मंत्रालय .... 238—244

लोक सभा

मंगलवार, 31 मार्च 1992/11 चैत्र 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(निधन संबंधी उल्लेख)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी कर्नल बशीर हुसैन जैदी की दुखद मृत्यु की सूचना देनी है ।

कर्नल जैदी प्रथम लोकसभा 1952-57 के दौरान सदस्य थे । इससे पहले वे संविधान सभा और 1947-52 के दौरान अन्तरिम संसद के सदस्य थे । वे 1963-70 के दौरान उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी थे ।

कर्नल जैदी एक योग्य सांसद थे । उन्होंने विभिन्न पदों पर देश की सेवा की । पूर्व रामपुर राज्य के मंत्री रहने के पश्चात वे उस राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद पर आसीन हुए । उस पद पर वे एक दशक से अधिक समय तक रहे । वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया

मिलिया दिल्ली से संबद्ध रहे। 1956 में वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 1958-63 के दौरान वे भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक रहे।

विभिन्न दौड़ों में उनकी सेवाओं में उनके योगदान प्रशंसा को देखते हुए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया।

उन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की। वे 1951 में संयुक्त राष्ट्र को गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया।

कर्नल जैदी की मृत्यु से, देश ने एक शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, प्रशासक और एक योग्य सांसद खो दिया है। कर्नल जैदी का 91 वर्ष की आयु में 29 मार्च, 1992 को निधन हुआ।

हमें इस मित्र की मृत्यु पर गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदना देने में साथ है।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने आज प्रश्नकाल निलंबित करने के लिए नोटिस दिया है। व्यवधान कल विदेश मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी ने एक व्यक्तव्य दिया था। (व्यवधान) उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक नोट दिया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा शाही (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। क्वश्चन ऑवर, कालिंग अटैन्शन, कुछ भी हो, प्रजातंत्र को बरकरार रखने के लिए।.....(व्यवधान) श्री एल० पी० शाही के बेटे की हत्या कर दी गई है। लालू प्रसाद सरकार को बरखास्त कर दिया जाये।.....(व्यवधान) आज क्वश्चन ऑवर नहीं होगा। सरकारी कार्यालय में उसकी हत्या कर दी गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

बसुदेव आचार्य : कल "व्यक्तव्य देते समय उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक वकील से प्राप्त हुआ नोट दिया था। (व्यवधान) हम उस वकील का नाम जानना चाहते हैं। (व्यवधान) हम उस नोट की विषय वस्तु को जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स के मामले में उनको रिजाइन कर देना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, देश के सभी भागों से विदेश मंत्री के त्यागपत्र की मांग की जा रही है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। (व्यवधान) जो कुछ हो रहा है सभा को उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। (व्यवधान) आज प्रश्न काल को निलम्बित किया जाना चाहिए। (व्यवधान) महोदय, इस बारे में आपका क्या विनिर्णय है—

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : बिहार में अपराधकर्मियों के द्वारा हेमन्त शाही की हत्या कर दी गई है (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने प्रश्न काल को निलम्बित करने की मांग की है। (व्यवधान) वह नोट उपलब्ध होना चाहिए। (व्यवधान) उस नोट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यह सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्रीकान्त जेना : प्रधान मंत्री को सदन में आना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पहले मेरी बात सुनिये (व्यवधान) ऐसा लगता है कि सदस्य आन्दोलित हैं और वे इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं और सरकार से उचित उत्तर पाना चाहते हैं।

मेरे समक्ष दो मांगें है। एक मांग श्रीमति साही की है जो कहती हैं कि एक विधायक को गोली मार दी गई है। एक अन्य सदस्यों की भी एक मांग है। (व्यवधान मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रश्न काल चलने दें। शून्य काल में आप इस पर चर्चा कर सकते है। इसके अतिरिक्त, सरकार स्वयं अब बोफोर्स मामले पर कल चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं नहीं जब तक वह नोट उपलब्ध नहीं होता (व्यवधान) विदेश मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही। आप पहले होम मिनिस्टर का बयान दिलवा दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये व्यवधान रूल कहता है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो आप सब को बैठ जाना चाहिए। और जो बोलता हूं, उसे सुनना चाहिए। जीरो आवर में आप बोफोर्स का मामला उठाकर गवर्नमेंट से रिस्पोंस ले सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, विगत कई दिनों से यह देश और यह सभा ऐसी रिपोर्टों से उद्वेलित है कि सरकार बोफोर्स जांच को समाप्त करना चाहती है। उस संबंध में यह सहमति हुई थी कि हम सदन में उस पर विस्तार से पहली तारीख को और दूसरी सभा में शायद 2 तारीख को चर्चा करेगें। लेकिन इस बीच कल जो कुछ हुआ वह

अत्यधिक दुःखद है। विदेश मंत्री ने सदन में दिए अपने व्यक्तव्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने वह लिखित नोट दिया है जो उन्हें एक वकील से मिला था। उन्होंने नाम का उल्लेख नहीं किया।

इसके कारण ही सभा में वर्तमान प्रतिक्रिया हुई है। जिस ढंग से सभा के सभी दल विरोध स्वरूप खड़े हुए हैं, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार तुरन्त आगे आये और विदेश मंत्री के किए की भरपाई करे।

अब, इसलिए, इन दोनों बातों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह अपने आप में एक अलग विषय है और केवल यह तथ्य कि विदेश मंत्री ने जो स्वीकार किया है उसके संबंध में कुछ किया गया है, यह जांच कार्य के उचित ढंग से चलने देने में हमारी रूचि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उस पर कल या अगले दिन चर्चा हो सकती है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से आज किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले सरकार को विदेश मंत्री के कल के वक्तव्य के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये ताकि सदन की कार्यवाही को समुचित रूप से आगे जारी रखा जा सके। (व्यवधान)

मैं पहले यह चाहता हूं कि सरकार श्री साही की हत्या के बारे में सदन को विश्वास में ले।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : गृह मंत्री इस पर पहले स्टेटमेंट दें और हस्तक्षेप करें—(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला अलग है—(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी तब हम आपकी बात सुनेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं बोफोर्स कांड के बारे में नहीं कह रही हूं। बिहार में प्रजातंत्र खतरे में है और वहां इसकी हत्या हुई है। बिहार सरकार ने हत्या करवाई है। चुनाव के बाद जब हेमेन्त साही जीत कर आये थे तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक अभिमन्यु वैशाली में पैदा हो गया है। इसका भी महाभारत की तरह वध किया जाये और वध हो गया। (व्यवधान)

हमारी मांग है कि इसके लिए····· (व्यवधान)

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : बिहार के मुख्य मंत्री तो साफ-साफ कहते थे कि जो जीतेगा, मैं उसको दिल्ली नहीं पहुंचने दूंगा। विधान सभा में नहीं पहुंचने दूंगा। यह सुनियोजित षडयंत्र है·····(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा शाही : यह प्रजातन्त्र का सदन है और उनका यह काम प्रजातन्त्र की हत्या जैसा है·····(व्यवधान)

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक विरोध को खत्म करने की साजिश की

जा रही है। इसी तरह एम. पी. इलैक्शन में हमारे ईश्वर चन्द्र जी की हत्या हुई। हम लोगों को धमकी दी गई कि यदि चुनाव जीतेंगे तो फिर दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जायेगा। यह धमकी दी गई थी कि यदि कोई दूसरा जीतेगा तो उसको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जायेगा, उसको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जायेगा। बिहार का मामला बहुत जरूरी है .... (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा शाही : बिहार का मामला है, इसपर बहस जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं ...(व्यवधान).....एम. एल. ए. की सरकारी ऑफिस में बुलाकर उसकी हत्या की जाती है। मुझे अफसोस होता है कि हम लोगों को वहां क्या न्याय मिलता होगा। उनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिये। इस तरह से तो वह किसी भी की हत्या करा देंगे।..... ...(व्यवधान)... यह एक एम. एल. ए. के जीवन का प्रश्न है। उसे मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और सरकारी कार्यालय में हत्या की गई है, उसे सरकारी कार्यालय में मार दिया गया... (व्यवधान)

श्रीमती रीता वर्मा : बिहार और बोफोर्स, दोनों पर यहां चर्चा होनी चाहिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, बिहार मामले पर चर्चा करने में भी हमारी समान रूप से रूचि है। लेकिन सरकार को पहले बोफोर्स मामले के बारे में कुछ कहने दो। पहले बोफोर्स मामले का हल किया जाना चाहिये फिर हम बिहार मामले पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा शाही : पहले इसपर गृह मंत्री का बयान होगा, पहले इसपर विचार होगा, फिर बोफोर्स पर होगा। (व्यवधान)

श्रीमती रीता वर्मा : वहां किसी की जान भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह से तो हम सभी की हत्या हो सकती है। यह मुख्य मंत्री जब यह कहते हैं कि किसी दूसरे को दिल्ली नहीं पहुंचने दूंगा तो किसी की जान को वहां क्या संरक्षण मिल सकता है? (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, पहले इस पर चर्चा करवा दीजिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : विपक्ष के नेता द्वारा बोफोर्स का मामला उठाया गया था। सरकार को इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। फिर यदि कांग्रेस पक्ष बिहार मामले पर चर्चा करना चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बिहार मामले पर चर्चा करने में हमारी भी समान रूप से रूचि है। लेकिन पहले बोफोर्स मामले को लिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में व्हिप के समान हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आप से अपेक्षा की जाती है कि आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में अब तक 9,000 व्यक्ति मारे गये हैं और उसके बावजूद भी जनता दल लालू सरकार का समर्थन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि दोनों ही मामलों पर चर्चा की जा सकती है। जब तक मैं अपना वाक्य पूरा करूं, आप कृपया खड़े न हों।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : महोदय हम आपसे सहमत हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। प्रश्न काल समाप्त होने के पश्चात दोनों मामलों पर चर्चा की जा सकती है। पहले हम बोफोर्स मामले को लेगें। मेरे विचार से हम इस पर चर्चा को अल्पावधि में ही समाप्त कर सकते हैं और फिर बिहार मामले को ले सकते हैं और बिहार मामले पर व्यापक रूप से चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, बोफोर्स मामले को पहले लिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, श्रीमती कृष्णा साही मेरे पास आई और पूर्ण मामले की जानकारी दी। ज्योंही मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई मैं मुख्य मंत्री से सम्पर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले एक घंटे से मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं उनसे सम्पर्क नहीं कर पाया हूं। इस मामले पर चर्चा करने से पहले मुझे राज्य सरकार से जानकारी की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। माननीय गृह मंत्री द्वारा सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उत्तर दिया जायेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस नोट के बारे में क्या रहा ?

श्री राम विलास पासवान : बोफोर्स के बारे में उनका क्या विचार है ? उन्हें यह भी स्पष्ट करने दो ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने मेरी बात सही ढंग से सुनी होती तो आप सन्तुष्ट हो चुके होते।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने तो ठीक कहा। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप वाक्य कम्पलीट भी नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि क्वैश्चन आवर आपकी ही आवर है। जिस में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और उत्तर लेना चाहते हैं। यह आप कर लीजिये। प्रश्नकाल के घण्टे समाप्त होते ही आप बराबर बोफोर्स का इशू ले लीजिये और उसके बाद दूसरा इशू ले लीजिये।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर महोदय ने बिहार के सम्बन्ध में तो कहा, लेकिन बोफोर्स के सम्बन्ध में क्यों नहीं बोला जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह भी कहने वाले हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उस नोट के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिये कोई भी मंत्री नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सदन में सरकार के कार्यक्रम पर आक्रोश है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् आपको अनुमति दे दूंगा। क्या आप केवल 45 मिनट इन्तजार नहीं कर सकते ?

प्रश्न संख्या 470

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए रेल सुविधा

*470. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से स्टेशनों पर "रेक एण्ड पीस मील" के द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में खाद्यान्नों की सप्लाई की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर दी गई सुविधा वापस ले ली गयी है, जिसके फल-स्वरूप उस क्षेत्र में राशन के खाद्यान्नों की कमी/संकट पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस सुविधा को पुनः प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और कोटद्वार ऐसे स्टेशन हैं जो खाद्यान्नों की सप्लाई के लिये उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को सेवित करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है कि वैगन्स का प्रोवीजन विदड्रा नहीं हुआ है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। लास्ट वैगन 12.8.90 को स्टेशन पर गई थी और उसके बाद 18.3.92 को गई है। मैंने यह सवाल उठा कर पूछा है और मैंने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 5.3.92 को एक टैलेक्स रेलवे मिनिस्टर को व्यक्तिगत रूप से भेजा है। उसके बाद आपने यह शुरू किया है। आप का यह जवाब सही नहीं है कि बीच में वैगन्स प्रोवाइड की गई थीं। आप की और एफ. सी. आई. की कृपा से मेरे क्षेत्र में जनवरी और फरवरी के महीने में, पांच सौ ग्राम अनाज प्रति-व्यक्ति-प्रति-महीने दिया गया है, तो इससे ज्यादा तो चिड़ियां खा जाती हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्री इस बात की पुष्टि करेंगे अथवा इस बात से इन्कार करेंगे कि 12.8.90 से वर्ष के अन्त तक और सम्पूर्ण वर्ष 1991 के दौरान भी वैगनों की कोई आपूर्ति नहीं हुई ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया खाद्यान्न तभी ले जाए जाते हैं जब भारतीय खाद्य निगम मांग पत्र भेजता है। दुर्भाग्य से, भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की ढुलाई के लिये दिये गये 39 रेकों में से कोटद्वार के लिये कोई भी नहीं था। यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और माननीय सदस्य ने हमारे मंत्री को पत्र लिखा है। जब यह पत्र हमारे पास पहुंचा तो हमने भारतीय खाद्य निगम से पूछा उन्होंने 16 मार्च को एक मांग पत्र बनाया और हमने खाद्यान्न का एक रैक भेज दिया जो 18.3.92 को कोटद्वार पहुंचा।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले सवाल का जवाब सही नहीं है। मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि खाद्यान्न खुले वैगनों में भिजवाया जा रहा है, जिससे भारी मात्रा में चोरी हो रही है और भारी मात्रा में मिलावट हो रही है और इस वजह से जिसको दिया जा रहा है, उसको सफर करना पड़ रहा है ? अगर आपको मालूम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ? अगर आपको मालूम नहीं है, आपकी यह पॉलिसी नहीं है, तो, क्या आप इसको बंद करवायेंगे और क्लोज्ड वैगन्स में खाद्यान्न को भिजवायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : सामन्यतया, खाद्यान्न को बन्द वैगनों में भेजा जाता है। वे लगभग ढके हुए वैगन हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं

471* प्रो० के०वी० थामस :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में आयोजित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करने व अन्य कदाचार के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की 1992 की परीक्षाओं के दौरान दिल्ली में सामूहिक नकल का कोई मामला अब तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की। 1992 की सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र की परीक्षाएं अभी तक चल रही हैं। तथापि, अलग अलग छात्रों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिन पर बोर्ड की परीक्षा के उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) परीक्षाओं की समाप्ति के बाद समस्या की गंभीरता और स्वरूप की जानकारी मिलने पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

प्रो० के०वी० थॉमस : महोदय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के समाचार के, जिनमें नकल के मामले भी शामिल हैं, अनेक राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने छापा है।

महोदय, आरोप ये हैं : प्रथम विद्यार्थी, निरीक्षकों को घूस दे रहे हैं और दूसरे विद्यार्थी, निरीक्षकों को धमकी देते हैं।

इन सब के कारण अनियमितताएं हो रही हैं। महोदय, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, वह मैं मंत्री महोदय को दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना नहीं देनी है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० के०वी० थॉमस : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन कथित अनि-यमितताओं के संबंध में विस्तृत खोजबीन की जाएगी।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि इस वर्ष बड़े पैमाने पर की गई नकल के संबंध में सूचना नहीं मिली है। नकल करने का प्रश्न एक स्थानिक प्रश्न है।

इसलिए यह देखने के लिए कि यह अनियमितता जारी न रहे, जब तब उपाय किए जाते हैं। इस वर्ष कुछ अधिक उपाय किए गए हैं। किन्तु इस विषय पर सम्पूर्ण दृष्टि तो परीक्षाओं के बाद आवश्यक रूप से डालेंगे और हम यह आकलन करेंगे कि इस वर्ष जो उपाय किए गए हैं, उनमें क्या कमियां रही, ताकि अगले वर्ष की परीक्षाओं के समय उचित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

प्रो० के०वी० थॉमस : इस वर्ष परीक्षाओं हेतु सुधारों में एक उपाय समान परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्रों के चार सेट बनाए गए थे। गणित के पेपर का उदाहरण लें। प्रश्न पत्रों के चार सेट बनाए गए थे। इसका परीणाम यह हुआ कि चार सेटों में से एक अथवा दो सेटों के प्रश्न-पत्र अधिक कठिन हो सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को अधिक कठिन प्रश्न-पत्र प्राप्त होते हैं वे एक अधिक हानिकर स्थिति में पड़ जाते हैं।

प्रश्नों-पत्रों को सेट करते समय प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों को गिनी-पिग्स न समझा जाए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले को देखेगी और यह निश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को उसी किस्म के प्रश्न-पत्र मिलें, प्रश्न-पत्रों की वर्तमान प्रणाली की असफलता का पता लगाया जाएगा। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अलाभकारी स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए। जहां तक मानव का संबंध है, भिन्न प्रश्न-पत्रों के मध्य किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, परीक्षा पत्रों के सयमन कार्य को सावधानीपूर्वक किया गया है। तथापि मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता हूं कि हो सकता है ऐसे एकाध मामले हों जो जहां एक प्रश्न-पत्र दूसरे प्रश्न-पत्र से थोड़ा कठिन हो। लेकिन बहुविध प्रकार की परीक्षा-पत्र प्रणाली इसी वर्ष लागू की गई है और यही कारण है जो मैं यह कहरहा हूं कि आओ हम इसे देखें। परीक्षा को समाप्त हो जाने दें और तब इन सभी बातों की जांच की जा सकती है जिससे माननीय सदस्य महोदय जो खामियां महसूस करते हैं उनकी ओर ध्यान दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कदाचारिता को स्वीकार किया है और हमने भी स्वीकार किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं उन छात्रों में पिक एण्ड चूज करके अध्यापक लोगों ने ही चोरी करवाने का काम किया है, क्या सरकार को इस बात का पता है। मान्यवर, दिल्ली की परीक्षाएं और ऐसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, जो दिल्ली में होती हैं इस पर लोगों को या छात्रों को ज्यादा भरोसा है और यहां यह कदाचार की बात प्रकाश में आई है और अध्यापकों के द्वारा छात्रों को पिक एण्ड चूज करके इस प्रकार से चोरी करवाना, तो इस पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और क्या इसकी आप गभीरता से छानबीन करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़ कर और कोई बुरी बात नहीं हो सकती कि कोई अध्यापक नकल कराने में मदद करे। यदि माननीय सदस्य इस तरह का कोई प्रकरण मेरे ध्यान में लाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाई जाएगी।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, मैं स्पेसिफिक घटना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात है कि राजोरी गार्डन और एक अन्य जगह कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बेटों को नकल कराने की घटनाओं की जांच मौके पर जाकर डायरेक्टर एजूकेशन ने की और शिकायत सही पाई गई। कुछ टीचर्स को ससपेंड भी किया गया, लेकिन दो दिन बाद ही उन टीचर्स को वापिस ले लिया गया और मामले को दबा दिया गया। क्या मंत्री महोदय इस घटना की जांच करवाएंगे।

इसी तरह से परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और नकल को रोकने के लिए क्या सरकार कोई कानून बनाने का विचार रखती है ?

श्री अर्जुन सिंह : पहले प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे मुझे इसकी सूचना दे द, मैं अवश्य इस प्रकरण की जांच करवाऊंगा।

श्री मदन लाल खुराना : एक घटना राजोरी गार्डन की है और एक आउटर दिल्ली की

है । ये दोनों घटनाएं मेरी नालेज में हैं इसीलिए मैंने इनकी जानकारी दी है ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं माननीय सदस्य की नालेज पर ही भरोसा कर रहा हूं और यही कह रहा हूं कि मुझे इस बारे में पूरी नालेज दे दीजिए, मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा ।

जहां तक जनरल कानून बनाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस विषय में सोच-समझ कर कदम उठाना चाहिए । [व्यवधान]

[अनुवाद]

उपनगरीय टिकटें

*473 **श्री तरितवरण तोपदार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उपनगरीय टिकटों की प्रतिवर्ष की बिक्री से अर्जित आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई तथा इन टिकटों के किराये में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ख) उपनगरीय यात्रियों के प्रति सामाजिक दायित्व के नाते उन्हें किराये में रियासत देने की व्यवस्था समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में, प्रत्येक वर्ष से पहले के वर्ष की तुलना में, उपनगरीय आय में क्रमशः 1 , 7, 6, 15 और 17, 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वर्ष 1988-89 में मासिक सीजन टिकट के किराये में वृद्धि का प्रतिशत दूसरे दर्जे में 8.0 से 24.0 और पहले दर्जे में 8.3 से 16.6 के बीच था । वर्ष 1989- 0 में कोई वृद्धि नहीं हुई थी । वर्ष 1990-91 में वृद्धि का प्रतिशत, दूसरे दर्जे में 8.3 से . और पहले दर्जे में 8.2 से 18.2 के बीच था ।

(ख) रेलों द्वारा वहन किया जाने वाला सामाजिक दायित्व 1985-86 के 82.15 करोड़ रुपए से बढ़कर 1990-91 में 207.31 करोड़ रुपये हो गया है ।

श्री तरित बरण तोपदार : सामाजिक दायित्व में 2.5 गुणा वृद्धि हो गई है और जो यहां दिखाया गया है वह कपटपूर्ण है । मैं यह दावा करता हूं । राजस्व खाते म रेलवे अर्जन में भा वृद्धि हो गई है ।

मेरा प्रश्न यह है कि सामाजिक दायित्व सहन किया जाना चाहिए, इसे सहन किया ही जाए तथा इसे प्रतिशतता के परिदृश्य में सहन किया जाना है । इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिशतता के सन्दर्भ में जिसकी कि गणना की गई है, क्या इसमें कोई डालर का तत्व है और यदि ऐसा है तो इसमें डालर तत्व का उपचय किस प्रकार हो गया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा कि मैंने बताया है यह बिल्कुल स्पष्ट है, कि यदि आप इसकी तुलना पांच वर्ष के आंकड़ों, 82.15 करोड़ रुपए से करें, तो यह पाएंगे कि उपनगरीय रेलवे में सामाजिक दायित्य में, 207.31 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है ।

श्री तरित बरन तोपदार : प्रतिशत क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : आप इसकी गणना कर सकते हैं ।

श्री तरित वरण तोपदार : आपने दोनों को ही अर्जित किया है ।

श्री मल्लिकार्जुन : आप कृपया सुनिए कि हमने क्या अर्जित किया है । उपनगरीय यात्री, सामान्य यात्री परियात का 58.55 प्रतिशत बनता है । इसके विपरीत, सामान्य यात्री परियात की प्राप्तियों की तुलना में उपनगरीय सेवाओं से मिलने वाली प्राप्तियां केवल 11.35 प्रतिशत हैं ।

श्री तरित वरण तोपदार : प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि जो नई आर्थिक नीति लागू की गई है उस पर अमरीकी साम्राज्यवाद का दबाव है । इसके परिणामस्वरूप रेलवे को क्षति पहुंचेगी, जिससे उपनगरीय और अन्य यात्री आटोमोबाइल वाले और सड़क यातायात वाले वाहनों का उपयोग करेंगे तथा इससे पैट्रोलियम के आयात बिल में वृद्धि होगी जिसका अभिप्राय यह है कि हम फिर से बंधन में आ जाएंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे को, विशेष रूप से उपनगरीय प्रणाली को सुधारने के लिए कोई योजना अच्छा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिशतता के परिपेक्षय में सामाजिक दायित्वों का वहन करके पैट्रोलियम के आयात बिल को कम किया जा सके ।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य महोदय जो प्रश्न इस सम्मानित सभा की सूचना में लाए हैं : वह अत्यधिक रूचिकर हैं हम इस बात से अत्यधिक चिंतित हैं कि ईंधन का आयात किस प्रकार से परिहार्य हो, जिससे कुछ बचत हो सके । इसी कारण से हमें रेल यातायात की पुनर्संविरचना करनी होगी और हमें अपने ही संसाधनों का उपयोग करना होगा । किन्तु जहां तक उपनगरीय सेवाओं का संबंध है; हमारे देश में मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिदिन 3319 उपनगरीय रेलगाड़ियां चलती हैं । जैसा मैंने उल्लेख किया है कि सामान्य यात्री यातायात के साधारण प्रतिशत से उपनगरीय यातायात 58.55 प्रतिशत अधिक है ।

स्वाभाविक रूप से, हम सामाजिक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं और यदि मुझे प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ, ये आंकड़े देने पड़ेंगे तो मुझे समय चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री तरित वरण तोपदार : रेलवे का किराया बस से तीन गुणा हो गया है ।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि और कुछ गुणा भी करें तो भी कम पड़ता है ।

[अनुवाद]

अतः, वास्तव में जहां तक उपनगरीय सेवाओं का संबंध है, हम सामाजिक दायित्व की निरंतर पूर्ति कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले । जो उननगरीय रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं उन्हें अवसर मिलेगा ।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 60 लाख लोग सबरबन ट्रेन से यात्रा करते हैं । इसमें 45 लाख मुम्बई महानगर ट्रेन से यात्रा करते हैं । बम्बई शहर से 17944 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार को राजस्व प्राप्त होता है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी

जो जमीनें निजी व्यक्तियों को कमर्शियल यूस के लिए दे रहे हैं उससे इन्हें करोड़ों रुपये की आमदनी हो जाएगी आमदनी मिलने के बाद क्या सरकार ने जो वृद्धि की है वह वापस लेने का क्या इरादा रखते हैं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : भूमि का वाणिज्यिक दोहन अभी भी आरंभिक अवस्था में है, और हम प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने जा रहे हैं । हम ठीक तरह नहीं जानते कि परिमाण क्या होगा । स्वाभाविक रूप से हमें इसका उपयोग रेल के विकास हेतु करना चाहिए ।

श्री राम नाईक : प्रश्न, उपनगरीय यात्रियों के प्रति सामाजिक दायित्व के नाते उन्हें किराये में रियायत देने की व्यवस्था को समाप्त करने के कारणों के बारे में है और यदि आप मंत्री महोदय के उत्तर को देखें, तो उन्होंने सामाजिक दायित्व के नाते उन्हें किराये में रियायत देने की व्यवस्था को समाप्त करने के कारण नहीं दिए हैं । अतः, क्या मंत्री महोदय सामाजिक दायित्व के नाते उन्हें किराये में रियातत देने की व्यवस्था को समाप्त करने के कारण बताएंगे ? यह उत्तर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में इसकी चर्चा हो चुकी है ।

श्री राम नाईक : अब यह एक प्रश्न के रूप में आया है और आपने यह स्वीकार किया है । मंत्री महोदय को विशिष्ट उत्तर देना चाहिए । और ऐसा न करने के कारण भी देने चाहिएं ।

श्री मल्लिकार्जुन : हमने समाप्त नहीं किया है । इसी प्रकार से हमने वर्ष 1990-91 में लगभग 207 करोड़ रुपये की पूर्ति की थी । सामाजिक दायित्व को समाप्त करने का प्रश्न कहां है ।

श्री तरित वरण तोपदार : आपने अधिक अर्जित किया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तरित वरण तोपदार के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।

श्री तरित वरण तोपदार : वह राजस्व अर्जन के बारे में बता रहे हैं । इसका सामाजिक दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपको प्रतिशत भी बतादूंगा । वर्ष 1970-71 की तुलना में वर्ष 1980-81 में उपनगरीय यात्री प्रतिशत में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उपनगरीय यात्री किलोमीटर का प्रतिशत 78 23 है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन सभी व्यवधान के बीच में आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मेरा उत्तर यह है कि हमने यात्री यातायात से होने वाली आय में सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने की प्रथा समाप्त नहीं की है ..... (व्यवधान)

डा० देवी प्रसाद पाल : कलकत्ता की भूमिगत रेलों का किराया पहली अप्रैल से लगभग दुगना बढ़ाया जा रहा है । जो लोग भूमिगत रेलों का प्रयोग कर रहे हैं, वे आम लोग और दफ्तर जाने वाले लोग भी हैं । वृद्धि सौ प्रतिशत से भी अधिक है । क्या मंत्री महोदय सभा को जानकारी

देगें कि इसे उपयुक्त सीमा तक कम करने का कोई प्रस्ताव है ? अन्यथा, वह सामाजिक दायित्व क्या है जिसे सरकार निभा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : मैं कलकत्ता में रहा था और मैंने भूमिगत रेल से यात्रा की थी । मैंने अपने साथ यात्रा कर रहे यात्रियों से बातचीत की थी । महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यात्री ही नहीं वरन् पत्रकार जो मेरे साथ थे, वे भी पांच रुपये का भी भुगतान करने के लिए तैयार थे -- अभी किराया केवल एक रुपए है····· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे कौन हैं ?·····(व्यवधान)

श्री जी०के० जाफर शरीफ : संवाददाताओं सहित यात्रियों ने मुझे बताया है । यात्री 5 रुपये, 4 रुपये अथवा 3 रुपये तक देने के लिए तैयार थे । अब हम केवल एक रुपया ले रहे हैं । और हमने एक और रुपया बढ़ाया है·····(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह शत प्रतिशत वृद्धि है ····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न सं० 414— श्रीमति सुमित्रा महाजन—अनुपस्थित । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं अगले प्रश्न पर पहुंच गया हूं । प्रश्न सं० 475— श्रीमती सरोज दुबे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्यजी, यही ठीक नहीं है । कृपया आप बैठ जाएं । (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : कृपया इस पर चर्चा करने की अनुमति दें ····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह नहीं जानते कि हमने रेलवे पर चर्चा की है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप उस सदस्य के प्रति अन्याय कर रहे हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं । आप अपनी इच्छा सभा पर थोप रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं है । महिला सदस्य को प्रश्न पूछने दें । कृपया आप बैठ जाएं । श्रीमती सरोज दुबे ।

प्रसाधन सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण

*475. श्रीमती सरोज दुबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद सामग्री का उपयोग त्वचा और शरीर के लिए हानिकारक होता है;

(ख) क्या प्रसाधन सामग्री के पैकिंग लेबलों पर इसमें प्रयोग किये गये रसायन और उपयोग अवधि समाप्ति की तारीख मुद्रित होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रसाधन सामग्री निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रसाधन सामग्री पर गुणवत्ता नियंत्रण रखने हेतु बी.आई.एस.

चिन्ह (भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह) देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं, फ्लोराइड टूथपेस्ट तथा केश तेलों को छोड़कर ।

(ग) और (घ) प्रसाध सामग्री के फार्मुलेशन में प्रयुक्त होने वाले संघटक प्राय: स्थायी होते हैं और सामान्यत: भंडार में खराब नहीं होते हैं । तथापि, जहां कहीं ऐसे संघटक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके कारण एलर्जी इत्यादि हो सकती है; प्रसाधन सामग्री के विनिर्माताओं को उनके निरापद इस्तेमाल के लिए पर्याप्त निर्देशों का उल्लेख करना अपेक्षित होता है । इसलिए प्रसाधन सामग्री के विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं बनता है ।

(ङ) प्रसाधन सामग्री की गुणवत्ता का नियंत्रण औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 की अनुसूची "ख" के अंतर्गत किया जाता है जिसके अधीन 18 प्रसाधन सामग्रियों के लिए बी.आई.एस. मानक अपनाए गए हैं । प्रसाधन सामग्री के लिए बी.आई.एस. चिह्न अनिवार्य नहीं है ।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मेरे प्रश्नों के जो उत्तर दिए गये हैं वह भ्रामक हैं जैसे मेरे प्रश्न के "ग" और "घ" के उत्तर में लिखा गया है कि प्रसाधन सामग्री के विनिर्माताओं को रसायनों के निरापद इस्तेमाल के लिए पर्याप्त निर्देशों का उल्लेख करना अपेक्षित होता है और ये संघटक स्थायी होते हैं इसलिए प्रसाधन सामग्री में इनके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होता है । मैं यह कहना चाहती हूं कि आजादी से पहले ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स कंट्रोल एक्ट 1940 बना था । उसमें कास्मेटिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया था । उसके बाद इसमें 1960, 62, 64, 82 और 86 में बराबर संशोधत होते रहे हैं, इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उसके; बावजूद भी प्रसाधन निर्माता इसमें बहुत ही घटिया किस्म के रॉ-मैटीरियल मिलाते हैं और इसमें जो रंग मिलाए जाते हैं तो उनकी भी कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती है ।

श्रीमती सरोज दुबे (... जारी) : यह बताना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यह महिलाओं के जीवन का अत्यन्त आवश्यक अंग बन चुका है और जिस घर में भी महिला मौजूद है वहां पर प्रसाधन सामग्री किसी न किसी रूप में अवश्य खरीदी जाती है । विवाहिता महिला के लिए प्रसाधन सामग्री सुहाग का चिह्न है, इसमें चार चीजें प्रमुख हैं.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा, आप प्रश्न पर आयें ।

श्रीमती सरोज दुबे : सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिन्दी । यह तीन प्रकार की होती है । एक स्टीकर बिन्दी होती है जो माथे पर चिपकाया जाता है । इसमें जो स्टिकर प्रयोग किया जाता है उसमें प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के बारे में किसी भी बिन्दी के रैपर में उसका उल्लेख नहीं

होता है। इससे ल्यूकोडरमा जैसी बीमारी हो रही है·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मत सुनायें, मंत्री महोदय से प्रश्न पूछें।

श्रीमती सरोज दुबे : मामला बहुत गम्भीर है इसीलिए इसको उठाया जा रहा है। यह कास्मेटिक महिलाओं से सम्बन्धित है इस विषय को गम्भीरता से लें, क्योंकि यह चर्म रोग और जानलेवा बीमारियों का कारण बन चुकी हैं। इससे सफेद रोग की बीमारी हो जाती है और लिक्विड बिन्दी और कुमकुम लगाने से माथे पर जख्म हो जाता है। क्या इसके बारे में कोई सर्वे कराया गया है या उसके बारे में कोई रिपोर्ट आई है या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? मेरा दूसरा प्रश्न है···(व्यवधान)·· अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो बड़ा अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको मिनिस्टर को सुनाना है, मुझे नहीं सुनाना है।

श्रीमती सरोज दुबे : शरीर का सबसे नाजुक अंग आंख होती है। डाक्टर्स ने इसकी सुरक्षा के लिए काजल तक लगाने को मनाही कर दी है। आजकल बाजार में आई शैडो, आई लाइनर जैसी चीजें हमारे सौन्दर्य प्रसाधन के अन्दर आ गई हैं उसके लेबल पर केवल निर्माताओं का नाम जैसे ब्लू हैवन और लक्मे लिखा होता है परन्तु उनमें प्रयोग किये गये रसायन का नाम नहीं होता है, नहीं कोई हिदायत लिखी जाती है। इससे आंख में रोहे हो जाते हैं, अंधापन हो जाता है और सफेद मोतियाबिंद भी हो जाता है। इसके अलावा लिपस्टिक से लोगों को कैंसर होने का डर रहता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती सरोज दुबे : एक क्रीम आती है फेयर एण्ड लवली यह हिन्दुस्तान लीवर की है में बनती है और इसके लिए इस पर गोरें होने का भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है। इसके अधिक प्रयोग से चर्म रोग हो जाते हैं, लोगों का इस प्रकार के प्रसाधन से सौन्दर्य नहीं बढ़ रहा है। आपने कहा है कि सारी चीजों का विवरण होता है परन्तु इनके सारे लेबल उठाकर देख लें···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका प्रश्न डिसअलाऊ कर दूंगा।

श्रीमती सरोज दुबे : मंत्रीजी इसका उत्तर दें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : माननीय अध्यक्ष जी, सरोज जी ने जो कहा कि महिलाओं से सम्बन्धित जो समस्यायें हैं, उनको गंभीरता से देखा जाये। मैं उनको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी तरफ हमेशा गंभीरता से ध्यान देंगे। और मेरी यह भी ख्वाहिश थी कि इस गंभीरता को ज्यादा गंभीर बनाना चाहिये कि मेरी एस्टीमड साथी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सरोज जी के सवाल का जवाब दें लेकिन क्योंकि दो महिलाओं का सवाल था, इसलिए मैंने सोचा शायद दो महिलायें एक-दूसरे की बात का खण्डन करें।

जहां तक कॉस्मेटिक्स का सवाल है, मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि बिंदी के बारे में कोई स्टैंडर्ड नहीं है और इसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं है। हमारे देश में बहुत से छोटे-छोटे सेक्टर के मैनुफैक्चरर्स इसको बनाते हैं और डाक्टरों की यह राय है कि इससे कोई भी हानि नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिन्दी के लगाने से धर्मनिर्पेक्षता पर असर नहीं पड़ेगा। धर्म भी है और इससे आप को फायदा भी होगा। बिन्दी लगाने से थोड़ा-बहुत कास्मेटिक्स रेंज भी

आ सकती हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता·····

श्रीमती सरोज दुबे : लेकिन जो सफेद बीमारी ल्यूकोडर्म माथे में हो रही है उसके बारे में बताइये । आप इसका सर्वे करवाईये·····

श्री एम० एल० फोतेदार : दूसरी बात जो आपने आंख की बीमारी के बारे में कहा···

श्रीमती सरोज दुबे : आप ल्यूकोडर्म के बारे में बताइये जो माथे पर बिन्दी लगाने से हजारों महिलाओं को हो रही है·····

श्री एम०एल० फोतेदार : हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आयी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती भावना·····

श्रीमती सरोज दुबे : मेरा सैकेंड सप्लीमेंटरी···

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछ लिया···

श्रीमती सरोज दुबे : नहीं, नहीं । जब तक इसकी भूमिका नहीं बांधेगे, तब तक ये लोग नहीं समझेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सैकेण्ड सप्लीमेंटरी छोटा बनायेंगे ··

श्रीमती सरोज दुबे : आजकल ब्यूटी पार्लर्स की संस्कृति बहुत पनप रही है और जो पुराने प्रसाधन थे, उससे लोग कुछ भयभीत थे तो आयुर्वेदिक के नाम पर जड़ी-बूटी हर्बल के नाम पर नयी प्रसाधन सामग्री बनायी गयी हैं लेकिन इसका देश-विदेश में बड़ा प्रचार है और लोग उसकी तरफ से आश्वस्त हैं कि जड़ी-बूटी का मामला है, नुकसान नहीं करेगा । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रसाधन सामग्री में मिलाये जाने वाले जड़ी-बूटी के रसायन की जांच-पड़ताल की गयी है या उनकी प्रमाणिकता के बारे में आपको यह बताया गया है कि उन्होंने लिखा है, उसी का इस्तेमाल करते हैं । ये ब्यूटी पार्लर्स अपने घरों में प्रसाधन सामग्री तैयार करते हैं और उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करते हुए गलत चीजों का प्रयोग करते हैं । तो क्या इन चीजों पर रोक लगा रहे हैं या नहीं ? इसके अतिरिक्त इन प्रसाधन सामग्रियों से जो जान-लेवा बीमारियां हो रही हैं, चर्म रोग हो रहे हैं तो क्या इस पर एक्सपायरी डेट को अंकन होना बहुत जरूरी नहीं हैं ? एक्सपायरी डेट समाप्त हो जाने के बाद उन प्रसाधन सामग्री का नष्ट कर दिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद नया लेबल लगेगा···

अध्यक्ष महोदय : यह सारा लैक्चर के रूप में दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं···

श्रीमती सरोज दुबे : एक और रह गया । 1986 एक्ट की 26 के अनुसार पहले इंसपेक्टर इसके बारे में जांच करते थे लेकिन नये संशोधन के द्वारा कंज्युमर एसोसिएशन जो कि मान्यता प्राप्त हैं, सरकार ने एक निर्धारित फीस जमा कर प्रसाधन सामग्री की जांच कराने का रेजिल्यूशन शुरू करने का अधिकार दिया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस तरह के जो मामले सामने आये हैं, उन के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है ? इस तरह के गलत रसायनों के प्रयोग के खिलाफ आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ? एक्सपायरी डेट देने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं माननीया दुबे जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं है और इसमें जो इनोडियेंट्स हैं, वे सेहत के लिए हानिकारक नहीं हैं या और किसी चीज़ के लिए हानिकारक नहीं हैं क्योंकि.....

एक माननीय सदस्य : आपको कैसे मालूम ?

श्री एम०एल० फोतेदार : ऐसा मुझे कहा गया है। इसके लिए जो दूसरी आपने तज़वीजे दी हैं कि क्या किया जाना चाहिये, मैं उसकी तरफ जांच करवा रहा हूं।

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि प्रश्न के क भाग में पूछा गया है कि क्या उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद प्रसाधन सामग्री का उपयोग त्वचा और शरीर के लिए हानिकारक होता है तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है—जी नहीं। तो अगर विशेषज्ञों से या तो स्किन स्पेशलिस्टस से राय ली जाये तो पता चलेगा कि त्वचा और शरीर के लिए और बहुत हानिकारक है ?

तो क्या सरकार इस के लिए फिर से कुछ जांच करवाएगी ?

श्री एम०एल० फोतेदार : किस चीज़ के बारे में ?

श्रीमती भावना चिखलिया : त्वचा और शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं, इस के लिए सरकार जांच करवाएगी ?

श्री एम०एल० फोतेदार : जो आंख में लगाया जाता है उसमें हमने प्रावधान किया है कि क्या-क्या चीज़ उसमें इस्तेमाल होनी चाहिए और जो टूथपेस्ट है उसके लिए फ्लोराइडकिस क्वांटिटी का होना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए किसी चीज की कोई ज़रूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम एक महानुभाव प्रश्न पूछें।

श्री विजय नवल पाटिल : महोदय, आजकल पुरुष भी प्रसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे प्रकृति के अनुसार है कि यदि महिलायें इन प्रसाधनों का उपयोग करती हैं तो एक निश्चित आयु तक उनमें बीमारियों के विरुद्ध लड़ने की अधिक क्षमता होती है। ऐसे प्रसाधन, जो महिलाओं के बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता के परिणामस्वरूप उनके लिए नुकसानदायक नहीं हैं वे पुरुषों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय निर्माताओं से अपने उत्पादों पर "केवल महिलाओं के लिए" लिखने के लिए कहेंगे ?

श्री एम०एल० फोतेदार : हमने निर्माताओं से विशिष्ट प्रकार की साबुन के बारे से यह बता दिया है कि यह शिशुओं के लिए उपयोगी नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि यह अन्य वस्तुओं के लिए भी आवश्यक हैं। मैं नहीं समझता कि आप और मेरे जैसे लोग प्रसाधनों का उपयोग करेंगे।

"पर्यावरण संबंधी विचार गोष्ठी"

*4 6. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री रवि राय } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने 17 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, ताकि जून, 1992 में होने वाले पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन मंगलम्) : (क) जून 1992 में होने वाले पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली ने नई दिल्ली में 17 से 19 फरवरी, 1992 तक दक्षिण एशियाई गैर-सरकारी संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया था ।

(ख) आयोजकों द्वारा परिचालित सम्मेलन के विवरण की एक प्रति तत्काल संदर्भ के लिए संसद के पुस्तकालय में रखी गई है ।

(ग) सरकार ने उपरोक्त विवरण को नोट कर लिया है ।

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा बताए गए वक्तव्य को मैंने नहीं पढ़ा है जो पुस्तकालय में रखा गया है । फिर भी मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं । जून में होने वाले सम्मेलन में असन्तुलित पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए विश्वव्यापी सहमति पर भारत द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और विश्व भर में हो रहे पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए क्या सामूहिक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, सामान्य तौर पर जब हम इस विषय पर निर्णय लेने की बात करते हैं और सम्मेलन में बातचीत करने के लिए जाते हैं तो हम गैर-सरकारी संगठन की बात सुनते हैं और उनके विचार जानते हैं । सम्मेलन में लिए गए निर्णय हमें सम्प्रेषित कर दिये जाएंगे । तत्पश्चात् हम अपना निर्णय लेंगे । "पृथ्वी अध्याय और कार्य सूची 21" के संबंध में हमने बताया है कि हम विश्व भर में हुए पर्यावरणीय नुकसान के 'मुख्य उत्तरदायित्व" की बात पर विचार करेंगे और कहेंगे कि वास्तव में विकसित देशों को ही खपत तरीकों को और जीवन स्तर के तरीकों को बदलकर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए । हमने यह भी कहा है कि विकासशील देश भी विश्व स्तर की इस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं । लेकिन यह उनके निकाय प्रयासों के मूल्य पर नहीं होगा । उन्हें अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की आवश्यकता है । शुद्ध पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता और भूमि ह्रास और मरुस्थल बनने की तरफ विश्व स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए । पर्यावरण संबंधी मानकों का विश्व स्तर पर समांजस्य स्थापित नहीं किया जाना चाहिए । मदद या व्यापार में नयी पर्यावरण संबंधी शर्तें नहीं थोपी जानी चाहिएं । 'कार्य सूची 21" में विभिन्न पर्यावरण सूचकों के लिए समयबद्ध लक्ष्यों को स्वीकार करते हुए हम विचार करेंगे, बशर्ते आवश्यक संसाधनों की मात्रा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने पक्ष को सामान्य रूप से व्यक्त कर दिया है कि

सरकार जब इन सम्मेलनों-खासकर इस प्रकार के सम्मेलनों में भाग लेती है तो हम अपना रुख पूर्णतः नहीं निर्धारित करते और अपना पक्ष प्रकट नहीं करते क्योंकि यह सब उस समय हुई बातचीत पर ऊपर निर्भर करता है।

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जून में होने वाले सम्मेलन पर नए अनिश्चियता के बादल मंडरा रहे हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो जून 92 में होने वाले पर्यावरण विकास संबंधी गैर सरकारी संगठनों का सम्मेलन होगा उसके संबंध में भारत अपने देश का क्या विचार उसमें रखेगी और उसमें किस प्रकार से भारत सरकार अमल करने की दिशा में कार्यवाही करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी का जवाब उन्होंने अभी दिया है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं पहले ही विस्तृत ब्यौरा दे चुका हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह प्रश्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फरवरी मास के मध्य में आयोजित संगोष्ठी से सम्बन्धित हैं जहां संसार ने अपना पक्ष व्यक्त किया था। लेकिन तेजी से बदलते विश्व में महोदय मैं जानना चाहती हूं कि तब से लेकर सरकार बहुत ही विवादास्पद मुद्दों में से एक पर अपने मत को बहुत ही बदलने की सोच रही हैं जो मुद्दे पृथ्वी सम्मेलन में विचार-विमर्श ने लिए जाएंगे अर्थात् विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधाएं जिनका भारत ने सदा ही विरोध किया है क्योंकि ये दाता वर्चस्व पूर्वाग्रही समझी जाती हैं और इस प्रकार विकासशील देशों के विकास और पर्यावरण सुरक्षा दोनों के लिए अहितकारी हैं। अब, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने तब से विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा के विरोध की स्थिति में परिवर्तन करने के बारे में विचार किया है कि नहीं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, सर्वप्रथम में आपके माध्यम से माननीय सदस्या को स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने सम्मेलन में कोई पक्ष नहीं लिया।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उन्होंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है परन्तु प्रश्न यह है क्या वह अपना निर्णय बदल रहे हैं या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ! हमें सभा में उनके उत्तर पर विश्वास करना होगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अगर मैं स्पष्ट करूं वक्तव्य स्पष्ट है—सरकार ने संगोष्ठी में कोई निर्णय नहीं लिया, अगर आप पूछ रही हैं तो, और क्या सरकार द्वारा विश्वव्यापी दृष्टिकोण या विश्वव्यापी सुविधा के प्रश्न पर अपना रुख बदला जा रहा है, के बारे में, तो यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमने विभिन्न संगठनों की बात सुनी है जो अपने मुद्दों को ला रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने अपने पक्ष को बदलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने दृष्टिकोण को बदलने के बारे में सोच रही हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जब तक हम अपने मत को बदलते नहीं हैं तब तक बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उनका क्या प्रस्ताव है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हां, हमारा प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव अभी भी है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार पर वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों द्वारा इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि हाल की घटनाओं और सरकार की नीतियों दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण इस प्रस्ताव से पीछे हटा जाए कि पर्यावरण मन्त्री जिन्होंने मान्ट्रियाल समझौते के समय और जी-77 देशों के साथ सरकार की बातचीत के सम्बन्ध में इस सभा में वचन दिया था कि वह इस में परिवर्तन करना चाहती है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा वास्तव में विश्व बैंक के साथ वितीय तंत्र हैं। और अगर आप इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उसके लिए एक पृथक नोटिस दिया जाए। क्योंकि मुझे अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, इस पर हम विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 477.

कम्प्यूटर ज्ञान और अध्ययन

[हिन्दी]

*477 **डा० महादीपक सिंह**
श्री जगमीत सिंह } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में स्कूलों में कम्प्यूटर ज्ञान और अध्ययन की योजना आरम्भ की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कितने स्कूलों में आरंभ की गई थी;

(ग) इसके कार्यान्वियन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) यह योजना कितने स्कूलों में अभी भी चलायी जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का विचार है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1984-85 में 248 स्कूलों को शामिल किया गया।

(ग) 38.34 करोड़ रु०।

(घ) 2598 स्कूल।

(ङ) परियोजना की समीक्षा में एक प्रश्न यह उठा है कि कम्प्यूटर शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त निजी क्षेत्र की एजेंसियों को शामिल कर एक समेकित इन्पुट वितरण पद्धति स्थापित करने से क्या परियोजना का अधिक प्रभावी कार्यान्वियन होगा। इस मामले की जांच की जा रही है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, कम्प्यूटर ज्ञान के अध्ययन की जो पायलट स्कीम 1984-85 में बनी थी उसमें सरकार ने उस वक्त यह घोषणा की थी कि इसका प्रसार समस्त भारत में किया जाएगा, परन्तु आपने जो आंकड़े दिए हैं उसमें लिखा है कि 248 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है और 38.34 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने जो यह घोषणा की थी कि इसका प्रसार समस्त भारत में किया आएगा, तो उस घोषणा के अनुसार आप बताने की कृपा करें कि कितने स्कूलों को आपने राज्यवार और जिलेवार जन्म दिया है और उनके अन्दर राज्यवार कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : सर, यह तो अलग से नोटिस मिले, तो मैं बता सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि

*472. श्री उत्तमराव देवराव पाटील
श्री यशवन्तराव पाटिल } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक पुस्तकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) पुस्तकों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं,

(घ) क्या कुछ राज्यों ने इस संबंध में राजसहायता की मांग की है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) कागज के मूल्य, मुद्रण

खर्च तथा अन्य लागतों में वृद्धि के कारण पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यक्त, कम मूल्यों पर उत्तम कोटि की पुस्तकें उपलब्ध कराने के संकल्प के अनुसरण में, सरकारी स्तर पर अनेक उपाय जारी हैं। कक्षा I—XII तक के स्कूली छात्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली पहल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों का मूल्य-निर्धारण 'न लाभ न हानि' के आधार पर किया जाता है। परिषद् कक्षा I से VIII तक की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य 15/- रु० से अधिक निर्धारित नहीं करती और यदि कोई घाटा हो रहा हो तो बर्दाश्त कर लेती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों तथा डिप्लोमा स्तर की तकनीकी पुस्तकों तथा डिप्लोमा स्तर की तकनीकी पुस्तकों के रियायती दर के प्रकाशन की एक स्कीम चलाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा पुस्तकों की खरीद के लिए इन्हें तैयार किया जा सके।

(घ) और (ङ) कुछ राज्यों ने रियायती दर पर छपाई के सफेद कागज की आपूर्ति संबंधी स्कीम को दोबारा चालू करने का अनुरोध किया है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

"वन क्षेत्रों में खनन"

*474. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों में खनन हेतु स्वीकृति प्राप्त करना कठिन हो गया है, और

(ख) क्या वन क्षेत्रों में खनन हेतु स्वीकृति प्राप्त करना हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तत्संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) खनन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को आवश्यक सूचना सहित निर्धारित प्रोफार्मा में केन्द्रीय सरकार को भेजना होता है। राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से सारी अनिवार्य सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तावों की जांच की जाती हैं और उन पर उनके गुणावगुण के आधार पर तत्काल निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्तावों की जांच के कार्य को और सरल बनाने के लिए इन दिशा-निर्देशों में अब संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

*478 **"रेड ऑयल पाम" का रोपण"**

(*472) **श्री मदन लाल खुराना**
श्री बसुदेव आचार्य } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में "रेड ऑयल पाम" के रोपण

पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(घ) क्या स्थानिक वनों को काटकर "रेड आयल पाम" रोपण करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंलम) : (क) और (ख) द्वीप समूह विकास प्राधिकरण की 27.12.1986 को हुई बैठक में लिए निर्णय के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में रेड आयल पाम बागान के विस्तार पर तब तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है जब तक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा नहीं कर लिया जाता और सभी पहलुओं की समेकित आधार पर जांच नहीं कर ली जाती । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अनुसार भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना रेड आयल पाम उगाने के लिए वन भूमि को उपयोग में लाना निषिद्ध है ।

(ग) विदेशी मुद्रा की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि वर्तमान बागान से उत्पान को बन्द नहीं किया गया है ।

(घ) जी, नहीं । राष्ट्रीय व नीति का मुख्य उद्देश्य नाना प्रकार की वनस्पतिजात और प्राणिजात वाले शेष बचे उन प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करके देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है जो देश की उल्लेखनीय जैवीय विविधता और आनुवांशिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है । नीति में यह भी प्रावधान है कि ऐसे प्राकृतिक वन, जो पारिस्थितिक संतुलन के अनुसंरक्षण में भी सहायक होते हैं, को पौधरोपण अथवा किसी अन्य गतिविधि के लिए उद्योगों को उपलब्ध नहीं कराया जाए ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं

*479. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रियान्वित किये गये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वास्तविक उपलब्धि क्या रही; और

(ग) आठवीं योजना में इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत किये जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

रेल इंजनों का आयात

*480. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री उदय प्रताप सिंह } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की स्वीडन के एशिया ब्राउन बोवरी से विद्युत रेल इंजन खरीदने की कोई योजना है;

(ख) क्या खरीद समझौते को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो ठेका देने के लिए अपनाये गये मापदण्ड सहित तत्संबंधी क्या है;

(घ) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ऐसे इंजनों का निर्माण करने में समर्थ है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे आयात के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) इनकी खरीद स्विटजरलैंड के मैसर्स एशिया ब्राउन बोवरी से की जा रही है।

(ख) जी हां। स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया है।

(ग) तीन रेल इंजन सेटों के रूप में सम्बद्ध पुर्जों सहित, 6000 अश्व शक्ति वाले 25 के वी, ए.सी बीजली के 30 अदद रेल इंजनों के आयात के लिए खरीद को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण भी शामिल है। इनकी पोत पर्यन्त निःशुल्क कुल लागत 169,689,970 स्विस फ्रांक्स 139,140,250 इयूश मार्क्स और 3,50,00,000 रुपये होगी और इनके लिए वित्त की व्यवस्था एशियाई विकास बैंक/मनीला और जापान के आयात-निर्यात बैंक द्वारा की जायेगी। एशियाई विकास बैंक के दिशा-निर्देशों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तथा एशियाई विकास बैंक के अनुमोदन से, खरीद को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(घ) जी नहीं। इस समय, 6000 अश्व शक्ति वाले 3 फेज़ के रेल इंजनों के निर्माण के लिए देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। आयात द्वारा की जाने वाली वर्तमान खरीद में. प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की व्यवस्था भी की गई है ताकि बाद में चितरंजन रेल इंजन कारखाने में इस किस्म के रेल इंजनों का शृंखलाबद्ध निर्माण शुरू किया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चटर्जी आयोग प्रतिवेदन

*481. श्री राजेश कुमार
श्री तेज नारायण सिंह } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संस्कृत भाषा के विकास के बारे में चटर्जी आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) । (क) जी हां ।

(ख) चटर्जी आयोग (संस्कृत आयोग) की रिपोर्ट 28-11-1958 पत्र संख्या 1050/58 के तहत सभा पटल पर रखी गई थी । रिपोर्ट, संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संस्कृत आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई :

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी पाठ्यक्रमों में संस्कृत को शामिल किया गया है ।

(2) संस्कृत के भावी विकास की क्षमता रखने वाली तथा देश में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन प्रदान करने वाली परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय तथा शोध संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा उन्हें वित्तीय अनुदान भी उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(3) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एक स्वायत्त निकाय के रूप में परीक्षा लेने तथा डिग्रियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा इसे पाठशाला पद्धति को संबंधन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तीन संस्कृत विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई हैं ।

(4) केन्द्रीय संस्कृत विद्यापतियों, दो सम विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत अध्ययन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

(5) संस्कृत विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों और आदर्श संस्कृत पाठशालाओं में परम्परागत तरीकों से संस्कृत भाषा के शिक्षण के साथ-साथ आधुनिक विषयों का शिक्षण भी आरंभ किया गया है ।

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को प्रत्येक विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में परम्परागत धारा के कम से कम एक व्याख्याता/रीडर की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश दिए हैं ।

(7) स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है ।

(8) संस्कृत पण्डितों को राष्ट्रपति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की योजना के तहत संस्कृत पण्डितों को प्रति वर्ष सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं ।

(9) दुर्लभ पाण्डुलिपियों के मुद्रण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(10) नई दिल्ली तथा तिरूपति में दो सम विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं ।

(11) दक्षिण भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में, सरकार ने केरल राज्य सरकार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

(12) दूरदर्शन से साथ साथ पर संस्कृत नाटक प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए पाठ प्रसारित करती है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

(13) सैकेण्डरी स्तर पर संस्कृत शिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं की जांच के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् का संस्कृत विंग कार्य कर रहा है।

(14) संस्कृत शिक्षा के नीति संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए 1959 में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना की गई।

"अनधिकृत खनन"

*482. **श्री ललित उरांव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1992 के दैनिक हिन्दी 'देश प्राण" में उड़ीसा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना खनन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सुन्दरगढ़ जिले के बोनाई उप-मण्डल में 54 खानों में काम चालू है। इनमें से अधिकांश छोटी खानें हैं। इन खानों में से, तीन इकाइयों को सहमति दे दी गई है और दो इकाइयों के संबंध में सहमति जारी करने के लिए आवेदनों पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहां तक सहमति जारी करने की अपेक्षा का प्रश्न है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस समय बाकी 49 मामलों की जांच कर रहा है। यदि इस बात का पता चलता है कि इनमें से किसी भी खान को सहमति लेनी अपेक्षित है, तो उन्हें सहमति लेने के लिए कहा जाएगा अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह क्षेत्र वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित नियंत्रण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है।

[अनुवाद]

"क्लोरो-फ्लूरो कार्बनों का उपयोग चरणबद्ध रूप से बन्द करना"

*483. **श्री गंगाधरा सोनीपल्ली**
श्री भाग्ये गोवर्धन } : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी क्षेत्र में ओज़ोन परत में कमी होने का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण कितनी हानि हुई है;

(ग) देश में क्लोरो-फ्लोरो कार्बनों की वार्षिक औसत खपत कितनी है और उसका कितना प्रतिशत भाग वातारण में उड़ जाता है; और

(घ) देश से क्लोरो-फ्लूरो कार्बनों का उपयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में कितना समय लगेगा और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत के किसी भी क्षेत्र में ओजोन के क्षीण होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।

(ग) देश में 1990 में क्लोरोफ्लूरो कार्बनों की अनुमानित खपत 4704 मीट्रिक टन थी। समय के साथ, उत्पादित सभी प्रकार की क्लोरोफ्लूरो कार्बन वातावरण में विलीन हो गई।

(घ) ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन हेलोन तथा अन्य रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा वैकल्पिक पदार्थ/प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करते समय अपनाए जाने वाले आधारभूत उपाय तैयार करने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा एक कृत्यक बल गठित किया गया है।

साक्षरता कार्यक्रम

*484. **श्री बलराज पासी**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण वृत्ति-मूलक साक्षरता कार्यक्रमों तथा विशेष साक्षरता अभियान पर राज्य-वार खर्च की गयी धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त कार्यक्रमों के लिए धनराशि के नियतन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) प्रत्येक योजना के अंतर्गत संस्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 1992-93 के लिए आवंटन निम्नानुसार हैं :

	करोड़ रुपए
आप्रेशन ब्लैक बोर्ड	99.14
अनौपचारिक शिक्षा	68.10
पूर्ण साक्षरता अभियान	58.65

वर्ष 1991-92 की तुलना में आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के लिए कम राशि आवंटित की गई है

क्योंकि व्यय के वर्गीकरण के संबंध में योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसरण में सातवीं योजना की आवर्ती देनदारी, योजनेतर को स्थानान्तरित हो गई हैं और उसके लिए योजना में बजट प्रावधान नहीं किया गया है ।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के लिए अधिक प्रावधान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के समर्थन में इस योजना को क्रमिक रूप से समाप्त किया जा रहा है ।

विवरण

(राशि लाखों रुपयों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	आप्रेशन ब्लैक बोर्ड	अनौपचारिक शिक्षा	पूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियान	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परि-योजना
1 2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	3637.75	573.97	771.76	80.41
2. अरूणाचल प्रदेश				10.37
3. असम	420 48	192.09	100.00	103.42
4. बिहार		191.99	130.00	200.00
5. गोवा				
6. गुजरात	619,70			68.04
7. हरियाणा	292.17			
8. हिमाचल प्रदेश	456.10		25.00	13.82
9. जम्मू व कश्मीर	1103.06	54·26		36.13
10. कर्नाटक	1876.67		526.00	77.32
11. केरल	82.90		150.00	
12. मध्य प्रदेश	846.91	695.86	404.95	160.83
13. महाराष्ट्र	2795.46		348.00	108.25
14. मणिपुर	57.30	62.40		32.80
15. मेघालय	90.04			15.46
16. मिजोरम	66.80	3.16		3.46
17. नागालैंड				8.06
18. उड़ीसा	928.90	241.56	530.73	56.763
19. पंजाब	541.67		65.00	
20. राजस्थान	2202.14	361.36	289.30	98.97
21. सिक्किम	9.57			8.22
22. तमिलनाडू	449.96	5.86	423.82	168.04

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	54.41			12.37
24.	उत्तर प्रदेश	650.00	1616.36		376 37
25.	पश्चिम बंगाल	140.02		1483.27	71.14
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.82			
27.	चंडीगढ़		1.13		3.09
28.	दादरा और नागर हवेली	8.17			1.15
29.	दमन और दीव				
30.	दिल्ली			16.00	
31.	लक्षद्वीप				1.15
32.	पांडिचेरी			11.11	
	जोड़	17344.80	40.00	43 7.90	1717.63

ब्लड बैंक

*485. श्री अन्ना जोशी
श्री दत्तात्रेय बंडारू } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान ब्लड बैंकों के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने ब्लड-बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) से (ग) 1991-92 के दौरान रक्त बैंकों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को प्रदान की गई सहायता की धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है;

2. केन्द्र सरकार का कोई नया रक्त बैंक खोलने का कोई विचार नहीं है। केन्द्र सरकार वर्ष 1989-90 से मौजूदा रक्त बैंकों में सुधारों के लिए सहायता प्रदान कर रही है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 608 रक्त-बैंकों में से 138 रक्त-बैंकों में सुधारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 470 रक्त-बैंकों में सुधार करने के लिए 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त रक्त की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक रूप से रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष

से एक जोरदार अभियान शुरू किया जाना है। 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के दौरान 30 रक्त घटक वियोजन संबंधी सुविधा को चरणवार ढंग से स्थापित करके रक्त के युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

3. रक्त बैंकों के कार्यकरण को कारगर ढंग से विनियमित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत नियमों को अधिसूचित किया जा रहा है। इन नियमों में निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन करने के पश्चात् सभी रक्त-बैंकों को एक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों में निम्नलिखित कार्यों के लिए लाइसेंसों की भी आवश्यकता होगी :

— पर्याप्त स्टाफ और उपस्कर प्रदान करना और उनका अनुरक्षण करना;

— रक्त-दाताओं के उपयुक्त रिकार्डों का रख-रखाव करना; और

— प्रमुख रक्त-संचरणीय रोगों का पता लगाने के लिए किए गए परीक्षणों के रिकार्डों का रख-रखाव करना।

विवरण

रक्त बैंकों के विकास के लिए राज्य-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को भारत सरकार की सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1991-92 उपकरण उपभोज्यों और अभिवादकों के लिए नकद सहायता (रिलीज किया गया अनुदान)	1991-92 सामग्री के रूप में सहायता (परीक्षण किटें)	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.5	27.00	75.05
2.	असम	4.40	3.00	7.45
3.	बिहार	22.75	15.00	37.75
4.	गुजरात	10.20	9.00	19.20
5.	हरियाणा	8.20	3.00	11.20
6.	हिमाचल प्रदेश	3.40	3.00	6.40
7.	जम्मू और कश्मीर	8.10	3.00	11.10
8.	कर्नाटक	27.05	18.00	45.05
9.	केरल	36.40	9 00	45.40
10.	मध्य प्रदेश	17.65	9.00	26 65

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	77.35	75.00	152.35
12.	मणिपुर	4.80	6.00	10.80
13.	मेघालय	4.05	3.00	7.05
14.	नागालैंड	4.00	12.00	16.00
15.	उड़ीसा	5.40	3.00	8.40
16.	पंजाब	12.15	9.00	21.15
17.	राजस्थान	10.60	3.00	13.60
18.	सिक्किम	4.05	3.00	7.05
19.	तमिलनाडू	62.80	45.00	107.80
20.	त्रिपुरा	8 50	3.00	11.50
21.	उत्तर प्रदेश	36.30	18.00	54.30
22.	पश्चिम बंगाल	35.15	24.00	59.15
23.	गोवा	2.00	3.00	5.00
24.	मिजोरम	4.05	3.00	7.05
25.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	3 00	4.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00		1.00
27.	पांडिचेरी	1.00	3 00	4 00
28.	दिल्ली (केन्द्रीय व संघ राज्य क्षेत्र)	43.60	30.00	73.60
29.	चंडीगढ़ प्रशासन	1.00	3.00	4.00
30.	केन्द्रीय एवं स्वायत	17.00	42.00	59.00
	योग :	522.00	390.00	912.00

चीनी का आयात

[हिन्दी]

*486. डा० लाल बहादुर राथल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93 के दौरान चीनी का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसे आयात का स्वदेशी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान चीनी का आयात करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार

[अनुवाद]

*487. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने स्कूल और कालेज खोले जाने का प्रस्ताव है और कहां-कहां;

(ग) क्या दिल्ली में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा अन्य कालेजों में कुछ नये पाठ्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार "भावी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97" के अनुसार नीचे दी गई एजेन्सियां आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में निम्न प्रकार से नए स्कूलों को खोलने का विचार रखती है :

एजेन्सी का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित नए स्कूलों की संख्या
1. दिल्ली प्रशासन	120 मिडिल स्कूल
2. दिल्ली नगर निगम	200 प्राइमरी स्कूल
3. नई दिल्ली नगर पालिका	3 प्राइमरी स्कूल

नए स्कूलों के लिए स्थान का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

2. इसके अलावा आठवीं योजना के दौरान दिल्ली में एक और नवोदय विद्यालय और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा एक और प्राइमरी स्कूल खोले जाने की सम्भावना है।

3. आठवीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अध्यधीन दिल्ली प्रशासन का निम्न दस कालेज खोलने का प्रस्ताव है :

उत्तरी दिल्ली	2
दक्षिणी दिल्ली	1
पश्चिमी दिल्ली	4
यमुना पार	3

4. निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित क्रियाविधियों के अनुपालन के अध्यधीन आठवीं योजना के दौरान दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों का निम्न नए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है :—

दिल्ली विश्वविद्यालय

1 बी.ए. (पास) के लिए ऐच्छिक विषय के रूप में बौद्धमत अध्ययन

2. रूसी भाषा में बी.ए. (आनर्स)

3. रूसी भाषा में एक वर्ष का गहन पाठ्यक्रम

4. अनुवाद में डिप्लोमा (अंग्रेजी-हिन्दी)

5. संगणक प्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

6. पूरक विषय के रूप में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग

7. प्रारम्भिक शिशु देखभाल केन्द्र के लिए प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

8. एम.एस.पी. इंस्ट्रूमेन्टेशन (इलेक्ट्रोनिक्स)

9. तीन वर्षीय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (अंशकालिक)

10. फिजिकल मेडीसीन एंड रिहेबीलीटेशन में एम.डी.

11. स्वास्थ्य प्रबन्ध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

12. पेडियेट्रिक सर्जरी में एम.सी एच. पाठयक्रम

13. पर्शियन एडवांस्ड ट्रांसलेशन/इन्टर प्रटेशन में एक वर्षीय पोस्ट एम. ए. डिप्लोमा पाठ्यक्रम

14. पर्शियन पेलियोग्राफी में एक वर्षीय पोस्ट एम.ए. डिप्लोमा

15. आयुर्वेदिक और यूनानी मेडीसीन फेकल्टी में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

एम सी सी. (भौतिकी)

इंजीनियरी

1. स्नातक पूर्व स्तर

संस्था का नाम	नए पाठ्यक्रमों के नाम
(क) दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग	(i) पर्यावरणात्मक इंजीनियरी
	(ii) इन्स्ट्रूमेंटेशन और नियन्त्रण
	अनुप्रयुक्त डिजाइन
(ख) कालेज आफ आर्टस	(एप्लाइड डिजाइन)

II. स्नातकोत्तर स्तर

(क) दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग	(i) औद्योगिक इंजीनियरी
	(ii) पावर एपरेटस एंड सिस्टम

	(iii) कम्प्यूटरज नुप्रयोग
	(iv) भू-तकनीकी इंजीनियरी
	(v) आयल हायड्रॉलिक्स एंड न्यूमेटिक्स
	(v) औद्योगिक उपस्कर और डिजाइन
(ख) कालेज आफ फार्मेसी	(i) फार्मेसिटिकल केमिस्ट्री
	(ii) फारमोकोगनोसी
(ग) कालेज आफ आर्ट	(i) फोटोग्राफी
	(ii) प्रिंट मेकिंग
	(iii) हिस्ट्री आफ आर्ट एंड आर्ट क्रिटिसिज्म

चिकित्सा

संस्था का नाम	नए पाठ्यक्रमों के नाम
जी०बी० पंत अस्पताल, नई दिल्ली	एम०सी००एच (गेस्ट्रोइन्टेरोलाजी (सर्जिकल।
मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	एम सी०एच (पैड सर्जरी)
यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली	एम०एस० (ई एन.टी)
	एम०एस० आफ्थ)
	एम०एस० (आर्थो)
	एम०एस० (सर्जरी।
	एम०डी० (ओबस्ट एंड गायनी)
	एम०डी० (रेडियो डायग)
	एम०डी० (पैड)

"बाघों और चीतों के गलों में रेडियो पट्टे बांधना"

*488. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे बाघों व चीतों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके गले में रेडियो पट्टे बांधे गये हैं;

(ख) बाघों के गले में रेडियो पट्टे बाँधने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कितना धन प्राप्त हुआ और उसमें से राज्यों को कितना-कितना आवंटन किया गया;

(ग) क्या रेडियो पट्टे बांधने की तकनीक से वन्य जीवन को कोई खतरा पैदा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार ने भारत—अमरीकी रुपया निधि कार्यक्रम के तहत 9,87,100/- रुपये के परिव्यय से "बड़े मांसाहारी जानवरों की पारिस्थितिकी और प्रबन्ध" नामक एक अनुसंधान परियोजना, जिसे भारत सरकार के साथ एक सहयोगात्मक प्रबन्ध के तहत संयुक्त राज्य की सरकार द्वारा चलाया जाता है, प्रायोजित की थी। 1989 से इस परियोजना का कार्यान्वयन नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में वन्यजीव अध्ययन केन्द्र, मैसूर, जो एक निजी अनुसंधान संस्था है, द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, संयुक्त राज्य/अमरीका सरकार ने उक्त संस्थान को अब तक 6,01,400/- रुपये की राशि दी है।

इस परियोजना के एक भाग के रूप में, 7-1-90 से 29-1-90 तक की अवधि में नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान में 4 बाघों और 3 तेंदुओं को बेहोश करके उनके गले में रेडियो पट्टे बांधे गए। पिछले पाँच वर्षों में किसी तेंदुआ अथवा बाघ के गले में रेडियो पट्टा बांधे जाने के किसी अन्य मामले का पता नहीं चला है।

वन्यजीवों को बेहोश करके उनके गले में रेडियो पट्टे बांधना, वन्यजीव संरक्षण से सम्बन्धित कुछ अनुसंधान कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I से सम्बन्धित किसी पशु को बेहोश करने और उसके गले में रेडियो पट्टा बांधने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने से पूर्व उक्त अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। इस प्रकार की मंजूरी देते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक शर्तें लगायी जाती हैं कि इससे चोट लगने अथवा मृत्यु तक हो जाने की किसी प्रकार की सम्भावना को कम से कम किया जा सके। इनमें से कुछ शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) एक समय में केवल एक ही पशु को बेहोश करने की अनुमति दी जाती है।

(2) दूसरे पशु को तभी बेहोश किया जाता है, जब पहला पूरी तरह होश में आ जाता है।

(3) बेहोश करने का काम पशुओं के विशेषज्ञ डाक्टरों की देख-रेख में किया जाएगा।

(4) यदि किसी पशु को चोट लग जाती है, अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अनुमति वापस ले ली गई समझी जाती है।

छात्रों का पंजीकरण और विद्यालयों में अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों का प्रतिशत

*489. श्री चेतन पी० एस० चौहान
श्रीमती रीता वर्मा } : मानव विकास संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में प्राथमिक, सेकेन्डरी और कालेज आयु-वर्ग में कुल कितने-कितने प्रतिशत छात्रों का पंजीकरण किया गया था;

(ख) क्या छठी योजना की तुलना में सातवीं योजना के दौरान विद्यालयों में अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजीकृत तथा विद्यालय में अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों के प्रतिशत में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात सम्बन्धी ब्यौरा इस विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान छात्रों को कक्षा में बनाए रखने के अनुपात में वृद्धि हुई थी।

(ग) 8वीं योजना अवधि के दौरान लड़कियों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए नामांकन, भागीदारी और उपलब्धि के तिहरे आयाम में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा विशेष रूप, से 15-35 के आयु वर्ग में प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव है। आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने, कक्षा बीच में छोड़ जाने वालों तथा औपचारिक प्रणाली में दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने, शिक्षकों को प्रभावशालिता में सुधार करने तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू करने से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के कुछ उपाय हैं।

विवरण

सातवीं योजना अवधि के दौरान सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	कक्षा I से V में सकल नामांकन अनुपात			कक्षा VI से VIII में सकल नामांकन अनुपात		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1985-86	111.08	79.24	95.62	61.83	35.34	48.96
1986-87	121.83	79.21	95.96	66.50	38.95	53.14
1987-88	113.13	81.75	97 86	68.87	40.62	55.14
1988-89	115 71	82.51	99.56	70.81	42.32	56.95
1989-90	115.47	83.60	99.96	73.00	44.58	59.15

वर्ष	कक्षा IX से XII में सकल नामांकन अनुपात			उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात		
1985-86	32.72	15.45	24.39	5.50	2.53	4.08
1986-87	33.93	16.04	25.29	5.49	2.65	4.13
1987-88	33.37	16.17	2505	5.50	2.75	4.19
1988-89	33.40	16.76	25.33	5.54	2.82	4.25
1989-90	35.07	17.72	26.65	5.59	2.91	4.31

अस्पतालों की स्थापना

[हिन्दी]

5327. **श्री विलासराव नागनाथ राव गू डेवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री के अमरीका के हाल के दौरे के दौरान वहां के व्यापारियों ने भारत में अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) प्रधानमन्त्री कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारियों से भारत में अस्पताल खोलने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय भांडागार निगम

[अनुवाद]

5328. **श्री नानी भट्टाचार्य** : क्या **खाद्यमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों की उपयोगिता दर कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनका लाभ बढ़ाने हेतु सभी राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इन गोदामों का उपयोग करने के निर्देश जारी करने का है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1991-92 के पहले 10 महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों का औसत उपयोग लगभग 79% था जबकि अखिल भारत उपयोग 75% है ।

(ख) केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को जारी किए गए सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस आशय की व्यवस्था पहले से ही है कि प्राइवेट पार्टियों से गोदामों को किराये पर लेने अथवा स्वयं अपने प्रबन्ध करने की बजाय उन्हें केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध भंडारण सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए ।

बिहार में रेल परियोजनाएं

5329. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में शुरू की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना का निर्माण पूरा करने का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) 31 मार्च, 1992 तक प्रत्येक परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि किसी मामले में समय सीमा में अथवा लागत में वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान परियोजनायें कब तक बनकर पूरी हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है,

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

सं॰	परियोजना का नाम	लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	मूल लक्ष्य तिथि	पूरा करने की संभावित तिथि	दिस॰ 31-1991* तक प्रगति	वास्तविक समय सीमा में वृद्धि का कारण	लागत में वृद्धि का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	छपरा-औंड़िहार (आमान परिवर्तन)	171 कि॰ मी. (18 कि. मी. बिहार में)	1989-90	85.13	98.25	31-3-94	31-12-94	12%	संसाधनों की कमी	मजदूरी और सामग्री की लागत में वृद्धि
2.	बरौनी-मुजफ्फरपुर खंड सिहो और रामदयालु नगर के बीच दोहरी लाइन बिछाना — चरण-III	24 कि॰ मी॰	1989-90	20.32	19.06	31-3-92	30-6-93	88%	—यथोक्त—	कोई वृद्धि नहीं

*दिनांक (31-3-92) को 31 दिसम्बर 1991 तक हुई प्रगति उपलब्ध है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	उजियारपुर-बछवाड़ा (दोहरी लाइन बिछाना)	25 कि० मी०	1988-89	15.48	15.48	30-6-91	31-3-92	99.2%	—यथोक्त	,,
4.	गढ़वा रोड-सोननगर खंड सिगसिगी-बगहा विष्णुपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना-चरण-II	79 कि० मी०	1986-87	48.89	50.28	31-12-91	31-12-92	76%	,,	मामूली सी वृद्धि
5.	पटना जं०-यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण		1989-90	3.30	3.30	31-3-92	जुलाई, 1991 में पूरी हो गई		कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं

"अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा"

5330. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आरक्षित/संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि पर सरकारी कर्मचारियों/उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अनधिकृत कब्जे के मामलों की श्रेणी-वार तथा डिवीजन-वार, संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों/उनके परिवारों द्वारा वन भूमि पर श्रेणीवार और मंडल-वार किए गए अवैध कब्जों के मामलों की संख्या इस प्रकार है :

मंडल	मामलों की संख्या	वनों की श्रेणी
मध्य अंडमान	32	संरक्षित वन
मायाबन्दर एवं दिगलीपुर	17	संरक्षित वन
बारातंग	2	आरक्षित वन

(ख) और (ग) मध्य अंडमान में दो व्यक्तियों को पहले ही बेदखल कर दिया गया है। अन्य कब्जा करने वालों के खिलाफ सम्पदा अधिकारियों की अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का नवीकरण

[हिन्दी]

5331. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ रेल लाइनें पुरानी और जर्जर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाइनों के नवीकरण की कोई योजना है,

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) समय-समय पर विभिन्न लाइनों के रेलपथ का नवीकरण हालत के आधार पर तथा यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

शल्य चिकित्सा उपकरणों के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

5332. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शल्य चिकित्सा उपकरणों के मूल्य में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) देश में विनिर्मित शल्यचिकित्सीय उपकरणों की कीमतों में सामान्य मुद्रा स्फीति के कारण वृद्धि हुई है । आयातित शल्यचिकित्सीय उपकरणों की कीमतें रुपये के अवमूल्यन के कारण अधिक बढ़ गई हैं ।

स्थानीय गाड़ियों का गन्तव्य स्थान विरार से आगे बढ़ाना

5333. **श्री राम नाईक** : क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में स्थानीय रेल सेवा को विरार से आगे बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कुल कितने ए०/सी० डी०/सी० ई० एम० यू० रैक बनाए गए तथा कितने रैक पश्चिम रेलवे को उपलब्ध कराये गये;

(घ) विरार से आगे स्थानीय सेवा के गन्तव्य स्थान बढ़ाने हेतु कितने रैक की आवश्यकता होती है; और

(ङ) स्थानीय सेवा के गन्तव्य स्थान बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में रैक प्राप्त करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) विरार-वडोदरा-अहमदाबाद खंड पर ई० एम० यू० टाइप के चल स्टाफ चलाने के लिए पहले ही सर्वेक्षण शुरू किया जा चुका है । सर्वेक्षण के परिणामों, तकनीकी व्यावहारिकता, संसाधनों और ई० एम० यू० स्टाक आदि की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विरार से आगे ऐसी ई० एम० यू० सेवाएं शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद अपेक्षित रैकों की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा।

देश में ए सी/डी सी ई एम यू रैकों का विनिर्माण नहीं किया जाता है।

जयनगर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

[हिन्दी]

5334. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य मन्त्री 25 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयनगर में रेलमार्ग और भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बीच की दूरी कितनी है; और

(ख) जयनगर गोदाम से रेलवे स्टेशन तक प्रति टन की ढुलाई पर आने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की जमाखोरी

[अनुवाद]

5335. **श्री बल्लभ पाणिग्राही** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की जमाखोरी के संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने गेहूं के स्टाक की अधिकतम सीमा निर्धारित की है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या अन्य कदम उठाए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं और चावल को रखने की कम की गई एक-समान अधिकतम स्टाक सीमा निम्नानुसार है :

मद	श्रेणी	स्टाक रखने की अधिकतम सीमा	निम्न तारीख को अनुदेश जारी किए गए।
गेहूं	थोक विक्रेता	250 क्विंटल	7.2 1992
	खुदरा विक्रेता	50 क्विंटल	7.2.1992
	रोलर फ्लोर मिलें	मिल की 15 दिन की पिसाई क्षमता	11.3.1992
चावल	थोक विक्रेता	250 क्विंटल	7.2.1992
	खुदरा विक्रेता	50 क्विंटल	7.2.1992
	चावल मिल मालिक	500 क्विंटल	11.3.1992

(ग) प्राप्त सूचनानुसार, आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने अब तक थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के संबंध में गेहूं की कम की गई स्टाक सीमा को लागू किया है।

(घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए थे कि वे गेहूं और चावल के बारे में कम की गई इन सीमाओं के लिए व्यवस्था करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन तत्काल आवश्यक आदेश जारी करें अथवा वर्तमान आदेशों में संशोधन करें और उन्हें कड़ाई के साथ लागू करें।

"होलीडे होम्स"

5336. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए पूरे देश में 'होलीडे होम्स" का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों को प्रदत्त फ्लैटों का, स्थान-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) इन "होमों" के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक श्रेणी में ठहरने की अधिकतम अवधि कितनी है, और कितना प्रभार निर्धारित किया है;

(घ) क्या सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी तथा लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी भी इस सुविधा को पाने के पात्र हैं,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं,

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में अन्य स्थानों पर ऐसे और "होम" का निर्माण करने तथा वर्तमानों स्थानों पर अतिरिक्त सूट का निर्माण करने का भी है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभिन्न स्थानों पर 44 अवकाश गृहों की व्यवस्था की गयी है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध "क") में दिया गया है।

(ग) निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों पर अवकाश गृहों का आबंटन, "पहले आओ, पहले पाओ" की पद्धति के आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए किया जाता है जो सामान्यत: 3 से 7 दिनों के बीच होती है। सेवारत् रेल कर्मचारियों से वसूल किए जा रहे निर्धारित प्रभार इस प्रकार हैं :

ग्रुप	राशि
"डी"	2 रुपए प्रति दिन प्रति सूट
"सी"	5 रुपए प्रति दिन प्रति सूट
"ए" और "बी"	10 रुपए प्रति दिन प्रति सूट

(घ) और (ङ) जी हां, सूट की उपलब्धता के आधार पर तथा सेवारत् रेल कर्मचारियों की मांग पूरी करने के बाद।

(च) और (छ) अन्य स्थानों पर नये अवकाश गृहों या मौजूद स्थलों पर अतिरिक्त सूटों का निर्माण करने के बारे में क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त कोई प्रस्ताव, इस समय रेल मन्त्रालय के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

विवरण

		सूटों की संख्या		
		ग्रुप "ए" और "बी"	ग्रुप "सी"	ग्रुप "डी"
1	2	3	4	5
1.	महाबलेश्वर	4	12	—
2.	माथेरान	—	9	—
3.	लोनावला	—	10	—
4.	इगतपुरी	—	2	—
5.	पंचमढ़ी	—	3	—
6.	पंढरपुर	—	2	—
7.	पुरी (पूर्व रेलवे)	2	10	—
8.	वैद्यनाथ धाम	—	6	—
9.	नैनीताल (पूर्व रेलवे)	4	7	—
10.	दार्जिलिंग (पूर्व रेलवे)	3	4	—
11.	श्रीनगर	4	8	—
12.	पहलगांम	8	7	—
13.	शिमला	7	13	2
14.	मसूरी	7	2	1
15.	हरिद्वार	—	2	—
16.	बैंजनाथ पपरोला	—	2	2
17.	बड़ोग	—	2	2
18.	मनाली	3	2	—
19.	नैनीताल (पूर्वोत्तर रेलवे)	6	8	—
20.	रानीखेत	2	2	—
21.	वाराणसी	—	2	—
22.	इलाहाबाद	—	4	—
23.	कुर्सियांग	—	10	—
24.	शिलांग	—	4	—
25.	दार्जिलिंग (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2	4	—
26.	मैसूर	—	2 (ग्रुप "सी" और "डी" दोनों के लिए)	
27.	कुनूर	—	4	वही
28.	मदुरै	—	5	"
29.	कोटल्लिम	—	4	"

1	2	3	4	5
30.	कन्याकुमारी	—	4	,,
31.	रामेश्वरम्	2	2	—
32.	पलानी	—	2	—
33.	उड़गमंडलम्	4	8	—
34.	कोल्वा बीच (गोवा)	1	2	—
35.	तिरुपति	2	14	—
36.	पुरी (दक्षिण पूर्व रेलवे)	—	8 (ग्रुप "सी" और "डी" दोनों के लिए)	
37.	रांची	—	16	,,
38.	दार्जिलिंग (दक्षिण पूर्व	—	4	,,
39.	बम्बई (बान्द्रा पश्चिम)	—	8	2
40.	माऊंट आबू	4	16 (ग्रुप "सी" और "डी" दोनों के लिए)	
41.	उदयपुर	—	8	वही
42,	बेरावल	8	—	—
43.	पुरी (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना)	—	2	—
44.	घोलवड़	4	—	—

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

5337. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासनिक और वित्तीय कुप्रबंधन के संबन्ध में वहां के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशासन के मामलों एवं कानून और व्यवस्था की समस्याओं से सम्बन्धित हैं।

(ग) महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्रवाई पहले से ही की जा रही है तथा एक बार इन पदों के भरे जाने के बाद, पुस्तकालय के प्रशासन में किसी भी कमी को दूर किया जाएगा।

कालीबंगन में संग्रहालय

[हिन्दी]

5338. **श्री मनफूल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीबंगन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक संग्रहालय की संस्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके अनुरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उल्लिखित संग्रहालय का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान इसके रखरखाव पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :—

1990-91	45,000/-
1991-92	65,000/-

(ग) और (घ) जी; नहीं।

बिहार की लोक कलायें

5339. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी द्वारा बिहार की कलाओं विशेषत: लोक कलाओं की उपेक्षा की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) ललित कला अकादमी द्वारा बिहार की ललित कलाओं के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान किये गये योगदान का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन कलाओं के विकास और संरक्षण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ने दो कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए, एक चित्रकार को शिक्षावृत्ति प्रदान की, दो प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं, एक अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की, श्री राधामोहन पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया तथा शिल्पकला परिषद, पटना को सहायक अनुदान प्रदान किया।

(घ) अखिल भारतीय प्रकृति ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत; सरकार कला और संस्कृति के क्षेत्र में व्यवसायिक दलों, व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

शालिमार (दक्षिण पूर्व रेलवे) में स्टोर डिपो

[अनुवाद]

5340. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शालिमार में दक्षिण पूर्वी रेलवे के स्टोर विभाग को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नया चीनी कारखाना

5341. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को एक नये चीनी कारखाने के स्थान में परिवर्तन हेतु गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को नई चीनी फैक्ट्रियों के स्थान परिवर्तन हेतु गुजरात सरकार से 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। श्री उकई विभाग असरग्रस्त सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० तथा मै० बड़ोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक सुनियन लि० से सम्बन्धित प्रस्तावों पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा उनको औद्योगिक विकास विभाग को भेज दिया गया है। शेष चार प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विवरण

गुजरात राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों के स्थान परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विवरण

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	से	को
1.	मै० श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०	रोहिद, ता. हंसोत, जिला भड़ूच	कोसम्बा, ता. मंगरोल, जिला सूरत
2.	श्री उकई विभाग असरग्रस्त सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०	सेरूला, तह० सोनगढ़ जिला सूरत	गुनसादा, ता. सोनगढ़, जिला सूरत

1	2	3	4
3.	मै. श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि.	तरोपा, तह. नन्दोद, जिला भड़ूच	धारीखेड़ा, तह. नन्दोद, जिला भड़ूच
4.	मै० बड़ोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक युनियन लि.	मन्डाला, ता. दभोई, जिला बड़ोदरा	गन्धारा, ता. करजन, जिला बड़ोदरा
5.	मै. कावेरी विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि.	खाटा-अम्बा, तह. वन्सदा, जिला वलसाड	सदादवेल, ता. चिखली, जि. वलसाड
6.	मै. दामनगंगा सहकारी खांड उद्योग मंडली लि.	सरोन्डा, तह उम्बैरगांव, जिला वलसाड	भिलाद, तह. उम्बेरगांव, जिला वलसाड

राज्य समाज कल्याण बोर्डों की सहायता

[हिन्दी]

5342. **श्री मुमताज अंसारी**
प्रो. रासा सिंह रावत } : क्या **मानव ससाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल कितने केन्द्रीय कल्याण बोर्ड कार्यरत हैं,

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राजस्थान तथा बिहार में समाज कल्याण बोर्डों की किन-किन योजनाओं हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1992-93 में प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल/कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड केवल एक ही है ।

(ख) और (ग) राजस्थान और बिहार के समाज कल्याण बोर्डों की जिन योजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान दिए गए हैं और पिछले एक वर्ष के दौरान सहायता दी गई है, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते ।

विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य का नाम (दी गई राशि —लाख रु. में) राजस्थान	बिहार
1.	जागृति विकास परियोजनाए	9.28	5.75
2.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	8.75	3.50
3.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण	52.94	32.80

1	2	3	4
4.	शिशुगृह	120.22	27.59
5.	शिशुगृह कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण	0.50	0.50
6.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	29.36	19.11
7.	वार्षिक अनुदान	3.47	5.51
8.	अवकाश शिविर	2.46	1.68
9.	महिला मण्डल	4.90	1.03
10.	स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो	0.54	0.47
11.	परिवार परामर्श केन्द्र	2.14	2.42
12.	कल्याण विस्तार परियोजनाएं (वा. वि)	18.86	35.97
13.	कल्याण विस्तार परियोजनाएं (बी ए पी)	26.21	—

"पेट्रोलियम उत्पादों के कारण होने वाला प्रदूषण"

5343. **श्री राजवीर सिंह**
डा० लाल बहादुर रावल } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दूसरे देशों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दिशा में अपने ही देश के अथवा इस विदेशी तकनीक के आधार पर कोई प्रायोगिक कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार पेट्रोलियम उत्पादों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) भारतीय तेल निगम को मथुरा तथा हल्दिया में गैस आयल की हाइड्रो-डिसल्फ्यूराइजेशन स्थापित करने की योजना है । इन इकाइयों को विदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है । बरौनी तथा डिगबोई में उत्प्रेरक सुधार इकाइयां, जिनकी 1994 के अन्त तक चालू होने की आशा है, फ्रांस की प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं । कई भारतीय कंपनियों के अनुसंधान और विकास विभागों ने भी सुधारक इकाइयों में उत्प्रेरकों को विकसित करने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ?

" 'अर्थ समिट' के लिए समान नीति"

[अनुवाद]

5344. **श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मूव टु अपोज एनवाइस हिगेमनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारत और अन्य विकासशील देश पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा हेतु "अर्थ समिट" के लिए होने वाली बैठक में विकसित देशों के आधिपत्य का विरोध करने के लिए एक समान नीति बना रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) हिन्दुस्तान टाइम्स में 24 फरवरी को "मूव टु अपोज एनवायरन" "हिगेमनी" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) से (घ) पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित प्रमुख मामलों पर विभिन्न मंचों पर चर्चा करने और सामान्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत सहित अन्य विकासशील देशों की प्रायः बैठक होती है। अप्रैल, 1990 में नई दिल्ली में हुई बैठक और जून, 1991 में बीजिंग में हुई बैठक इसके उदाहरण हैं। बीजिंग मंत्रालयी घोषणा पत्र की एक प्रति तुरन्त संदर्भ के लिये संसद पुस्तकालय में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंचों, जैसे—"ग्रुप ऑफ 77" पर नियमित आधार परपरामर्श किए जाते हैं। भारत इस प्रकार के सभी विचार-विमर्शों में भाग लेता रहा है और विकासशील देशों के दृष्टिकोण/निर्णय बनाने में योगदान देता रहा है।

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा संस्थाएं

[हिन्दी]

5345. **श्री चन्द्र जीत यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में कितनी हिन्दी प्रचार सभा संस्थाएं हैं और उनमें कितने कर्मचारी नियुक्त हैं,

(ख) क्या स्नातकोत्तर अध्ययन शिक्षण और शोध प्रयोजनों के लिए सभा के अन्तर्गत कोई उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य संस्था स्थापित की गई है;

(ग) दक्षिण भारत में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं;

(घ) क्या इन संस्थाओं के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास जो संसद-अधिनियम द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा के संवर्धन, विकास और उन्नति के लिए कार्य कर रही है।

सभा ने हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), एरनाकुलम (केरल) और मद्रास (तमिलनाडु) स्थित चार केन्द्रों में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अध्यापन और अनुसंधान आरम्भ करने के लिए उच्च शिक्षा और शोध संस्थान की स्थापना की है।

सभा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध···नहीं है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उपर्युक्त उल्लिखित चार स्नातकोत्तर केन्द्रों में प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चररों के पद पर कार्यरत संकाय-सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नदी-किनारे स्थित शहरों में प्रदूषण पर नियंत्रण विषय पर विचार-गोष्ठी

[अनुवाद]

5346. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाराणसी में 14 जनवरी, 1992 को "भारत के नदी-किनारे स्थित शहरों में, प्रदूषण पर नियंत्रण-गंगा का अध्ययन" विषय पर एक 4 दिवसीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन किया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और गंगा की तेजी से सफाई के लिए विचार-गोष्ठी में क्या टिप्पणियां तथा सुझाव दिये गये।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) "भारत में नदी तटों पर बसे नगरों में प्रदूषण नियंत्रण-गंगा एक विशिष्ट अध्ययन" पर संकट मोचन फाउन्डेशन, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 14 से 17 जनवरी, 1992 तक एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा किया गया तथा इसमें भारत एवं विदेश से आए हुए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में ये पर्यवेक्षण सिफारिशें शामिल है :

1. वर्तमान में, वाराणसी में नहाने के घाटों के क्षेत्रों में जल गुणवत्ता वर्तमान जीवाणुओं एवं बी०ओ०डी० के अनुरूप नहीं है।

2. गंगा कार्य योजना के पहले चरण में हाथ में लिए गए कार्यों की अनुवर्ती कारंवाई की तत्काल आवश्यकता है।

3. दीनापुर में सीवेज उपचार संयंत्र की शीघ्र स्थापना एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा दीनापुर उपचार संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करना।

4. नदी में ओवर-फ्लो कम करने के लिए बाईपास अवरोधक या उपयुक्त अन्य सुविधाओं का निर्माण करना।

5, वर्तमान पंपिंग स्टेशन की पंपिंग दरें, पंपिंग वाल्यूम एवं रिकार्डों के रख-रखाव का मासिक आधार पर संकलन किया जाना ।

6. गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई सुविधाओं के संचालन एवं रख-रखाव पर उचित ध्यान दिया जाना ।

इस मामले को उत्तर प्रदेश शासन के साथ उठाया गया है कि वे उपर्युक्त सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने हेतु समिति

5347. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिश की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डो० के० तारावेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने दिल्ली में चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं का पुनर्गठन करने के लिए एक परियोजना तैयार की थी जिसकी बाद में एक विशेषज्ञ दल द्वारा जांच की गई थी । इसके द्वारा सुझाए गए कुछेक अल्पावधि उपायों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है ।

पूर्व-व्यवसायिक शिक्षा

5348. **श्री शंकर सिंह वाघेला**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और व्यावसायिक शिक्षा के लिए संयुक्त परिषद् की स्थाई समिति ने कक्षा नौ और दस में सभी छात्रों के लिए पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की योजना को स्वीकृति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूप-रेखा, समय-सारणी और अन्य विशेषताएं क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) निचले सैकेण्डरी स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना की रूपरेखा और प्रारूप-योजना पर क्रमश: केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड सलाहकार और व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद् की स्थायी समिति की बैठकों में विचार किया गया।

जनार्दन रेड्डी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) द्वारा विचार किए जाने के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

मोतीचूर में स्टेशन

5349. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार-ऋषिकेश सेक्शन पर मोतीचूर में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करने और रेलगाड़ियों को ठहराने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मांग को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मोतीचूर स्टेशन पर पहले ही पूर्ण विकसित स्टेशन इमारत है, इस स्टेशन पर एक जोड़ी मेल-एक्सप्रेस गाड़ियां और 5 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां ठहरती हैं, यातायात की वर्तमान मात्रा को सम्हालने के लिए मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त समझी जाती हैं,

विलम्ब शुल्क के मामले

5350. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के वर्ष 1990-91 में जोन-वार विलम्ब-शुल्क के कितने मामले थे;

(ख) भुगतानों के लिए कितने मामले अभी भी लम्बित हैं और ये कितने मूल्य के हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990-91 के दौरान विलम्ब शुल्क के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	मामलों की संख्या
मध्य	69208
पूर्व	3137
उत्तर	6162
पूर्वोत्तर	2460
पूर्वोत्तर सीमा	3237
दक्षिण	2735
दक्षिण मध्य	22839
दक्षिण पूर्व	9573
पश्चिम	5745
	125096

(ख) 3104 मामले, जिनमें 28.5 करोड़ रुपये का भुगतान अन्तर्निहित है ।

(ग) रेल उपयोगकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें करके, बकाया विलम्ब-शुल्क वसूल करने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं । देय विलम्ब-शुल्क की शीघ्र वसूली के लिए सामान पर अधिकार भी बनाए रखा जाता है ।

[हिन्दी]

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5351. **श्री सूरज मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार का पिछली आरक्षित रिक्तियों को भरने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 17698.

(ख) अनुसूचित जनजाति 3134
अनुसूचित जनजाति 1215

(ग) जी हां,

(घ) 30.4.91 को अधिकांश बकाया पड़े पदों को भर दिया गया है, ग्रुप "सी" में अनुसूचि जनजाति के शेष 14 रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान पहले ही चलाया जा रहा है ।

खाद्य तेलों का मूल्य

5352. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के लिए खाद्य तेलों के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों के लिए यह किस सीमा तक लाभकारी है; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान खाद्य तेल की खरीद के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) सरकार खाद्य तेलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विदेशी सहायता

5353. **डा० रमेश चन्द तोमर**
श्री देवी बक्स सिंह
श्री रतिलाल वर्मा
श्रीमति भावना चिखलिया } : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कोई विदेशी सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से देश सहायता प्रदान कर रहे हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों को बाह्य सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता के ब्यौरे को वर्ष के दौरान विदेशी सहायता की वास्तविक उपलब्धता तथा राज्यों में प्रगति/आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	विदेशी एजेंसी/सरकार का नाम	लाख रुपए
1.	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि (यू०एन०एफ०पी०ए०)	2750.00
2.	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०)	483.52
3.	संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि (यू०नि०सेफ०)	2753.00
4.	नार्वेजियन एजेंसी फार दि इंटरनेशनल डेवलपमेंट (नोराड)	—
5.	डेनिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (डानिडा)	1143.00
6.	समुद्रपारीय विकास एजेंसी (ओ०डी०ए०)	522.00
7.	विश्व बैंक	2300.00
8.	अमरीकी अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू एस एड)	4201.25

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनों के लिए प्रस्ताव

5354. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार खंडवा-दहोद रेलवे लाइन बिछाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित नई बड़ी लाइन परियोजनाओं के लिए अनुरोध किया है :—

(1) **भालनपुर के रास्ते गुना-इटावा नई लाइन परियोजनाओं का पुनर्संरेखण** :—

इसे स्वीकार कर लिया गया है।

(2) **दल्ली राजहरा-जगदलपुर नई बड़ी लाइन** :—

प्रस्तावित लाइन एकल उपयोगकर्ता लाइन है जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के लिए भिलाई को लौह अयस्क की ढुलाई के लिए है। इस लाइन के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था करने के लिए इस्पात मंत्रालय भारतीय प्राधिकरण की लागत बता दी गई है।

(3) **ललितपुर-खजुराहो-सतना, रीवा-सिंगरौली नई लाइन** :—

ललितपुर-खजुराहो-सतना, खजुराहो-महोबा और रीवा-सिंधी-सिंगरौली (491 कि०मी०) नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है और जिसे 92-93 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसोधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे कार्यवाई की जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की तंगी।

चीनी उत्पादन क्षमता

[अनुवाद]

5355. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **खाद्य मंत्री** इसे बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार चीनी के उत्पादन की वार्षिक लाइसेंसशुदा क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता और उपयोगिता क्षमता कितनी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) 30.9.91 को राज्यवार तथा क्षेत्रवार चीनी के उत्पादन की वार्षिक लाइसेंसशुदा क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता तथा चीनी वर्ष 1990-91 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए चीनी फैक्ट्रियों की प्रतिशत उपयोगिता क्षमता का विवरण 1 व 2 पर है।

विवरण 1

देश में चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार, क्षेत्रवार लाइसेंसशुदा तथा अधिष्ठापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता दर्शाने वाला विवरण ।

		लाइसेंसशुदा			अधिष्ठापित			कुल	
क्र० सं०	राज्य	सार्व.	निजी	सहकारी	सार्व०	निजी	सहकारी	लाइसेंसशुदा	अधिष्ठापित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	पंजाब	1.347	1.396	6.037	0.349	0.491	3.107	8.48	3.947
2.	हरियाणा	—	1.478	2.612	—	1.126	2.084	4.09	3.210
3.	राजस्थान	0.062	0.093	0.077	0.062	0.093	0.077	0.232	0.232
4.	उत्तर प्रदेश	10.389	20.4	12.759	5.651	12.44	6.402	43.548	24.493
5.	मध्यप्रदेश	0.111	1.009	0.334	0.091	0.340	0.334	1.454	0.765
6.	गुजरात	—	—	13.216	—	—	6.534	13.216	6.534
7.	महाराष्ट्र	—	1.669	55.016	—	1.669	29.5592	56.685	31.2282
8.	बिहार	0.735	3.268	—	0.735	2.686	—	4.003	3.421
9.	आसाम	0.069	—	0.153	0.069	—	0.115	0.222	0.184
10.	उड़ीसा	1.182	0.232	0.492	—	0.035	0.392	1.906	0.427
11.	पश्चिमी बंगाल	0.021	0.045	—	0.021	0.045	—	0.066	0.066
12.	नागालैण्ड	0.128	—	—	0.064	—	—	0.128	0.064

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.	आन्ध्र प्रदेश	1.694	3.559	3.291	1.204	2.094	2.225	8.544	5.523
14.	कर्नाटक	1.346	3.637	6.484	1.346	2.648	3,701	11.467	7.695
15.	तमिलनाडु	0.865	7.130	6.836	0.393	5.687	3.965	14.831	10.045
16.	पांडिचेरी	—	0.626	0.174	—	0.209	0.174	0.8	0.383
17.	केरल	—	0.034	0.136	—	0.034	0.136	0.17	0.17
18.	गोआ	—	—	0.093	—	—	0.093	0.093	0 093
19.	दादरा नगर हवेली	—	—	0.395	—	—	—	0.395	—
20.	मणिपुर	0,08	—	—	—	—	—	0.08	—
	कुल	17.729	44.076	108.105	9.985	29.597	58 8982	170.31	98.4802

विवरण II

वर्ष 1990-91 के लिए देश में चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार प्रतिशत उपयोगिता क्षमता दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	प्रतिशत उपयोगिता
1.	पंजाब	69.69
2.	हरियाणा	116.89
3.	राजस्थान	101.68
4.	उत्तर प्रदेश	121.45
5.	मध्यप्रदेश	135.18
6.	गुजरात	127.23
7.	महाराष्ट्र	131.89
8.	बिहार	121.30
9.	आसाम	45.76
10.	उड़ीसा	53.89
11.	पश्चिमी बंगाल	44.25
12.	नागालैण्ड	63.21
13.	आन्ध्र प्रदेश	126.87
14.	कर्नाटक	122.41
15.	तमिलनाडु	117.77
16.	पांडिचेरी	125.23
17.	केरल	55.31
18.	गोआ	88.26

कुली कुतब शाह डाइग्नास्टिक सेंटर, हैदराबाद के लिए जापानी सहायता-प्राप्त उपकरण

5356. **श्री राम कृष्ण कोंताला**
श्री धर्मभिक्षम } क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से कुली कुतब शाह डाइग्नास्टिक सेंटर, उस्मानिया अस्पताल, हैदराबाद के लिए जापानी सहायता-प्राप्त उपकरणों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव में कुली कुतब शाह निदान शाह केन्द्र, उस्मानिया अस्पताल, हैदराबाद को जापानी सहायता-अनुदान के माध्यम से 55 परिष्कृत उपस्कर प्रदान करना शामिल है। उपस्करों की वास्तविक लागत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने सभी उपस्करों की लागत के बारे में सूचना नहीं दी है।

(ग) यह प्रस्ताव जापानी प्राधिकारियों के सामने विचारार्थ रखा गया है।

महिलाओं के लिए इंजीनियरी कालेज

5357. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **मानव संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी बहुल क्षेत्रों में महिलाओं के लिए इन्जीनियरी कालेज खोलने के बारे में सरकार की नीति क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए विशेषत: आदिवासी महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय इन्जीनियरी कालेज स्थापित करने का है,

(ग) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा और इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) आदिवासी बहुलता वाले क्षेत्रों में महिलाओं के लिए इन्जीनियरी कालेज खोलने का न तो कोई प्रस्ताव है अथवा न ही कोई योजना है। राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए इन्जीनियरी कालेजों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर परिषद द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है।

कैंसर के इलाज में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं

5358. **श्री देवराजन**
श्री बापू हरि चौरे
श्री परसराम भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं कैंसर का पता लगाने तथा उसका इलाज करने में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस उद्देश्य हेतु उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र गैर सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने के लिए 5.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित दो संगठनों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है :—

(I) धर्मशिक्षा कैंसर फाउंडेशन एण्ड रिसर्च सैंटर, नई दिल्ली ।

(II) कैंसर सेंटर एण्ड वेलफेयर होम, ठाकुरपुरा, कलकत्ता ।

"वनों में पौधों पर सर्वेक्षण"

5359. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष तौर पर उड़ीसा में फूल वाले पौधों औषधीय पौधों तथा जड़ी बूटियों पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और सर्वेक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने उड़ीसा राज्य में व्यापक और गहन क्षेत्र सर्वेक्षण किए हैं जिनमें वनों में वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन, चिल्का झील में काई वनस्पति को सर्वेक्षण, तटीय पट्टी और महानदी के मुहाने के वनों में कच्छ वनस्पति पर पारिस्थितिकीय अध्ययन शामिल है । इन वैज्ञानिकों ने औषधीय पौधों का वानस्पतिक विवरण तथा उड़ीसा के आदिवासियों द्वारा देशी पौधों के नृजातीय-वानस्पतिक उपयोगों पर अनुसंधान पत्रक भी प्रकाशित किए हैं ।

(ग) उड़ीसा के वनस्पतिजात और प्राणिजात को सिमलीपाल बाघ रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्यों सहित 18 सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

उज्जैन-नागदा रेल गाड़ी को रतलाम तक चलाना

[हिन्दी]

5360. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों के अनारक्षित सामान्य डिब्बों में अधिक सीट की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ख) उज्जैन-नागदा सवारी गाड़ी को रतलाम तक चलाने तथा इसके साथ पर्याप्त संख्या में नये सवारी डिब्बे जोड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मध्य रेलवे के बम्बई-पुणे और बम्बई-नासिक-मनमाड खंडों पर परीक्षण के आधार पर दैनिक गाड़ी में 20 सवारी डिब्बों को 132 सीटों वाले सवारी डिब्बों में बदलने का विनिश्चय किया गया है, यदि इस परीक्षण में सफलता प्राप्त होती है तो अन्य गाड़ियों में इस सुविधा के विस्तार पर विचार किया जाएगा।

(ख) उज्जैन-नागदा पैसेंजर गाड़ी के रतलाम तक बढ़ाने की जांच की गई थी लेकिन पारिवातनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया। उज्जैन-नागदा खंड पर चलने वाली पैसेंजर गाड़ियों में सभी सुविधाओं सहित केवल उपर्युक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जाती है।

गहन चिकित्सा कक्ष

[अनुवाद]

5361. **श्री सी०पी० मुदाज़ गिरियप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी अस्पतालों में कुल कितने गहन चिकित्सा कक्ष है;

(ख) इन सभी गहन चिकित्सा कक्षों में कुल कितने बिस्तर हैं;

(ग) क्या इन एककों में उन रोगियों के लिए जिनके अनेक कार्य अंग करना बन्द कर देते हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षित नाजुक देखभाल की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन 249 अस्पताल हैं। प्रमुख अस्पतालों में गहन परिचर्या यूनिटें है जिनमें बहु-अपयव तंत्र की विफलता वाले विकृत रोगियों के लिए अपेक्षित बहु-विज्ञानीय नाजुक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान

[हिन्दी]

5362. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री बी०एल० शर्मा प्रेम } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए सौ प्रतिशत अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत असम को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ग) क्या असम सरकार ने सरकार से ऐसे और अनुदान जारी करने का आग्रह किया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, योजना-अवधि के लिए, शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान, हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना के अन्तर्गत असम सरकार को संस्वीकृत किए गए वर्ष-वार अनुदान की राशि इस प्रकार है :—

1988-89	10 05,950/- रुपये
1989-90	कुछ नहीं
1990-91	19,37,135/- रुपये

(ग) जी हां।

(घ) असम सरकार के पास उपलब्ध खर्च न की गई 19,37,135/-रुपए की बकाया राशि को उनके द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान उपयोगिता के लिए आगे ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 12,97,865/-रु० का और अनुदान संस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

शैक्षिक संस्थाओं का गठन

5363. **श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 के दौरान परम्परागत शिक्षा संस्थाओं के गठन के बारे में कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस सम्बन्ध में कोई रूपरेखा प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इतिहास के पुनर्लेखन की समीक्षा

5364. **श्री बी०एन० रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डा० एस० गोपाल की अध्यक्षता में गठित समिति के चार (इतिहासकारों) सदस्यों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपने "राज्य समर्थित" इतिहास सम्बन्धी निर्णय की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने सम्बन्धी वैकल्पिक योजनाएं क्या हैं ?

मानव ससाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) स्कूल और कालेज स्तरों के लिए स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास पर पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय परामर्श-दात्री समिति अपनी निजी कार्य-प्रक्रिया और प्रणाली विज्ञान निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र है। सरकार के पास समिति के कार्य की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है।

कालेजों और स्कूलों को अनुदान

5365 **श्री पी०सी० थामस** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों और स्कूलों को खेल के मैदान और भवन निर्माण के लिए अलग-अलग दिए जाने वाले अनुदान सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अनुदान देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्व० अनु० आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार युवा कार्यकलाप व खेल विभाग के अधीन कालेजों और विश्व-विद्यालयों में खेलों हेतु अनुदान की योजना के अधीन खेल मैदानों के विकास के लिए योग्य कालेजों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता प्रत्येक परियोजना की लागत के आधार पर सरकार/विश्व० अनु० आयोग तथा सम्बन्धित कालेज के बीच 75:25 के अनुपात से बांटी जाती है। सहायता की उच्चतम सीमा विकसित किए जाने वाले खेल मैदान के प्रकार पर निर्भर होती है तथा 22,000/- से 1.24 लाख रु० के बीच होती है। स्कूल खेल मैदानों के विकास के लिए स्कूल के स्थान के आधार पर तथा उच्चतम सीमा 50,000/-रु० से 1,00,000/- रु० के बीच में होने की शर्त पर अनुमोदित व्यय के 50% से 100% तक सहायता ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्कूलों को भी खेल मैदानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि स्कूल में खेल का मैदान, योग्य शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा छात्रों का प्रस्तावित न्यूनतम नामांकन होना चाहिए।

विश्व० अनु० आयोग छात्रों के नामांकन व शिक्षा के स्तर के आधार पर भवन निर्माण के लिए योग्य कालेजों को योजनावधि के लिए विकास अनुदान देता है।

आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में संग्रहालय

[अनुवाद]

5366. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे** : क्या **मानव ससाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में विज्ञान केन्द्र/संग्रहालय खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह : (क) और (ख) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता को, जो कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है, आन्ध्र प्रदेश विज्ञान और प्रोद्योगिकी परिषद से, जो कि आन्ध्र प्रदेश सरकार की एक संस्था है, विजयवाड़ा में एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार प्रश्नाधीन विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते कि आंध्र प्रदेश सरकार विकसित स्थल उपलब्ध करा दे और निर्माण की लागत में योगदान देने के लिए सहमत हो। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार परिषद की इन शर्तों पर सहमत हो चुकी है।

"आर्किडों का संरक्षण"

5367. **श्री बिल कुमारी भंडारी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आर्किडों की कतिपय जातियों का अस्तित्व खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इनके संरक्षण के लिए सिक्किम में जीन-शरणस्थल स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी हां।

(ख) विलोपन के खतरे में पड़ी हुई आर्किड प्रजातियों की एक सूची विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1. एनोइक्टोचिलस निकोबारिक्स
2. एनोइक्टोचिलस रेटुण्डीफोलियस
3. एनोइक्टोचिलस टेट्रापटेरस
4. एफुल्लोरचिस गोल्लानी
5. कोरियम्बोरकिस व्हेराटिफोलिया
6. सिम्बीडियम व्हाइटिया
7. डिडिसिया कुनिनघामी
8. फिलकिगेरिया हेस्पेरिस
9. माल्लेओला इंडमानिका
10. पफियोपेडियल इररथि
11. पफियोपेडिलम फैयरियनम
12. पफियोपेडिलम वार्डी
13. फालइनोप्सिस स्पेसिपोसा
14. रेनान्थेहा इमचूटियाना
15. टाइनियोफुल्लम अंडामानिकम्
16. जियुक्सिना पुल्चा
17. कालन्थे एन्थ्रोपोफेरा
18. कालन्थे पैसाइस्टालिक्स
19. डेण्ड्रोवियम ओरण्टियाकम
20. एलोफिया निकीबारिका
21. डेण्ड्रोबियम टेन्यूकौले

विवरण-II

राज्य सरकारों ने पर्याप्त राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की है, जो आर्किड सहित प्राणिजात और वनस्पतिजात दोनों का परिरक्षण करते हैं और इनमें से कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में आर्किडों की संकटापन्न प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

आर्किडों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीवितता के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन का एक सदस्य है, जिसके तहत इनके अवैध व्यापार के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई की जाती है। कुछ आर्किड प्रजातियों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक मांग है और परिणाम स्वरूप वे संकटापन्न है, इसलिए उनको वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के परिशिष्ट–I में शामिल किया गया है ताकि उनके निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध और उनकी प्राकृतिक आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का 1991 में संशोधन होने के बाद कुछ अन्य आर्किड प्रजातियों को अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लाया गया ताकि प्राकृतिक आबादी के अनियंत्रित संग्रहण को रोका जा सके और उनके व्यापार को नियंत्रित किया जा सके ।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने राष्ट्रीय आर्किडेरियम में कई सौ आर्किड प्रजातियां लगाई हैं ताकि इन प्रजातियों का स्थान-बाह्य संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके । इन आर्किडेरिया/प्रायोगिक उद्यानों में सफल बहु-गुणीकरण तकनीकों के जरिए लगभग 400 प्रजातियों की देख-रेख की जा रही है । व्यापक प्रजनन के लिए अब तक संवर्धन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है ।

अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य वन विभागों द्वारा अनुसंधान और प्रजनन के लिए क्रमशः मालुकयोंग के निकट टिपी और कालिमकोंग के निकट टागडा में आर्किडेरिया स्थापित किए हैं । तिरुअनन्तपुरम् के निकट केरल सरकार का उष्ण कटिबन्धी वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान और आर्किडों के प्रजनन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है ।

"भारतीय वन सेवा के अधिकारी"

[हिन्दी]

5368. **श्री मानकूराम सोड़ी :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के वन विभागों में, विशेषतः मध्य प्रदेश के वन विभाग में, भारतीय अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं; और

(ग) कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय वन सेवा के विभिन्न संवर्गों में, कार्मिकों की राज्य-वार कुल स्वीकृत संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है । भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में कार्मिकों की इस समय कुल स्वीकृत संख्या 396 है ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों लिए आरक्षण के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार, आरक्षण उन रिक्तियों में दिया जाता है, जो समय-समय पर सृजित होती है, न कि पदों के लिए । भारतीय वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण केवल सीधी भर्ती में दिया जाता है । भारतीय वन सेवा में सीधी भर्ती में, इन वर्गों के लिए कोई पिछला बकाया आरक्षण नहीं है ।

विवरण

क्र०सं०	संवर्ग का नाम	ड्यूटी पदों की संख्या	कुल स्वीकृत संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	89	140
2.	असम-मेघालय अ०	50	111
	मे०	13	
3.	बिहार	98	172
4.	गुजरात	63	111
5.	हरियाणा	41	71
6.	हिमाचल प्रदेश	64	112
7.	जम्मू और कश्मीर	60	105
8.	कर्नाटक	91	159
9.	केरल	49	86
10.	मध्य प्रदेश	226	396
11.	महाराष्ट्र	103	181
12.	मणिपुर म०	23	
	त्रिपुरा त्रि०	23	
13.	नगालैंड	16	28
14.	उड़ीसा	71	124
15.	पंजाब	24	42
16.	राजस्थान	60	105
17.	सिक्किम	21	36
18.	तमिलनाडु	81	141
19.	उत्तर प्रदेश	165	289
20.	**संघशासित क्षेत्र :**		
—	अण्डमान व निकोबार दीपसमूह	18	
—	अरूणाचल प्रदेश	27	106
—	गोवा, दमन और दीप	06	
—	दादर नगर हवेली	02	
—	मिजोरम	09	
21.	पश्चिम बंगाल	59	104
			2699

गर्भ-निरोधक गोलियों के प्रचार के लिए अभियान

[अनुवाद]

5369 **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी खाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों हेतु व्यापक प्रचार तथा विपणन के लिए अभियान शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस समय देशी रूप से विकसित मुख मेथ्य गर्भनिरोधक गोली अर्थात् सेंटक्रोमेन की थोड़ी मात्रा ही केन्द्रीय औषध अनुसंस्थान संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रयोगशाला आधार पर तैयार की जाती है । फलस्वरूप सहेली ब्रांड नाम उत्पाद का विपणन और विज्ञापन एक सीमित आधार पर है क्योंकि यह इस समय केवल दिल्ली क्षेत्र में बेची जाती है । मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को इस औषध की गोलियां बनाने और विपणन का कार्य सौंपा गया है और वे औषध के थोक वाणिज्यिक उत्पादन के कार्य को तेज कर रहे हैं । बल्कि औषध तथा परिणामतः गोली के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर इस उत्पाद को देश के अन्य भागों में भी बेचा जाएगा और विपणन और प्रचार कार्य तेज किए जाएंगे ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नवोदय विद्यालय

5370. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के नवोदय विद्यालयों में द्वीप समूह के छात्रों को प्रवेश प्रतिशतता, वर्ष वार, कितनी-कितनी थी;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान देश के अन्य भागों से प्रवेश लेने वालों छात्रों की प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) क्या उपरोक्त विद्यालयों में अभी भी रिक्त स्थान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केवल द्वीप समूह के छात्रों से ही सीटों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) देश के अन्य भागों में रह रहे बच्चे स्कीम के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के पात्र नहीं हैं क्योंकि वे छात्र जिन्होंने इसी जिले के सरकारी, सरकारी सहायता अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन किया है और कक्षा V उत्तीर्ण की है, केवल वे ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं ।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रति वर्ष 80 छात्रों के अधिकतम प्रवेश के मुकाबले गत तीन वर्षों में प्रविष्ट हुए छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :

नवोदय विद्यालय	प्रविष्ट/चयनित छात्रों की संख्या		
	1989-90	1990-91	1991-92
कार निकोबार	58	8	7
अंडमान	31	37	25

(ङ) एक विशेष जिले में योग्य छात्रों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी पद्धति से रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं क्योंकि इससे इस योजना का प्रभाव कम हो सकता है। एक सामान्य जिले के लिए प्रति विद्यालय अधिकतम प्रवेश संख्या 80 छात्र निर्धारित की गई है। न्यूनतम स्तर (अनु० जाति/अ० ज० जा० के लिए 10% शिथिलनीय) और कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे योजना की प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा जो कि प्रतिभावान बच्चों के लिए है :

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रकोष्ठ

5371. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सारी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रकोष्ठ खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ में कितने कर्मचारी हैं और उसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है तथा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ई (ए सी टी) सेल के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

	स्वीकृत पदों की संख्या	अ० जा०	अ० ज० जा०
कार्यकारी निदेशक (5900-6700)	1	1	—
संयुक्त निदेशक (3700-5000)	2	1	1

1	2	3	4
उप निदेशक (3000-4500)	1	—	1
अनुभाग अधिकारी (2000-35000)	2	1	1
तकनीकी सहायक (2000-3200)	2	—	1
सहायक (1640-2900)	4	1	—
उच्च श्रेणी लिपिक (1200-2040)	3	1	1
निम्न श्रेणी लिपिक (950-1500)	2	1	—
आशुलिपिक, ग्रेड 'घ"	1	(रिक्त)	

इस सेल में पदों को भरने के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाता है कि पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी और अधिकारी वहां तैनात किए जाएं।

रेलवे में भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

5372. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे आरक्षण टिकट काउन्टरों पर हुए भ्रष्टाचार के मामलों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) रेलवे में ऐसे भ्रष्टाचार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना नीचे दी गई है :

रेलवे जोन	1989	1990	1991
मध्य	65	59	62
पूर्व	119	112	121
उत्तर	191	202	207
पूर्वोत्तर	46	54	57
पूर्वोत्तर सीमा	35	40	42
दक्षिण	89	61	63
दक्षिण मध्य	41	50	55
दक्षिण पूर्व	167	140	144
पश्चिम	64	71	76
जोड़	817	789	827

(ख) आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों में कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय रेलों के सतर्कता संगठनों द्वारा बार-बार जांच की जाती है, इसके अलावा, रेलवे बोर्ड का सतर्कता निदेशालय (विशेष दस्ता) भी आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों में नियमित रूप से ऐसी जांच करता है;

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का केन्द्र

5373. **श्री सन्तोष गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का केन्द्र कब से चल रहा है और उक्त अवधि के दौरान इस केन्द्र में कितना अनुसंधान कार्य हुआ;

(ख) क्या केन्द्र के कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थन) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर की स्थापना 1 अप्रैल, 1983 को की गई थी। इस केन्द्र के अधिकांश कार्यकलापों को इस द्वीप समूह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सहयोगी सुविधाएं प्रदान करने पर केन्द्रित किया गया है। इस केन्द्र द्वारा शुरू किए गए कुछेक महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

I जांच

1. अज्ञात स्रोत के पाइरेक्सिया (पी० यू० ओ०) का सीरमविज्ञान (1884) : अज्ञात स्रोत के पाइरौक्सिया के 29 रोगियों में से 10 का लैप्टोस्पाइरासिस से ग्रस्त होने का पता चला।

2. अज्ञात स्रोत के पाइरेक्सिया का सीरम-विज्ञान (1985-86) : 225 रोगियों की जांच की गई। 13 रोगियों को लैप्टीस्पाइरस के लिए पाजिटिव पाया गया।

3. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गम्भीर बैसिलरी पेचिश का प्रकोप (1986-87) : इसकी एस० एच० डाइसेंटरी टाइप I के कारण होने की जीवाणु वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि की गई।

4. कार-निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय बच्चों में अतिसार रोगों के लिए रुग्णता दर, मृत्युदर और उपचार पद्धति सर्वेक्षण (1988)।

5. रक्तदाताओं में यकृतशोथ-बी सर्फेस एंटिजन-वाहक-गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल में एक सीरमविज्ञानी सर्वेक्षण (1987-88) : जांचे गए 237 नमूनों में से 7 (2.9%) को यकृतशोथ-बी भूतल एंटिजन के लिए पाजिटिव पाया गया।

6. स्कूली बच्चों में डिफ्थीरिया सर्वेक्षण (1987-88) : 167 बच्चों में से 3 बच्चों की डिफ्थीरिया वाहक होने की पुष्टि की गई।

7. रिकेट्सियल ज्वर का प्रकोप (1988-89) : अण्डमान द्वीपसमूह में हीमोप्टाइसिस की ज्वर-जन्य बीमारी फैली। राष्ट्रीय विषाणुज विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन में की गई जांचों से पता चला कि यह ज्वर रिकेट्सियल संक्रमण के कारण हुआ था।

8. कमोर्टा, नानकौरी, ट्रिंकेट और काछल द्वीपसमूहों में फाइलेरिया सर्वेक्षण (1989-90): इस सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि क्यूलेक्स विश्नवेवे-फैसिएटस का अत्यधिक प्रकोप था। पोर्ट ब्लेयर में किए गए एक सर्वेक्षण से लगभग । डब्ल्यू बैंक्राफ्टाइ संक्रमण का पता चला है।

II स्वास्थ्य सर्वेक्षण

रुग्णतादर और मृत्युदर पद्धति का पता लगाने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (पोर्ट ब्लेयर) में सभी 7 तहसीलों में नमूना सर्वेक्षण (1984) किए गए हैं। इसके अलावा कालीक गांव, तहसील–पोर्ट ब्लेयर (1984-85) में स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

III सेवा

इस केन्द्र की प्रयोगशाला सुविधाएं अस्पताल के रोगियों और आम जनता को उपलब्ध की जाती है। इस केन्द्र की प्रयोगशाला सुविधा पीने के पानी के नमूनों के जीवाणु-वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भी उपलब्ध की जा रही है।

(ख) जी, हां। इस केन्द्र के कार्यचालन की हर वर्ष भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा समीक्षा की गई है।

(ग) समिति केन्द्र द्वारा किए गए कार्य की हर वर्ष समीक्षा करती है और हर वर्ष चलाए जाने वाले कार्यकलापों के लिए निर्देश देती है। समिति ने 1989-90 में हुई अपनी बैठक में नोट किया कि प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का पहले ही पता लगा लिया गया है और भावी कार्यकलापों को स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं पर अनुसंधान आयोजित करने के लिए निर्देशित करना होगा, जिसमें मुख्य जोर वैक्टर वाहित परजीवी पशुजन्य रोगों और क्षीण होती जा रही प्राचीन जनजातियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर दिया जाएगा।

परिवार कल्याण आपरेशन करवाने वाले पति/पत्नी को प्रोत्साहन देना

[अनुवाद]

श्री जे० चोक्कारावः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक बच्चे के बाद परिवार कल्याण आपरेशन करवाने वाले पति/पत्नी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने अथवा रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण आदि देने के मामलों में प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) एक बच्चे के बाद परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पति/पत्नी

को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने अथवा स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण आदि देने के बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कन्डोम की मांग

5375. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कन्डोम की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) सरकार कन्डोम की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कैसे पूरा करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) देश में कन्डोमों की वर्तमान मांग 95 करोड़ से 110 करोड़ नग प्रतिवर्ष है।

(ख) देश की वर्तमान देशी उत्पादन क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

संस्कृत शिक्षा का आधुनिकीकरण

5376. **श्री काशीराम राणा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परम्परागत संस्कृति शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करने कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सरकार का आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठों तथा नई दिल्ली और तिरुपति के विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्य लयों में परम्परागत संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम की निम्न तरीके से आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है :

1. मुख्य विषय अर्थात् संस्कृत के साथ आधुनिक भारतीय भाषा और मानविकी के एक विषय के रूप में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा आरम्भ करना।
2. 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अनुरूप अध्ययन की अवधि बढ़ाना।
3. श्रेष्य पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण के साथ विषय के आलोचनात्मक अध्ययन आरम्भ करना।
4. खेलकूद एवं व्यावसायिक अध्ययन आरम्भ करना, तथा
5. परम्परागत संस्कृत शैक्षिक संस्थानों में आधुनिक विषय के अध्यापक उपलब्ध कराना।
2. इसके अलावा संस्कृत विकास की योजना के अन्तर्गत, परम्परागत शिक्षा पद्धति में संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण तथा परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिन्दा आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान और विकास कार्य

5377. **डा० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान आधुनिक और प्राचीन दवा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिये सकल घरेलु उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया और खर्च किया गया है;

(ख) उस अवधि के दौरान नई औषधि का पता लगाने के लिये क्या विशेष उपलब्धियां मिली हैं; और

(ग) आठवीं योजना में इस संबन्ध में किस दिशा में क्या विशेष बल देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, स्वास्थ्य के लिए निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता लगभग 0,9%होने का अनुमान लगाया गया है । स्वास्थ्य के लिए कुल आवंटन में से लगभग 7 प्रतिशत सातवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य सेक्टर के अधीन अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर खर्च किया गया था ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान नई औषधों का पता लगाने में की गई उल्लेखनीय उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) सातवीं योजना के दौरान बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में शुरू किए गए संचारी और गैर-संचारी रोगों, प्रजनन क्षमता नियंत्रण, पोषण आदि से संबंधित कार्य को जारी रखा जाएगा और उसका आठवीं योजना के दौरान विस्तार किया जायगा । तथापि, कुछ क्षेत्रों जैसे अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम और एच० आई० वी० स्थानिकमारी के आयामों का भी आठवीं योजनावधि के लिए निर्धारण किया गया है ।

विवरण

उल्लेखनीय उपलब्धियां

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि बाद के क्लिनिकल परीक्षणों ने और एक्स्ट्रा फुफ्फुसीय क्षयरोग में अल्पावधि रसायन चिकित्सा कोर्स की सुरक्षा और प्रभावकारिता को दर्शाया है । अल्पावधि रसायन चिकित्सा कोर्स राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में शुरू किया गया था ।

परिषद् के क्लिनिकल परीक्षणों से कुष्ठ के उपचार और मल्टि-पासिबेसिलरी कुष्ठ में चिकित्सा की अधिक से अधिक अवधि के लिए औषधों के अधिकतम सम्मिश्रण को परिभाषित करने में मदद मिली ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् महाराष्ट्र में कुष्ठ से बचाव के लिए आई० सी० आर० सी० बैक्सीन के एक परीक्षण को वित्तपोषित कर रही है और इसने हाल में तमिलनाडु में कुष्ठ रोधी वैक्सीन का एक तुलनात्मक मूल्यांकन शुरू किया है ।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से प्राप्त हुई जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन की निरापादता और प्रभावकारिता पर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे और एस. टी. एम. कलकत्ता द्वारा अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त हुए आंकड़ों से पता चला कि यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रमुख आनुषंगिक प्रभावों से मुक्त थी। इस वैक्सीन की तीन खुराकों से संतोषजनक ढंग से सीरम-परिवर्तन हुआ।

1990 के दौरान के एफ डी वैक्सीन उत्पादन एकक, शिमोगा, कर्नाटक में वैक्सीन की 50000 से अधिक खुराकें तैयार की गई; 1989-90 में तैयार की गई वैक्सीन की 80,000 खुराकों को 1990 में रोग प्रतिरक्षण के लिए जारी किया गया। वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध यकृतशोथ बी वैक्सीन की तीन खुराकों की सीरम विज्ञानी अनुक्रियाशीलता का आंकलन करने संबंधी अध्ययनों की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा जांच की गई। सीरम परिवर्तन दरों और प्रतिपिंड टाइटर के निर्धारण से पता चला कि तीन वैक्सीनों में से दो वैक्सीनों के संतोषजनक परिणाम निकले।

देश के अनेक भागों में टाइफाइड ज्वर से ग्रस्त बच्चों से पृथक किए गए एस० टाइफी स्ट्रेनों को सामान्यतया इस्तेमाल की गई अधिकांश औषधों के प्रति प्रतिरोधी पाया गया। क्लिनिकल परीक्षणों से पता चलता है कि फ्यूरेजोलिडोन, जो एक सुरक्षित और सस्ती औषध है, बहुऔषध प्रतिरोधक एस टाइफी के संक्रमण के उपचार में उपयोगी है।

मलायन फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां, जो सरल, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और उत्पादक किस्म की हैं, विकसित की गई हैं, फाइलेरिया नियंत्रण में इस कार्यनीति की उपयोगिता को शेरतलाई, केरल में प्रदर्शित किया गया है।

वेक्टर नियंत्रण के अलावा समुदाय द्वारा चलाये गये फाइलेरिया नियंत्रण अभियान ने अपने कार्यकलापों का व्यापक स्तर पर औषध देकर परजीवी नियंत्रण के क्षेत्र में भी विस्तार कर दिया है।

लीशमेरियासिस रोग बिहार और इसके साथ जुड़े राज्यों में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। सोडियम स्टिबुग्लुकोनेट, जो काला आजार के उपचार के लिए प्रथम पंक्ति की औषध है, से ठीक न होने वाले रोगियों की बढ़ती हुई संख्या की सूचना मिल रही है। पेंटामिडाइन, जो दूसरी पंक्ति की औषध है, मंहगी आयातित और विषैली औषध है। विकल्प के रूप में औषध सम्मिश्रणों के इस्तेमाल का पता लगाया गया है। अलग-अलग औषधों के लिए सस्तुत अवाध के लिए पेंटामिडाइन+सोडियम स्टिबानेट और पेंटामिडाइन+एलोप्यूरिनोल के सम्मिश्रण को एक साथ लेकिन उसकी सामान्य खुराक की केवल आधी खुराक का इस्तेमाल करते हुए अध्ययन किए गए हैं। परिणामों से पता चला है कि वे सम्मिश्रण उतने ही कारगर थे जितना कि अकेले पेंटामिडाइन का सम्मिश्रण।

परंपरागत चिकित्सा अनुसंधान

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि इस विभाग द्वारा प्रायोजित "नेफ्रोलिथिएसिस (कैल्शियम आक्सालेट और फास्फेट स्टोन) के उपचार में एक देशी औषध

(वरुण) की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना" नामक परियोजना में परियोजना अन्वेषक ने मूत्रीय विकृतियों का उपचार करने में एक देशी औषध "वरुण" के सफल प्रयोग का दावा किया है।

परंपरागत चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने छह अपवर्तक रोग स्थितियों का बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में निर्धारण किया है जिनके नाम हैं : अनल फिस्टुला, विषाणु यकृतशोथ, मधुमेह, यूरोलिथियसिस, श्वसनिका दमा और फाइलेरिया।

इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि क्षारसूत्र (आयुर्वेदिक उपचार थ्रेड) जो शल्य चिकित्सा के मुकाबले फिस्टुला-इन-एनो के रोगियों के लिए प्रभावी, एंबुलेटरी और सुरक्षित गैर शल्यचिकित्सीय उपचार प्रदान करता है, की प्रभावकारिता पर 6 केन्द्रों में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए और आयोजित किए गए, यादृच्छिक नियंत्रित बहुकेन्द्रिक परीक्षणों के जरिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किए गए। यद्यपि, इस थ्रेड के साथ प्रारंभिक तौर पर ठीक होने का समय शल्य-चिकित्सा के मुकाबले क्षारसूत्र के साथ काफी लम्बा है, फिर भी क्षारसूत्र के साथ उपचारित रोगियों में इस रोग की पुनरावृत्ति दर काफी कम है। इस थ्रेड की स्वीकार्यता भी बेहतर है क्योंकि यह एक बहिरंग रोगी तकनीक (रोगी को अल्पताल में दाखिल करने अथवा संवेदनाहरण की जरूरत के बिना) है और इसलिए शल्यचिकित्सा के मुकाबले अधिक लागत सार्थक है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों को किराये पर लेना

5378. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने ऐसे निजी गोदामों को किराये पर लेने की योजना शुरू की है जिसका निर्माण पूर्णतया निगम के मानदंडों के अनुसार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के गोदाम के लिए निर्धारित आरम्भिक किराये सहित तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक बार किराया बढ़ाये जाने के बाद इसमें स्वेच्छा से कटौती की गई है; और

(घ) इस समय कितना किराया दिया जा रहा है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) और (ख) ए०आर०डी०सी० योजना के नाम से विख्यात एक योजना 1976-77 से शुरू की गई थी जिसके अधीन भारतीय खाद्य निगम ने अपेक्षित विनिर्दिष्टियों के अनुसार प्राइवेट पार्टियों द्वारा निर्मित गोदामों को किराये पर लेना शुरू किया था। इस योजना के अनुसार इन गोदामों का किराया शहरी इलाकों में 50 पैसे प्रति वर्ग फुट और ग्रामीण इलाकों में 40 पैसे प्रति वर्ग फुट की सीमा के अन्दर निश्चित किया गया था। ये गोदाम पांच वर्षों की गारण्टीबद्ध अवधि के लिए किराये पर लिए गए थे लेकिन इसकी अवधि भारतीय खाद्य निगम की इच्छा पर एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती थी।

(ग) और (घ) गारण्टीबद्ध अवधि के दौरान गोदामों के किराये में कोई अन्तर नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में जहां गारंटीबद्ध अवधि के बाद गोदामों को रखा गया था, वहां देय किराये

के बारे में भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, बातचीत की गई और उनके किराये का निर्धारण किया गया।

केरल में हिन्दुस्तान लेडेक्स लिमिटेड की नई परियोजना

5379. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में कोई नई परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का उत्पादन कितना है,

(घ) क्या किसी विदेशी राष्ट्र ने इस कम्पनी में कंडोमों के उत्पादन में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारावेवी-सिद्धार्थ) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के पास ऐसी योजनाएं हैं कि केरल में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की जाएं।

(i) कॉपर टी (आई०यू०टी०) परियोजना

(ii) सेंटकोमन (सहेली) गुणवत्ता गर्भनिरोधक परियोजना

(iii) ब्लड बैंग परियोजना।

(iv) हाइड्रोकेफालस शंट परियोजना।

इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं तैयार करने की प्रारम्भिक अवस्था में है :—

(i) आई०वी० फ्लूड परियोजना।

(ii) यूरोलॉजी कैथेटर परियोजना।

(iii) इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक परियोजना।

(ग) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने अप्रैल से दिसम्बर, 1991 तक 4550 लाख नग कंडोम तैयार किये हैं और 4110 लाख नग भेजे हैं। कुल बिक्री 2250 लाख रु० की हुई है। जनवरी से मार्च, 1992 के दौरान इस कम्पनी द्वारा इसी रुख को बनाए रखने की आशा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा बल

[हिन्दी]

5380. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चोरी और हत्याओं के मामले में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल को प्रभावी बनाने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पुलिस-व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, चलती गाड़ियों सहित रेलवे परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा सम्बद्ध अपराधों के नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वे इन जिम्मेवारियों का निर्वाह सम्बद्ध राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करती हैं, जहां तक रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से गठित किए गए रेलवे सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, इस बल को आधुनिक उपकरणों, वाहनों, शस्त्रों, गोला बारूदों और प्रशिक्षण उपकरणों से लैस करके आधुनिक और अधिक कार्यदक्ष बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

5381. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार चिकित्सा अनुसंधान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई,

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान इसके लिये कितनी वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये महाराष्ट्र का ऐसा कोई प्रस्ताव/परियोजना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती (डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोबाल्ट थेरापी यूनिट

[हिन्दी]

5382. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान कैंसर रोगियों के उपचार के लिये राज्यवार कितनी कोबाल्ट यूनिटें स्थापित की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखण्डता कायम रखने में महिलाओं की भूमिका

[अनुवाद]

5383. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता बरकरार रखने में महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां; तो सम्मेलन के उद्देश्यों सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं को सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिये कुछ कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम और उत्तर रेलवे में दुर्घटनायें

[हिन्दी]

5384. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम और उत्तर रेलवे में कितनी दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने जान-माल की क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर और पश्चिम रेलों पर रेल दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों की संख्या तथा रेलवे सम्पत्ति को हुए नुकसान की लागत का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	उत्तर			पश्चिम		
	1988-89	1989-90	90 91	1988-89	1989-90	1990-91
दुर्घटनाओं की संख्या	81	70	60	59	54	49
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	13	38	20	15	67	26
रेलवे सम्पत्ति को हुए नुकसान की लागत (लाख रुपयों में)	118.91	414.01	507.07	27.30	28.88	436.88

होम्योपैथी फार्मेसी परिषद

[अनुवाद]

385. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 22 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी फार्मेसी परिषद का गठन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय फार्मेसी परिषद को होम्योपैथी फार्मासिस्टों के लिए फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्रारम्भ करने का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार का इस समय होमियोपैथी फार्मेसी काउन्सिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) इस मामले को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया के साथ उठाया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कार्यकरण

5386. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में प्रस्तुत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई और कार्यान्वित की गई; और

(ग) शेष सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच करने के लिए डा० (श्रीमती) माधुरी शाह, तत्कालीन अध्यक्ष, वि० अ० आ० की अध्यक्षता में जनवरी, 1982 में एक समिति गठित की थी। समिति ने नवम्बर, 1983 में वि० अ० आ० को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में प्रस्तुत की गई थी। समिति की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का एक अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिए जो दाखिलों, नियुक्तियों तथा उनके पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की प्रकृति में दिखाई दे।

(II) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

(III) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में और अधिक अनुशासन लागू करने और छात्रों तथा कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक उचित तन्त्र स्थापित करने के उपाय किए जाने चाहिए।

(iv) एक राष्ट्रीय सुदूर शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने के उपाय किए जाने चाहिए।

(v) विश्वविद्यालय पद्धति में अपने मौजूदा स्वरूप में छात्र संघ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

(vi) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोर्ट का प्रावधान समाप्त कर दिया जाना चाहिए और कार्यकारी परिषद को एक ठोस और सदृश्य निकाय होना चाहिए।

(vii) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का इसके विकास की आयोजना और निरीक्षण के लिए एक आयोजना निकाय होना चाहिए।

(viii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कार्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण, शैक्षिक कार्यक्रमों के समेकन तथा विकास की आयोजना आदि करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की परिषद का प्रावधान होना चाहिए।

(x) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व चुनावों के आधार पर नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग) सामान्यतया आयोग ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उसने उपयुक्त कार्रवाई के लिए इसे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों तथा राज्य विश्वविद्यालयों को परिचालित किया। कुछ सिफारिशें, जिन्हें कार्यान्वित किया गया है इस प्रकार हैं :

(i) अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं।

(ii) वि० अ० आ० ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में लेक्चररों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शुरू की है।

(iii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सुदूर शिक्षा को प्रोन्नति के लिए 1985 में की गई थी।

(iv) वि० अ० आ० द्वारा छात्रों में अनुशासन के लिए माडल नियम, शिक्षकों के लिए नीति-संहिता, आयोजना बोर्डों के गठन के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और विश्वविद्यालयों को परिचालित किए गये हैं।

(v) वि० अ० आ० ने प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तरों, न्यूनतम कार्य-दिवसों आदि के लिए विनियम अधिसूचित किये हैं।

सरकार ने समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। यद्यपि अधिकार प्राप्त समिति का कार्य प्रगति पर था, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तैयार करने का कार्य शुरू किया। समीक्षा समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों में नीति और इसकी कार्रवाई योजना तैयार करने से संबंधित राष्ट्रीय वाद-विवाद के उपयोगी निर्देशों का प्रावधान था। विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध ढांचे की समीक्षा करने के लिए वि० अ० आ० द्वारा गठित ज्ञानम समिति ने भी समीक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया।

शिशुओं का अतिसार से बचाव

[हिन्दी]

5387. श्री राम नारायण बैरवा
श्री गिरधारी लाल भार्गव
श्री मृत्युंजय नायक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश शिशुओं की अतिसार और अन्य शैशवकाल में निरोध्य रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है; और

(ख) अतिसार से शिशु मृत्यु दर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1989 में चुनिंदा राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के महापंजीयक द्वारा मौत के कारणों के बारे में कराए गये एक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 7.3 प्रतिशत शिशुओं की मौतें अतिसार, 14.7 प्रतिशत मौतें श्वसनीय संक्रमणों और 5.7 प्रतिशत मौतें रज्जु संबंधी संक्रमणों के कारण होती हैं।

(ख) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अतिसार रोगों के नियंत्रण के लिये एक कार्यक्रम 1986-87 में शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इस उद्देश्य से शुरू किया गया कि मुखीय पुनर्जलपूरणता चिकित्सा को बढ़ावा देकर मृत्यु-दर कम की जा सके। यह कार्यक्रम अब देश के सभी जिलों में चल रहा है।

इस कार्यक्रम के प्रमुख संघटक में रोगी के उपचार के लिये चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण, सभी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अन्तर्गत मुखीय पुनर्जलपूरण नमक की निःशुल्क आपूर्ति और घरों पर अतिसार से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए लोगों का विशेष तौर

से माताओं को शिक्षित करना और चिकित्सा कालेजों में उपचार सह-प्रशिक्षण एककों को स्थापित करना शामिल है ।

अपंजीकृत निजी नर्सिंग होम

[हिन्दी]

5388. श्री पीयूष तीरकी
श्री विजय एन॰ पाटील
श्री महेश कनोडिया
} क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991 को दिल्ली में कार्यरत अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, मातृ-केंद्रों तथा निजी नर्सिंग होमों की संख्या क्या थी,

(ख) इनमें से कितने केंद्र निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किये गये हैं।

(ग) क्या सरकार को इन अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, मातृ-केंद्रों तथा निजी नर्सिंग होमों में व्याप्त कमियों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन से उपलब्ध सूचना के दिल्ली में कार्य कर रही चिकित्सा संस्थाओं की संख्या दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार हैं :

(1)	अस्पताल (सरकारी, प्राइवेट, स्वैच्छिक संगठन, दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका)	80
(2)	औषधालय (सरकारी, प्राइवेट, स्वैच्छिक संगठन दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका)	653
(3)	प्राथमिक स्वास्थ्य (तदेव— केन्द्र, प्रमुख	8
	उप-केन्द्र	16
(4)	प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र	
	प्रमुख केन्द्र	142
	उप-केन्द्र	50
(5)	प्राइवेट नर्सिंग होम	445

(ख) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 316 नर्सिंग होम है जो अभी तक दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार अपने नियंत्रणाधीन चिकित्सीय संस्थाओं के काम-काज का नियमित तौर पर अनुवीक्षण करती है तथा पाई गई किसी भी कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करती है। जहां तक प्राइवेट संस्थाओं का संबंध है, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उनका निरीक्षण करता है कि इन संस्थाओं द्वारा दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जाता है।

दिल्ली में खाद्य नमूनों की जांच

[हिन्दी]

5389. **श्री जीवन शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा कितने खाद्य नमूनों का परीक्षण किया गया;

(ख) इनमें कितने खाद्य नमूनों में अपमिश्रण पाया गया; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रयोगशाला, दिल्ली में जांचे गए खाद्य नमूनों की कुल संख्या तथा अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या इस प्रकार है :—

अवधि	जांचे गए नमूनों की संख्या	अपमाश्रित पाए गए नमूनों की कुल संख्या
1989-91	2617	412

उन मामलों में जहां नमूने अपमिश्रित पाए गए, खाद्य अपमिश्रिण निवारण अधिनियम/नियमों के तहत न्यायालय में मुकदमा शुरू किया गया है।

कियूल-हावड़ा लूप लाइन के स्टेशनों पर सुविधाएं

5390. **श्री साईमन मरांडी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कियूल-हावड़ा लूप लाइन के रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त यात्री सुविधाएं जैसे बुकिंग काऊंटर, प्लेटफार्म, विश्राम गृह इत्यादि प्रदान करने की मांग काफी समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं जिन्हें अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) हाल ही में क्यूल-हवड़ा लूप लाइन के स्टेशनों पर पूरे किए गए यात्री सुविधा संबंधी कुछ कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	कार्यों का ब्यौरा	लागत लाख रु० में
1.	बोलपुर-पानी की सप्लाई बढ़ाना	8.94
2.	जमालपुर-मौजूदा द्वितीय श्रेणी के बुकिंग कार्यालय और प्रतीक्षालय का नवीकरण	9.96
3.	बोलपुर-गाड़ी संसूचक प्रणाली की व्यवस्था	6.94
4.	खाना जं०—ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	4.49
5.	धात्रीग्राम-ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	3,24
6.	तालित-ऊपरी पुल की व्यवस्था	4.21
7.	सैंथिया-प्लेटफार्म पर सायबान	4.12
8.	तारापीठ रोड-अप और डाउन प्लेटफार्मों पर आइ आर एस टाइप के बे-शेड	4-31
9.	सेवड़ाफुली-प्लेटफार्म शेड का विस्तार	5.20

स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती

5391. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत उनके मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान भर्ती किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ख) उनका किन-किन श्रेणियों के लिए चयन किया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय में इस समय खाली पड़े पदों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) 31.5.1991 को समाप्त हुए विशेष भर्ती अभियान के दौरान स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित क्रमश: 130 और 92 अभ्यर्थियों को भर्ती किया।

(ख)	ग्रेड-ए	ग्रेड-बी	ग्रेड-सी	ग्रेड-डी	कुल
अनुसूचित जाति	19	5	91	15	130
अनुसूचित जनजाति	8	4	54	10	92
	27	9	145	31	212

(ग)	ग्रेड-ए	ग्रेड-बी	ग्रेड-सी	ग्रेड-डी	कुल
अनुसूचित जाति	16	7	84	9	116
अनुसूचित जनजाति	15	9	96	19	139
	31	16	180	28	255

(10-3-1992 की स्थिति के अनुसार)

चेंगलपट्टू तथा टिंडीवनाम (तमिलनाडु) के बीच दोहरी लाइन

[अनुवाद]

5392. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चेंगलपट्टू तथा टिंडीवनाम के बीच दोहरी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और इस पर कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह खंड मद्रास-तिरुच्चिरापल्ली (कार्ड के रास्ते) दिण्डीगुल का भाग है, जिसका आमान परिवर्तन 1992-93 में शुरू किया जाना है।

मध्य प्रदेश में ए०एस०आई० द्वारा शुरू किए कार्य

5393. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में कोई प्राचीन स्थल पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में खुदाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने सामान्य कार्य-कलाप के अलावा, मध्य प्रदेश में अन्वेषण एवं उत्खनन कार्य के साथ-साथ 13 महत्वपूर्ण स्मारकों/अवशेषों पर गहन संरक्षण-कार्य किया है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए अन्वेषण-कार्य से कुछ पुरातत्व सम्बन्धी स्थलों का पता चला है, जो विभिन्न कालक्रमों अर्थात् आदि पुरापाषाणकालीन, मध्य पुरा-पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन, महापाषाणकालीन, प्राचीन ऐतिहासिक और मध्य काल से सम्बन्धित हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एलोपैथिक कम्पनियों द्वारा आयुर्वेदिक का उत्पादन

[हिन्दी]

5394. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एलोपैथिक फार्मास्युटिकल्स कम्पनियों ने नए नामों से आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन शुरू कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने ऐसी औषधियों के उत्पादन की अनुमति सरकार से प्राप्त की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन-सी उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) कुछ एलोपैथिक कम्पनियों ने कतिपय एलोपैथिक फार्मूलेशनों का आयुर्वेदिक फार्मूलेशनों में बदल लिया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित कम्पनियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित उत्पादों के लाइसैंस को नामों में परिवर्तन किए बिना एलौपैथिक से आयुर्वेदिक में बदल दिया है क्योंकि दोनों पद्धतियों में संघटक समान है :—

फर्म का नाम	उत्पाद
(i) एसकेएफ लिमि०, बेंगलूर	आयोडेक्स
(ii) डाबर इण्डिया लिमि० गाजियाबाद	डाबरब
(iii) प्रॉक्टर एण्ड गैम्बल (आई) लिमि०, बम्बई।	विक्स वेपोरब
	विक्स इनहेलर
	विक्स कफ ड्रॉप्स
(vi) पार्क डेविस (भारत) लिमि०, बम्बई।	हॉल्स मैन्थोलिप्टस
	कफ ड्रॉप्स
	स्लोन्स—पेन बाम
	स्लोन्स लिनिमेन्ट
(v) अमृतांजन लिमि० मद्रास; हैदराबाद	अमृतांजन पेन बाम

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के इटकोरी में खुदाई कार्य

[अनुवाद]

5395. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटकोरी, जिला हजारीबाग (बिहार) में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मूर्तियां तथा ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न अन्य प्राचीन वस्तुएं मिली थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरातत्व विभाग ने खुदाई का कार्य आगे रोक दिया है और उस इलाके में अनधिकृत खुदाई का काम प्रायः होता रहता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में फिर से खुदाई का काम शुरू करने तथा अनधिकृत खुदाई के काम को रोकने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इटकोरी, जिला हजारीबाग, बिहार में कोई उत्खनन-कार्य नहीं किया गया है। तथापि, 1982-83 के दौरान किये गए अन्वेषण-कार्य से ये चीजें मिली हैं :—एक प्राचीन तालाब के अवशेष पाल-मन्दिर; बौद्ध मूर्तियों के अलावा गणेश, विष्णु, उमा, महेश और सूर्य की कुछ प्रतिमाएं तारा की प्रतिमा जिस पर महेन्द्र पाल का अभिलेख अंकित है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय छात्रों द्वारा किये जा रहे हैं सफाई-कार्य के दौरान (न कि खुदाई-कार्य में) कुछ मूर्तियां मिली थीं. किन्तु किसी अनधिकृत खुदाई की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

पिरावम रोड स्टेशन का विकास

5396. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पिरावम रोड स्टेशन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भनिरोधकों पर रोक

5397. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख महिला संगठनों ने यह मांग की है कि नोरप्लांट और अन्य गर्भ निरोधकों पर रोक लगायी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कुछ महिला संगठनों ने यह सुझाव देते हुए सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में नारप्लांट या अन्य कोई दीर्घ सक्रिय अक्रामक गर्भ निरोधक शुरू न किया जाए और सामाजिक विपणन कार्यक्रम में हार्मोनयुक्त गर्भ निरोधक औषधों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। सरकार उनके अभ्यावेदन पर विचार कर रही है।

कोयले की चोरी

2298. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या चलती मालगाड़ी में खुले बेगनों से कोयले की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान कोयले की हानि का रेलवे ने कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या है; और

(घ) इस चोरी की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान रेलों पर पारवहन के दौरान 36,32,539 रुपये मूल्य के कोयले की हानि हुई जबकि वर्ष 1989-90 के दौरान 32,48,234 रुपये मूल्य के कोयले की हानि हुई थी। तथापि, वर्ष 1990-91 के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा 5,89,012 रुपये मूल्य का कोयला बरामद किया गया जबकि 1989-90 के दौरान 4,08,063 रुपये मूल्य का कोयला बरामद किया गया। रेलों द्वारा पारवहन के दौरान कोयले की ठठाईगीरी रोकने के उद्देश्य से कोयला माल डिब्बों के ब्लाक रेकों का मार्गरक्षण किया जाता है, बड़े और भेद्य यार्डों में तथा बदनाम स्थलों पर गश्त लगाई जाती है। अपराध आंसूचना कर्मचारी कोयला चुराने वालों और चोरी का कोयला लेने वालों की गतिविधियों के बारे में आसूचना इकट्ठी करते हैं और चुराया गया कोयला बरामद करने के लिए उनके यहां छापे मारे जाते हैं तथा अपराधियों और चोरी का कोयला लेने वालों को गिरफ्तार किया जाता है।

बिहार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

5399. **श्री स्वास्थ्य शाहाबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अलग-अलग किस-किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई और देश के लिए प्रत्येक योजना पर किये गए कुल व्यय का वर्षवार प्रतिशत क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है। तथापि, कुछ विशिष्ट रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को तेज करने के लिए केन्द्र उन्हें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को प्रमुख स्कीमों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	रा.म.उ.का		रा.कु.उ.का.		रा.ने.नि.का.		रा तपे नि.का.		परि.क.का	
	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
1988-89	564.40	6.50%	98.00	5.15%	23.20	4.26%	68.36	5.37%	1332.85	9.29%
1989-90	661.27	7.43%	99.84	4.98%	17.78	3.12	87.34%	7.42%	3834.15	10.7%
1990-91	485.41	5.92%	155.75	6.99%	28.49	8.54%	63.96	5.13%	4994.94	11.66%

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।
3. नेत्रहीनता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्
4. राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम ।
5. परिवार कल्याण कार्यक्रम ।

"लघु वन उत्पाद"

5400. **श्री ललित उरांव : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) लघु वन उत्पादों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और किन-किन लघु वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किया गया है,

(ग) क्या मध्य प्रदेश की तुलना में बिहार में लघु वन उत्पादों की सरकारी खरीद दर बहुत कम रखी गई है, और

(घ) यदि हां, तो खरीद मूल्यों को दोनों राज्यों में समरूप बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, लघु वन उत्पादों से आदिवासी लोगों और वनों में तथा उनके आस-पास रहने वाले अन्य समुदायों को जीविका प्राप्त होती है। रोजगार और आय पैदा करने पर उचित ध्यान देते हुए इस प्रकार के उत्पादों को सुरक्षा और उनके उत्पादों में वृद्धि की जानी चाहिए।

(ख) जिन राज्यों में लघु वन उत्पादों का राष्ट्रीकरण किया गया है वे हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा तथा राष्ट्रीयकृत किए गए लघु वन उत्पाद हैं—तेन्दुपत्ता, साल के बीज, महुआ के बीज, कुसुम और करंज के बीज, हरड़ और आंवला के फल।

(ग) मध्यप्रदेश में तेन्दुपत्ता जैसे कुछ लघु वन उत्पाद मदों की खरीद दर अधिक है जबकि साल बीज जैसी मदों की खरीद दर बिहार में अधिक है।

(घ) लघु वन उत्पादों की खरीद दर केवल राज्य सरकारों द्वारा नियत की जाती है और यह केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में नए संयंत्र

5401. **श्री रवि राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में नए संयंत्र स्थापित करने के लिए उनके मंत्रालय को कुछ प्रस्ताव मिले हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक स्पंज लोहा संयंत्रों के लिए इस्पात क्षेत्र में 34 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो आन्ध्रप्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 11, पश्चिम बंगाल में 2, बिहार में 2, कर्नाटक में 1, उड़ीसा में 2, महाराष्ट्र में 5 और तमिलनाडु में 1 के सम्बन्ध में हैं।

अभी तक इस्पात संयंत्रों के लिए 31 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो आंध्र प्रदेश में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 13, गुजरात में 1, राजस्थान में 5, कर्नाटक में 2 तथा महाराष्ट्र में 1 के सम्बन्ध में है।

(ग) यह रेल परिवहन के संबंध में गुण-दोष पर आधारित होगा।

"वोहरा समिति"

5402. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी**
श्री राम नाइक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों में होटल सुविधाओं और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों जैसे समुद्र तटीय तथा अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण की जांच करने के लिए वोहरा समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं, और इसके द्वारा रिपोर्ट कब तक दे देने की सम्भावना है, और

(ग) क्या समिति ने गोवा तटीय क्षेत्र के निकट प्रस्तावित जापानी गांव के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां। तटीय क्षेत्रों में होटल सुविधाओं और अन्य सम्बन्धित मामलों से सबंधित मुद्दों की जांच करने के श्री वी०बी० वोहरा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं : —

1. देश के तटीय क्षेत्रों में पर्यटन और होटल सुविधाओं की स्थापना से सम्बंधित इस समय लागू वास्तविक विनियमों और मानकों की जांच करना।
2. उस संदर्भ में इन विनियमों और मानकों के तर्काधार और व्यावहारिकता की जांच करना।
3. समुद्री सैरगाहों के संदर्भ में तटीय विनियमन क्षेत्र से सम्बन्धित नीति मुद्दों की जांच करना।
4. पर्यटन और होटल सुविधाओं की स्थापना के संदर्भ में इन विनियमों/मानकों में, यदि आवश्यक हो, संशोधन के सुझाव देना।

समिति अपनी रिपोर्ट सम्भवतः 15 अप्रैल, 1992 तक प्रस्तुत कर देगी।

(ग) जी, नहीं।

क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण

5403. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संस्थान, क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच भाषाओं के अन्तर को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथापि, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय (बंगाली, तमिल और तेलुगु भाषाओं में पत्राचार के जरिए आम लोगों के लिए एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चला रहा है ।

लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण हेतु मानदंड

[हिन्दी]

5404. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया ;

(ख) क्या सरकार ने लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाये जाने वाले विद्यमान मानदण्ड के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं,

(ग) यदि हां, तो उन पर कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) लेवी चीनी कीमतों का निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(3सी) के उपबन्धों के तहत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित गन्ने की न्यूनतम कीमत,

(2) चीनी की उत्पादन लागत,

(3) चीनी पर, भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले शुल्क या कर, यदि कोई हो, तथा

(4) चीनी के उत्पादन में निवेश की गई पूंजी पर उचित लाभ ।

(ख) लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण के लिए उक्त मानदण्ड के विरुद्ध हाल ही में कोई अभ्यावेदन नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण

5405. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं, चावल और चीनी के भण्डारण की कोई विशेष व्यवस्था की है। ताकि उन क्षेत्रों में जहां भारी हिमपात, भू-स्खलन, भारी वर्षा के कारण महीनों तक यातायात जाम हो जाता है सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो देश के ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और इन क्षेत्रों में तैयार की गई विशेष व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम भारी हिमपात, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा आदि उन्मुख पहाड़ी इलाकों सहित देश के विभिन्न भागों में केन्द्रक स्थानों पर खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता का निर्माण करता है और/अथवा उसे किराये पर लेता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1985-86 से 1991-92 की अवधि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित अतिरिक्त गोदामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठाने करने, बाद में उनका भण्डारण करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनका विवरण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1985-86 से 1991-92 के दौरान फरवरी, 1992 तक उत्तरी पूर्वी सीमा और जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी सीमा और जम्मू और कश्मीर: उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित क्षमता

उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र

		(हजार मीटरी टन में)
1.	इम्फाल	2.50
2.	बम्देरदेवा	5.00
3.	जोगीघोपा	5.00
4.	खरमांग	5.00
5.	मालुकपोंग	5.00
6.	कोलासिब	5.00
7.	उखरूल	5.00
8.	लुंगलई	3.00
9.	मोकुकचुंग	2.50
10.	धर्मनगर	10.00
11.	तुयेनसांग	2.50
		50.50

	जम्मू और काश्मीर	
1.	जम्मू	5.00
2.	अनन्तनाग	3.92
3.	डोडा	2.50
4.	कठुआ	5 00
5.	चाथा	10.00
6.	लेह	2.50
7.	राजौरी	2 50
		31.42
	उत्तर प्रदेश	
1.	पिथौरागढ़	2 50
2.	बाजपुर	5 00
		7 50
	हिमाचल प्रदेश	
1.	उना	2.50
2.	नूरपुर	5 00
		7.40

लेवी चीनी के मूल्य में संशोधन

5406. **श्री अन्ना जोशी**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला
श्रीमती रीता वर्मा
श्री चेतन पी० एस० चौहान
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी के मूल्य में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छः महीने की अवधि के अन्दर ही लेवी चीनी के मूल्यों में दो बार वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति यूनिट चीनी का कोटा बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए 24-7-1991 (सायं) से प्रभावी किए गए 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को

21-1-1992 से बढ़ाकर 6.90 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। गन्ने के सांविधिक मूल्य और चीनी तैयार करने की लागत में वृद्धि होने तथा वितरण लागत में भी वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में हुई वृद्धि सी दृष्टि में उपर्युक्त वृद्धि करनी जरूरी हो गई है।

(घ) से (च) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति यूनिट चीनी का कोटा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य को दिए गए समूचे आवंटन के अन्दर रहते हुए निर्धारित किया जाता है।

चीनी उद्योग की समस्याएं

5407. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है जबकि केन्द्रीय सरकार ने चीनी के मूल्यों में कमी की है;

(ख) इस विषम स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं;

(ग) क्या चीनी उद्योग को राज सहायता देने का कोई प्रावधान है, और

(घ) यदि नहीं तो चीनी उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) भारत सरकार ने गन्ने की सांविधिक न्यूतम कीमत, 1990-91 मौसम के लिए 23 रुपये प्रति क्विंटल थी, को बढ़ाकर 1991-92 मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) के लिए 26 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह सांविधिक न्यूनतम कीमत 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से संबंधित है तथा इसमें उच्चतर वसूली के लिए आनुपातिक प्रीमियम का प्रावधान भी है। गन्ने की उक्त कीमत तथा लागत में होने वाली अन्य वृद्धि के आधार पर भारत सरकार ने चीनी की क्षेत्रीय एक्स फैक्ट्री कीमतों की समीक्षा की है तथा 1991-92 मौसम के लिए 21-1-1992 को इन्हें अधिसूचित किया है जो कि 1990-91 मौसम के लिए 27-3-1991 को अधिसूचित की गई कीमतों से अधिक हैं। तथापि, यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त से भी अधिक गन्ना कीमतों की घोषणा की गई है।

(ख) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे राज्य द्वारा सुझाई गई गन्ना कीमतों की घोषणा करने में संयम बरतें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे लेवी व खुली बिक्री चीनी का अनुपात 45:55 ही रखना, जल्दी एवं देर तक पेराई अवधियों के दौरान किए गए चीनी उत्पादन पर उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन, चीनी विकास निधि से गन्ना विकास योजनाओं तथा आधुनिकरण/पुर्नस्थापन के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नमूनों की सप्लाई

[अनुवाद]

5408. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम दिल्ली तथा अन्य राज्यों में उचित दर दुकानों को दी जा रही वस्तुओं के नमूनों की सप्लाई करता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में उचित दर दुकानों को प्रत्येक वस्तु के नमूने की सप्लाई निरपवाद रूप से सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम उचित दर की दुकानों को खाद्यान्नों के नमूने सीधे मुहैया नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य की थोक विक्रेता एजेन्सी द्वारा संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं और यह उक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रदर्शित करने के लिए संबंधित उचित दर की दुकानों को नमूने उपलब्ध करें।

(ग) जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबंध है, उसके लिए इस संबंध में कोई कार्रवाई करनी अपेक्षित नहीं है।

प्राचीन आयुध प्रणाली का अनुसन्धान और विकास

5409 **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या मानव ससाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों जैसे वेदों में अत्यधिक विकसित हथियार प्रणाली विशेषत: भारत में अग्निबाण का वर्णन किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुसंधान सुविधाओं को विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से(घ) भरात सरकार ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की है जिसकी नीति, ऐसे किसी अध्येता, जो अपेक्षित अर्हताओं सहित वेद, वेदांग तथा उपवेद, जिसमें धनुर्वेद भी शामिल है, का अध्ययन करने के लिए सहायता चाहता है, को प्रोत्साहित तथा सहायता करना है।

परिवार नियोजन

5410. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में परिवार नियोजन काफी महंगा हो गया है और भविष्य में और महंगा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो परिवार नियोजन के सस्ते तरीके उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर-एलोपैथिक डाक्टरों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) एक जन्म को रोकने के लिए परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने पर आने वाला खर्च किसी एक व्यक्ति के लालन-पालन और भरण-पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर आने वाली कुल लागत की तुलना में कम होता है और यही स्थिति भविष्य में भी बनी रहेगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गर्भनिरोधक विधियों को अपनाने के लिए कहा जाता है जो विधि उनकी पसंद से सबसे अधिक उपयुक्त हो। सामाजिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत ये सुविधाएं उन्हें मुफ्त या रियायती लागत पर उपलब्ध की जाती हैं। अधिक स्वीकार्य, कारगर और कम लागत के गर्भनिरोधकों को विकसित करने के सतत प्रयास किए जाते है। चूंकि जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और परिवार नियोजन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, रोग प्रतिरक्षण कवरेज और अन्य महत्वपूर्ण जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं लोगों को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम को नई स्फूर्ति एवं गति देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में तैयार कार्ययोजना के घटकों में एक घटकों गैर-एलोपैथिक चिकित्सकों का सहयोग है। यह कार्य योजना अब राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के जरिए प्रचलित की जा रही है।

समाज विज्ञान में अनुसंधान परियोजना

[हिन्दी]

5411. **श्री राजेश कुमार**
श्री तेज नारायण सिंह } क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति वर्ष समाज विज्ञान के लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु आवेदकों का चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया तथा मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) फरवरी, 1992 में स्वीकृत ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों को मानविकी और समाज विज्ञानों में लघु अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे अल्प अवधि अनुसंधान परियोजनाएं शुरू कर सकें अथवा डाक्टरल डिग्री के लिए खोज कर सकें। पात्र कालेजों के स्थायी शिक्षकों के लिए आयोग को अपने प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है, जिन पर इसकी विशेषज्ञ समितियों द्वारा विचार किया जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षकों के

लिए इस प्रकार की परियोजनाएं स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। आयोग ने सूचित किया है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कालेज शिक्षकों के लिए 78 लघु अनुसंधान परियोजनाएं पहले सितम्बर, 1991 में अनुमोदित की गई थीं।

हिन्दी सलाहकार समिति

5412. **श्री राजेश कुमार**
श्री तेज नारायण सिंह } क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सलाहकार समिति के पैनल का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के सदस्यों के नाम तथा इसके कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस पैनल को हिन्दी भाषा से सम्बन्धित किसी नये कार्य, जो पहले इसे नहीं सौंपा गया था, को करने की सलाह दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दी सलाहकार समिति सरकारी प्रयोजनों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सलाह देती है। इसके उत्तरदायित्वों की सूची में कार्य की कोई नई मद नहीं जोड़ी गई है।

संस्कृत विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

5413. **श्री शंकर सिंह वाघेला**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शृंगेरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार ने ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करने का निर्णय किया है जो कुछ समय पश्चात् एक संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लेगा।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा शृंगेरी में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किया गया। विद्यापीठ का नाम भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई समय सूची निर्धारित नहीं की गई है।

समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन

[हिन्दी]

5414. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल मन्त्री** 25 फरवरी, 1992 से अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के सम्बन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन को बदलने के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि का नियतन किया गया;

(ख) इस धनराशि से सम्पन्न किये गये काम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस परियोजना पर क्या-क्या काम किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संसाधनों की तंगी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य के लिए किया गया आबंटन कम था जिसके कारण वास्तविक प्रगति नहीं हो सकी, 1992-93 के बजट में इस कार्य के लिए 10 लाख रुपये का आबंटन किया गया है, इस कार्य को पुन: शुरू करने का विनिश्चय किया गया है और प्रारम्भिक प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य 1992-93 में शुरू किये जायेंगे, बहरहाल, गाड़ी सेवाओं में बाधा कम-से-कम आए और यात्रियों को असुविधा कम हो, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस मीटर लाइन खंड को बदलने के कार्य को वास्तव में तभी शुरू कर पाना संभव होगा जब मुजफ्फरपुर-रक्सौल लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए, जिसे 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है।

विद्युतीकृत रेल मार्गों पर चलने वाले वाष्प/डीजल चालित इंजन

[अनुवाद]

5415. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम से विद्युतीकृत रेलमार्गों पर ऊर्जा की खपत कम होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति के कारण गत एक वर्ष में ऊर्जा की कितनी बचत हुई; और

(ग) उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकृत रेलमार्गों पर वाष्प/डीजल चालित इंजनों को चलाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ऊर्जा की हुई बचत की मात्रा से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इसे मापा नहीं जाता है, कुछेक बिजली रेल इंजनों में ही पुनयोजित्र ब्रेकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

(ग) सामान्यत: जिन खंडों पर पुनर्योजित्र ब्रेकिंग प्रणाली वाले बिजली रेल इंजन चल रहे हैं उन पर डीजल और भाप रेल इंजन नहीं चलाए जाते हैं, बहरहाल, इनमें से कुछ खंडों पर बहुत ही सीमित संख्या में डीजल और भाप रेल इंजन चलाए जाते हैं जिनके कारण नीचे दिए हैं :—

(i) भाप रेल इंजनों का कम महत्वपूर्ण गाड़ी सेवाओं के लिए उपयोग करना,

(ii) कम दूरी वाले मध्यवर्ती विद्युतीकृत क्षेत्र में डीजल रेल इंजन से कर्षित लम्बी दूरी की गाड़ियां चलाने की अनुमति देना।

(iii) डीजल रेल इंजनों का पड़ाव शेड़ों में वापस आना।

(iv) बिजली रेल इंजनों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना।

प्रथम भाषा के रूप में मातृ भाषा

5416. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर सभी छात्रों के लिए मातृ भाषा को प्रथम भाषा के रूप में लागू किया गया है;

(ख) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त फार्मूला के अन्तर्गत सभी छात्रों के लिए मातृ भाषा नहीं बल्कि अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा अथवा कोई अन्य भाषा अनिवार्य प्रथम भाषा के रूप में लागू की गई है; और

(ग) भाग (ख) के मामले में फार्मूले के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अल्पसंख्यक भाषाओं का क्या स्थान है और उनमें भाषायी अल्पसंख्यकों की मातृ भाषा का तथा इसके माध्यम से अनिवार्य शिक्षण का उच्च स्तर क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) भाषाई अल्पसंख्यकों की जरूरतों सहित स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए माध्यमिक स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र के अन्तर्गत भाषाओं के शिक्षण के लिए अधिकांश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास एक से अधिक व्यवस्था है। बहुसंख्यक आबादी की मातृभाषा सामान्यतया राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय सभा होती है और अनेक विद्यार्थी इसे प्रथम भाषा के रूप में लेते हैं।

"गोदावरी नदी में प्रदूषण"

5417. **श्री अंकुश राव टोपे** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेपर मिलों से गोदावरी नदी में प्रदूषण होने के सम्बन्ध में सरकार को जन-प्रतिनिधियों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली कागज मिलों के विरुद्ध पहले ही कोर्ट में अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है और उन्हें मानकों का अनुपालन करने के लिए कहा

गया है । इन कागज मिलों ने समय-सीमा के भीतर अनिवार्य प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने के लिए न्यायालय ने वचन दिया है ।

बिहार के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां

[हिन्दी]

5418. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार के कालेजों और विश्वविद्यालयों में की गई नियुक्तियों तथा रीडरों, और प्रोफेसरों की पदोन्नतियों के बारे में बिहार सरकार को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों के बारे में कोई अन्य आदेश जारी किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं ?

मानव ससाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति/पदोन्नति के सम्बन्ध में बिहार सरकार को पत्र नहीं लिखा है । तथापि आयोग ने सितम्बर, 1991 में विनियम अधिसूचित किये हैं, जिसमें विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चररों के पद के लिए खुले विज्ञापन के जरिए नियुक्ति और रीडरों के पदों के लिए पदोन्नति तथा प्रवरण ग्रेड और वरिष्ठ वेतनमान में लेक्चररों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं । इन विनियमों में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति तब तक विश्वविद्यालय अथवा कालेज में शिक्षण के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह विभिन्न शिक्षण पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करता है ।

चीनी की उत्पादन लागत

[अनुवाद]

5419. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की उत्पादन लागत उसके बाजार मूल्य से ज्यादा है,

(ख) यदि ना, तो विभिन्न राज्यों में पिछले एक वर्ष के दौरान चीनी को उत्पादन लागत और उसके बाजार मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चीनी के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश के चार प्रमुख बाजारों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में मार्च, 1992 (20.3.92 तक) की अवधि के दौरान एस-30 ग्रेड की खुली बिक्री चीनी की खुदरा कीमतों की रेन्ज, माहवार रूप में, संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ग) सरकार आंतरिक, खपत के लिए प्रतिमास चीनी की पर्याप्त मात्रा रिलीज कर रही है । इस के अतिरिक्त, चीनी मिलों को माह के प्रत्येक पखवाड़े में खुली बिक्री कोटे की 50 प्रतिशत मात्रा को बेचने व प्रेषित करने की सलाह भी दी गई है ।

विवरण

देश के चार प्रमुख बाजारों में एस-30 ग्रेड की चीनी की खुदरा कीमतों की रेन्ज

(आंकड़े रु० प्रति किलोग्राम)

मास	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
मार्च, 1991	9.00	8.50-8.75	9.50	8.10-8.25
अप्रैल, 1991	8.80-9.00	8.60-9.25	9.50	8.10-8.60
मई, 1991	9.00 9.40	9.25-9.40	9.50	8.70-8.80
जून, 1991	9.50-9.80	9.10-9.50	10.00	8.60-8 80
जुलाई, 1991	9.75-9.00	9.10-9.50	10 00-10 50	8.70-9.20
अगस्त, 1991	9.75-9.80	9.10-9.50	N A	8.60-9.20
सितम्बर, 1991	9.60-9.75	8.90-9-20	10 00	8.30-8.60
अक्तूबर, 1991	9.25-9.60	8.70-8.90	9 50-9.80	7.90-8.30
नवम्बर, 1991	9.25	8.75-9.10	9 50-9.60	7.90-8.00
दिसम्बर, 1991	9.20-9.25	8.75-8.80	9.00-9.50	8 00-8.10
जनवरी, 1992	9.00-9.25	8.60-9.25	9 00-9.50	8.20-8.80
फरवरी, 1992	9.25	9.25	9 50	8.70-8.80
मार्च, 1992 1992 (20 तक)	9.20-9.25	9.25-9.50	9.10-9.50	8.70

"केन्द्रीय वन महाविद्यालय खोलना"

5420. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक में केन्द्रीय वन महा विद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

"बाघ और चीते"

5421. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वनों में राज्यवार और विशेषकर कर्नाटक में कितने बाघों और चीतों की मौत हुई है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्यवार कितने रेडियो पट्टेवाले बाघों और चीतों की मौत हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में कार्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर दी जाएगी।

(क) 6.3.1990 और 25.2.1992 की अवधि के दौरान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में 9 बाघों और तेंदुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जैसाकि पोस्ट मार्टम से पता चला है, उपर्युक्त मामलों में मृत्यु के कारण वृद्धावस्था, चोट लगना तथा उनमें आपस में लड़ाई होना है। दो तेंदुओं की मृत्यु के बारे में प्रमाण मिले हैं कि उनकी मृत्यु बन्दूक लगने और फन्दा डालने के कारण हुई। उपर्युक्त में से, एक बाघ और दो तेंदुओं को उद्यान में चलाई गई "बड़े मांसभक्षियों की परिस्थितिकी और प्रबन्ध" नामक अनुसन्धान परियोजना के भाग के रूप में रेडियो-पट्टे बांधे गए।

नेहरू और गांधी अध्ययन के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम

5422. **श्री चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **मानव ससाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विश्वविद्यालय ने सरकार को नेहरू और गांधी अध्ययन पर अल्पावधि पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि मांगी गई है और;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्व० अनु० आयोग विश्वविद्यालयों को गांधी अध्ययन व गांधी भवनों को सुदृढ़ करने के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व० अनु० आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार बंगलौर विश्वविद्यालय ने नवम्बर, 1987 में, विद्यमान गांधी भवन के जरिए गांधीवादी दर्शनशास्त्र व स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं का प्रचार करने के उद्देश्य से गांधीवाद तथा विवेकानन्द अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य छात्रों, अध्यापकों व आम जनता के लिए सप्ताह भर का अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा गांव के स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और मादक, नशीली दवाइयों का सेवन करने वालों तथा निराश्रय महिलाओं आदि के साथ कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए द्रुतगामी पाठ्यक्रम आयोजित करना है। प्रस्ताव में परिकल्पना की गई है कि प्रस्तावित केन्द्र गांधीवादी व विवेकानन्द अध्ययन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाएगा। अनुमान है कि परियोजना की वित्तीय लागत 69,57,500/- रु० होगी।

विश्व० अनु० आयोग की विशेषज्ञ समिति ने विश्वविद्यालय का दौरा किया तथा कुछ कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की है। आयोग संसाधनों की विद्यमान कठिनाइयों के कारण उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सका है।

"पर्यावरण और वनरोपण कार्यक्रम के लिए डेनमार्क से सहायता

5423. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण और वनरोपण कार्यक्रमों के लिए डेनमार्क से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार, राज्यवार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इन परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) पर्यावरण और वनरोपण कार्यक्रमों के लिए डेनमार्क से अब तक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय अध्ययनों के क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावों और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाने के लिए डेनिश प्राधिकारियों से चर्चा चल रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

[हिन्दी]

*5424. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम } : क्या **मानव ससाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी के संवर्धन और प्रचार के लिए कितने स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया गया;

(ख) क्या स्वयंसेवी संगठनों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि अनुदान की राशि जून-जुलाई में उपलब्ध करा दी जाये ताकि इसका बेहतर उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) हिन्दी की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: 155; 129 और 165 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए गए ।

(ख) और (ग) जी,हां । स्वैच्छिक एजेंसियों को यथाशीघ्र निधियां प्रदान किए जाने के वास्ते अनुरोध किया गया है । सहायता अनुदान समिति की बैठकों में अनुदान के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने तथा इसके शीघ्र भुगतान के लिए एक समयबद्ध सूची की आवश्यकता पर बल दिया गया था । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा यथा अनुशंसित सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । वित्तीय वर्ष की विभिन्न तिमाहियों के दौरान 3-4 अवसरों पर केन्द्रीय

सहायता अनुदान समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। सहायता अनुदान समितियों की सिफारिशों के आधार पर आवेदक संगठनों द्वारा पिछले वर्ष में संस्वीकृत अनुदानों मे लेखों के निपटान और करार बंध पत्र तथा पहले से टिकट लगी हुई रसीदें प्रस्तुत करने के तत्काल बाद ही अनुदान मुक्त कर दिए जाते हैं।

एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण

[अनुवाद]

5425. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से 100 मिलियन डालर के आसान किश्तों वाले ऋण पर कौन-कौन-सी शर्तें लगायी गई हैं;

(ख) क्या एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) से (ग) अप्रैल, 1992 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 10 करोड़ अमरीकी डालर के परिव्यय वाली राष्ट्रीय एड्स परियोजना को सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत हाल ही में पूरी हो गई है।

विश्व बैंक बोर्ड के अनुमोदन से एक डेवलपमेंट क्रेडिट एग्रीमेंट पर अब कार्रवाई की जा रही है। उधार लेने की उपयोगिता के लिए भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समर्पित ढांचे की व्यवस्था करना और पर्याप्त कर्मचारी प्रदान करना, तथा कार्यकलापों को लागू करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है, जिन्हें परियोजना के अन्तर्गत धनराशि प्रदान की जाएगी।

एड्स नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

—कार्यक्रम प्रबन्धन
—निगरानी
— रक्त सुरक्षा
—सूचना शिक्षा और संचार
—यौन-संचारित रोगों पर नियंत्रण
— कंडोमों के प्रचलन को प्रोत्साहन
—रोगी उपचर्या

पुरुषों और स्त्रियों की विवाह योग्य आयु में वृद्धि करना

5426. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु प्रभावी उपायों के रूप में महिलाओं और पुरुषों दोनों के विवाह की संविधानिक विवाह योग्य आयु बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत सरकार में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यसरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ परामर्श करके, स्त्रियों और पुरुषों की सांविधिक विवाह योग्य आयु बढ़ाने के मामले की जांच की जा रही है ।

बच्चों में अंधापन

[हिन्दी]

5427. **श्री कमला मिश्र मधुकर**
श्री एन० डेनिस } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अन्धता के मामलों की संख्या में वृद्धि की जांच के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों का राज्यवार और संघ राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन कौन से उपचारी उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने देश के 7 विभिन्न क्षेत्रों के 7 विभिन्न केन्द्रों में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दृष्टिहीनता पर अध्ययन करने के लिए 1981-74 में एक सहयोगी अध्ययन किया था । उनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

शामिल किए गए व्यक्ति	81,100
दृष्टिहीन व्यक्ति	61
प्रति 1000 जनसंख्या पर व्याप्तता-दर	0.75

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं में ।

(घ) विशेषज्ञों की सलाह पर छोटे बच्चों में दृष्टिहीनता के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण विटामिन "ए" की अत्यधिक कमी का होना है, इसके लिए बच्चों में विटामिन "ए" की कमी कारण होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विटामिन "ए" की गहन खुराकें (2 लाख इन्टरनेशनल यूनिटें) तैलीय रूप में 1-5 वर्ष के बच्चों को छह माह के अन्तरालों पर दी जाती है । इसके अतिरिक्त, अन्य कारणों जैसे दुर्घटनाएं, चोट, संक्रमण आदि से दृष्टिहीनता रोकने के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा भी प्रदान की जाती है ।

विशाखापट्नम-किरण्डुल रेल गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे

5428. **श्री मानकू राम सोड़ी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्नम और किरण्डुल (बेलाडिला) यात्री गाड़ी की गति बढ़ाने और इसमें अतिरिक्त डिब्बे लगाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इसकी जांच की गई थी, लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक तथा वाणिज्यिक दृष्टि औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान-राशि

5429. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री बी एल. शर्मा प्रेम] : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या असम सरकार ने विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकों को खरीद हेतु अनुदान राशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के स्कूल के पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान संस्वीकृत किया जा सके ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नैनपुर डिवीजन

5430. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे पर नैनपुर डिवीजन स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और अब तक कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय दन्त परिषद को प्राप्त गैर-सरकारी अंशदान

5431. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दन्त परिषद को निजी स्रोतों से अंशदान प्राप्त होता है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान निजी अंशदान की प्राप्त धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पदोन्नति के अवसर

5432. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सृजित किए गए अकृत्यिक पदों को यथासंभव अधिकतम सख्या में समाप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कार्यात्मक आवश्यकताओं और संगठनात्मक जरूरतों के आधार पर पदों का सृजन किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"जकार्ता में पर्यावरण केन्द्र की स्थापना"

5433. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया ने जकार्ता में पर्यावरण केन्द्र की स्थापना के लिए उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्रीय पर्यावरण संचार केन्द्र का उद्देश्य अपनी दैनिक पर्यावरण समाचार सेवा, जिसका प्रसारण एशिया-प्रशान्त समाचार नेटवर्क में किया जाएगा, के जरिए पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तथा दीर्घकालीन नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता के प्रति क्षेत्र की सरकारों तथा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है ।

(ग) जी, हां । प्रस्ताव को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है ।

(घ) मंजूरी संबंधी पत्र, 13 जनवरी, 1992 को पी०टी०आई० के महाप्रबन्धक को भेजा गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय परीक्षा सेवायें

5434. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिये परीक्षाएं आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह एजेन्सी नौकरियों के लिये अभ्यर्थियों की अर्हता का निर्धारण उसे डिग्री अथवा डिप्लोमा से अलग करके करेगा; और

(घ) उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में उन चुनिन्दा क्षेत्रों में, जहां विश्वविद्यालय डिग्री एक अनिवार्य योग्यता नहीं है, डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने के लिए शुरूआत करने की परिकल्पना की गई है। इसमें उपर्युक्त चरणों में, विशेष नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु स्वैच्छिक आधार पर परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा सेवा स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

इसके अनुसरण में, सरकार ने हाल में ही राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन (एन०ई०ओ०) को एक स्वायत्त संस्था के रूप में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया है :—

— विशेष नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की औपचारिक योग्यता का विचार किए बिना उनकी उपयुक्तता प्रमाणित करने हेतु परीक्षाएं आयोजित करना,

— विशेष नौकरियों में काम के लिए ज्ञान निपुणता, योग्यताओं, क्षमताओं, सुयोग्यताओं और अभिवृत्ति की जांच करने के लिए प्रणालियों और तकनीकों का विकास करना।

— उन मौजूदा संस्थाओं और एजेंसियों की सहायता करना जो उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों में दाखिलों, संकाय भर्ती, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों की भर्ती आदि के उद्देश्यों के लिए उनकी ओर से प्रारम्भिक जांच अथवा ऐसी अन्य परीक्षाओं द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करती हैं।

— परीक्षा विकास में राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसज्जित संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

— 1992-93 के बजट में संगठन के लिए 25 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

कुतुब मीनार का रख-रखाव

5435. श्री जगबीर सिंह
श्री गुरुदास कामत } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार खतरे में है तथा इसमें पड़ गई दरारों के कारण इसे जनता के लिए बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उचित रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष दिए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जाने तथा इसे जनता के दर्शनार्थ कब तक खोल दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) कुतुब मीनार परिरक्षण की दृष्टि से अच्छी अवस्था में है । मीनार में प्रवेश सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए बन्द कर दिया गया है ।

(ख) दैनिक रखरखाव के अतिरिक्त, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षण-कार्य किए जाते हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्मारक के रख-रखाव और संरक्षण पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष	व्यय
1988-89	9,19,012.00 रुपये
1989-90	13,61,263.00 रुपये
1990-91	7,74,137.00 रुपये

(घ) कुतुब मीनार का सरक्षण एक प्रक्रिया है । फिलहाल जनता के लिए कुतुब मीनार को फिर से खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

छोटी रेलवे लाइन का संचालन

5436. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 मार्च, 1992 के इकोनोमिक टाइम्स में "इंडियन रेलवेज बेज ऑफ सविंग पीपुल बेटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटी रेलवे लाइन का संचालन इस समय एक वित्तीय अतिभार हो गया है,

(घ) देश में छोटी रेलवे लाइन की कुल लम्बाई कितनी है और इससे प्रतिवर्ष कितने राजस्व की प्राप्ती होती है; और

(ङ) वर्तमान वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे लाइन का किसी प्रकार लाभप्रद ढंग से उपयोग करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह सत्य है कि सामान्यत: छोटी लाइनें घाटे पर चल रही हैं।

(घ) 31.3.91 को भारतीय रेलवे की छोटी लाइन प्रणाली 4068 मार्ग कि०मी० में फैली हुई थी और 1990-91 के दौरान इससे लगभग 21 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

(ङ) संचालन व्यय को कम करके तथा जहां कहीं व्यावहारिक हो वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद छोटी लाइनों को उत्तरोत्तर बन्द करके।

एड्स की रोकथाम के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण

5437. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने सामान्य चिकित्सकों को एड्स की रोकथाम के बारे में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक पायलट परियोजना तैयार की है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस प्रकार की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय चिकित्सा संघ ने एड्स के उपचार, निदान और रोकथाम के काम में डाक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की है। पहला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 19 फरवरी, 1992 को आयोजित किया गया। सामान्य चिकित्सकों के नवें राष्ट्रीय कालेज में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, मेडिकल कालेजों, रक्त बैंकों और अन्य सम्बन्धित विशेषताओं के विशेषज्ञों को बुलाकर डाक्टरों को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

(ख) सरकार को इस बारे में भारतीय चिकित्सा संघ से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार भारतीय संघ तथा देश की किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए-गए ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

5438. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत अध्यापकों के लिए किस प्रकार के प्रबोधन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में, वर्ष 1987-88 में शिक्षक शिक्षा, पुनसंरचना एवं पुनर्गठन की एक ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई थी जो शिक्षक शिक्षा कालेजों/उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों में मुख्य रूप से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के गठन और चुनिन्दा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों के स्तरोन्नत करने का प्रबन्ध करती है। जि०शि०प्र०सं०/शि०शि०का०उ०शि०अ० संस्थानों से स्कूल शिक्षकों और प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को गुणवत्तापूर्व सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अपने-अपने जिलों में स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा पद्धतियों को आम शैक्षिक सहयोग देने की आशा की गई है। ये संस्थान स्कूल शिक्षकों को निम्नलिखित प्रकार के प्रबोधन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं :—

(i) प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए विषयवस्तु-सह-शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रम।

(ii) विषय-वस्तु विनिर्दिष्ट कार्यक्रम जैसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म स्तरीय आयोजना, विकलांग बच्चों की शिक्षा, अध्ययन का न्यूनतम स्तर, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन आदि।

(iii) विषय विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम जैसे भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञानों आदि का शिक्षण।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा०शै०अ०एवं प्र०प०) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा० शै० अ० एवं प्र० प०) भी उपर्युक्त प्रकार के अनुस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षकों के जन अनुस्थापन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख क्षेत्रों तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्रियों के प्रयोग में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

5439. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को अनुसूचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस अधिनियम को अधिसूचित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत चीन का सहयोग

5440. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परस्पर आधार पर चीनी छात्रों को विशेष रियायत देने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 27 फरवरी, 1992 को हस्ताक्षरित शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी नयाचार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है :—

(i) शिक्षा के क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान जिसमें शिक्षा नीति, शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता तथा सतत् शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्चत्तर शिक्षा और विशेष शिक्षा शामिल है।

(ii) सामाजिक विज्ञानों, चीनी तथा हिन्दी भाषा एवं साहित्य, बौद्ध अध्ययन और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संस्था-दर संस्था संपर्क।

(iii) छात्रवृत्तियों की संख्या में मौजूदा 17 की तुलना में 1993 तक 25 तक की वृद्धि।

(iv) पाठ्यपुस्तकों और श्रव्य दृश्य सामग्री का आदान-प्रदान।

(v) डिग्रियों, डिप्लोमों तथा प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चावल और धान का खरीद मूल्य

5441. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 1990-91 के दौरान चावल और धान का खरीद मूल्य कितना था; और

(ख) क्या इस मूल्य में देश के अन्य भागों में निश्चित किये गये खरीद मूल्य के अनुरूप वृद्धि की गई है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) और (ख) धान के वसूली मूल्य समूचे देश के लिए एक-समान हैं। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म के लिए 205.00

रुपये प्रति क्विंटल, बढ़िया किस्म के लिए 215.00 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 225.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए थे। चूंकि अण्डमान और निकोबार संघ शासित प्रदेश में चावल पर कोई लेवी नहीं थी, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए लेवी चावल के वसूली मूल्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

दिल्ली में शवयान

5442. **श्री मदन लाल खुराना**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अस्पतालवार और दाहगृहवार कितने शवयान हैं;

(ख) क्या दिल्ली में जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी शवयान उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या प्राइवेट वाहन शवों को ले जाने के लिये किराया ले रहे हैं और परेशान लोगों का शोषण कर रहे हैं/लूट रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों/स्थानीय निकायों में कुल 24 शववाहन उपलब्ध हैं। इनमें से 16 शववाहन दिल्ली नगर निगम से सम्बन्ध हैं, उनमें से 11 शववाहनों को निगम बोध घाट और एक-एक शववाहन को विद्युत शवदाह गृह, सुभाष नगर, पंजाबी बाग, सत नगर और पंचकुइयां रोड़ श्मशान घाट पर खड़ा किया जाता है।

(ख) और (ग) जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, शववाहन बेड़े का विस्तार किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रेक प्वाइंट

[हिन्दी]

5443. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आधे तथा पूरे रेक प्वाइन्टों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन प्वाइन्टों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्ण रेक प्वाइन्ट :

बड़ी लाइन = 107
मीटर लाइन = 34

आधा रेक प्वाइंट :

बड़ी लाइन = 24
मीटर लाइन = 9

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जाली आरक्षण

5444. **श्री यशवत राव पाटिल**
श्री गोविन्द राव निकाम } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली और मुम्बई में जाली आरक्षणों तथा नकली टिकटों की बिक्री के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ख) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1991 दौरान जाली आरक्षणों के दिल्ली में 1271 मामले तथा बम्बई क्षेत्र में 1344 मामले पकड़े गए थे; 1991 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में जाली टिकटों का कोई मामला नहीं पकड़ा गया परन्तु बम्बई क्षेत्र में दूसरे दर्जे के 107 जाली टिकट जब्त किये गए।

(ख) रेलवे बोर्ड के सतर्कता (विशेष दस्ता) सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के सतर्कता संगठनों द्वारा ऐसे कदाचारों की रोकथाम करने के लिए देशभर में अचानक जांच की जाती है और छापे मारे जाते हैं, रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दलालों और ऐसे यात्रियों को भी, जो अप्राधिकृत टिकटों पर यात्रा करते हैं, दिये जाने वाले दण्ड को काफी बढ़ा दिया गया है।

(ii) लोगों की अप्राधिकृत स्रोतों से टिकटों को न खरीदने के सम्बन्ध में प्रेस, दूरदर्शन, पोस्टरों आदि के माध्यम से शिक्षित/ प्रेरित किया जाता है।

(iii) आरक्षण कार्यालयों में कदाचारों को रोकने के लिए गर्मी की भीड़-भाड़, छुट्टियों तथा दुर्गा पूजा/दशहरा/दिवाली के दौरान वर्ष में कम से कम दो बार संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

(iv) इसी प्रकार ऐसे यात्रियों, जो जाली अथवा दूसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदे गए टिकटों पर यात्रा करते हैं, के लिए दण्ड (जुर्माने) को भी 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

(v) जाली नाम से खरीदे गए टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए गाड़ियों में जांच की जाती है और उन्हें बिना टिकट के यात्री माना जाता है।

कर्मचारियों की भर्ती

[अनुवाद]

5445. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा श्रेणी-वार क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक व्यय में कितनी बचत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रकार का निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, भर्ती में कटौती करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है. बहरहाल, अगले दो वर्षों के लिए केवल सीधी भर्ती कोटियों में 950-1500 रुपये के वेतनमान में कार्यालय लिपिकों और 1200-2040 रुपये के वेतन-मान में वरिष्ठ लिपिकों में 26 प्रतिशत तथा 950-1500 रुपये के वेतनमान में लेखा लिपिकों और 1200-2040 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा सहायकों में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है ।

(ग) भारतीय रेलों पर कुल कर्मचारी लागत की तुलना में प्रशासनिक व्यय में सापेक्ष बचत बहुत कम है ।

(घ) कार्यालयों के आधुनिकीकरण, आधुनिक यंत्रों जैसे फोटोकापिंग मशीनों, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के उपयोग, कंप्यूटरीकरण गतिविधियों, आदि के संबंध में रेलों द्वारा किये गए विभिन्न उपायों के कारण यह महसूस किया गया था कि लिपिक कोटियों में कटौती करने की गुंजाइश है ।

प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म और पाठ्य-पुस्तकें

5456. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म और पाठ्य-पुस्तकें देने संबंधी प्रोत्साहन योजनाएँ लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये प्रोत्साहन अन्य शहरों मे स्थापित शिविरों में रह रहे जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी दिए जाएंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान के स्टेशनों पर आरक्षण की सुविधा

[हिन्दी]

5447. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में आने वाले उत्तर और पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने और आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का स्टेशन-वार ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें पिछले एक वर्ष के दौरान राजस्थान में स्थित स्टेशनों को आबंटित नये/अतिरिक्त कोटे का ब्योरा दर्शाया गया है।

जयपुर, जोधपुर और बीकानेर स्टेशनों पर आरक्षणों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। अब दिल्ली से बनकर चलने वाली सभी गाड़ियों के लिए तथा दिल्ली को यात्री आरक्षण प्रणाली से जुड़े किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण स्टेशन से आरक्षण प्राप्त किये जा सकते हैं।

विवरण

स्टेशन	गाड़ी सं•	उपलब्ध कराया गया नया/अतिरिक्त कोटा					
		वातानुकूल पहला दर्जा	वातानुकूल 2-टियर	पहला दर्जा	वातानुकूल कुर्सीयान	दूसरा दर्जा सीटें	दूसरा दर्जा शायिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
लाडनू	4789 दिल्ली-बीकानेर एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
पाली-मारवाड़	4789 दिल्ली-बीकानेर एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
	9002 अहमदाबाद-बम्बई-मेल	—	—	—	—	6	—
मोक्लसर	9966 जोधपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	2	—	2	—
पारलू	9966 जोधपुर-अहदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
मकराना	2462 जोधपुर-दिल्ली-मंडोर-एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
	4763 जयपुर-बीकानेर एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	6
सुजानगढ़	4894 जोधपुर-दिल्ली मेल	2	2	2	—	—	—
	5382/2304 नई दिल्ली-हबड़ा-एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
सादुल शहर	4588/3008 (लालगढ़-हबड़ा-कोच)	—	—	—	—	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8
श्री डूंगर गढ़	4792 बीकानेर-दिल्ली मेल	—	—	—	—	4	—
रेवाड़ी	4791 दिल्ली-बीकानेर-मेल	—	—	2	—	—	—
	2901 दिल्ली-जयपुर पिंक सिटी एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	4
श्री गंगानगर	9712 श्री गंगानगर-जयपुर-एक्सप्रेस	—	—	2	—	—	—
रतनगढ़	4789 दिल्ली-बीकानेर एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
सरदार शहर	4792 बीकानेर-दिल्ली मेल	—	—	—	—	1	—
	4738 बीकानेर-सवाईमाधोपुर एक्सप्रेस	—	—	—	—	3	—
	4789 दिल्ली-बीकानेर-एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
सुनकर अमसर	4588 लालगढ़-कालका चण्डीगढ़ एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
केसरी सिंहपुर	9712 श्री गंगानगर-जयपुर-एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
कोटा	9019 बम्बई-देहरादुन एक्सप्रेस	—	—	—	—	14	—
	4737 सवाई माधोपुर-बीकानेर	—	—	—	—	2	—
भिवानी मंडी	9019 बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
रामगंज मंडी	9019 बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
सवाई-माधोपुर	2904 अमृतसर-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	—	—	11	—
	2953 बम्बई-नई दिल्ली ए.सी. एक्सप्रेस	2	—	—	30	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	2954 नई दिल्ली-बम्बई ए.सी. एक्सप्रेस	—	—	—	4	—	—
श्री माधोपुर	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	2
उदयपुर	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	12
गंगापुर सिटी	2904 अमृतसर-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
जयपुर	2954 नई दिल्ली-बम्बई ए.सी. एक्सप्रेस	2	—	—	30	—	—
बांदीकुई	2902 जयपुर-दिल्ली पिंक सीटी एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	—
आबू रोड	9932 अहमदाबाद-दिल्ली-अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	2
	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस (अजमेर-जोधपुर कोच)	—	—	—	—	6	—
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	5
माउंट आबू	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
आउट एजेन्सी हरिपुर	9902 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता	—	—	—	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
अजमेर	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस (अजमेर-जोधपुर कोच)	—	—	—	—	46	—
	9006 ओखा-बम्बई सौराष्ट्र मेल	—	—	—	—	3	—
	5014 जोधपुर-लखनऊ मरूधर एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—
रीगस	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	2	—
	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	2
मारवाड़	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	8	—	14	—
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
रेनवाल	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
कांवट	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
हिंडौन सिटी	2926 अमृतसर-बम्बई पश्चिम एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
लखेरी	9019 बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
जोधपुर	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
सोमेसर	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
फालना	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—
	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	12	—
	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	—	6	—
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	20
रानी	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	6	—
	9902 अहमदाबाद-दिल्ली मेल	—	2	—	—	8	...
	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	—
सोजत रोड	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	2	—
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती	—	—	—	—	—	2
	6501 अहमदाबाद-बेंगलूरु	—	—	—	—	2	—
वाना	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
मोरी बेड़ा	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8
मारवाड़-मीनमल	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
जैवाई बांध	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	7	—
	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	4
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	3
सिरोही रोड	9008 अहमदाबाद-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	8	—
	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	4
	2934 अहमदाबाद-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	5
आबू	9002 अहमदाबाद-बम्बई मेल	—	—	—	—	2	—
	9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
	2934 अहमदाबाद-बम्बई कर्णावती एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	7
	6501 अहमदाबाद-बेंगलूर एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
किशनगढ़	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	3
पालनपुर	9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
निबाहड़ा	7569 जयपुर-कांछीगुडा एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
	9062 इंदौर-बम्बई अवन्तिका एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
	9020 देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	—	—	·2	—
चित्तौड़गढ़	7570 काछीगुडा-जयपुर एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	4
	9024 फिरोज़पुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	—	2
भीलवाड़ा	7082 इंदौर-कोच्चीन एक्सप्रेस	—	—	—	—	2	—
थंता	9019 बम्बई देहरादून एक्सप्रेस	—	2	—	—	2	—

"नदियों" में प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

[अनुवाद]

5448. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय नदियों के प्रदूषण से स्वास्थ्य को भारी खतरा होने का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमगलम) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "विश्व प्रदूषण और स्वास्थ्य" नामक अपनी रिपोर्ट में भारत सहित एशिया के कुछ भागों में अशोधित मलजल के उत्सर्जन से हो रहे कार्बनिक और अवमल दोनों प्रकार के प्रदूषण के उच्च-स्तरों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में इसके परिणाम-स्वरूप स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की संभावना का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने नदी प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(3) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रवालम के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(4) नदी प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए हैं,

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं और ऋण सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं;

(6) विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने तथा बड़ी और मझोली इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है;

(7) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से एक अधिसूचना जारी की है; जिसमें उद्योगों को एक निश्चित समय-अवधि के भीतर बहिस्राव मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

(8) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा की जल-गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई है।

'रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क में कुबन्ध"

5449. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क के प्रबन्धकों को लापरवाही के कारण इस पार्क के बाघों और हिरनों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के प्रबन्ध में लापरवाही बरतने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । इस प्रकार, बाघों और हिरनों को खतरा उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

गाजियाबाद-मेरठ रेल लाइन का विद्युतीकरण

5450. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद से मेरठ तक की रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कोई धन-राशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हाथरस फोर्ट स्टेशन पर सुविधाएं

5451. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या रेल मंत्री इसे बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस फोर्ट स्टेशन पर यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां; तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्टेशन का विस्तार करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

5452. श्री बलराज पासी
श्री प्रभु दयाल कठेरिया
श्री रामकृष्ण कुसमारिया] : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय यह विचार कर रहा है कि उन व्यक्तियों पर पंचायत से लेकर संसद तक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में 1 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में सभी राज्यों के सारे स्वास्थ्य मंत्रियों की आम राय प्राप्त कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) 6-7 जनवरी, 1992 को आयोजित राज्यों/संघ/राज्यक्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में, भविष्य में, न कि भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे व्यक्तियों, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, को पंचायय से संसद तक के चुनाव लड़ने से बहिष्कृत करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मत रूप से समर्थन किया गया है। इसे क्रियान्वित करने की विधियां तैयार की जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

5453. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों पर पेन्शन भोगियों को कौन-कौन सी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं;

(ख) इन लाभार्थियों को इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितना शुल्क देना पड़ता है; और

(ग) क्या उन्हें नैदानिक परीक्षणों के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पेंशनभोगियों को निम्नलिखित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. डिस्पेंसरियों/पालिक्लिनिकों/अस्पताल प्रसूति केन्द्र आदि के माध्यम से बहिरंग उपचार।
2. औषधों की आपूर्ति।

3. प्रयोगशाला और एक्स-रे जांच ।

4. आवासीय यात्रा (बशर्ते पेंशनभोगी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय से 3 कि०मी० की दूरी तक रहता है ।

5. चुने हुए केन्द्रों पर और पोलीक्लीनिक और अस्पताल में विशेषज्ञ सलाह ।

6. केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त चुने हुए अस्पताल और सरकारी अस्पताल में अस्पताल की सेवाएं ।

7. मानसिक रोग पोलियों, टी०बी०, कैंसर जैसी बीमारियो के लिए विशेषज्ञ इलाज विशेष अस्पताल में ।

8. सुपर विशेषज्ञ इलाज जैसे किडनी प्रत्यारोपण, कोरोनरी, वाईपास ग्राफ्ट इत्यादि ।

9. दन्त चिकित्सा के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध है ।

(ख) लाभार्थी द्वारा वार्षिक अंशदान की दी जाने वाली दर इस प्रकार है :

1.	1200 रुपये तक पेंशन पाने वाले लाभार्थी	12 रुपये प्रति वर्ष
2.	1200 रुपये से अधिक 1500 रु० तक	24 " "
3.	1500 " " 1800 " "	36 " "
4.	1800 " " 2500 " "	48 " "
5.	2500 " " 3200 " "	60 " "
6.	3200-रु० से ऊपर 4000-रु० तक	72-रु० प्रतिवर्ष
7.	4000-रु० से ऊपर 5000-रु० तक	108-रु० प्रतिवर्ष
8.	5000-रु० से ऊपर	144-रु० प्रतिवर्ष

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

5454. **श्री जीवन शर्मा** : क्या मानव संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी सेवा में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री को समाप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु राष्ट्रीय परीक्षा सेवा स्थापित की जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय परीक्षा सेवा स्थापित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में उन चुनिन्दा क्षेत्रों में, जहां विश्वविद्यालय एक अनिवार्य योग्यता नहीं है, डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने के लिए शुरूआत करने की परिकल्पना की गई है। इसमें उपयुक्त चरणों में, विशेष नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु स्वैच्छिक आधार पर परीक्षा आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

इसके अनुसरण में, सरकार ने हाल में ही राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन (एन०ई०ओ०) को एक स्वायत्त संस्था के रूप में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया है :—

— विशेष नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की औपचारिक योग्यता का विचार किए बिना उनकी उपयुक्तता प्रमाणित करने हेतु परीक्षाएं आयोजित करना।

— विशेष नौकरियों में काम के लिए ज्ञान, निपुणता, योग्यताओं, क्षमताओं, सुयोग्यताओं और अभिवृत्ति की जांच करने के लिए प्रणालियों और तकनीकों का विकास करना।

— उन मौजूद संस्थाओं और एजेंसियों की सदस्यता करना जो उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों में दाखिलों, संकाय भर्ती, विशेषज्ञों, वैज्ञानियों की भर्ती आदि के उद्देश्यों के लिए उनकी ओर से प्रारम्भिक जांच अथवा ऐसी अन्य परीक्षाओं द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करती हैं।

— परीक्षा विकास में राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसज्जित संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

1992-93 के बजट में संगठन के लिए 25 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"केन नदी परियोजना"

[हिन्दी]

5455. **कुमारी उमा भारती** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंजूरी देने हेतु केन नदी परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सघन चिकित्सा सुविधा

[अनुवाद]

5456. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से स्थानों पर सघन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) क्या जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसी सुविधाए उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) गहन चिकित्सा सुविधाएं देश के महानगरों में स्थित अस्पतालों और अन्य नगरों के प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिशुओं को गलत दवाइयां देना

5457. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बरवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शिशुओं को गलत दवा देने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गलतियों से बचने हेतु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले में की गई प्राथमिक जांच-पड़ताल से पता चला कि स्वास्थ्य केन्द्र बरबाला की सहायक नर्स धात्री ने फार्मेसिस्ट से पैरासीटामोल की एक शीशी में डिटाल लिया था तथा उसका लेबल नहीं बदला था। उसने वह डिटाल वाली शीशी जिस पर पैरासीटामोल का लेबल लगा हुआ था, पैरासीटामोल की एक अन्य शीशी के साथ टीकाकरण की ट्रे में रख दी थी। इन्टर्नों द्वारा उस दोनों को पैरासीटामोल के रूप में दे दिया गया था।

(क) भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए औषध की शीशियों पर उपयुक्त लेबल लगाने की सुनिश्चितता हेतु मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के पी०ए०सी० विभाग के अधीन स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के घाटे

5458. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अब तक के संचित घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन घाटों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने आकस्मिक खर्चों, चोरियों तथा खाद्यान्नों को लाने-ले जाने में होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने-अपने अलग खाद्य निगम बनाने का विचार रखा है;

(घ) यदि हां, तो संघ सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को एक अर्थक्षम एकक बनाने और अत्यधिक ऊपरी खर्च को कम करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम को 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार 15.58 करोड़ रुपये की संचित हानियां हुई थीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को मुख्यत: आयातित उर्वरकों को हैंडल करने के लिए इन्हें दिए गए अपर्याप्त मार्जिन के कारण हानियां हुई थीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रशासनिक व्यय को कम करने तथा खाद्यान्नों के भण्डारण, हैंडलिंग, संचालन और वितरण में मितव्ययता करने के रूप में पग उठाए गए हैं।

बिहार में शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

[हिन्दी]

5459. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या मानव ससाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में चल रही तथा स्थापित की गयी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं (सरकारी, गैर-सरकारी तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित) को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, और

(ख) आवंटन के पश्चात् उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण दिल्ली में संक्रामक रोगों के लिए अस्पताल

[अनुवाद]

5460. **श्री जीवन शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में सक्रामक रोगों के लिए अस्पताल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के अस्पताल का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) दक्षिण दिल्ली में इस प्रकार के अस्पताल के निर्माण हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम को दक्षिण दिल्ली में सक्रामक रोग अस्पताल का निर्माण करने संबंधी एक प्रस्ताव हुआ था । तथापि, निगम ने मामले को समीक्षा की है और इस प्रस्ताव को अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण व्यवहार्य नहीं पाया है कि गुरुतेग बहादुर नगर स्थित इसके मौजूदा संक्रात्मक रोग अस्तपताल की क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ।

कर्नाटक में रैबीज रोधी टीके का उत्पादन

5461. **श्रीमती कासबा राजेश्वरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक राज्य में रैबीज रोधी टीके के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) राज्य में इस टीके का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन किया जाता है, और इसमें कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस समय इस टीके का उत्पादन किन-किन राज्यों में किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में रेबीज रोधी वैक्सीन उत्पादन संस्थान राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं । केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रेबीज रोधी टीकों की 38.47 लाख खुराकों का वर्ष 1990-91 के दौरान उत्पादन किया गया और वर्ष 1994-95 तक इस उत्पादन को 65 लाख खुराकों तक क्रमिक रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस समय निम्नलिखित राज्य मानव प्रयोग के लिए रेबीज रोधी टीके का उत्पादन कर रहे हैं :—

1. महाराष्ट्र
2. हिमाचल प्रदेश
3. तमिलनाडु
4. गुजरात
5. पश्चिम बंगाल
6. बिहार
7. उत्तर प्रदेश
8. मेघालय
9. केरल
10. कर्नाटक
11. आन्ध्र प्रदेश

दालों का आयात

[हिन्दी]

5462. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दालों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ख) इस आयात पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित दालों का मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1988-89	384.91
1989-90 (अनन्तिम)	227.90
1990-91 (अनन्तिम)	481.17

(ख) देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। दालों का उत्पादन 1987-88 के 10.96 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1990-91 में 14.06 मिलियन मीटरी टन हो गया है।

बोफोर्स मामले के बारे में

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम पहले बोफोर्स मामले पर तथा बाद में बिहार के मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। अभी कुछ और भी मामले हैं जिन पर

बाद में चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल में इसकी सहमति हुई थी इसलिए मैं उन्हीं सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं जो बोफोर्स के मामले पर बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, क्या आप अयोध्या के मामले पर अनुमति नहीं देंगे ? यह भी एक बड़ा गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि हम लोग अन्य मामलों को भी लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि न केवल इन दो मामलों को ही लिया जायेगा अपितु अन्य मामलों को भी लिया जायेगा। मेरे पास वरिष्ठ सदस्यों की सूचना है तथा मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा क्योंकि, हमारे नेता श्री एल० के० आडवाणी ने बताया है कि इस मामले पर कल विस्तृतरूप से चर्चा की जायेगी। कल जो माधव सिंह सोलंकी ने बोफोर्स मामलों के स्पष्टीकरणों पर जो स्पष्टीकरण दिये थे; तथा इस मामले पर कल जो पूर्ण चर्चा होने वाली है इन दोनों में कुछ तो अन्तर होना ही चाहिए कल विदेश मंत्री ने जो कहा था वह भी मेरे तथा हमारे कुछ मित्रों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब में था। मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा शाम को जो स्पष्टीकरण दिये थे उनमें कई असाधारण बातें थीं तथा जैसाकि सदन की मर्यादा है हम लोग उस शाम को कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सके।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि जबसे वर्ष 1987 में बोफोर्स घोटाले का मामला उठा है तब से कल शाम को माननीय मंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह ही निष्पक्ष, खुला तथा सही उत्तर है। यह निष्पक्ष, खुला तथा निष्कपट उत्तर भी उनकी असमर्थता को स्वीकार करता है। जब से बोफोर्स का मामला उठा है तब से हमें सत्ता पक्ष से यह एक मात्र ऐसा उत्तर मिला है जो सही है तथा मैं माननीय विदेश मंत्री की प्रसंशा करता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया था उसके लिए वे इतने खुले एवं ईमानदार रहे। उन्होंने क्या कहा है ? उन्होंने कहा कि, मैं एक वकील से मिला जिसने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया, मैं उसे पढ़ा नहीं, मैंने उसका मात्र अवलोकन किया तत्पश्चात् मैंने उसे स्विटजरलैंड सरकार के विदेशी मामलों के मंत्री को दे दिया। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय की स्पष्टवादिता की प्रसंशा करता हूं, परन्तु इससे कई प्रश्न उठते हैं। पहली बात तो यह कि वे उस वकील को नहीं जानते।

माननीय मंत्री जी का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं हैं कि यह वकील कौन है। वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने जो स्विटजरलैंड सरकार के विदेश मंत्री को औपचारिक तौर पर पत्र दिया था उसका पाठ उनके पास नहीं है। मंत्री महोदय ने यह मान लिया कि जो व्यक्ति उनसे मिला था वास्तव में एक वकील है तथा वह एक भारतीय है। उन्हें कैसे पता है कि वास्तव में वह एक वकील है तथा वकील के रूप में कोई और व्यक्ति नहीं है। वास्तव में जो प्रासंगिक बात तथा जानकारी माननीय मंत्री महोदय दे सकते हैं वह यह है कि किसके माध्यम से तथा कथित वकील, जिसे वकील

कहा जा रहा है, ने माननीय मंत्री महोदय को अपना परिचय दिया। आखिरकार माननीय मंत्री जो स्विटजरलैण्ड की सरकारी यात्रा पर हैं। उनसे हर कोई ऐसे ही नहीं मिल सकता तो फिर पत्र को, किसी और को सुपुर्द करने कि बात तो दूर रही।

यह तथा कथित वकील किसके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मिला, हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहिए, यह वकील कौन है तथा उसने किसके माध्यम से अपना परिचय दिया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इन मामलों को कल उठाया जाना संभव नहीं हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : नहीं महोदय, मैंने शुरू में ही यह कहा था कि हमें कल स्पष्टीकरणों पर दिये गए स्पष्टीकरण तथा आने वाले कल के वाद-विवाद में कुछ अन्तर स्थापित करना चाहिए।

कल का वाद-विवाद बोफोर्स घोटाले की पूर्णता को स्पष्ट करने के लिए ठोस विस्तृत होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इन मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय विदेश मन्त्री ने कल जो कहा है उसकी ये स्पष्ट बातें हैं।

एक नोट माननीय मन्त्रीजी को दिया गया, वे मात्र उसे पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं, केवल अवलोकन करते हैं तथा उसे आगे सौंप देते हैं। हां मैंने कहा है कि माननीय मंत्री ने बड़ी ही ईमानदारी तथा स्पष्टवादित दिखाई है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी की प्रशसा करता हूं। परन्तु दुर्भाग्यवश वे भी एक छल-कपटी व्यक्ति हो गये परिणाम स्वरूप बोफोर्स जैसे गम्भीर मामले पर विदेश मंत्री द्वारा लगभग साधारण-सा दृष्टिकोण रखा जब वे इस प्रकार विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वे मात्र भारत सरकार पर सत्ता पक्ष के ही प्रतिनिधि नहीं हैं अपितु वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: वे जो भी कर रहे है, चाहे वे तथा-कथित वकील से मिले रहते हैं या फिर पत्र सौंपते हैं वे यह सब भारत की ओर से करते हैं।

अतः कल की चर्चा से पूर्व, उन्हें बताना चाहिए तथा निम्नलिखित चार या पांच बातों को पूरा किया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, हमारी पार्टी के नेता माननीय श्री एल०के० आडवाणी ने पहले ही कहा है कि भारत सरकार को इस भारी गलती में कुछ सुधार करना चाहिए तथा हमें यह सूचित करना चाहिए कि उसे सुधारने हेतु क्या किया है तथा कैसे किया है।

दूसरी बात यह है भारत सरकार स्विश अधिकारियों को सत्ताधारी दल की गम्भीर चिन्ता को सूचित करे तथा बोफोर्स जांच के मामले को अनवरत जारी रखने के लिए कहें।

तीसरी बात यह है कि कल की चर्चा के पूर्व हमें पता लगना चाहिए कि वह तथा-कथित वकील कौन है, उसके पूर्ववृत क्या हैं, उसका क्या सम्बन्ध है तथा कैसे और किसके माध्यम से यह तथाकथित वकील मन्त्री महोदय से मिला।

चौथी बात यह है कि हमें उस ज्ञापन के पाठ का पता चलना चाहिए जो माननीय मन्त्री महोदय को दिया गया तथा जैसाकि हमारे नेता ने पहले ही कहा है कि मंत्री महोदय ने उसे सौंपने

में उस तथाकथित वकील के संदेशवाहक का काम किया। हमारे पास उस ज्ञापन का पाठ होना चाहिए। यदि सरकार या माननीय मन्त्री महोदय के पास उस ज्ञापन का पाठ नहीं है तो वह फिर निश्चित रूप से स्विटजरलैण्ड से मंगवाया जा सकता है।

अन्ततः सरकार को स्विटजरलैण्ड को दिये गये इस ज्ञापन से अपने आपको असंबंध कर लेना चाहिए तभी कल की चर्चा सार्थक हो सकेगी।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि विपक्ष के कुछ सदस्यों पर अब भी बोफोर्स का भूत सवार है। कल भी इस मामले को उठाया गया था तथा विदेश मन्त्री ने वक्तव्य भी दिया था। आपने अपनी समझदारी से कल पूरी चर्चा करने की अनुमति दे दी है। तत्पश्चात् भी फिर उसी मामले को उठाना, उन्हीं बातों, शब्दों, तथा भाषा का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं होता है। माननीय सदस्यों को जो कुछ भी कहना है वे कल जब चर्चा शुरू हो तभी कह सकते हैं।

उसे कल भी उठाया जा सकता है। आपने ठीक ही कहा है कि इन मामलों पर कल भी विचार किया जा सकता है। अतः बार-बार दोहराने से यही लगता है कि, इसे उठाने का इसके सिवा कोई मकसद नहीं कि यह राजनीति से प्रेरित है। वे लोग सरकार की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। हांलाकि वे लोग 11 महीनों तक सरकार में थे तब उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं पाया, वे लोग जनता के समक्ष कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकें। विपक्ष के कुछ सदस्यों का एक ही मकसद है कि सरकार की छवि बिगाड़ी जाए तथा इस मामले में जनता को गुमराह किया जाए।

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : मामले की महत्ता को समझते हुए हमने प्रश्न काल के पूर्व इस मामले को उठाया था तथा हम लोग तो प्रश्नकाल को भी स्थगित कराना चाहते थे। कल भी हमने इस मामले को उठाया था तथा जब विदेश मन्त्री अपना वक्तव्य दे रहे थे तो हम उसके बारे मे जानना चाहते थे।

मैं उनके वक्तव्य से यह उद्धृत करना चाहता हूं :—"मैंने फैडरेल कौंसलर फार फोरेन अफेयर श्री फेल्बर के साथ शिष्टाचारिक भेंट की। अपनी बातचीत के अन्त में उनकी स्वीकृति लेते हुए मैंने श्री फेल्बर को एक नोट सौंपा"

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, पहले ही ऐसे मामले हैं जिन पर चर्चा की जानी है। आपको अपनी बात संक्षिप्त में कहनी चाहिये। यह वक्तव्य प्रत्येक के पास उपलब्ध है। मतलब की बात कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्री फेल्बर के साथ क्या बातचीत की? अपनी बातचीत समाप्त करने के पश्चात् उन्होंने वह नोट दिया जो उन्हें एक वकील से प्राप्त हुआ था। उस वकील की पहचान के बारे में कल कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वे उसका हुलिया बता सकते हैं और इसी के आधार पर किसी से इसका चित्र बनवाया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : उस नोट में क्या था ? उन्होंने वह नोट पढ़ा भी नहीं था उन्होंने यहां भी नहीं बताया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हम इस बारे में इस सदन में पूर्ण चर्चा करेंगे।

जब तक उस नोट का सार और पाठ उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक चर्चा करना लाभदायक नहीं होगा।

यही कारण है कि कल भी हमने यह मांग की थी और आज भी यह मांग कर रहे हैं कि जो नोट विदेश मन्त्री द्वारा चांसलर को सौंपा गया था, उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

उसे सदस्यों को आज ही उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यह साधारण मामला नहीं है।

इसीलिए हम यह मांग कर रहे हैं कि उस नोट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये और उसे सभा के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि हम यह जान सकें कि इस नोट में क्या था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान या श्री श्रीकान्त जेना दोनों में से एक को अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मनोरंजन भक्त जी ने जो कहा उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह बोफोर्स कैसा भूत है जो सरकार के सिर पर चढ़ कर बोल रहा है, यह आपसे सब कुछ उगलवा कर रहेगा और देश को पता चलेगा कि बोफोर्स क्या है। सीधी सी बात है चेयर भी इससे सहमत होगी ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : आपको किसने रोका है ? सभी कागजात आपके पास हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : वह हमें कल बतायेंगे कि हमने 11 महीने में क्या फैक्ट्स-फाइंडिंग किया है और सरकार को भी मालूम है कि 11 महीने में क्या उपलब्धि हुई है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक प्वाइंट रखना चाहता हूं, वह यह है कि इस सदन की गरिमा का सवाल। यह मामला केवल सोलंकी जी का नहीं है, यह मामला पूरी सरकार का है। इसमें विदेश मन्त्री जायेंगे तो विदेश मन्त्री नहीं जायेंगे, भारत के प्रधान मन्त्री जायेंगे, भारत सरकार भी जायेगी। यह मामला केवल विदेश मन्त्री का नहीं है कि उनको बलि का बकरा बनाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि वह पत्र कौन-सा था ? यह साफ कहा गया कि पत्र बोफोर्स से सम्बन्धित था। यदि वह दूसरे मामले से संबंधित रहता तो हम लोगों को उतनी चिन्ता नहीं होती कौन-सा पत्र कहां

दिया जा रहा है ? उसका भी एक तरीका है, भारत सरकार के मन्त्री के द्वारा एक निजी आदमी के माध्यम से जो पत्र स्विजरलैंड के विदेश मन्त्री को दिया गया, वह बोफोर्स से संबंधित था। ऐसे में सदन को यह जानने का अधिकार है कि वह पत्र क्या है ? जब तक उस पत्र को सदन के पटल पर नहीं रखा जाता है तब तक डिसकसशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। हम आपसे मांग करते हैं कि सरकार उस पत्र को सदन के पटल पर रखे, तब आगे की कार्रवाई शुरू की जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ? हम कल चर्चा करेंगे। इसलिये आज यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य बोलें :

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : इस बात पर सहमति हो गई कि कल चर्चा की जानी चाहिये :

विदेश मंत्री के विरूद्ध निंदा-प्रस्ताव की सूचना के बारे में

[अनुवाद]

12.4 म.प.

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैंने आज सुबह विदेश मन्त्री के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव के बारे में एक सूचना दी है। मेरी सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी जानकारी में नहीं आई है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको मेरी बात सुननी चाहिये मैंने आपको नियमों के अन्तर्गत एक नियमित सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आपने सूचना दी है तो वह मेरे पास आनी चाहिये। यदि वह मेरे पास नहीं आई है तो मैं नहीं कह सकता कि आपकी सूचना पढ़े बिना मेरा निर्णय क्या होगा। एक बात तो यह है ; दूसरी, हमें कल इस मामले पर चर्चा करनी है। आप इस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप कल इसके बारे में बात नहीं कर सकते। (व्यवधान)
मैंने आज सुबह 9-30 बजे सूचना दी है। मैंने निन्दा-प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने यह सूचना दी है। आपके सचिवालय को इसकी जानकारी होनी चाहिये। मैंने आज सुबह 9-30 बजे खुद यह सूचना दी है। मेरे पास इस सूचना की एक प्रति है।

अध्यक्ष महोदय : आपने किस नियम के अन्तर्गत वह सूचना दी है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे इस पर स्पष्ट रूप मे निर्णय लेने दो मुझे नियम देखने दो ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि आप चाहें तो मैं अपनी सूचना पढ़ दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है ।

मुझे नियम पढ़ने दो ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने विदेश मन्त्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पेश किया है । मैंने आज सुबह 9.30 बजे इसकी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे अब दे सकते है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके पूर्वोदाहरण हैं । **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय आपने बताया है कि शून्य काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता । यह शून्य काल है । वह इस प्रश्न को कैसे उठा सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना दी है । विगत में विशिष्ट मंत्रियों के विरुद्ध नियम 184 के अन्तर्गत तीन बार निन्दा-प्रस्ताव पेश हुए थे । एक प्रस्ताव 1968 में श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध पेश हुआ था । उससे एक वर्ष पहले श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध पेश हुआ था । एक प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध पेश हुआ था जब वे वित्त मन्त्री थे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मामले को सभा में इस समय उठा सकते हैं और क्या आप इस पर मेरे निर्णय के बारे में पूछ सकते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं चाहता हूं कि मेरी सूचना स्वीकार की जाये क्योंकि इसमें मन्त्री के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव की मांग की गई है । मन्त्री जी ने राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य किया है । मन्त्री जी ने गृह मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय के बोफोर्स मामले से सम्बन्धित मामले में हस्तक्षेप किया हैं । सर्वप्रथम, किसी ऐसे गैर-सरकारी व्यक्ति से कोई कागज लेना उनका कार्य नहीं है जिसका वे नाम भी नहीं जानते, जिसका वे चेहरा भी नहीं पहचानते । कम-से-कम अब वे चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास कर लें कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते । उन्होंने ऐसे मामले पर नोट दिया है जिसके कारण स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री की ओर विश्व का ध्यान गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं नियम पढ़ ? नियम में यह कहा गया है :

> "संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मैं आपका ध्यान नियम 186 की ओर दिला सकता हूं ।

वहां यह निर्धारित किया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं या अपनी सहमति दे सकते हैं । नियम 186 में वे परिस्थितियां निर्धारित हैं जिसके अनुसार

आप मेरे प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने से इन्कार कर सकते हैं। नियम 186 में इसके बारे में काफी स्पष्ट किया गया है (**व्यवधान**)

श्री के०वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर इस सदन में चर्चा की जाती है। हम बोफोर्स पर कल चर्चा कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उस विषय को नहीं उठा रहा हूं जिस पर मेरे द्वारा उठाए तीन विशिष्ट मामलों को सदन में यदि नहीं उठाया गया होता तो इसे नहीं उठाया जाता, जबकि मन्त्री महोदय के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी कल की चर्चा एक सामान्य चर्चा होगी। आज हम मन्त्री महोदय के वक्तव्य के सामान्य प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मन्त्री महोदय कैसे आशा करते हैं कि यह सदन और यह देश उसी बात पर विश्वास करेगा कि वह वकील को नहीं जानते हैं। वह उनका नाम तक नहीं जानते हैं। वह इस देश के विदेश मन्त्री हैं। यह संसद इस व्यक्ति को किस प्रकार एक मिनट के लिए विदेश मंत्री भी बने रहना मानेगी ? उन्होंने एक वाहक के रूप में कार्य किया है, उन्होंने उन लोगों के लिए वाहक का कार्य किया है जिन पर इस देश के न्यायालय में ही दोषारोपण के मामले नहीं हैं बल्कि स्वीडन और स्विटजरलैंड की न्यायालयों में भी दोषारोपण के मामले चल रहे हैं। उन्होंने इस पूरी जांच पड़ताल को छिपाने के लिए एक वाहक का कार्य किया है। इस विषय पर पूर्व में नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की गई थी। मैं इस बारे में एक विशेष प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नांडीज मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। लेकिन फिर भी आप तो नियमों को प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हें मुझ पर लाद रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है, लेकिन आप लगातार उस प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिस पर इस सदन में चर्चा नहीं हुई है। जिसे मैंने नहीं देखा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने अपने प्रस्ताव का नोटिस आज प्रातः 9-30 बजे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं कर सकते। आप पूरे सदन और अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार आश्चर्य में नहीं डाल सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मेरे लिए अत्यधिक अनुचित बात है मैंने नियमानुसार कार्य किया है। मैंने सुबह 9.30 बजे अपने प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपने ऐसा नहीं किया है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बोलिए। प्रस्ताव का हवाला मत दीजिए। मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप किस प्रकार इसको स्वीकृति नहीं दे रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैंने प्रस्ताव नहीं देखा है। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं आप उसके लिए क्यों जिद कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नियम 186 के अन्तर्गत आपको अवश्य ही निर्णय देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह आवश्यक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : किस प्रकार मेरे प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती है ?··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं सुन रहा हूं। आप पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपको प्रस्ताव पर विचार करके उस पर अपना विनिर्णय देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्या कर रहे हैं ? जब प्रस्ताव का नोटिस मेरे पास नहीं आया है तो मैं यह कैसे कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आपने यह नहीं कहा है कि यह आपके पास नहीं पहुंचा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) अध्यक्ष महोदय, हमारे नियमों में मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने की व्यवस्था है। लेकिन ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जहां पर सदन के कोई सदस्य या सदन का कोई पक्ष मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास न प्रकट करते हुए भी किसी एक मंत्री के आचरण के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ, सैंसर प्रस्ताव लाना चाहता है। नियमों में उस सैंसर प्रस्ताव की अलग कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए लगातार नियम 184 के अन्तर्गत ही यह सैंसर प्रस्ताव यहां पर आया है और उस पर चर्चा हुई है। मेरे सम्मानित सदस्य, श्री जार्ज फर्नांडीज, ने आपको सूचना दी है और उनका स्वयं कहना है कि उन्होंने स्वयं सचिवालय को दी है। आपके पास क्यों नहीं पहुंची, यह तो आप जानकारी प्राप्त करें, लेकिन बिना देखे हुए आप अस्वीकार कर लें, तो मुझे स्वयं को लगता है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अस्वीकार भी नहीं किया है। मैं उसे किस प्रकार स्वीकार कर सकता हूं ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मेरा आपसे निवेदन है, आप उस सैंसर मोशन को लेकर उस पर विचार करके, आज ही सदन में दोपहर को अपना निर्णय दे दें, यह तो मैं समझ सकता हूं। यह मामला ऐसा है, जिसमें अगर विलम्ब होता है, तो उससे सैंसर मोशन की वैलिडिटी विशेष नहीं रहती है। सदन में हर सदस्य का अपना-अपना एक तरीका है किसी विषय को उठाने का और उन्होंने सैंपर मोशन के द्वारा उठाना चाहता है। मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में कोई निर्णय देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्वाइंट पर मेरा यह निर्णय है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अपना विनिर्णय देने से पहले, कृपया आप मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर में यह मामला उठाया गया था और सारा सदन क्वैश्चन आवर में इसके ऊपर चर्चा करने के लिए और बिहार के इशू पर चर्चा करने के लिए कह रहा था। हमने यह कह दिया था कि इस इशू पर पहले चर्चा करेंगे और बिहार के ऊपर दूसरी चर्चा करेंगे और भी गम्भीर विषय हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ सदस्यों ने कहा है कि वे जीरो-आवर में उठाना चाहेंगे। वे उठाने के काबिल विषय हैं, ऐसा मुझे उन्होंने बताया है और मुझे लगा कि ऐसे हैं। अब यहां पर आपने नोटिस दी हुई है और वह नोटिस मेरे हाथ में नहीं आई है। आप उस नोटिस को अब दे रहे हैं, मैं नोटिस को देखूंगा और उस नोटिस को एडमिट कर सकता हूं, तो एडमिट करूंगा। मगर आपको यहां इस विषय पर दो-तीन मिनट बोलना है, तो बोलने के लिए रोकूंगा नहीं। नोटिस को एडमिट करने का जो सवाल है, उसके पूरे अंक को देखे बगैर, उसके पूरे आस्पैक्ट को देखे बगैर, मैं उसके ऊपर रूलिंग नहीं दे सकता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि यहां पर दे दीजिए, तो मैं नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझेआपसे करना है। सैंसर मोशन आप लें या न लें, यह दूसरा सवाल है। जार्ज फर्नांडीज ने कहा कि विदेश मन्त्री ने एक ऐसा डाक्यूमेंट जो अनधिकृत था, दूसरे विदेश मंत्री को दिया और उनको यह नहीं मालूम की यह कौन व्यक्ति था, तो यह भी उतना गम्भीर नहीं है, जितना कि देश के प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह पेपर जो दिया गया है, मैमोरेंडम दिया है, दस्तावेज दिया गया है, उसकी जानकारी उनको भी नहीं है। दुनिया के इतिहास में किसी भी संसदीय जनतन्त्र में कलैक्टिव रिसपांसिविलिटी की थ्योरी का इस तरह से उपहास कहीं नहीं हुआ होगा। जिस समय प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि बिना उनकी जानकारी के कोई दस्तावेज विदेश मन्त्री ने दूसरे विदेश मन्त्री को दिया, तो हर नैतिक राजनीति का तकाजा है, संसदीय मर्यादा का तकाजा है कि उसी समय विदेश मंत्री को

इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह सवाल बड़ा गम्भीर सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं। मेरा किसी से वैर नहीं है। अगर संसदीय प्रणाली की बात होती है, यह जीव देश चल रहा है, अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जिम्मेदारी होती है, नागालैंड में सरकार चली जाती है, गृह मन्त्री जवाब देते हैं कि उनको पता नहीं है। इस देश में यह क्या हो रहा है ? संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के किसी सिद्धान्त का निर्वहन होगा या नहीं ? सैंसर मोशन की बात मैं नहीं कहता, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विदेश मंत्री की ऐसी कार्यवाही, जिस पर संसद में बहस हो और दुनिया में चर्चा हो और उसी समय एक मिनट में, बिना रुके हुए भारत का प्रधान-मन्त्री कह देता है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या भारत के प्रधान मन्त्री की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वह सदन को आकर बताते कि किन परिस्थितियों में वह दस्तावेज दिए गए। मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की सरकार और खास तौर से इस देश के प्रधान मन्त्री समझते हैं कि यह कोई जागीर है, यह संसद समिति की जागीर नहीं है। आप जो चाहें सो रूलिंग दें लेकिन आज संसदीय प्रणाली की अवहेलना हो रही है, आज इस देश की मर्यादा को रोज-रोज तोड़ा जा रहा है, आज देश के संसदीय जनतन्त्र का उपहास हो रहा है और आप इसे नहीं बचा सकते, लेकिन संसदीय तनतन्त्र के उपहास को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आप आज ही प्रधान मन्त्री जी को बुलाइए और उनसे यह कहिए कि यह दस्तावेज अगर उनकी गैर जानकारी में हुआ तो कल से आज तक उन्होंने इसकी जानकारी की या नहीं की, नहीं तो प्रधान मन्त्री को भी जाना होगा और विदेश मन्त्री को भी जाना पड़ेगा अन्यथा विदेश मन्त्री को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, जबकि वास्तव में मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आपने कहा कि आपके पास मेरा नोटिस अभी तक नहीं पहुंचा, मैंने स्वयं इस नोटिस को आपके दफ्तर की पेट्टी में 10 बजने से पहले डालने का काम किया है और उस नोटिस की प्रतिलिपी मेरे हाथ में यहां पर है और यह नोटिस मैंने रूल 184 के अन्तर्गत देने का काम किया है और उस नोटिस में मैंने कहा—मैंने निम्न प्रस्ताव पर नोटिस दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स। अब मैं बोल रहा हूं, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

देखिए, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सदन में किसी विषय पर, चर्चा के लिए कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, मगर आप यह भी जानते हैं कि अगर संसदीय प्रणाली की रक्षा करनी है तो संसदीय नियमों जैसे हमको काम भी पड़ेगा। क्या यह नियम कहता है कि नोटिस की चर्चा सदन में हो सकती है, कोई भी नियम नहीं कहता। नोटिस की चर्चा अगर सदन में करनी है (व्यवधान) तो इस प्रकार से हमारे पास हजारों नोटिस आ जाते हैं, इस बात को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में एक और बात बताना चाहता हूं कि जो चीज के बारे में मुझे

गवर्नमेंट के साथ भी पूछ कर काम करना है वह मैंने गवर्नमेंट से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हम स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, अब पहले उनका स्टेटमेंट सुन लें, तो शायद आपके ऊपर भी उसका कुछ प्रकाश पड़ जाए। मगर मन्त्री महोदय तो बोलने के लिए खड़े हो गए लेकिन आपने उसके अन्दर रुकावट उत्पन्न कर दी, इसलिए यह चीज सामने नहीं आई है। अगर आपके बोलने के बाद उनको स्टेटमेंट करने का है और सारे लोगों के बोलने के बाद उनको स्टेटमेंट करनी है। उसका (व्यवधान) में क्या है। अब अगर हम यहां पर ही इस तरह से करने लगेंगे तो फिर ये कैसे होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय यह अफवाह फैली हुई है कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। कृपया इन्हें हां या ना बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नवी आजाद, वह बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, विदेश मंत्री ने कल इस सदन में इस बात को कबूल किया (व्यवधान) कि उन्होंने पत्र दे दिया है। उस बात पर प्रधान मंत्री का, जो आज अपने मुंह से भले ही न कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने के लिए नोटिस देकर फिर बोल रहे हैं, आप संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इतना ही आपको बता रहा हूं कि उनका स्टेटमेंट और (व्यवधान) प्रश्न का सवाल मेरे सामने नहीं है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि यह सदन विदेश मंत्री को बतावे कि वे उस पद के लायक नहीं हैं, जिस पद पर अभी भी यहां बैठे हैं। (व्यवधान) अगर आज सुबह 10 बजे तक प्रधानमन्त्री ने उनको अपने मन्त्रिमंडल से हटाया होता तो मैं इस नोटिस को लेकर आपके सामने भी खड़ा न होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस की चर्चा यहां मत करिए, यह चर्चा यहां नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : जब मैं सदन में आया और 11 बजे जब यहां पर कुछ बातचीत चली तो मैंने अपने कुछ साथियों से पूछा कि क्या मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है (**व्यवधान**) क्या प्रधान मंत्री ने उनको हटाने का काम किया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**) क्या आपने विदेश मन्त्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव को अनुमति दी है ? यदि आपने अनुमति नहीं दी है तो वह किस प्रकार इस पर बोल रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं अभी नहीं। केवल आज ही यह मेरे पास आया है। मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, इस पर मैं अपना निर्णय चाहूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो चर्चा होनी है वह हो जाएगी, जो सवाल-जवाब होना है वह होगा लेकिन 184 के अन्तर्गत, (**व्यवधान**) किन कारणों को लेकर आप मेरे नोटिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। (**व्यवधान**) और मेरा जो प्रस्ताव है (**व्यवधान**) अगर उनको हटा दिया गया, ये प्रस्ताव आने के पहले तो बात और है वरना मेरे प्रस्ताव को आपको लाना चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यह निन्दा प्रस्ताव के बारे मे उल्लेख नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह पिछले विषय से संबंधित है (**व्यवधान**) कृपया उस नोटिस की बात मत करिये। वह उस नोटिस का उपयोग कर बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, अगर आपने इस नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है तो जो भी इन्होंने कहा है उसे हटा दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हमें श्री गुलाम नबी आजाद की बात सुननी चाहिए। जो अपनी बात कह रहे थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन बाद में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें बोफोर्स के प्रश्न पर उत्तेजना नहीं है। बल्कि इसलिए है कि बिना किसी प्रयोजन के कार्यवाही की जा रही है। सरकार के एक वरिष्ठ मन्त्री प्रत्यक्षत: दस्तावेज की विषय-वस्तु को बिना जाने हुए, बिना यह जाने हुए कि इस दस्तावेज को किसने तैयार किया है, एक स्वतन्त्र देश के विदेश मन्त्री के साथ एक औपचारिक बैठक में वह एक मुद्दे से संबंधित कुछ दस्तावेज देते हैं, जिनका उससे कुछ लेना-देना नहीं है। उनके मंत्रालय को उससे कुछ लेना-देना नहीं है या तो वह अत्यधिक भोला-भाला है अथवा उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है।

यह एक अभूतपूर्व स्थिति है कि भारत सरकार इस प्रकार कार्य कर रही है जबकि एक वरिष्ठ मन्त्री पत्रों को ले जाने के लिए एक वाहक का कार्य कर रहे हैं। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। समाचारपत्रों से ऐसा लगता है कि वह वकील का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन स्पष्टत: वह उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने उन्हें उस वकील से मिलवाया था। वह कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, जो सीधा विदेश मन्त्री तक पहुंच जाए और उन्हें उस दस्तावेज को सौंप दे, जो उन्हें ले जाने है और कहे कि इसे उस व्यक्ति को दे देना। स्पष्टत: उसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेश मंत्री से मिलवाया गया होगा। वह व्यक्ति कौन है ? मंत्री महोदय को इतना तो याद अवश्य होगा कि उसका नाम क्या था।

एक माननीय सदस्य : विन चड्ढा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अथवा हिन्दुजा ? आज इस देश में विदेश मंत्री का मार्ग दर्शन वे लोग करते हैं जो.....

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह दुर्भाग्य पूर्ण है; हमें समय नहीं दिया गया जबकि प्रतिदिन अधिकांश समय वे लेते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वह वकील को नहीं जानते, तो स्पष्ट है कि वह उस व्यक्ति को जानते हैं जिसके माध्यम से उस वकील का उनसे परिचय कराया गया था। संभव है कि उसे विषय-वस्तु की जानकारी न हो, लेकिन उसने यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि यह बोफोर्स से संबंधित था। इसलिए, वह जान-बूझ कर उन दस्तावेजों से, जो भारत सरकार से संबधित नहीं थे, स्वीस सरकार को प्रभावित कर रहे थे। यह एक असाधारण स्थिति है।

श्री ए० चार्ल्स : यह देश में अस्थिरता लाने का एक प्रयास है। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : यदि कांग्रेस के सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने दो; लेकिन सही ढंग से।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्वीस विदेश मंत्री को दस्तावेज सौंपते समय विदेश मंत्री महोदय ने अवश्य कुछ कहा होगा। दस्तावेज के संबंध में कुछ कहे बिना ही वे दस्तावेज नहीं दे सकते थे। इन दस्तावेजों के उपलब्ध कराये बिना बोफोर्स मामले पर उचित वाद-विवाद कैसे हो सकता है। इससे सरकार के कार्य-करण का पता चलता है।

विदेश मन्त्री महोदय ने दस्तावेज देते समय अवश्य कुछ कहा होगा। (व्यवधान)···क्या प्रधान मन्त्री महोदय का इससे कोई संबध नहीं है ? हम यह जानना चाहते हैं। अथवा वरिष्ठ मन्त्रीगण संबंधित नहीं है। क्या सरकार इस तरह से कार्य कर रही है ? प्रधान मन्त्री महोदय का वक्तव्य हमें क्यों नहीं मिले ? सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ : जब हम बोफोर्स मामले पर कल एक खुला वाद-विवाद करा रहे हैं, तो सभा का समय इस प्रकार क्यों नष्ट किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार की कार्य प्रणाली पर अवश्य कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले श्री गुलाम नबी आजाद की बात सुने। श्री गुलाम नबी आजाद। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद : मैं किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)** मैं बहस का उत्तर नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)** महोदय, विदेश मंत्री ने कल इस सदन में एक व्यक्तव्य दिया था। वह अपने व्यक्तव्य में पूर्णतया स्पष्ट और ईमानदार थे। **(व्यवधान)** वह सभा में अपने व्यक्तव्य में पूर्णतया स्पष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है। **(व्यवधान)**

महोदय, मैंने उस ओर इस ओर के माननीय सदस्यों के विचार अत्यधिक सावधानी पूर्वक सुने हैं, यद्यपि दूसरी तरफ के मेरे कुछ मित्रों ने इस मामले को बढ़ा कर प्रस्तुत किया है। **(व्यवधान)** चूंकि सरकार पहले ही कल इस विषय पर विस्तारपूर्वक बहस के लिए सहमत हो गई है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि कल बोफोर्स मामले पर बहस करते समय, बहस के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, मैं सरकार द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लेने पर आश्चर्य-चकित हूं। वास्तव में, इस सुबह स्वयं सरकार के ही स्रोतों से ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार ने यह महसूस किया कि एक अत्यधिक भूल भरी घटना हुई थी और इससे बचाव को कोई रास्ता कतई नहीं था। इसलिए, मैं सरकार से यह आशा कर रहा था कि वह यह घोषणा करेगी कि वह किस तरह से भूल सुधार का कार्य कर रही हैं। इसकी अपेक्षा, उसने यह कहने का प्रयास किया कि हम इस विषय पर कल चर्चा कर रहे हैं और इसलिए इस विषय को छुपाया जा सकता है। मैं केवल यही कह सकता हूं, कि अब सभा को, संसद को निर्णय करना चाहिए और श्री जार्ज फर्नान्डीज के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये लाया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : हां, **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, चूंकि मेरे मित्र इसका आग्रह कर रहे हैं विदेश मंत्री महोदय पहले ही माननीय प्रधान मंत्री महोदय से मिल चुके हैं और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, हमें यह नहीं बताया गया है कि क्या त्यागपत्र को स्वीकार किया गया है या नहीं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

(श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो समस्या मैं आपके सामने उपस्थित कर रही हूं वह बहुत ही गम्भीर समस्या है। सवाल किसी प्रांत का नहीं है, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल है जनतन्त्र और प्रजातंत्र की रक्षा होगी या नहीं। बिहार में प्रजातन्त्र रहेगा या गुण्डाराज रहेगा, जंगल का राज रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, वह दस्तावेज क्या है ? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : क्या उनका त्याग-पत्र स्वीकार किया गया है या नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमारी मांग यह थी कि उस नोट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : जिस वकील ने मंत्री महोदय को नोट दिया था उसका नाम बताया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपने स्थानों पर बैठ जाइये। स्वयं सभा में एक समझौता हुआ था और समझौता यह था कि पहले बोफोर्स का मामला और फिर बिहार का मामला। **(व्यवधान)** श्री चन्द्र शेखर कुछ कहना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको महिला सदस्य की बात सुननी होगी। **(व्यवधान)** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

मैम्बर ने जो मुझे बताया है, वह मैं डिस्क्लोज नहीं करने जा रहा हूं। वह मामला सिरियस है इसलिए हाऊस को सुनना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप बैठ जाइये।

आप हर बार उठते रहते हैं। हर बात पर खड़े हो रहे हैं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सवाल किसी प्रांत, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नहीं है। बिहार में प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा। **(व्यवधान)** कृपया अब बैठ जाइए। उनका कहना है, "उनका जीवन खतरे में है"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना जी आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी : हम यह जानना चाहते हैं कि वह दस्तावेज क्या है और वह व्यक्ति कौन है ? **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता : सरकार को वह दस्तावेज अनिवार्य रूप से सभा पटल पर रखना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं वरिष्ठ सदस्यों की मुझे यह बताने के लिए कि, मुझे इस सभा की प्रतिष्ठा और शान को बनाए रखना चाहिए, अत्यधिक प्रशंसा करता हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे ऐसा करने में मेरी सहायता करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : और देश की भी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैंने अब यह कहा है कि माननीय महिला सदस्या मेरे कक्ष में आई और कहा कि कुछ घटना घटी है जिसके बारे में मैं यहां उल्लेख नहीं कर रहा। लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति देने के लिए जिस बात ने मुझे अधिक प्रभावित किया वह यह थी कि उनका जीवन खतरे में है और यदि वे यह कहती है कि उनका जीवन खतरे में है और आप उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, सवाल किसी पार्टी का या प्रांत का नहीं है और न ही किसी व्यक्ति का है। सवालय यह है कि बारां नरसंहार के बाद अब हेमंत शाही, कांग्रेसी विधायक, श्री एल० पी० शाही पूर्व मंत्री, भारत सरकार के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का प्रयास जिला वैशाली में गरौल ब्लाक में सर्कल अधिकारी के कार्यालय, सरकारी दफ्तर में हुआ। उन्हें वहां मीटिंग के बहाने बुलाकर आमंत्रित किया गया और चारों ओर से अपराधकर्मियों के द्वारा घेर कर पिछली 28 तारीख को गोली मारी गई। जिनका देहांत 30 तारीख को रात्रि दस बजे हुआ। मुख्यमंत्री गरौल प्रखण्ड तक गये। वहां के पुलिस पदाधिकारी जिसने हेमंत

शाही और उनके अंगरक्षक को बचाने के लिए अपराधकर्मियों पर गोलियां चलाई उन्हें सस्पेंड कर दिया। जिसने हत्या करवाई उसको रातों-रात फरार कर दिया ताकि वह बयान नहीं दे सके और उसको फरार करके लापता नहीं किया गया। वह उन्हीं के घर में छिपा होगा। यही हेमंत शाही कांग्रेसी विधायक थे जिन्होंने उपचुनाव में × की धांधलियों के बावजूद चुनाव जीता था। × ने आम सभा में कहा कि वैशाली में एक अभिमन्यु पैदा हो गया है और उस अभिमन्यु का वध करने के लिए सरेआम पब्लिक मीटिंग में कहा और यह कहा .''मैं नियम की बात कह रहा हूं।'' मैं उसी बात का उल्लेख कर रहा हूं जिसे उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार सार्वजनिक सभाओं में कहा था। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री का नाम रिकार्ड का अंग नहीं बनेगा। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्रीमती कृष्णा साही : और उन्होंने आम सभा में यह कहा कि जो हश्र महाभारत में अभिमन्यु का हुआ वही इनका भी होगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं, जो विधायक हैं वे सब मारे जा रहे हैं। मैंने भी आपको अपने बारे में सदन में कहा था कि मुझे कहा था कि जीतने नहीं देंगे, अगर जीत गई तो सर्टिफिकेट नहीं लेने दिया जायेगा और अगर सर्टिफिकेट ले लिया तो दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जायेगा। जिस तरह से सदन में मैं जीतकर आई आपको मालूम है जब चुनाव हुए 12 जून को, मैं पहुंची 4 जून को। 7 जुलाई को किसी तरह से भाग-भाग कर यहां आयी हूं।

अध्यक्ष महोदय, कल के टाईम्स आफ इण्डिया हिन्दुस्तान टाईम्स में लिखा है : 'तथाकथित' मृतक अपराधियों को श्रद्धांजलि दी गई। जिसके विरुद्ध 40 क्रिमीनल केसेज चल गये हैं और मुख्य-मन्त्री कहते हैं कि हेमन्त शाही अपराधकर्मी हैं और जो अपराधकर्मी है उसे मुख्यमन्त्री शहीद घोषित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सबों को आप सुरक्षा दीजिये। सारा प्रशासन पंगु बन गया है ...**व्यवधान** .. कुछ दिन ही पहले पटना सचिवालय में हैल्थ कमिश्नर को एक संसद सदस्य ने मारा। आपने अखबारों में पढ़ा तो प्रशासन पंगु है। जहां अपराधी व्यवसाय बन गया है उस सरकार को एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। यह प्रजातंत्र की हत्या है... (**व्यवधान**) बिहार में प्रजातन्त्र का उपहास हो रहा है। और इनको कुछ भी नजर नहीं आता है। ये कान और आंख से अंधे हैं। इस पर गृहमन्त्री का बयान होना चाहिये, सी० बी० आई० की इन्क्वायरी होनी चाहिये और बिहार सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिये। आज होम मिनिस्टर इस पर स्टेटमेंट दें और कहें कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय हमारे पास चिट्ठियों की प्रतिलिपि है। हमारे कांग्रेस के पाखण्ड अध्यक्ष ने ब्लाक पदाधिकारी को भेजा है कि आप कृष्णा साही की सुरक्षा की व्यवस्था करें। हमारे पास चिट्ठी है जिस में पुलिसकर्मी थाने से लिखता है कि न पेट्रोल है, न जीप है, न गार्ड जायेगा और न कोई आदमी जायेगा, यहां से हमारी सुरक्षा के लिए जायेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहती हूं जहां कांग्रेस का थाना है और जहां कांग्रेस ने वोट दिया, वहां मुख्यमन्त्री ने यह

× कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था की है और सब जगह कह रखा है कि कहीं भी विशेष पदाधिकारी को, जो उनकी मुट्ठी में हैं, उनके द्वारा हत्यायें करवायी जा रही हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हें बुलाकर प्रोत्साहित किया जाता है। वे बेरोल गये लेकिन उस कांग्रेसी विधायक लड़के को देखने के लिए मुजफ्फरपुर नहीं गये। बेरोल से वापिस क्यों चले गये ? पूरे प्रान्त में तनाव बना हुआ है। यह सवाल प्रान्त का नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान का है। पहले इन्होंने मण्डल का मुद्दा उठाया हुआ था और आज बोफोर्स कहकर इतनी बड़ी साजिश को छिपाना चाहते हैं, ये मुख्यमन्त्री को स्पोर्ट करते हैं, ये सारे इनके सहयोगी बने हुए हैं...अब ये सुनना नहीं चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है ? इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाये, बिहार के लोगों को सुरक्षा मिले, गृहमन्त्री अपना वक्तव्य दें और इस गवर्नमेंट को बरखास्त करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी तरफ से भी कोई एक को अलाउ करूंगा ...

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, आज बिहार में जो कुछ हो रहा है ...

(व्यवधान)

इस तरह से आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। जो कुछ बिहार में आज हो रहा है, एक सुनियोजित ढंग से आतंक फैलाया जा रहा है। राजनैतिक विरोध को और हर तरह के विरोध को कुचलने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इसी योजना के अन्तर्गत कभी तो कुछ विधायकों की सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है और कुछ का बिल्कुल सफाया ही किया जा रहा है। यह सब सोची-समझी रणनीति के अन्तर्गत हो रहा है। इसी रणनीति के अन्तर्गत हेमन्त शाही की हत्या हुई है और इसी रणनीति के अन्तर्गत ही हमारे ईश्वर चौधरी जी हत्या हुई थी। बार-बार मांगने पर भी हम लोगों को कभी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : क्या हम यहां पर बिहार विधान सभा अध्यक्ष के निर्णयों पर चर्चा करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्डों को देखूंगा। यदि इसमें बिहार विधान सभा अध्यक्ष का कोई संदर्भ है तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : बारा हत्याकाण्ड के चर्चा के समय मैंने कहा था कि कौन मरता है और कौन मारता है; इससे ज्यादा जरूरी है यह सोचने की कि कौन मरवा रहा है ? किस की साजिश है। हेमन्त शाही की हत्या सर्किल आफिसर के आफिस में हुई।

ब्लाक आफिस में उनको मीटिंग के बहाने बुलाया गया। वहां पहले से ही अपराधी बैठे हुए थे और उनकी हत्या की गई। इसी तरह श्री ईश्वर चौधरी की जब हत्या हुई थी तो मुख्यमन्त्री का वहां पर अत्यन्त उत्तेजक भाषण हुआ। वह उस समय के सारे अखबारों में आया था कि पांच पार्टी आएंगे, एक की हत्या होगी, चार उसको कंधे पर टांगकर ले जाएंगे और अक्षत छितते-छितते आडवाणी के पास ले जाएंगे। ये बात कही थी मुख्यमन्त्री ने और उसके 24 घंटे के अन्दर ईश्वर

चौधरी जी की हत्या हुई थी। आप उस समय का कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए इससे क्या साबित होता है ? बिहार में क्या हो रहा है ? इसी प्रकार वहां के मुख्यमन्त्री का कहना था कि किसी दूसरी पार्टी को जीतने नहीं देंगे। जीतने से क्या होता है ? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो जीतेंगे कैसे ?और यदि सर्टिफिकेट मिल गया तो दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। यह उन्होंने कहा था। ....(व्यवधान)....यह धमकी न सिर्फ कृष्णा साही जी को, बल्कि हम सबको दी गई थी और ऐसे ही नहीं हमारे मुख्यमन्त्री कहते हैं कि कौन माई का लाल मुझे गद्दी से हटाएगा ? मैं बीस साल तक गद्दी पर बैठा रहूंगा। क्योंकि वह एक सोची-समझी रणनीति के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। यदि कोई गांव किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो वहां नरसंहार होता है। यदि कोई विधायक वहां से चुन जाते हैं; या तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है या फिर उनकी हत्या ही कर दी जाती है। और हत्यारों को शहीद कहा जाता है।....(व्यवधान)....

पुलिस यदि उनको मारती है तो पुलिस के सिपाही को सस्पेण्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार बिहार में ....(व्यवधान)....

इस प्रकार बिहार में हत्याकांडों की एक अनवरत श्रृंखला बन गई है।....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : आपको अन्य मुख्यमंत्रियों पर भी चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही आंध्र प्रदेश पर चर्चा कर ली है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : वहां हत्याओं का सिलसिला चल रहा है इसलिए....(व्यवधान) मैं राम विलास जी से यही पूछना चाहूंगी कि तिसखोरा हत्याकांड में हरिजनों की हत्या हुई थी। क्या उसके अपराधी पकड़े गए हैं ? क्या उसके अपराधियों को दंड मिला है ? वे मुझे इस बात का जवाब दें। तिसखोरा कांड में हरिजनों की हत्या हुई थी। क्या उसमें ईश्वर चौधरी जी के हत्यारे पकड़े गए हैं ? यह हमें बताएं। जनता दल और एन. सी. सी. का क्या रिश्ता है, यह हमें बताएं। जहां-जहां एन. सी. सी. ने चुनाव के बहिष्कार का नारा दिया था, वहां-वहां जनता तो वोट डालने नहीं गई लेकिन फिर भी जनता दल को 89.9% वोट कहां से मिले ? इसका जवाब दें। मैं इसीलिए सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि बिहार में जो विधि-व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है और हम सब एक भयंकर असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, तो हम सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को बरखास्त कराया जाए ताकि जनतंत्र की रक्षा हो सके।....(व्यवधान)....

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ....(व्यवधान).... आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप जरा उनकी बात सुन लें।

....(व्यवधान)....

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हत्या की राजनीति की भर्त्सना करता है।....(व्यवधान)....कृष्णा साही जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात

भी सुन लीजिए। मैं शुक्रगुजार हूं कृष्णा साही जी का, जिन्होंने इस मामले को इस सदन में उठाया है। वैशाली क्षेत्र महावीर की जन्मभूमि है, शांति का क्षेत्र है।··· (व्यवधान) ···मैंने वैशाली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तीन बार किया है। मैं तीन बार उस क्षेत्र का विधायक रहा हूं और जब मैं लोक-सभा का सदस्य चुनकर आया हूं तो श्री हेमंत शाही उपचुनाव में वहां से विजेता हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं इस घटना की हकीकत क्या है। जिस दिन यह घटना एक हाट के ठेके के बवाल पर है। माननीय गृहमन्त्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। एक डेलिगेशन अध्यक्ष महोदय, यहां से आपको इस सदन के प्रतिनिधियों को जांच के लिए भेजना चाहिए। मैं मांग करता हूं···(व्यवधान)····

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को अभी मान लीजिए ····(व्यवधान)····

10.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय, मैंने 1980 में चुनाव लड़ा था आप वहां पता करवा लीजिए, चुनाव के समय में एक मुकदमा नहीं हुआ। 1985 में चुनाव लड़ा वहां किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं हुआ। 1990 में मैं चुनाव लड़ा था और श्री हेमन्त साही हमारे विरोध में चुनाव लड़े थे। वे चुनाव में 1990 में आए और उन्होंने उस क्षेत्र में 6 हत्याएं करवाईं।

अध्यक्ष महोदय, जो यह घटना घटी है, उसमें 3 पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं वे मरे हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी व्यापक जांच हो और श्री हेमन्त साही के साथ ही साथ जो 3 गरीब व्यक्ति मारे गए हैं, उनको भी न्याय, मिल सके और दूध का दूध और पानी का पानी इस सदन को पता चल सके। इसलिए मैं सदन में मांग करता हूं कि एक प्रतिनिधि मण्डल सदन की ओर से वहां भेजा जाए जिससे वह जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम सभी श्री हेमन्त साही के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। हम लोगों को इंसान की जान जाने पर तकलीफ होती है। श्रीमती कृष्णा शाही की तरह नहीं कि हेमन्त साही मारे जाएं तो तकलीफ होगी, अरुण राय मारे जाएं, तो तकलीफ नहीं होगी क्यों कि वे यादव को हैं और जयमंगलम मारे जाएं या सरयुग साहनी मारे जाएं, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। हम नरसंहार के खिलाफ हैं चाहे वह बारा में हुआ या भेल या नरसिम्हा में। हम रीता वर्मा की तरह से कि सिर्फ बारा कांड से दुःखी हों। भी नहीं हैं हम सभी हिंसा की राजनीतिक के खिलाफ हैं, (व्यवधान)

मैं आपकी बात सुन रहा था, तो आप भी मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : वे क्या बोल रहे हैं ? क्या वे इस हत्या को न्यायोचित बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : यह क्या है ? यह सहन नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर मामला है। वे पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। सी०ओ० के आफिस में जो टेंडर हो रहे थे, वहां के लोकल एम०एल०ए० की हैसियत से श्री साही वहां क्या करने गए थे ? वहां पर जयमंगल राय और कुछ अन्य लोग भी थे। अरुण राय के कन्धे पर बन्दूक थी। माननीय अध्यक्ष महोदय इन लोगों की छीना-झपटी में गोली चल गई और यह कांड हो गया। (व्यवधान)

इनकी गलती से उनको गोली लगी और वे मर गए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पिछले चुनाव में जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, वैसी हिंसा वैशाली में कभी नहीं हुई, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हिंसा की राजनीति में माफिया के गिरोह के कुछ नाम जुड़े हुए हैं, उन नामों में सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है, उनमें उसी व्यक्ति का नाम है जो जिसकी इस दुर्घटना में हत्या हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही ने अपने नाम पर खतों की बात की है। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए जो लोग इनके साथ घूमते हैं; वही सबसे ज्यादा ला एंड आर्डर को खराब करते हैं। (व्यवधान)

इसलिए मैं भी मांग करता हूं कि संसदीय समिति से जांच हो जाए, सांच को आंच क्या। जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ···(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की हालत बिगड़ सकती है और बिगड़ रही है। मैंने उस दिन कहा था, हमारे मित्रों ने उस पर संदेह किया था, गुस्सा दिखाया था। आज चार-साढ़े चार बजे सुबह फैजाबाद में कसाईवाड़ा मस्जिद को बम से उड़ा दिया गया। ···(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : साम्प्रदायिक दंगे करवाने के लिए मुलायम सिंह दंगे करवा रहे हैं।····(व्यवधान) उसमें मुलायम सिंह के लोगों का हाथ है।····(व्यवधान) अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई।····(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं किसी सरकार को बदनाम नहीं करना चाहता। हमारे मित्र कह रहे हैं, बिहार में भी जो हो रहा है वह चिन्ताजनक है, लज्जाजनक है, मानवता के खिलाफ एक बड़ साजिश है। मैं भी कहता हूं।····(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने उस पर बोलने की इजाजत मुझे सही दी इसलिए मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं।····(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आपको व्यक्ति के मरने की चिन्ता नहीं है, इंसान के मरने की चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अगर इस तरह से सदन चलाना है तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर यही शिष्टाचार और संस्कृति है तो मैं नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम सभी महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम उन पर नियमों के अनुसार चर्चा करें और हम उन पर समझबूझ के साथ चर्चा करें। हम एक-दूसरे के कार्य में विघ्न न डालें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : हम श्री चन्द्र शेखर को सुनना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने उस दिन अयोध्या के बारे में बोलना शुरू किया था तो चन्द्र शेखर जी सदन में उपस्थित नहीं थे और कदम-कदम पर मुझे टोका गया था, रोका गया था। उसी की थोड़ी-सी प्रतिक्रिया हो रही है।....(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस दिन की टोका-टोकी के लिए हमारे गुरुदेव को थोड़ा-सा सन्तोष हो गया।

मैं इस सवाल को अत्यन्त चिन्ता के साथ इस कारण उठा रहा हूं कि हालत जब बिगड़ जाएगी, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता, मैं नहीं कहता कि सरकार ने गिरा दिया, हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गिरा दिया। लेकिन यहां पर एक गृह मंत्रालय है जिसके मंत्री महोदय हैं। ज्यों ही खबर मिली मैंने उनको सूचना दी और कहा कि आप खबर लगाए क्योंकि सरकार के गुप्तचर विभाग हैं, दूसरी ऐजेंसियां हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मस्जिद में संयोग से उस समय लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे लेकिन थोड़ी ही देर बाद नमाज होने वाली थी। अगर आधे घंटे बाद मस्जिद गिरती तो बहुत से लोगों की हत्या हो जाती, मौत हो जाती। उसके बावजूद उस दिन आडवाणी जी को कहा था कि तनाव बढ़ रहा है। दो या तीन लोग केवल घायल हुए, जो मुझे सूचना मिली है लेकिन उससे तनाव उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यदि उस तनाव को और बढ़ने दिया गया तो हालत न केवल उत्तर प्रदेश की बिगड़ेगी बल्कि सारे देश की बिगड़ेगी।

मैं दूसरा निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा कि जब मुलायम सिंह मस्जिद को तोड़ने से रोकने के लिये लोगों को अयोध्या जाने से रोक रहे थे तो आडवाणी जी और अटल जी ने बहुत रोष दिखाया....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तोड़ने के लिये नहीं गये थे (व्यवधान)....

श्री चन्द्रशेखर : मस्जिद को तोड़ने नहीं जा रहे थे, मस्जिद को मन्दिर बनाने जा रहे थे। मैं नहीं कहता हूं कि आप तोड़ रहे थे। मस्जिद को मन्दिर बनाने जा रहे थे या मस्जिद का पुनरुद्धार करने जा रहे थे, या आप क्या करने जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। उस समय बहुत गुस्सा दिखाया गया। कल मुलायम सिंह और उनके साथी जा रहे थे फैजाबाद में यह कहने के लिये कि कि इस समस्या पर बिना सहमति के मस्जिद को हटाने या तोड़ने की बात आप करोगे तो तनाव बढ़ेगा....(व्यवधान)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह लखनऊ में बैठ कर कह सकते हैं....(व्यवधान)....

श्री भगवान शंकर रावत : वह शांति भंग करने जा रहे थे और वहां वह दंगा करवाना चाहते थे " **(व्यवधान)** "

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, यही तर्क मैं उस समय देता आडवाणी जी या राजमाता या अटल जी को कि यहीं से राम की पूजा कर लीजिये, राम तो कण-कण में व्याप्त हैं तो आप हमारी बात को स्वीकार नहीं करते। यह अपना-अपना विरोध करने का, प्रतिरोध करने का, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका है। जिस तरह से उस जुलूस के ऊपर या उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह लोगों को चोटें आई ""**(व्यवधान)**""

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं प्लीज। अगर इसके उत्तर में कोई बोलना चाहे तो मैं एक मैम्बर को समय दे दूंगा लेकिन इस प्रकार से नहीं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूं कि जब लाठियां चलती हैं तो उसके बाद गोलियां भी चलती हैं। लाठी और गोली चलाने का रास्ता सही रास्ता नहीं है, चाहे कहीं भी चलती हों या किसी के जरिये चलायी जाती हों। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें किसी से होड़ लेना चाहती हो तो यह उनकी इच्छा है कि वह होड़ ले, लेकिन इसके परिणाम भयावह होंगे। हालत बिगड़ रही है। इस बिगड़ी हुई हालत को बदलने का एक ही तरीका है और उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि कम से कम इस मसले पर आपस में बातचीत से, शांति से मसला हल करके रास्ता निकाला जाये। जिस तरह से हालत बिगड़ रही है तो लोगों में संदेह पैदा होता है कि जो संसदीय शिष्टमंडल वहां जाने वाला है और एन०आई०सी० की जो सलाहकार समिति या स्थाई समिति वहां जाने वाली है शायद उसका कार्य-क्रम भी स्थगित हो जायेगा। यह एक गम्भीर मामला है। चन्द लोगों पर लाठी चला दो, जेल भेज दो, उन पर गोली चला दो, उससे इस देश की समस्याओं का हल निकलने वाला नहीं है। मैं मैं बार-बार कहता हूं कि लाठी और गोली का रास्ता बन्द करो। अगर कोई भी सरकार लाठी व गोली का रास्ता अपनाती है तो वह गलत रास्ता है, उस पर नहीं चलना चाहिये। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जो लोग राम के भक्त बनते हैं, वे इस प्रकार के कुकर्म में लिप्त हैं। ये कुकर्म उन्हें बहुत दिनों तक आगे नहीं ले जा सकेंगे। इसको बन्द करना होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर नहीं सोच पाती है कि जन भावनाओं का, लोगों के जज़बातों का कोई मतलब होता है तो मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस पर सोचें। यह सवाल एक मन्दिर या मस्जिद का नहीं है, यह सवाल करोड़ों लोगों के जज़बातों का है—चाहे हिन्दुओं के जजबात हों, चाहे मुसलमान के जजबात हों। आज इस देश को जाने-अनजाने तोड़ने की साजिश हो रही है। इससे इस देश को आगाह करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में कोई सक्रिय कदम उठाये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, जो कुछ भी चन्द्र शेखर जी ने कहा है उसमें एक अथवा दो शब्द और जोड़ना चाहता हूं। हमें यह सूचना अपने पुराने मित्र श्री मित्र सेन यादव जी से मिली। जिन्होंने फैजाबाद का प्रतिनिधित्व किया है।

यदि वहां साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति जान बूझकर पैदा की जा रही है, तो मुझे इस बात की शंका है कि यह उस स्थल पर राष्ट्रीय एकता परिषद का जत्था भेजने से रोकने के लिए एक

बहाना हो जाएगा। क्योंकि तब यह कहा जाएगा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जब इस सुबह 4.30 पूर्वाह्न अजान दी जा रही थी, जो उस समय प्रार्थना के लिए एक बुलावा था, जैसाकि उन्होंने कहा है कि लोग तब तक पुनः एकत्रित नहीं हुए थे तब ऐसी स्थिति में यह अप्रत्याशित बम विस्फोट क्यों हुआ ? बम फेंका गया था और मस्जिद को हानि पहुंची। दो अथवा तीन व्यक्तियों को चोटें भी आई थी। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए ? यह मात्र साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है। तब कल हमें गृह मन्त्री के द्वारा भी यही बताया जाएगा कि लोगों को अनुमति न दी जाए क्योंकि इसका मतलब यह है कि एक क्रमबद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ होने जा रही है और हम जानते हैं कि इससे आगे क्या होता है। इसका अर्थ, यह होगा कि जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उनका पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। (व्यवधान) यहां किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि मस्जिद के ऊपर वह बम एक विशेष दल ने फैंका है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि वे इतने आंदोलित और उद्वेलित क्यों हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि वे सोचते हैं कि बात उनके अनुकूल बैठती है अथवा और कुछ होता है ? हमने यह कभी नहीं कहा कि बम उन्होंने फैंका था।

[अनुवाद]

जैसे ही उस घटना का जिक्र किया गया, पचास लोग उठे तथा चिल्लाने लगे। क्या वे इंकार कर सकते हैं कि घटना हुई ही नहीं ? क्या वे घटना की निन्दा करना चाहते हैं ? वे लोग इसकी निन्दा नहीं करते, वे इस मामले के किसी भी तरह के उल्लेख के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अतः सरकार जिम्मेदार है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : ...मैं कहता हूं, मुलायम सिंह ने वह घटना कराई है।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : इसमें आपका स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, कब और किस समय गृह मन्त्री अपना बयान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री के बयान के बारे में बता दिया है कि वह बाद में बयान देंगे। वह टाइम बाद में बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मेरे संदेह दूर हो जाते हैं, तो मैं ही ज्यादा खुश होऊंगा। मैं किसी स्वार्थ का आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु आप जानते है कि उत्तर प्रदेश कि क्या स्थिति होने वाली है।

यदि एक पूजा स्थल-मस्जिद को बम विस्फोट द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो वहाँ पर साम्प्रदायिक तनाव तो होगा ही तथा कल हम देखेंगे कि एक सरकारी प्रवक्ता यहां आकर कहेगा कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाना चाहिये।

मुझे याद है कि जब बनारस में दंगे हुए थे, तो एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाए। किसी भी संसद सदस्य को तनाव की स्थिति को देखते हुए वहां जाने नहीं दिया जाए जबकि स्वयं उसे शहर में घूमने की अनुमति दे दी गई थी, जहां पर कर्फ्यु लगा हुआ था तथा वह थाने में बैठा था। परन्तु उसने कहा कि संसद के अन्य सदस्यों को उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए। यही कल फैजाबाद के बारे में भी होगा। अतः, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस बात को गम्भीर रूप से सोचें। सबसे पहले एक या दो प्रतिनिधि मण्डलों को भेजने के प्रश्न पर अनुचित विलम्ब न करें। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। परन्तु उसका सभा में निर्णय लिया गया है? अब यदि इसी प्रकार का अन्तहीन विलम्ब चलता रहा तो जो व्यक्ति इस प्रतिनिधि मण्डल को वहां जाने नहीं देना चाहते हैं तथा उन्हें वहां जाने से रोकना चाहते है वे इस प्रकार की कुछ और घटनाएं दोहरायेंगे। मुझे खेद है कि उस दिन मेरे मित्र श्री वाजपेयी तथा कुछ और सदस्य वहां प्रतिनिधि मण्डल भेजने का जोरदार विरोध कर रहे थे। वे लोग यह कहकर स्वार्थ का आरोपण भी कर रहे थे कि प्रतिनिधि मण्डल का यह विचार वे लोग वहां राष्ट्रपति शासन लागू कराने हेतु आधार और मामला बनाने के कारण आया है। क्या उन्होंने ऐसा यहां नहीं कहा? तब यह निर्णय लिया गया। यदि इसका कार्यान्वयन करना है, तो मौका मिलते ही यथा शीघ्र किया जाये वरना ऐसी और घटनायें होंगी तथा स्थिति उत्तेजनापूर्ण हो जायेगी। अतः, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे मामले पर शीघ्र ही विचार करें तथा आवश्यक कदम उठाएं।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : बिहार के बारे में आपके क्या विचार है?

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : यह बर्खास्त कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को। यह उस साजिश के भागीदार हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिहार के बारे में मेरे यह विचार है कि मैं अपने दल का महासचिव हूं। कृपया प्रश्न न पूछें और उत्तर के लिए इन्तजार भी न करें। (व्यवधान)

हमारे दल के सदस्यों द्वारा बिहार विधान सभा में जो किया था मैंने उसका जोरदार विरोध किया था। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसके फलस्वरूप उन्हें निकाल दिया गया था मैंने अपने दल की ओर से इसका जोरदार विरोध किया था। मैं आपको बताता हूं कि हमने उसका समर्थन नहीं किया। (व्यवधान) हम लोग किसी भी प्रकार की हत्या का समर्थन नहीं करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : पहले हमारी बात सुन लीजिए। करोड़ों-करोड़ों आदमियों की समस्या है।....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। एक के बाद एक ले लेते हैं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी आप बोल लीजिये। शीघ्र ही आप सदस्यों की भावना को समझ सकते हैं।

यदि आप चार-पांच सदस्य ही हर विषय पर बोलते ही रहेंगे तो वे आपका समर्थन नहीं करेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं कैसे बोल सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा। आप बैठ जाइए। इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा। आप के बोले बगैर दूसरे विषय पर नहीं जायेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यपाल सिंह यादव : यहां केवल क्या सीनियर लोगों को बोलने का अधिकार है ?

(**व्यवधान**)

अयक्ष महोदय : सब को है। आपको समय मिलेगा। आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मतलब है आपका ? जब मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम दूंगा, फिर भी आप चर्चा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन जी, आपको संक्षेप में बोलना है। आपको इस पर ज्यादा

बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मजाक चल रहा है आपका, ऐसा नहीं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि वे प्रशंसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हे भी अपनी बात कहनी है । अत:, एक ही बात पर इतने लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स के बाद विहार और विहार के बाद जनरल आपने कहा था । नोटिस देने के बारे में मैं कई बार····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । क्या चल रहा है । आप प्लीज बैठ जाइए । मैं आपको टाइम दे रहा हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन जी ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं उन लोगों से कभी भी अच्छे की आशा नहीं कर सकता हूं जो साम्प्रदायिक····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन जी कृपया संक्षेप से कहिए । इस मामले का बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, सदन के सभी सदस्यों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि एक प्रतिनिधि मंडल जायेगा । मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि अब तक उस प्रतिनिधि मंडल को क्यों नहीं भेजा गया । मैं उन लोगों से जो साम्प्रदायिकता से प्रेरित हैं से कुछ अच्छे की कोई भी आशा नहीं कर सकता हूं ? परन्तु जो सरकार स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बताती है वे क्या भूमिका निभा रहे हैं ? क्यों वे लोग इस प्रतिनिधि मंडल को भेजने में देरी कर रहे हैं ? क्यों ये लोग किसी की धमकी के आगे झुके जा रहे हैं, जोकि बाद की बात है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी, आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री मृत्युंजय नायक : बिहार के संबंध में सी० पी० आई (एम) का क्या विचार है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय बिहार के जनता दल के सदस्यों ने एक संसदीय शिष्टमंडल को आमंत्रित किया है। एक शिष्ट मंडल बिहार भी जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी ने जो विषय उठाया है और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने भी, उससे हम सब लोग चिन्तित हैं। मैं अनुरोध करूंगा ···(व्यवधान)···

यह जो इस तरह की समस्या है, यह दलों की बात नहीं है यह देश की बात है और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि दलगत कोई एक-दूसरे पर, एक अपना प्वाइंट साबित करने की बात हो या एक-दूसरे पर राजनीतिक लाभ पहुंचाने की बात हो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ···(व्यवधान) मान्यवर, मैंने बात कही नहीं उसके पहले मन की बात शायद यह पढ़ रहे हैं। मेरी अर्ज यह है, आप जानते हैं कि जब इस तरह की कोई सूचना आती है तो तमाम आशंकाएं पैदा होती हैं, उन आशंकाओं के जगह-जगह विभिन्न परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। (व्यवधान) आज बहुत एक ऐसी जिम्मेदारी है कि घटनाएं हो जाएं और उसके बाद कोई चीज हो।

मैं तो आडवाणी जी से अर्ज करूंगा कि आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ये घोषणा करे कि जो मस्जिद की (व्यवधान) क्षति हुई है उसको वह अपनी ओर से बनवा देंगे। (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आप तथ्यों का पता करके बोलें क्योंकि इस तरह से गलत बयानों से देश में दंगे पैदा हो जाएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो केवल अर्ज कर रहा हूं, चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही है और इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, लेकिन मुझे अभी तक यह सूचना नहीं है, जब दो लोगों ने कहा है तो बात सत्य होगी। (व्यवधान) एक घोषणा होती कि उसका निर्माण, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं तो बात आगे बढ़ाने की नहीं है।

दूसरी बात मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि एन आई सी डेलीगेशन को जाना है वह अपनी जगह पर जाए लेकिन क्या बात है कि जब तक डेलीगेशन न जाए तब तक सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। यह पूछा गया कि एक आशंका बनी है, एक अच्छी बात बनी थी (व्यवधान) एन आई सी के रेजोल्यूशन से जो बात निकली थी वही एक आधार है,

राष्ट्र का आधार है, सामंजस्य का आधार है, एन आई सी से जो निकला है, अगर किसी प्रकार उस पर आंच पड़ती तो हम सब का फर्ज होता कि उस पर आंच न आने पाए। (व्यवधान) आज ही गृहमन्त्री सब को यहां पर इस घटना के बारे में तथ्यों को रखना चाहिए, जिससे कि रियूमर से पूरे देश में यह चीज न फैले।

इसी के साथ यह भी देखना चाहिए कि जब एक तरह की बम की घटना हो चुकी है तो जो विवादित स्थल है रामजन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का, वहां भी इस तरह की घटना हो सकती है। (व्यवधान) अब केन्द्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और इसकी पूरी व्यवस्था करे। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में तीन मुद्दे उठाए गए हैं, तीनों अयोध्या से संबंधित हैं। एक है फैजाबाद में बम विस्फोटों से मस्जिद की क्षति का मामला, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं।

अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस राय का है कि कोई पूजा-स्थल कहीं बम-विस्फोट का शिकार हो और विशेषकर रमजान के महीने में अगर कोई मस्जिद बम का निशाना बनाई जाती है तो यह गंभीर बात है और बड़ी चिंता की बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, फैजाबाद ऐसा नगर है, जहां कारसेवा के दिनों में भी एक भी मस्जिद को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी, यह रिकार्ड की बात है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उस समय सरकार अलर्ट थी। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय किसी मस्जिद को कोई क्षति न होना बहुत उल्लेखनीय घटना है। (व्यवधान)

अब आप लोग फैजाबाद से अयोध्या आ गए, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तब आप फैजाबाद आ जाएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार और जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह कसाईबाड़ा मोहल्ला है जहां मुख्य सड़क के किनारे एक मस्जिद है। आज सुबह नमाज के 10 मिनट पहले 4.45 पर वहां एक बम-विस्फोट हुआ। उस बम-विस्फोट से मस्जिद के पिछवाड़े की दीवार में एक मीटर चौड़ा छेद हो गया तथा पास के 3 मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची। पास ही एक झोंपड़ी में 2 लोग सो रहे थे, उनमें से एक को ईंट गिरने से मामूली चोट आई है। मस्जिद को फिर से बनाने का काम आरंभ कर दिया गया है, मस्जिद फिर से बनाई जा रही है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि अयोध्या में तनाव पैदा करने की कोशिश हो सकती है। (व्यवधान)

वह कोशिश भी गलत है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आने का निमन्त्रण दिया है। हम उसमें शामिल हों या न हों, इसकी आपको क्या चिंता है। आप जाइए अयोध्या, आपका स्वागत है। वहां लाल गलीचा बिछाया जाएगा। आप चाहें तो दर्शन भी कर सकते हैं, न करें तो बिना दर्शन के वापिस लौट आइए। प्रतिनिधिमण्डल के सवाल पर हमारी अलग राय है, लेकिन

प्रतिनिधिमण्डल जाए यह सरकार चाहती है मैं अभी लखनऊ गया था। मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बात की, गृह मंत्रालय से भी सपर्क किया गया। मुख्यमंत्री का कहना यह था कि रमजान का महीना समाप्त हो जाए, 5 तारीख की ईद शांतिपूर्ण और सद्भावना के वातावरण में मना ली जाए और उसके बाद अगर प्रतिनिधिमण्डल आए तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए किस तरह से वहां तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। मेरे आदरणीय मित्र जो मुझे गुरूदेव कहते हैं, मैं उनसे कई बार कह चुका हूं कि गुरू तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। उन्होंने श्री मुलायम सिंह और उनके साथ गए लोगों का मामला उठाया है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : नहीं उठाना चाहिए था ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उठाना चाहिए था मगर उन्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था।

श्री चन्द्र शेखर : और गए तो पिटवाना चाहिए था ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं यह गलत है, चन्द्रशेखर जी, घटना का विवरण मेरे पास है। वे लोग फैजाबाद जा रहे थे, कचहरी पर प्रदर्शन करने के बाद अयोध्या जाने वाले थे। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री रहे हैं। उनके जमाने में अयोध्या का क्या रूप हो गया था, इसकी मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति अयोध्या में लोगों को उत्तेजित कर सकती थी, इसलिए उन्हें रास्ते में कहा गया कि आप अपनी बात यहीं से कह दें। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था, उनसे भी कहा गया कि आप वहां जाने की तकलीफ न उठाएं वे नहीं माने। उनको रोका गया, उसमें कुछ हाथापाई भी हुई, उसका भी विवरण मेरे पास है। (**व्यवधान**)

कितने पुलिस वालों को चोट आई; अगर मैं यह बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यह तो उत्तर प्रदेश का कथन है। आखिर जब आपके पास मुलायम सिंह का कथन है तो हमारे पास कल्याण सिंह का कथन है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, कथन रहे, लेकिन कथन रख कर कुछ सही साबित करना चाहते हैं, सरकार के दुर्व्यवहार को सही साबित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं करना चाहता। चन्द्र शेखर जी ये आरोप न लगाएं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय की सरकारों से भी कहता था कि आपके साथ भी दुर्व्यवहार न हो। लेकिन अटल बिहारी जी आप यह कहते हैं कि सरकार सम्मानित लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो आप करिए, इस तरह की परम्परा डालिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, उधर से बराबर मुलायम सिंह का नाम लिया जा रहा है, क्या यह शोभनीय है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं बिल्कुल नहीं।

श्री चन्द्र शेखर : लेकिन यहां के बैठे हुए नेता एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मुलायम सिंह आप लोगों की मर्जी से राजनीति में नहीं है। आप गलतफहमी में न रहिए कि एक बार सरकार में आ गए तो दिमाग इतना खराब हो गया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों का भी जवाब देना चाहता हूं। इस सरह की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी।

(**व्यवधान**)

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप यह समझिए कि इस प्रकार के जो कठिन प्रसंग निर्मित होते हैं उसको आपकी चर्चा सुलझा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसी बात अपने मुंह से न निकालें।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : चन्द्र शेखर जी ने निकाली।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्र शेखर जी ने भी नहीं निकाली। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का भाषण समझ लीजिए, वाजपेयी जी का भी भाषण समझ लीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अगर कोई नेता बोलेगा तो ये डिस्टर्ब करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह बोलने से काम नहीं चलता है। मेहरबानी कर के, सारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा है वह सुलझाने का काम है इसको उलझाने का काम आप न करिए कृपा कर के।

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि या कांग्रेस दल अथवा सत्तारूढ़ दल इस पर कुछ कहना चाहता है, एक भी कांग्रेस सदस्य ने इस पर कुछ नहीं कहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम उनके प्रति स्नेही बने। वे लोग चुप बैठ कर हमारा सहयोग कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आपके बोलने से मामला बिगड़ जाता है, आप वाजपेयी साहब को बोलने दीजिए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे सदस्य थे जो बोलना चाहते थे परन्तु मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी। हम उनके प्रति इतना निष्ठुर भी नहीं चाहिए।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह का नाम नहीं लेता, क्योंकि वे सदन में मौजूद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो कुछ भी नहीं कहा उनके बारे में। दूसरे लोगों ने कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन जो लोग अयोध्या जा रहे थे उनका वे नेतृत्व कर रहे थे। मैं उनके नाम का भी उल्लेख न करूं तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि उनकी पृष्ठभूमि है : मुझे विश्वास है अगर वे चन्द्रशेखर जी से पूछते कि क्या इस समय अयोध्या जाना चाहिए तो मुझे भरोसा है कि चन्द्रशेखर जी सलाह देते कि इस समय अयोध्या न जाएं। क्योंकि तुम्हारे जाने का लाभ उठा कर भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गड़बड़ काम करेंगे और दोष तुम्हारे ऊपर आएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक समझदारी की बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस ने वहां ज्यादती की है तो हमें खेद है। कुछ एम०पीज० को अगर चोट लगी है तो यह दुःख की बात है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे कि वह इस संबंध में जांच करे। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसे रोका जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, अयोध्या जाने पर किसी को रोक नहीं है। अयोध्या जाने से कोई रोकना भी नहीं चाहता है। लेकिन आप अगर भीड़ लेकर जायेंगे तो कानून और व्यवस्था की स्थिति सम्भालने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। अगर प्रदेश सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो फिर उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। आखिर मस्जिद टूटी है फैजाबाद में, सड़क के किनारे बनी हुई मस्जिद है, रमजान का महीना है। ... (व्यवधान) काफी चहल-पहल रहती है रात में। ऐसे इस समय मस्जिद तोड़ना सचमुच में ऐसा विषय है जिसकी गहराई से विचार करने की जरूरत है। लेकिन, इस पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है।.... (व्यवधान) इन्होंने अब टोकना शुरू कर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप लोग नहीं चाहते कि डेलीगेशन वहां जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार चाहती है कि डेलीगेशन वहां जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने उस दिन विरोध किया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चन्द्रशेखर जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। केन्द्र सरकार अयोध्या के प्रसंग को बातचीत से हल करने के लिए क्या कर रही है। उसने अभी तक क्या किया है। चन्द्रशेखर जी, जब प्रधान मन्त्री थे उन्होंने अयोध्या के विवाद के दोनों पक्षों को एक साथ लेकर बातचीत करने का एक रास्ता निकाला था। उस दिन मैंने इस बात का उल्लेख किया था। मगर, उस दिन शायद इसकी गम्भीरता को नहीं समझा गया। जब दोनों पक्ष मिले और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ तो ऐसा लगा कि मतभेद घट रहा है और कुछ दूरी कम हो रही है। अगर, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता तो मैं समझता हूं कि बातचीत के द्वारा हल करने

का कोई नतीजा निकल सकता था। मगर, केन्द्र सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया, केवल कानून बनाया, जिसमें अयोध्या को छोड़ दिया गया। केन्द्र में अयोध्या के विवाद को हल करने में कोई भूमिका नहीं निभायी है। राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा गया कि कड़ी नजर रखी जा रही है। क्या केवल नजर रखना काफी है। हिन्दी में कहा गया "कड़ी नजर" और अंग्रेजी में कहा गया कि "क्लोज वाच", दोनों का अन्तर मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन, केन्द्र की नजरें-नजरें रहेंगी या नजरें इनायत भी होंगी। केन्द्र की भूमिका क्या है। आज गृह मन्त्री से पूछा जाता है तो गृह मन्त्री के पास कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी है, वह ठीक से नहीं रख सकते। पता नहीं, इस सरकार को क्या हो गया है। ....(व्यवधान)

विदेश मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया। गृह मन्त्री के बारे में कार्टून बन रहा है कि वे जरा गृह मन्त्रालय सम्भालें। प्रतिनिधि मंडल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कठिनाईयां हैं। उसमें शामिल होने में हम गलत परम्परा नहीं डालना चाहते। गलत परम्पराएं कैसी पड़ रही हैं। यह यहां दिखाई दिया। आज, हमारे बिहार के मित्रों ने कहा कि साही की हत्या हो गई है, एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन भेजिए। ....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : दोनों तरफ से यह कहा गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने ठीक किया। अगर, पार्लियामेंटरी डेलीगेशन भेजने की परिपाटी शुरू हो जायेगी तो यही होगा। अगर कोई नहीं मानेगा डेलीगेशन तो कहा जायेगा कि तुम छिपाना चाहते हो, परदा डालना चाहते हो, चलो डेलीगेशन भेज दो। ठीक है आप, अयोध्या रवाना हो जाइए और हम पटना रवाना हो जाते हैं। मगर, दोनों मिलेंगे कहां, यह तय कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मिलने की जगह यह सदन है।

अध्यक्ष महोदय : शायद एक ट्रेन से जा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मिलने की जगह, यह सदन है। मुझे दुःख है कि मैं जरा लीक से हटकर बोल रहा हूं। क्या संसद में शांति के साथ मामला उठाकर अपनी बात बलपूर्वक नहीं कही जा सकती। ....(व्यवधान) हम न उनको समझ पा रहे हैं और न आपको समझा पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे, सबके लिए कह रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे जैसे सदस्य के लिए मुश्किल है। यहां बैठना भी कभी-कभी असम्भव है। जब कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे आचरण पर टिप्पणी करता है तो हम विशेषाधिकार का मामला उठाते हैं कि सदन से बाहर वाला हमारे बारे में कुछ नहीं कह सकता। वह हमें जैसा देख रहे हैं तो हमें क्या नहीं कह सकते। इस सदन की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। मुझे सरकार से भी शिकायत है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और विदेश मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया था तो प्रश्न उठाने से पहले ही सरकार को ऐलान कर देना चाहिए कि विदेश मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया। कोई हंगामा नहीं होता, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। विदेश मन्त्री किस तरह से आचरण करते हैं, यह दुनिया ने देख लिया। संसदीय कार्य मन्त्री किस तरह से आचरण करते हैं, यह हमने देख लिया। गृह मन्त्री कठघरे में खड़े हैं। सरकार की हालत अच्छी नहीं है, जरा संभालिए।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी क्या कहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कह दिया था, यह मैं जानता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर और नीतिगत विषय सदन और सरकार के सामने लाना चाहता हूं। मान्यवर, हरियाणा सरकार ने चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय का नाम···

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह खत्म हो गया····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार को सारी जानकारी लेगी तथा इन सभी बातों के बारे में बताएगी।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव : बदल दिया है। पहले वहां की सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किया था। चौधरी चरण सिंह देश के महान् सपूत थे पूर्व प्रधान मंत्री भी रह चुके थे और किसानों के मसीहा के रूप उनको याद किया जाता है। वर्तमान सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री भजन लाल ने इसी 25 तारीख को विधान सभा में एक प्रस्ताव पास कराकर हरिणाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार कर दिया है। इससे करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। लोग आन्दोलन की राह पर हैं। जब प्रस्ताव पारित कराया गया तो विधान सभा में मत विभाजन भी नहीं होने दिया। मैं कहना चाहता हूं यहां कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, कई कांग्रेसियों के नामों पर जैसे जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी के नाम पर कई संस्थाओं के और स्थानों के नाम रखे गये हैं। इस तरह से कई महापुरुषों के नाम पर संस्थाओं और जगहों के नाम हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की किसी भी सरकार ने कभी किसी मुख्यमन्त्री ने किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था का नाम नहीं बदला है। मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह का नाम बदल कर किसानों के साथ घोर अन्याय इस सरकार ने किया है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करे और जो वहां प्रस्ताव पारित हुआ है वह रद्द किया जाये। किसी भी हालत में केन्द्र सरकार नाम बदलने की अनुमति नहीं दे। अगर चौधरी चरण सिंह के नाम को हटाने की कोशिश की गई तो यह बर्दाश्त नहीं होगी और केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में आन्दोलन होगा। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा है, उनकी समाधि पर इन्हीं के प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। जिस प्रकार से महान देशभक्त के नाम को हटाने की साजिश की गई है मैं उसका घोर विरोध और निन्दा करता हूं और कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो हम लोग उस पर आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे और देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचेगी। संजय गांधी के नाम पर आयुर्वेद संस्थान है, कमला नेहरू से लेकर पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी तक हरेक के नाम पर कई संस्थान खुले हुए हैं। अतः मेरा अनुरोध है केन्द्र सरकार से कि वह इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। वह स्पष्टीकरण दे।

श्री रामविलास पासवान : यह मामला गम्भीर है। चौधरी चरण सिंह देश के महान व्यक्ति थे। यदि उनका नाम बदल दिया तो यह देश में नई परम्परा की शुरूआत होगी। यदि कल को कांग्रेस की सरकार केन्द्र से हटती है और कोई दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो यह माना जायेगा कि जितने भी इन्होंने जगहों और संस्थानों के नाम रखे हैं वे भी बदले जायें।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाईये ..

श्री रामविलास पासवान : यह गम्भीर मामला है....

अध्यक्ष महोदय : हां' यह गंभीर है। मुझे बोलने दीजिये और आपके बोलने की सुविधा करनी है। देखिये जब मामला गंभीर हो तो सब के बोलने से कन्फ्यूजन हो जाता है। आप एक-एक करके बोलिये....

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं यह कहा रहा था कि माननीय श्री सत्यपाल सिंह जी ने जो मामला उठाया है, यह बहुत गंभीर मामला है। चौ० चरण सिंह देश के प्रधानमन्त्री थे और उनके प्रति किसानों में पूरे देश में रेस्पेक्ट है, आदर है। उनके नाम पर हरियाणा यूनिवर्सिटी खोली गयी और जो नई सरकार आयी, उसने नाम बदल दिया....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह लम्बा कर रहे हैं....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिस सैंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम एक बार रखा गया, वे कौन होते हैं, उसको बदलने वाले....

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चित्तौड़गढ़) : वह तो एक राज्य का विश्वविद्यालय है।

श्री रामविलास पासवान : वह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज सही कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : मैं एक लाईन में कहे देता हूं कि गलत परम्परा न डाली जाये नहीं तो कल कोई दूसरी सरकार बनेगी तो एक परिवार का पूरा नाम सटा हुआ है, वह सब उखड़ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, यह सारा केवल केन्द्र और राज्य का सवाल नहीं है और यह केन्द्रीय यूनिवर्सिटी होती और न होती, तो भी मैं सरकार से अनुरोध करता कि ऐसी गलत परम्परा न पैदा करिये ? चौ० चरणसिंह जी देश के प्रधानमन्त्री थे और आदरणीय थे। मैं समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों का, बहुत पार्टियों का उनके साथ संबंध रहा है। उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर नेतृत्व किया था। चौ० चरणसिंह के नाम पर विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय का नाम नई सरकार आये, उसका नाम बदल दिया—इसके परिणाम केवल वहां के लिए नहीं, सारे देशभर के लिए होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम तब तक नहीं रखा

जाता जब तक अलग-अलग मत होते हैं। जब एक बार हो जाता है तो फिर उसको कोई बदलता नहीं है। इसलिए यह बहुत ही गलत परम्परा होगी। मैं चाहूंगा कि यहां पर संसदीय कार्य मन्त्री बैठे हुए हैं, उनको इस बात का नोटिस करके इस सदन की राय को वहां तक पहुंचाना चाहिये और श्री भजन लाल जी को बताना चाहिये कि यह काम गलत होगा नहीं तो इसके परिणाम सारे देश को भुगतने होंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्थिति आप के सामने आयी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि चूंकि यह मामला एक जगह पर तो जाकर रुकेगा नहीं, हर प्रदेश का मुख्यमन्त्री अपना-अपना फैसला करेगा। इसलिए आप इस सदन की तरफ से, अपनी तरफ से इसके बारे में एक राय व्यक्त करने का काम करिये।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं राय तो दूंगा, अगर उसका आदर न हो तो अच्छी बात नहीं है, मेरी राय है कि जो कह रहे हैं, वह दुरस्त है मगर में जो राय व्यक्त करूंगा, उसका आदर होना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष की भी कुछ सीमाएं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय···

श्री धर्मपाल मलिक (सोनीपत) : अध्यक्ष जी, चौ० चरण सिंह के प्रति हर आदमी का आदर है। वे किसान नेता थे वी एम्री। सवाल यह है कि हम जाकर उनसे बातें करेंगे कि क्या मामला है, क्या सिलसिला है ? कोई यह बात यहां उठाने की नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी गंभीरता से उठाइयेगा। आपके मन की ,जो बात है, उसे सब लोगों का समर्थन है। वह जो कह रहे हैं, वे समर्थन की दृष्टि से कह रहे हैं। आप बिना वजह उलझन में मत डालिये। चन्द्रशेखर जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी, मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो यह काम किया है, यह दुखद है। समय रहते इसे वापस ले लें। इससे न केवल गलत परम्परा पड़ेगी बल्कि राजनीति की नैतिकता और शिष्टाचार पर कुप्रभाव पड़ेगा। चौ० चरण सिंह के नाम को बदलने की योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने बनायी है, वह बड़ी नासमझी का काम किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। कृपया अब मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दीजिए। मैं इस तरफ से ज्यादा सदस्यों को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं इन सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष जी, यह एक बहुत गलत परम्परा पड़ रही है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए मैं गृह मन्त्री से और सरकार से कहना चाहूंगा कि इस गलत परम्परा को रोकना बहुत जरूरी है वरना बहुमत के आधार पर गवर्नमेंट रोज बदलती है, अगर नाम को एक दफा रखने के बाद बदलने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर उसे उखाड़ने का काम शुरू होगा तो इस देश में यह अच्छी बात नहीं होगी। चौ० चरण सिंह कोई मामूली आदमी नहीं थे, वे देश के बहुत बड़े आदमी थे। इधर या उधर बैठने वाले सभी सदस्यों का उनके प्रति आदर था। यदि भजन लाल जी अपने गवर्नमेंट से यह काम करते हैं तो बहुत ही गलत काम होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि संबंधित अधिकारी सदन में जो कहा गया है उसको नोट करें तथा सही ढंग से कार्य करें।

(व्यवधान)

श्री के०वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार 85,000 मीट्रिक टन चावल आबंटित कर रही थी **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राव महोदय, मैं अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री के०वी० तंगकाबालू : केन्द्र सरकार, तमिलनाडु राज्य को 85,000 मैट्रिक चावल आबंटित कर रही थी····

अध्यक्ष महोदय : यह किस नियम के अन्तर्गत आता है? क्या यह नियम 377 के तहत आने वाला मामला है।

श्री के०वी. तंगकाबालू : यह तमिलनाडु से संबंधित है। यह नियम 377 के अन्तर्गत आने वाला मामला नहीं है। इनका सम्बन्ध शून्यकाल से है।····पिछली लोक सभा में मेरे द्वारा दिये गये तर्कों के परिणाम स्वरूप है। अब मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 1992 से 27,000 मीट्रिक टन चावल के आबंटन को कम करके 58,000 मीट्रिक टन चावल देने के आदेश जारी किए हैं।

इसको बार-बार दोहराया जा रहा इस आदेश से तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंचेगा तथा इससे सार्वजनिक वितरण में अस्थिरता के अलावा तमिलनाडु के लोगों में केन्द्र सरकार के प्रति अवांछित उदासीनता बढ़ेगी।

तमिलनाडु घाटे वाला राज्य रहा है जो सदैव केन्द्रीय पूल से प्राप्त होने वाली राशि पर निर्भर रहा है। तमिलनाडु के अधिकांश भाग में सूखे की स्थिति है जबकि तमिलनाडु के तटीय भाग में पिछले वर्ष जो तूफान आया था उसके दुष्प्रभाव से अभी हम लोग उभर भी नहीं पाये हैं।

मैं तमिलनाडु राज्य को प्रति माह 85,000 मीट्रिक टन चावल के आबंटन पुनः शुरू करने का निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि संबंधित मंत्रालय अर्थात खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति मंत्रालय को तदनुसार कार्य करने की सलाह दें। मैं केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई जा रही अनुपयुक्त नीति को रोके तथा यह देखे कि तमिलनाडु राज्य को वर्ष में औसत 9 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति हो सके। मैं आपके माध्यम से इस बात का भी निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा संसद सदस्यों से परामर्श करके उनके राज्य को चावल आबंटन हेतु एक निश्चित मापदण्ड तथा नीति बना ले। जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु राज्य को चावल के आबंटन में बार-बार परिवर्तन आ रहा है रुक जायेगा।

यह एक बड़ा ही गंभीर मामला है तथा तमिलनाडु राज्य के लोगों में इसके कारण आक्रोश है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार आगे आए।

(व्यवधान)

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय मैं तमिलनाडु राज्य के मामले में अपने मित्र का समर्थन करता हूं। सरकार को तमिलनाडु राज्य को चावल आपूर्ति में बहुत ज्यादा कटौती नहीं करनी चाहिए। इसके कारण तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

जब तमिलनाडु की एक महीने की चावल की (खपत) कुल आवश्यकता 1½ लाख टन हैं तो भारत सरकार द्वारा उसे कम-से-कम 75,000 मीटरी टन चावल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं श्री नंग्काबालू की मांग का पूरजोर समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने का निर्णय किया है हमें इस पर घोर आपत्ति है क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने इस देश के लाखों किसानों में विशेष स्थान बनाया था (व्यवधान) ये भी वह व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के उत्थान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में कठोर संघर्ष किया था। इस देश के किसान उनका नाम डूबने नहीं देंगे अगर हरियाणा सरकार ने अपने वर्तमान निर्णय को वापिस नहीं लिया। चौधरी चरणसिंह का नाम बना रहना चाहिए, नहीं तो इस देश के किसान आन्दोलन करने पर मजबूर हो जायेंगे। वर्तमान कांग्रेस सरकार इसे अपनी नीजि सम्पत्ति समझती है पंडित जवाहर लाल नेहरू के परिवार के सदस्यों के नाम पर इनका नाम रख देती है। अब समय आ गया है कि उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

2.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री जगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, हिसार शहर में शराब की फैक्ट्री से फैलते हुए प्रदूषण की ओर आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर

रहा हूं। हरियाणा प्रदेश के हिसार शहर में यह शराब की फैक्ट्री संयोग से हरियाणा के मुख्य मंत्री के दामाद की है। इस फैक्ट्री द्वारा फैंके गए प्रयोगशुदा शीरे व इसके अवशेष से हिसार शहर व जिले के दर्जन भर गांवों के लोगों को दूषित वायु में सांस लेना पड़ रही है। हिसार जाने वाले रेल एवं बस यात्रियों को दुर्गन्धयुक्त वायु का कटु अनुभव सर्वविदित है। प्रयोग में लाए गए शीरे को खेतों में फैंकने के कारण खेतों की उर्वरता समाप्त हो रही है। पेड़, पौधों व वनस्पति भी प्रतिकूल प्रभाव से नष्ट होती जा रही है। हिसार का औद्योगिक क्षेत्र भी इसी शराब की फैक्ट्री के साथ लगता है जिससे इन कारखानों में काम करने वाले श्रमिक भी इस विषैले वातावरण से सीधे प्रभावित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हिसार कैंट का प्रस्तावित विस्तार भी इस प्रदूषण की वजह से रुक ही गया है। कैंट में तैनात सेना के जवानों के स्वास्थ्य के ऊपर भी दूरगामी बुरा असर पड़ रहा है। विषाक्त वातावरण से उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। कैंट के सेनाधिकारियों ने इस बारे में पत्र-व्यवहार कर के शिकायत भी की है। मगर मुख्यमंत्री जी अपने राजनैतिक प्रभाव से इसे फिर भी चलाए जाने की व्यवस्था कर ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी व रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर के इस शराब की फैक्ट्री को तुरन्त बन्द करवायें ताकि उस क्षेत्र के नागरिक तथा सेना के जवान शुद्ध वातावरण में सांस ले सकें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हिसार में शराब फैक्ट्री से प्रदूषण के बारे में बात कही है।

श्री जगबीर सिंह (बरार) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरणसिंह की बात हो, या शराब फैक्ट्री के पाल्यूशन की, मलिक साहब हर मामले में बीच में आ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो मामला उठा है, उसके बारे में मेरी जानकारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगबीर सिंह जी, आप बैठ जाइए। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, वैसे इनको भी बोलने का अधिकार है।

मलिक जी, मैंने आपको बोलने का समय दिया है। कृपया आप मुझे संबोधित कर के बोलिए। उधर क्यों एड्रेस कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, वह फैक्ट्री वहां 15 वर्ष से है जिसके बारे में पाल्यूशन की बात कही है। इनकी सरकार भी वहां 4 साल रही, इन्होंने क्यों वह फैक्ट्री नहीं हटाई। अब ये उस बात को पालिटिकलाइज करना चाहते हैं। कोई भी बात हो, उसमें चौधरी

भजन लाल जी का नाम ले लेते हैं और उन को बदनाम करना चाहते हैं और इस विषय को या कोई भी विषय हो उसे पोलिटिकलाइज करना चाहते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिस पर लगभग घन्टा लगेगा। और उपस्थित सदस्यों में से किसी को भी आज अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैंने इस्पात मन्त्री के विरुद्ध जो कुछ भी कल उन्होंने सभा में कहा है, विशेधाधिकार हनन की सूचना भेजी है।

मैं समझता हूं यह न केवल मेरे लिए बल्कि इस सभा के लिए भी बहुत तिरस्कार चूर्ण है मैं तो बहुत विनम्र सदस्य हूं। यह मेरे ईमानदारी और सत्य विष्ठा को चुनौती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मैं इस सदन का सदस्य बनने के योग्य नहीं हूं और कि मैं इस सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का और इस देश की समस्याओं को इस सभा में उठाने का अधिकार है हो सकता है मैं भली-भांति न कह सका हूं मैं निपुण नहीं हूं मेरी कुछ कमजोरियां हो सकती है लेकिन यह कहना कि एक अधिवक्ता (वकील) की हैसियत से, क्योंकि मैं एक वकील हूं, मैं न्यायाधीश के कमरे (चैम्बर) में गया और न्यायाधीशों से न्याय खरीदा और इसलिए मुझे इस सभा में बोलने का अधिकार नहीं है, यह एक भयंकर अवमानना है।

मेरे विनम्र अनुभव में मैं इस सभा में पांचवीं लोकसभा से हूं, किसी ने भी मेरे आचरण को इस प्रकार चुनौती नहीं दी है यह मेरे सत्यनिष्ठा, मेरी ईमानदारी, मेरे प्रतिनिधि की हैसियत को, इस सभा का सदस्य होने को चुनौती है यह न केवल मेरा बल्कि इस सभा का भी निरादर है इसलिए महोदय मेरा निवेदन है कि यदि आप उपयुक्त समझें तो इस मामले को भी विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए अथवा किसी अन्य तरीके से निपटाया जा सकता है। (व्यवधान)

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय ? क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपकी तरफ देख रहा था।

श्री सतोष मोहन देव : महोदय, मुझे माननीय सदस्य की सत्य निष्ठा पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं दिखता जो कुछ मैंने कहा वह उनके द्वारा मेरे बारे में कही गई इस सन्दर्भ में उन्होंने मेरे बारे बात के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय : और आप उनका आदर भी करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं यह बात स्पष्ट कर दूं मैंने कहा था कि यह पश्चिमी बंगाल के अधिकतर समाचार पत्रों में छपा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यरत (वर्तमान) न्यायाधीश ने बताया है कि वामपंथी सरकार को सत्ता में होते हुये उखाड़ फैंकना चाहिए और भविष्य में वहां चुनाव कराने का कार्य श्री सन्तोष मोहन देव को सौंप देना चाहिए जैसा कि उन्होंने त्रिपुरा

और पंजाब में किया है। यह मेरा कहना नहीं है यह बात समाचार पत्रों में छपी थी, मैंने माननीय मंत्री जी और सत्ता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और विधि मंत्री को भी लिखा था कि इस प्रकार की बातें न तो कही जानी चाहिए और न ही की जानी चाहिएं इसके अतिरिक्त यह सत्य है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति इस देश में रद्द हो जाती है जो कभी पहले नहीं हुई थी इसलिए मैं इसे सरकार के ध्यान में लाया। और अचानक ही मंत्री महोदय उठे और व्यक्तिगत आक्षेप लगाए कि मैं न्यायाधीश के चेम्बर में गया और न्याय की खरीदा। मैंने श्री सन्तोष मोहन देव के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। मैंने वही कहा जो न्यायाधीश कह रहा था।

श्री सन्तोष मोहन देव : जो कुछ इन्होंने कहा वह शतप्रतिशत सही है। इन्होंने कुछ समाचार पत्रों की खबरों का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि संतोष मोहन देव को लाया जाना चाहिए यह भी सत्य है कि समाचार पत्र में छपा था कि मुख्यमन्त्री ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा था। यह भी सत्य है कि मुख्य न्यायाधीश के जवाब में कहा था कि इस प्रकार की टिप्पणी न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, वह एक अच्छे सांसद हैं मैंने कभी ऐसी आशा नहीं की थी कि जो मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में बन्द हो चुका है उसे वह उठाएंगे। इस सन्दर्भ में, मैंने जो कहा था वह भगवान को साक्षी रखकर कहा था। मैंने उन्हें इसी घटना के बारे में बताया था जब मोहन बागान का मुकदमा लड़ा गया था। एक शिष्टमण्डल मेरे पास आया और आरोप लगाया और मैंने उन्हें भी वही बात बताई उन्होंने कहा कि यह (ठीक) नहीं है इसलिए मैंने वह भी बताया जो मेरे पास पहुंचा था उन्होंने समाचार पत्रों पर विश्वास किया और मैंने शिष्ट मण्डल पर विश्वास किया। मैंने उनका विरोध नहीं किया मैं जानता हूं कि वह बहुत अच्छे नेता हैं, वह बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं और अगर मैंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप दोनों ही बहुत जिम्मेवार आदमी रहे हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री देव ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक इनका सम्बन्ध है मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। यह उन्हें पता है इसलिए यह मेरे लिए बड़ा आघात है। मैंने कभी भी उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है इसलिए इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको पहुंचाई गई मनोव्यथा को भली-भांति समझ सकता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम इस घटना को अब इकट्ठे भोजन करके भूल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बैठक दिमाग और दिल को मिलाने वाली होगी। मैं इसे अवश्य हटा दूंगा। मैं इसका अध्ययन करूंगा और जो कुछ इन्होंने कहा है उसे मद्देनजर रखते हुए इसे हटा दूंगा। मैं समझता हूं कि अब हमें इस विषय को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, इसे वापिस क्यों नहीं ले लेते? मैं समझता हूं कि हम कार्यवाही वृत्तान्त से निकाले जाने की परम्परा विकसित कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, मैं जब भी खड़ा होता हूं आप हमेशा इसी प्रकार बोलते रहते हैं, और मुझे भी बाधा पहुंचा रहे हैं। मैं एक नाजुक विषय को ले रहा हूं। भगवान के लिए कृपया मेरी मदद कीजिए और कुछ समय के लिए शान्त रहिए।

वे एक वृद्ध सज्जन हैं और वे मेरा तरह जवान आदमी को नष्ट व्यवहार कर रहे हैं। लम्बित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें पहुंचाई गई ठेस को भली-भांति समझ सकता हूं। पूरा सदन उनका सम्मान करता है और जो कुछ उन्होंने कहा है उसे मद्देनजर रखता हूं मैं विषय की छानबीन करूंगा और उसे ठीक करूंगा।

अब हम पत्रों को सभा पटल पर रखेंगे।

दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 1990, और तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा, आदि

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : श्री अर्जुन सिंह की ओर मैं निम्नांकित पत्रों को सभापटल पर रखती हूं:

[अनुवाद]

14.09 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(1) दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 1990 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1339/अधि० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) (क) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1678/92]

(2) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1679/91]

(4) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1680/92]

(6) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, सिलचर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1681/92]

(8) (एक) सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1682/92]

(10) (एक) विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1683/92]

(12) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1684/92]

(14) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1685/82]

(16) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1686/92]

(18) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1687/92]

(20) वर्ष 1992-93 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1688/92]

1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी निर्यात और आयात नीति

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम : श्री पी० चिदम्बरम की ओर से मैं 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी निर्यात तथा आयात नीति की (एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1689/92]

वर्ष 1992-93 के लिए खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : मैं वर्ष 1992-93 के लिए खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1690/92]

31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय विधि संस्थान का प्रतिवेदन, आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1691/92]

(2) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1692/92]

(4) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विवरण संख्या 28 — नौवां सत्र, 1987 [ग्रन्थालय में रखे गए : देखिए संख्या एल० टी० 1693/92]
(दो) विवरण संख्या 27 — दसवां सत्र, 1988 " " " " " " " " 1694/92]
(तीन) विवरण संख्या 20 — बारहवां सत्र, 1988 } आठवीं लोक सभा " " " " " " 1695/92]
(चार) विवरण संख्या 19 — तेरहवां सत्र, 1989 " " " " " " " " 1696/92]
(पांच) विवरण संख्या 16 — चौदहवां सत्र, 1989 " " " " " " " " 1697/92]

(छह) विवरण संख्या 13 — दूसरा सत्र, 1990 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1698/92]
(सात) विवरण संख्या 9 — तीसरा सत्र, 1990 } नौवीं लोक सभा " " " " " " 1699/92]
(आठ) विवरण संख्या 7 — छठा सत्र, 1990 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1700/92]
(नौ) विवरण संख्या 6 — सातवां सत्र, 1991 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1701/92]

(दस) विवरण संख्या 5 — पहला सत्र, 1991 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1702/92]
} दसवीं लोक सभा
(ग्यारह) विवरण संख्या — दूसरा सत्र, 1991 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1703/92]

भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड और रेल मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1704/92)

(2) रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस और मंत्रालय के बीच वर्ष 1990-91 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1705/92]

महात्मा गांधी विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल सेवाग्राम का वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री श्रीमती डी के तारादेवी सिद्धार्थ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) महात्मा गांधी विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1706/92]

(3) (एक) लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1707/92]

(5) (एक) भारतीय पास्तूर संस्थान, कूनूर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय पास्तूर संस्थान, कूनूर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय पास्तूर संस्थान, कूनूर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1708/92]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम मदह संख्या 9 को बाद में लेंगे। अब, क्या हम मदह संख्या 10 को लें अथवा इसे मध्याह्न भोजन के पश्चात लें ?

कुछ माननीय सदस्य : मध्याह्न भोजन के पश्चात।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 3.10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

2.10 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.10 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.15 म०प०

लोक सभा 3.15 बजे मध्याह्न भोजन के पश्चात पुनः समवेत हुई :

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मुझे एक प्रार्थना करनी है····

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आज सुबह यहां एक समाचार दिया गया, एनाउंसमेंट किया गया कि विदेश मन्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया····(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब राज्य सभा से संदेश। महासचिव।

3.16 म०प०

राज्य सभा में संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नांकित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे मणिपुर विनियोग विधेयक, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ हैं कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, आज की संशोधित कार्य सूची की यह संख्या 4 के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि, चूंकि, मेरे विचार से, सभा लगभग 2.10 म०प० बजे स्थगित हो गई है, माननीय अध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत मेरे साथी, माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री ने पहले ही इसे सभा पटल पर औपचारिक रूप से रख दिया है, क्योंकि इसे 2.30 म०प० पर सभा पटल पर रखा जाना निश्चित किया गया है और चूंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मैं आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आयात निर्यात नीति की प्रति जो 1 अप्रैल, 1992 से लागू हैं, सभा पटल पर रख दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, अभी मैंने पूछा कि वह जो इस्तीफा दिया गया है, हमारा यह जानने का अधिकार है कि वह प्रधान मन्त्री को दिया गया या राष्ट्रपति जी को दिया गया ? वह माना गया या नहीं माना गया, यह सदन जानना चाहता है कि वह इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है ? या यह ड्रामा है, इसके बारे में हाऊस में एक स्टेटमेंण्ट आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को यहां स्टेटमेंण्ट देना चाहिए । वह जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है ?···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : क्या प्रधान मन्त्री ने उनके त्याग पत्र को स्वीकार किया है अथवा नहीं ? हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिये जायेंगे । श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा । ···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सभा का सत्र चल रहा है । हमें बताया गया है कि विदेश मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है । हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या प्रधान मन्त्री ने उसे स्वीकार कर लिया है या नहीं । सभा को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो सकती ?···(**व्यवधान**)

श्री राम कापसे (ठाणे) : हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्या मंत्री सभा में वक्तव्य देंगे या नहीं । हम यह जानना चाहते हैं ।···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अगर आज सुबह ही दिया है तो हमारा जानने का राइट है, इस देश का एक विदेश मंत्री इस्तीफा देता है और सदन को केवल एक लाइन मालूम हो । इस्तीफा किसको दिया गया ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए । सरकार व्यक्तव्य दे सकती है । (**व्यवधान**)

श्री राम कापसे : हमें मालूम होना चाहिए कि क्या विदेश मंत्री आप वक्तव्य देंगे या नहीं । हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप मालूम करवाकर सदन को बताएंगे कि नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे यही पूछना है कि इस्तीफे का क्या हो गया । आप एक मिनट मेरी बात सुनिये । ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार व्क्तव्य दे सकती है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने जब सुबह रूल 184 के अन्तर्गत मेरे मोशन के बारे में यहां पर चर्चा छेड़ने की कोशिश की तब मंत्री ने खड़े होकर एलान किया कि विदेश मंत्री का इस्तीफा हुआ है। मैंने उनसे तत्काल खड़े होकर पूछा कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ कि नहीं ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। मैं एक ऐसे मामले पर बोलना चाहता हूं जो सभा की कार्यवाही के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा। आज सुबह मेरा मुद्दा यह था कि विदेश मंत्री के विरुद्ध एक निन्दा प्रस्ताव लाया जाना है। जब मैं यह प्रश्न उठा रहा था, तो संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर यह बताया था कि विदेश मन्त्री ने पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया है। यदि मंत्री के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है तो मैं मंत्री के प्रति निन्दा प्रस्ताव हेतु नियम 184 के अन्तर्गत दिये गये अपने नोटिस पर बल नहीं दूंगा। यदि उस त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया गया है, तो महोदय यह मेरा कर्तव्य है कि मैं नियम 184 के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव पर बल दूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इस्तीफा प्रधान मंत्री को दिया गया या राष्ट्रपति जी को भेज दिया गया है ? माना गया या नहीं माना गया है, यह सदन जानना चाहता है ?....(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मामला सभा के समक्ष लम्बित है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे करने के लिये हमें उनको कुछ समय देना चाहिए। श्री कुमारमंगलम क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सभा को पहले ही जानकारी दे दी है कि माननीय मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी ने त्याग दे दिया है।

श्री मदन लाल खुराना : किसे ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : प्रधान मंत्री को। यह इस प्रकार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मुझे मालूम है, राष्ट्रपति को नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह प्रधान मंत्री को दे दिया गया है। अब श्री खुराना और जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाये जा रहे प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त करके उन्हें सूचित करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, स्थिति और उलझ गई है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक प्रस्ताव किया है। यदि त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया है तो, सभा को यह सूचित किया जाए कि क्या जार्ज फर्नान्डीज के प्रस्ताव को स्वीकार किया जायेगा और उस पर चर्चा की जायेगी या नहीं। अथवा चर्चा पहले से ही अधिकृत होगी। अर्थात् उन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया और यह स्वीकृत नहीं हुआ। उस स्थिति में हम अपने इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं और विदेश मंत्री को इस प्रकार के कार्य करने के लिए डांटना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष जी, महोदय, प्रातःकाल अध्यक्ष महोदय यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा सौंपा गया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह बताया है। मेरे विचार से मूल मुद्दे को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को लोक सभा के सचिवालय में जमा कर दिया था। अध्यक्ष ने यह पूर्णतया स्पष्ट किया है कि उन्हें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। जब तक वे प्रस्ताव को देख नहीं लेते, वे उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं कर सकते थे। मेरे विचार से, जब यह निर्णय लिया जाए तो यह अपने ध्याव में रखना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एक विवाद का मुद्दा है। **(व्यवधान)** मैंने आज प्रातः 9.30 बजे निन्दा प्रस्ताव की सूचना दे दी है। **(व्यवधान)** शायद यह सचिवालय की गलती है। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह अनावश्यक जल्दबाजी क्यों की जा रही है? मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैंने उनके अनुरोध को समक्ष लिया है। और मुझे शीघ्रातिशीघ्र जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम इसी बात की रट क्यों लगाये रहते हैं? **(व्यवधान)**

जैसा कि मैंने कहा है कि माननीय मंत्री ने अपना त्यागपत्र प्रधानमन्त्री को सौंप दिया है। क्या यह राष्ट्रपति के पास भेज दिया है अथवा अस्वीकार कर लिया गया है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करके मैं सभा से पुनः लौटूंगा। क्या आप उस समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते?

श्री राम कापसे : हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते...

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : एक अध्यादेश चर्चा के लिए लंबित है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

वे दोनों ही एक समान महत्वपूर्ण हैं। यह नहीं कि सरकार कह रही है कि उस पर कार्यवाही नहीं करेगी। मेरे विचार से, सभा को चलाने के लिए हमारे बीच थोड़ी-बहुत आपसी समझ होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से इसका अनुरोध करता हूं।

श्री राम कापसे : हम कार्य सूची के मामलों पर चर्चा करना चाहेंगे। परन्तु उस समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहां तक विदेश मन्त्री के त्याग पत्र का संबंध है हमें प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया जान लेनी चाहिए। हमें यह जानने का अधिकार है। नहीं तो हम इस निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। हमें यह जानने का अधिकार है। **(व्यवधान)**

जब तमिलनाडु के एक मंत्री ने त्याग पत्र दिया था तो शीघ्र ही लगभग एक घण्टे के अन्दर ही सभा को सूचित कर दिया गया था। कम से कम आपको तो पूरी घटना याद होगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे माननीय सदस्य को यह सूचित कर देना चाहिए कि विगत में जो कुछ भी हुआ है मैं उससे भली भांति अवगत हूं। मैं उनके साथ इस सभा में कुछ समय से रहा हूं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मैंने कहा है कि मैं जानकारी प्राप्त करके लौटूंगा। उसका मतलब मैं लौट कर आऊंगा। यह नहीं कि मैं नहीं आऊंगा। यह नहीं कि मैं नहीं आऊंगा। इस समय उस मामले पर बल देने का क्या है? हमें अपना कार्य शुरू करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप तब तक नहीं लौट सकेंगे जब तक कि आप नहीं जायेंगे। अतः, कृपया जाइए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : ठीक है।

श्री राम कापसे : परन्तु विदेश मन्त्री की तरह नहीं।

3.23 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दिल्ली में प्रमुख अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा चलाया जा रहा नकली औषधियों का अवैध धन्धा

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

> "दिल्ली में प्रमुख अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा चलाया जा रहा नकली औषधियों के अवैध धंधे के रहस्योद्घाटन तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : नकली औषधों में सूचित किए गए षड्यंत्र के बारे में मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंता में पूरी तरह से

भागीदार हूं। कोई भी ऐसी बात जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे उत्कृष्ट संस्थान की छवि को धूमिल करती है, वस्तुत: गहरी चिंता का एक विषय है। उसी प्रकार किसी भी ऐसी बात को, जिससे सरकार द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं में लोगों का विश्वास उठ जाता है, गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।

2 सरकार के पास उपलब्ध सूचना और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा की गई प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर यह विश्वास करने के कारण हैं कि सूचित किए गए षड्यंत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय के एक सदस्य के शामिल होने का एक प्रथम-दृष्ट्या मामला है और यह कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को छोड़कर कुछ संगठनों की तथाकथित संलिप्तता को देखते हुए इस मामले की पूरी तरह से जांच किए जाने की जरूरत है। इसलिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संबंधित डाक्टर को 20.3.1992 से निलंबित कर दिया गया है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वे सम्पूर्ण मामले की तत्काल जांच करें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इस मामले की जांच करने के लिए एक तकनीकी समिति भी गठित की है और यह समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ-साथ दिल्ली प्रशासन ने संबंधित केमिस्ट के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है और पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया है।

3. इसलिए माननीय सदस्य कृपया इस बात को मानेंगे कि सरकार ने इस मामले को गहराई से लिया है और इस पर तत्काल उपयुक्त कार्रवाई की है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार दोषी व्यक्ति को सब के समक्ष लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ व्यक्तियों के अपराधों को हमारी संस्थाओं में जनता का विश्वास समाप्त करने की अनुमति न दी जाए, सभी प्रकार के उपाय करने के लिए वचनबद्ध है। इस स्थिति में इस विषय पर कुछ और अधिक कहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय लेने के समान होगी।

3.25 म०प०

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह अपर्याप्त है और ऐसा लगता है कि इस वक्तव्य से नकली दवाई बनाने वाले और उसका व्यापार करने वालों का मनोबल और भी बढ़ा है। सारे देश में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा है और उससे काफी लोग मर रहे हैं और खास कर दिल्ली में सरकार के नाक के सामने यह घटना घटती है तो यह बहुत ही चिन्ता का विषय है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वहां के एक एसोसियटेड प्रोफेसर, चर्म रोग विभाग के एसोसियटेड प्रो० द्वारा स्वीकार किया गया कि वे नकली दवाइयों का निर्माण और व्यापार करते थे और उन्होंने इसे लिखित में दिया है कि मुझ से गलती हुई और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि

हमारे इस धंधे में दिल्ली के पांच बड़े डाक्टर शामिल हैं, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डा० और सफदरजंग अस्पताल के डा. शामिल हैं। जब यह मामला प्रकाश में आया तब सरकार को इसकी चिन्ता हुई, लेकिन फिर भी सरकार ने कहीं खोज-खबर नहीं ली, सरकार सोई रही। हां जब यह बात अखबारों में आई, 11 और 12 मार्च को, तब सरकार की नींद खुली। जनसत्ता में मैंने इसे पढ़ा।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में बीमारी तेजी से बढ़ रही है और शायद दुनिया में, दुनिया के किसी देश में इस तरह से बीमारी नहीं चढ़ रही है, जहां 15 लाख आदमी कैंसर के रोगी हैं, जहां 25 लाख आदमी, एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख आदमी कुष्ठ के रोगी हैं और जहां एक करोड़ के आसपास थाइसिस के रोगी हैं। यह बीमारियों का देश बनता जा रहा है, सरकार का यह फर्ज है कि इसको रोके, कोई व्यवस्था करे, कोई ऐसा इन्तजाम करे कि बीमारी बढ़ने न पाए। लेकिन आश्चर्य है कि इस देश में बीमारी बढ़ती जा रही है और जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकार द्वारा रजिस्टर कारखाने हैं, उनके द्वारा नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं, यह बहुत ही लज्जाजनक बात है। अगर एक आदमी किसी की हत्या करता है तो उसे फांसी की सजा मिलती है लेकिन नकली दवाई बनाने वाले लोग मस्ती में है और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर भी जहां कोई विरोध होता है वे आ करके सौदा कर लेते हैं और मामला दब जाता है। जिस डाक्टर के बारे में यह सनसनीखेज मामला आया है, महोदय, मंत्री जी जानते होंगे कि वह डा० पहले ही सस्पेंड हुआ है, छेड़खानी के सवाल पर, 1982-83 में, दो वर्षों तक वह डा० सस्पेंड रहा और फिर तुरन्त कुछ ही दिनों बाद वह सेवा में चला आया।

आप यह देखिए कि इस डाक्टर के विरुद्ध शिकायत 18 फरवरी को लिखित रूप में जाती है। मरीज ने शिकायत की कि इस डाक्टर ने अमुक नकली दवाइयां दीं। आश्चर्य की बात है कि जिस डाक्टर ने नकली दवाइयां दीं, वह मरीज के घर पर 8 फरवरी को गया और कुबूल किया, राइटिंग में कुबूल किया कि मुझ से गलती हुई है। उसने यह भी बताया कि और 5 डाक्टर भी इसमें शरीक हैं और उसने पूरी बात बताई। जसबीर सिंह जो मरीज थे, उन्होंने मेडीकल सुपरिटेंडेंट को 18 फरवरी को शिकायत की। जिस समय शिकायत की यदि उसी समय छापा मारने का काम होता, धरपकड़ की गई होती तो मामला पकड़ में आ सकता था, लेकिन तब तक सबूत मिटा दिए गए। सुबूत मिटाने का काम किया गया [व्यवधान]

सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हजारों-लाखों लोगों की जिंदगी आज खतरे में पड़ गई है। सारे देश में नकली दवाइयों का कारोबार जोरों से चल रहा है और सरकार इस पर काबू नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय, सरकार ने फैसला लिया 31 दिसम्बर 1991 को कि लोन-लायसेंस पद्धति, जिसके तहत 15000 छोटे कारखाने चल रहे हैं, इनको समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पैरवी आई कि इस फैसले को रोकिए, क्योंकि बड़े-बड़े कारखाने-दार यह चाहते थे कि यह पद्धति रहे। 31 दिसम्बर 1991 को फैसला लिया गया और अब तक यह कार्यान्वित नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग का यह तरीका कितना भयानक है। एक अरब रुपया इन दवाइयां बनाने वालों पर बकाया है, लेकिन अगर सच्चाई से देखा जाए तो 100 करोड़ (एक अरब रु०) से ज्यादा

इन पर बकाया है। उसकी वसूली नहीं हो रही है। मेरा कहना है स्वास्थ्य मन्त्री जी से कि कृपया लोन लायसेंस व पद्धति को बन्द करने के फैसले के अनुसार इस पद्धति को समाप्त करें और उन लोगों की धरपकड़ की जाए, जिन्होंने जांच में विलंब किया और सुबूत मिटाने का काम किया। सुबूत मिटाने का उनको मौका क्यों दिया गया ? और 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते का समय दिया गया। यह बहुत गंभीर आरोप है और मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहूंगा कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, उससे हमें संतोष नहीं है और मैं समझता हूं कि सदन को भी इससे संतोष नहीं होगा। इस वक्तव्य से जो लोग स्वास्थ्य विभाग पर छाए हुए हैं, नकली दवाइयां बनाने वाले लोग हैं, उनका मनोबल और बढ़ेगा। मेरा कहना है कि सरकार तुरन्त कार्यवाही करे, ताकि दवाइयों का अवैध व्यापार करने का काम रुके। मुझे इतना ही कहना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करता हूं। इस वक्तव्य में उन्होंने अपनी तारीफ करने का काम किया है और कहा है—

[अनुवाद]

"सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की है।"

[हिन्दी]

अब यह शब्द उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देयर वाज नो प्राम्प्टीट्यूड इनवाल्व्ड। यह इन्सान की जान का प्रश्न है और प्राम्प्टीट्यूड का मतलब है तत्काल। एक महीने बाद भी इस स्थिति की जानकारी हम लोगों को और देश को नहीं मिलती यदि इण्डियन एक्सप्रेस और जनसत्ता इन दो अखबारों ने इस चीज को रखने का काम न किया होता।

आपका प्रोमप्टीट्यूड तब आया जब दो अखबारों ने इस चीज को बड़ी खूबी के साथ काफी जानकारी हासिल कर के देश के सामने रखने का काम किया। इसलिए मैं सबसे पहले उन दो अखबारों का अभिनन्दन करना चाहता हूं। क्योंकि जो सेवा उन्होंने हिन्दुस्तान के लोगों की की है, जो अस्पतालों में जाते हैं और वह भी देश के सबसे बड़े अस्पताल में जाते हैं, जहां उनकी मौत के घाट पर पहुंचाने का इन्तजाम कुछ लोग कर के बैठे हैं, उनका जितना भी अभिनन्दन करें वह कम है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी भी उनका अभिनन्दन निश्चित तौर पर करेंगे।

सभापति जी, इस मामले में एक बात स्पष्ट है, हालांकि मंत्री जी ने अपने बयान में नहीं कहा है, कि गत डेढ़ वर्ष से यह मामला चल रहा है और हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि जब डेढ़ साल से यह बात चल रही थी तो आपके ड्रग कंट्रोल आफिशियल क्या कर रहे थे ? क्या वजह है हिन्दुस्तान में और वह भी आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अगर इस प्रकार की जाली दवाइयों को तैयार कर के वहां गए हुए मरीजों की अपनी चुनी नई दुकानों के जरिए बेचने का काम करते हों और उन दवाओं को ले कर मरीज अधिक बीमारियों में फंस जाते हों तो आपका ड्रग्स कंट्रोल विभाग जो है उसका काम क्या है ? उस विभाग ने इस मामले पर क्या किया और क्या वजह है कि उनके ध्यान में यह बात कभी नहीं आयी ?

सभापति जी, आपने पढ़ा होगा, दो दवाइयां इस डाक्टर ने बनाने का काम किया—एक डालमिन और दूसरी पैरीडैक्सलीन। अखबारों में जो चीज छप कर आयी और मैंने जो जानकारी हासिल की उससे ऐसा लगता है कि एक दवाई डाक्टर इसलिए देते थे कि उससे आदमी की बीमारी बढ़ती थी और अन्य बीमारियों में फंसने के बाद वह आदमी एक दवाई को लेने के चलते दूसरी दवाई को लेने का काम करता था। पहले आदमी को बीमार करना, कोई अस्पताल में गया, कोई स्किन डीसीज का डाक्टर बताया जाता है, डाक्टर शर्मा, कोई अस्पताल में जाता है इलाज के लिए, बड़ा डाक्टर है, असिसटेंट प्रोफेसर है, नामी डाक्टर है, वह उसको सही दवा देने की बजाए, अस्पताल में जो दवाइयां आज तक दी जा रही हैं वह देने की बजाए खुद के जाली कारखाने में तैयार की गयी जाली दवा की प्रेसक्राइब करता है। मरीज उसको इस्तेमाल करता है और उसको अन्य बीमारियां शुरू हो जाती हैं और वापस आ जाता है तब उनको पैरीडैक्सलीन देने का काम करते हैं। यानी कहां तक डाक्टर ने अपने को गिराने का काम किया है। इन्सान को किस तरह से खत्म करने की सोच उनकी बन गयी है उसकी कल्पना सभापति जी, आप और यह सदन कर सकता है। यह मामला सामने आया, जैसे मेरे मित्र उपेन्द्र बाबू ने यहां पर बताया जसबीरसिंह की शिकायत थी, वह पढ़ा लिखा एक दुकानदार है। यानि कुछ साधन सम्पन्न आदमी है, इसलिए वह हिम्मत कर के जा कर शिकायत कर पाया। 18 फरवरी को उन्होंने शिकायत की। उनके साथ और दो लोगों ने शिकायत की है। मैं उनका नाम यहां नहीं लेता हूं लेकिन दोनों ऐसे पद पर हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूछ कहीं न कहीं हो सकती है। एक उन में से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पत्नी हैं, उनका नाम आपके पास निश्चित तौर पर होगा। दूसरा मिनिस्टरी आफ एक्सटरनल अफेयर्स के आफिसर हैं। क्योंकि ये तीनों लोग, एक सम्पन्न व्यक्ति, जो दुकान चलाने वाला है, जसबीर सिंह, दूसरा डी०आई०जी० पुलिस की पत्नी और तीसरा मिनिस्टरी आफ एक्सटरनल अफेयर्स का आफिसर, ये तीनों जब इस दवा में फंस गए और तीनों ने इस मामले पर आवाज उठाने का काम किया तब अस्पताल वाले भी जाग उठे आपका मंत्रालय भी तब जाग उठा। वर्ना कोई प्रोमटीट्यूड की बात यहां पर नहीं आती और यह मामला आता ही नहीं इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो स्वयं लिखा है।

[अनुवाद]

तकनीकी समिति इस मामले की जांच करेगी। वह तकनीकी समिति क्या है ?

[हिन्दी]

कितने मरीज मर रहे हैं, यह जानना चाहते हैं ? क्या इसकी आप जांच कर रहे हैं ?

डेढ़ साल में इस डाक्टर ने कितने लोगों का इलाज किया। इसके अलावा और पांच डाक्टरों के नाम आए हैं जिसमें से तीन डाक्टर कि सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एक मोदी अस्पताल के हैं। यह बड़ी साजिश रही। इस शहर के सबसे नामी अस्पतालों के डाक्टर एक जगह पर आ जाते हैं और जाली कारखाना खोलते हैं और जाली दवाइयां बनाते हैं। जाली दवाई वे ऐसे मरीजों को देते हैं जिसमें से एक बीमारी को लेकर दूसरी बीमारी और उसके इलाज के लिए तीसरी दवाई देने का सिलसिला चलाते हैं। आपने एक टैक्नीकल कमेटी

बनाई है और आप कहते हैं अपनी पीठ पर हाथ रखकर कि बहुत ही प्राम्प्टीच्युड से काम किया। छह डाक्टरों के नाम आपके पास हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने कितने लोगों को प्रेस्क्राइब किया है। उसकी जांच होनी चाहिए। उनके घरों की जांच होनी चाहिए। उनके अस्पताल के रिकार्ड की जांच होनी चाहिए। आज रात को यह जांच होनी चाहिए, समय बीत गया। ऐसे काम करने वालों के जो दिमाग होते हैं उनको अंग्रेजी में कहा जाता है।

]अनुवाद]

अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति।

[हिन्दी]

वह डाक्टर हो सकता है, वह सांसद हो सकता है। लेकिन कोई आदमी इस तरह से जान के साथ खिलवाड़ करे तो उस आदमी के बारे में कहा जाता है—

[अनुवाद]

वह अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है।

[हिन्दी]

इस दिमाग के लोग जो सबूत होता है तो उस सबूत को खत्म करने का काम करते हैं। 13 फरवरी को शिकायत हो जाती है और आप ब्यान में कहते हैं कि तीस मार्च को सस्पेंड किया। पांच लोगों के नाम लिए गए और अस्पतालों के नाम लिए गए और इस बारे में दूसरा ब्यान आता है। आज यह शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगता। जो काम उन्होंने किया है तो आप मानते हैं कि क्रिमिनल काम है इसलिए आपने सी०बी०आई के हाथ में दिया है। आप मानते हैं—

[अनुवाद]

इसमें अपराधिक षड्यन्त्र शामिल है।

[हिन्दी]

यह बयान डा० ओ० पी० सिंह की तरफ से आता है। 24 मार्च का अखबार मैं पढ़ रहा हूं:

[अनुवाद]

"डा० ए०के० शर्मा और—सफदरजंग अस्पताल दोनों के बारे में डा० ओ०पी० सिंह ने एक अन्य बात स्वीकार की है। जिसमें उन दोनों को ही जालसाजी में इसी प्रकार की भूमिका निभाने से मुक्त किया गया है।"

अस्पताल वालों का बयान और डा० ए०के० शर्मा कहते हैं कि डा० ओ०पी० सिंह ने प्रथम स्वीकारोक्ति दबाव में आकर की थी।

[हिन्दी]

मैं जानना चाहूंगा कि यह क्या मामला है। पहली बार वे जाकर कहते हैं और एक मरीज को कहते हैं और अखबार में छपवाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं और तीन संस्थाओं के कुल मिलाकर

छह लोग फंसे हैं। पहले वे बयान करते हैं जब मामला उभरकर आ जाता है तो कहते हैं :

[अनुवाद]

मैंने दबाव में आकर वक्तव्य दिया है।

[हिन्दी]

किसका ड्यूरेस है। एक मरीज के घर में, एक दुकान में और उसके बगल में जाकर बैठ जाते हैं कि हमने गुनाह किया है, माफ करो और कहते हैं कि किसी को मत बोलो। फिर बयान देते हैं :

[अनुवाद]

मैंने दबाव में आकर बयान दिया है। किसके दबाव में आकर ?

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपने अपनी बात पूर्ण रूप से कह दी है। यह वाद-विवाद नहीं है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इससे मामला गंभीर हो गया है और मंत्री महोदय को तत्काल कार्यवाही करनी पड़ेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मंत्री जी के सामने मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा। इसका ठोस जवाब आना चाहिए। आपने केवल एक डाक्टर के खिलाफ क्यों कार्यवाही की और अन्य डाक्टरों के खिलाफ अभी तक नहीं की। अन्य डाक्टरों को आप जोड़ेंगे या नहीं। मेरी मांग है कि उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। केवल सस्पेन्शनसे होने वाली बात नहीं है इस प्रकार का जुल्म और सस्पेन्शन तथा टैक्नीकल कमेटी ··· (व्यवधान) सब चीज बन्द करनी है। उनकी तगर गिरफ्तारी होनी चाहिए। फौजदारी की उनके ऊपर लगनी चाहिए। इनके दफ्तर के सारे रिकार्ड की जांच होनी चाहिए। इन्होंने कितने गरीब लोगों को फंसाया है, कितने रुपए लूटे हैं और कितनों का जान से मारा है। इसकी जानकारी बात सदन के सामने आनी चाहिए। जिस केमिस्ट का आपने कहा है कि उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसने बयान दिया है कि मैंने अथोराइज्ड डीलर से दवाई ली। इसका मतलब एक केमिस्ट ही नहीं है। वर्मा एजेन्सी नाम का आथोराइज्ड डीलर है जिसने चैक से पैसा लिया और छोटे-मोटे दुकानदारों को देने का काम किया। क्या उससे जाँच पड़ताल की ? उसके खिलाफ कारवाई करने के लिए आपने क्या कदम उठाये ? कौन है यह वर्मा एजेंसी और इसमें डाक्टर्स की कितनी पार्टनरशिप है, क्या इसकी जांच की ? वर्मा एजेंसी के बारे में आप क्या कहते हैं यह मैं जानना चाहूंगा। कोई रसायन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कम्पनी बम्बई में थी जिसके नाम पर जाली दवाइयों को बनाकर बेचने का काम हो रहा था, कभी थी या नहीं ? यदि नहीं थी तो डाक्टर्स ने जाली कम्पनी के नाम से जाली दवाइयां तैयार करके समूचे देश में बेचने का काम किया और लोगों को मारने का काम किया, इसके लिए आप कौन सा मुकदमा करने जा रहे हैं और कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ? ड्रग कंट्रोल विभाग है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं ? मरीज मरने के बाद यह जांच करने के लिए जाता है। जब पता चलता है कि जाली दवायें बन रही हैं तभी यह विभाग नींद से जागता है और

जब बड़े लोग शिकायतें करते हैं तभी यह कुछ करता है। इसका मतलब गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। आपके ड्रग कंट्रोल विभाग में कितनी ताकत है उसके पास कौन से अधिकार हैं और उन अधिकारों को इस्तेमाल सही ढंग से किया है या नहीं, यदि किया है तो क्या इस प्रकार के कारखानों को, डाक्टर्स को और दुकानदारों को पकड़ने का काम किया है ?

इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन है उससे क्या सलाह-मशविरा करके आप इस सदन के सामने विधेयक लायेंगे जिसमें ऐसी दवायें, जाली दवायें बनाने वालों को, प्रस्क्राइब करने वाले डाक्टर्स को उनकी जो डिग्री है उसकी वापस लेने की बात का प्रावधान है ? फौजदारी का मामला भी अलग है, लेकिन उनकी डिग्री जो वापस लेने का काम आपको करना चाहिए जिससे वे अपना पेशा आगे जारी नहीं रख सकेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं ? बम्बई में जस्टिस लेंटिन की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी इसी प्रकार का एक जाली मामला आया था। जिस डाक्टर ने इस प्रकार से जाली दवायों को बनाने का काम किया था उनको हटा दिया गया और दो साल बाद बम्बई के सबसे बड़े अस्पताल में उनको सुपरिटेंडेंट बनाकर बैठा दिया गया और जस्टिस लेंटिन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम सम्बन्धित लोगों ने किया, मैं यह नहीं कहता कि आपने किया। इसलिए क्या आप ऐसा विधेयक सदन में लायेंगे कि जो डाक्टर इस प्रकार की हरकतें करते हुए पकड़ा जाता है उसकी डिग्री को वापिस ले लिया जाएगा और उसकी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जायेगी ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस मामले को सदन में उठाया इसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। यदि मैं दिल्ली के एक प्रमुख समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस' जिसने इस मामले को जनता के समक्ष रखा, की सराहना नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा। केवल समाचार-पत्र ने ही इस मामले को सरकार अथवा स्वास्थ्य विभाग अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा अन्य व्यक्ति के समक्ष रखा, क्या यह सही नहीं है। मैं इस मामले के बारे में क्रम से बताना चाहूंगा और इसे सभा के सामूहिक विवेक पर छोड़ूंगा कि क्या विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल उचित है बल्कि कानून और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार है।

सभापति महोदय : और तत्काल कार्यवाही भी की गई।

श्री एम० एल० फोतेदार : जी हां, तत्काल ही। हम यहां बैठकर कानून के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हम अपना कर्त्तव्य का पालन नहीं कर असमर्थ रहे। यदि कोई व्यक्ति अपराधी और अदालत में उसे अपराधी नहीं ठहराया जाता तो वह बेकसूर है। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं क्रम से बताऊंगा। श्री जसवीर सिंह 8 जनवरी, 1892 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गये। डा० ओ० पी० सिंह ने उन्हें कुछ दवाईयां दीं तो उनकी हालत और अधिक बिगड़ गई। तो वह पुनः 4 फरवरी को और उसके बाद फिर 6 फरवरी को वहां गये। उन्हें चिकित्सा हृदय रोगी विभाग में भेजा गया इसके बाद 18 फरवरी को उन्हें डा० बसु द्वारा जो कि आयुर्विज्ञान संस्थान में एडीसनल डिप्टी सुपरइनटेंडेंट हैं हृदय रोग विभाग में इसलिए भेजा गया कि यह पता लग सके कि मरीज को क्या बीमारी है।

इसके बाद उन्होंने शिकायत की जिस पर आयुर्विज्ञान संस्थान के शिकायत अधिकारी डा० गोयल ने विचार किया। उन्होंने चर्म विभाग के प्रमुख डा० भुटानी को मामला भेजा। चिकित्सा अधीक्षक ने शिकायत की जांच करने के लिए डिरेंटोलोजी और यौन रोग विभाग की प्रमुख डा० भुटानी को नियुक्त किया। इसके बाद प्रैस रिपोर्ट के अनुसार 8 मार्च को श्री जसबीर सिंह ने किसी के समक्ष यह स्वीकार किया था और उसे टेप किया गया। श्री जार्ज फर्नान्डीज एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और वह जानते हैं कि टेप किया गया कोई भी वक्तव्य स्वीकार्य साक्ष्य नहीं होता है। तब 9 तथा 13 मार्च को इण्डियन एक्सप्रैस ने इस मामले को छापा। हमने पहले ही कार्यवाही की है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या कार्यवाही की जाए····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप जनसत्ता का नाम क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री एम० एल० फोतेदार . जनसत्ता इण्डियन एक्सप्रैस का एक भाग है।

मैं जनसत्ता के बारे में भी कह सकता था लेकिन जनसत्ता की प्रति मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि जनसत्ता में भी यह छपा हो।

आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ने 13 तारीख को इस मामले की पूर्ण रूप से जांच करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी। श्री जार्ज फर्नान्डीज का कहना सही है कि पुलिस उप-महानिरीक्षक की पत्नी श्रीमती अंजला ने भी शिकायत की और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में इसकी शिकायत की थी। इसके बाद हमें यह देखना था कि जो कंपनी यह दवाई बना रही थी वह एक पंजीकृत कंपनी हैं। यह सही है कि रसानन कंपनी इस मामले में शामिल है। भारत के औषधि नियंत्रक ने इस मामले की जांच की और पाया कि वह पंजीकृत कंपनी नहीं थी बल्कि जाली नाम से और जाली कंपनी थी। महाराष्ट्र औषधि नियंत्रक प्राधिकारी से हमें इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई कंपनी वहां पर पंजीकृत नहीं है। अतः आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निलम्बन की सिफारिश की हमने उनकी सिफारिश तत्काल स्वीकार करके डा० ओ पी० सिंह को निलम्बित कर दिया। तभी दिल्ली औषधि नियंत्रक प्राधिकारी ने भी इस मामले पर पहल की और उन्होंने एक स्थानीय पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। स्थानीय पुलिस स्टेशनों ने औषध विक्रेताओं के विरुद्ध अभियान चलाया और मेरे विचार से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और जांच चल रही है।

हमने इस मामले को शीघ्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच करेगा। और हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। हमारे अनुसार, डा० ओ०पी० सिंह के विरुद्ध एक **प्रथम दृष्टया** मामला बनाया गया है और उसको निलम्बित कर दिया गया है।

यदि मामला सिद्ध हो जाता है, तो हम अन्य अनुवर्ती कार्यवाहियां भी करेंगे।

जहां तक अन्य डाक्टरों का सम्बन्ध है, जिनका श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उल्लेख किया है, उन संस्थानों के चिकित्सा अधीक्षकों ने हमें एक व्यक्तव्य दिया है कि ये डाक्टर शामिल नहीं थे। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन सब मामलों में जांच नहीं करेगा। अतः,

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक **प्रथम वृष्ट्या** मामला बनाना पड़ेगा। जैसे ही **प्रथम वृष्ट्या** मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों के समक्ष सिद्ध हो जायेगा, उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानून के तहत तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

फिर, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कतिपय प्रश्न उठाए हैं कि केवल एक ही डाक्टर को निलम्बित क्यों किया गया है, अन्य डाक्टरों को क्यों नहीं। जैसे ही और यदि हमें इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मिलती है कि किसी अन्य डाक्टर के विरुद्ध एक **प्रथम वृष्ट्या** मामला बनाया गया है, इस ओ० पी० सिंह मामले के आधार पर नहीं, बल्कि उस साक्ष्य के आधार पर नहीं जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा पुलिस के सामने आयेगा कि कुछ अन्य डाक्टर अथवा देश में कोई अन्य संस्थान इसमें संलिप्त है, तो हम उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने, उनको निलम्बित करने अथवा कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही अपेक्षित होगी उसके करने में अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए अथवा नहीं। मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना मेरा कार्य नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी को जमानत पर रिहा किया गया है। उनको कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार अथवा रिहा किया जाता है। यह देखना केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कार्य है कि क्या मामला बनाया जाये और क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कठोर और तुरन्त कार्यवाही करने में अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होगा।

तीसरे, आपने **रसायन** कम्पनी के विरुद्ध कहा है हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक जाली कम्पनी है। यह मिल नहीं रही है। हमने वहां के औषध नियन्त्रक से भी यह पता लगाने के लिए कहा है कि अब से पहले मुम्बई में ऐसी कोई कम्पनी थी अथवा नहीं। वह भी जांचाधीन है।

फिर, जहां तक औषध नियंत्रण विभाग का सम्बन्ध है, मुझे अवश्य यह स्वीकार करना चाहिए कि कतिपय अपर्याप्तताएं हैं। न केवल केन्द्र बल्कि राज्य भी बराबर के उत्तरदायी है। मैंने विभिन्न राज्यों में औषध नियंत्रण विभागों के कार्यकरण की समीक्षा की है। मेरे विचार से, बिहार राज्य में तैयार की जाने वाली कुछ औषधियां भी नकली थी। इस मामले की जांच करने तथा देखने की कि अपराधियों को बेनकाब किया जाए। बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। **(व्यवधान)**

जहां तक जहज लाईसेंसिंग का सम्बन्ध है, मैं श्रीधर्मा को यह बता देना चाहता हूं कि हमने 31 दिसम्बर, 1991 को और आगे लाईसेंस प्रदान करना बन्द कर दिया। कुछ लोग उच्च न्यायालय में गये हैं और मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। जब तक इस मामले पर सर्वोच्च न्यायलय द्वारा निर्णय नहीं दे दिया जाता, तब तक हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : क्या आप उन डीलरों की जिम्मेदारी को अनदेखा कर सकते हैं, जो मुम्बई में इस जाली कम्पनी से सम्बन्ध थे। ये डीलर निश्चिय ही जानते होंगे कि कम्पनी बोगस थी।

श्री एम०एल० फोतेदार : ये सभी पहलू इसका समस्त राग गठजोड़ जो एक षड्यन्त्र मामला है—भारत के गरीब लोगों को धोखा दे रहे थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरों इस सब की जांच करेगा और यह देखेगा कि इसमें कौन संलिप्त है। कहां संलिप्त है, और कैसे संलिप्त हैं ?

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, ये जो स्पूरियस ड्रग्स के काम में लिप्त है उनके लिए समरी-ट्रायल का प्राविजन करिए और ऐसा कानून बनाइए कि उनको फांसी हो। वैसे हम फांसी के हक में नहीं है, लेकिन यदि फांसी की सजा इस देश में बहाल रखी जाती है, तो हमारी मांग है कि स्पूरियस ड्रग्स में डील करने वालों को फांसी हो। क्या आप ऐसा प्रावधान करायेंगे ?
(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए। व्यवधान का कोइ प्रावधान नहीं है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैंने कहा है कि देश में अढ़ाई लाख औषध विक्रेता हैं और राज्यों में औषध नियंत्रण प्राधिकरण के लिए इन औषध विक्रय दुकानों को जाकर देखना और उनकी जांच करना अत्यधिक कठिन है। मैं सभी माननीय सदस्यों की सहायता लेना चाहता हूं। वे देश के विभिन्न भागों और विभिन्न राज्यों से आते हैं, वे इस मामले की जांच कराने के लिए राज्य सरकारों से भी कहें। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने पहले ही इस सम्बन्ध में आवश्य अनुदेश जारी कर दिए हैं कि उनके विरुद्ध, जो नकली दवाइयां बनाते है, कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

तीसरे, उन्होंने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कहा है। मैं यह कह सकता हूं कि गिरफ्तारी तो मामला तैयार करने के बाद, केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जायेगी।

चौथे, उन्होंने उल्लेख किया है कि हमने शीघ्रता से कार्यवाही की है। मैं उसके लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन तथ्य यह है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक संकाय सदस्य को निलम्बित किया गया है, यह छोटी घटना नहीं है। और मैं किसी को भी जो इस मामले में संलिप्त हैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, यहां हो अथवा वहां हो, या देश के किसी भी भाग में क्यों न हो।

अन्तिम मुद्दा यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह उल्लेख किया था कि क्या उपाधियों को वापिस किया जायेगा। मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है कि क्या उनको रद्द किया जायेगा, मुझे कानूनी स्थिति की जानकारी नहीं है। मैं भारतीय चिकित्सा संघ से भी विचार-विमर्श करूंगा। एक बार मामला बन जाने पर, मान लो जो मामला हमारे ध्यान में आया है, वह सभी युक्ति संगत शंकाओं के परे सिद्ध हो जाता है, तो मैं भारतीय चिकित्सा संघ से निश्चिय ही यह पता लगाने के लिए परामर्श करूंगा कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की जा सकती है और यदि यह आवश्यक हुआ, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मैं उस समय सभा के समक्ष आऊंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप इस की भी जांच करायेंगे कि कितने ऐसे मरीज हैं क्योंकि आखिर, जो तीन व्यक्ति आपके सामने आए है, जो प्रेस के पास गये है, वे सार्वजनिक स्थिति के व्यक्ति है। लेकिन विगत डेढ़ वर्ष में ऐसे दसियो हजार अभागे व्यक्ति रहे होंगे, जिनको मूर्ख बनाया गया था और उनमें से कई मर भी गये होंगे। क्या आप उसकी भी जांच करवा रहे हैं ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, जिन पर, मेरे विचार से, आप विचार करना चाहेंगे। एक यह प्रश्न था : क्या आप इसका व्यापक प्रचार करेंगे ताकि वे रोगी जिनको इस तरह धोखा दिया गया था और जिनको हानि हुई थी, वे आगे आ सकेंगे और अपना साक्ष्य देंगे, अर्थात् शिकायत करेंगे ? यह एक प्रश्न है।

दूसरा मुद्दा है : क्या आप कोई ऐसा विधेयक लाने की संभावना पर विचार करेंगे जो इसे संज्ञेय अपराध, मुझे नहीं नहीं पता कि यह संज्ञेय अपराध है या नहीं, करार दे तथा ऐसे लोगों के लिए कतिपय कड़े दण्डों की व्यवस्था करे ? ये दो मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं तथा जिनका उत्तर आप देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं यह कहने में अपने कर्त्तव्य से विमुख न हुआ होता कि—मेरे ख्याल से मैं यह बात कह चुका हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले के पूरे प्रकरण की जांच करेगा। जब मैंने कहा कि जो कुछ श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा वह मेरे मस्तिष्क में है अर्थात् जो लोग इस डाक्टर के पास अथवा किसी अन्य डाक्टर के पास गए थे उन्हें उलटे शारीरिक हानि उठानी पड़ी है। वे उन सारी चीजों को जांच करेंगे तथा उनके साक्ष्य को रिकार्ड किया जाएगा जिससे कि विधि के अन्तर्गत कार्यवाही जा सके।

जहां तक दूसरी चीज का संबन्ध है कि यदि कोई औषध-विक्रेता अथवा कोई औषध निर्माता नकली दवाइयां बनाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी अर्थात् या तो ऐसे उत्पाद को रद्द कर दिया जाएगा या फिर कोई और कार्यवाही की जाएगी। आपको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों, विशेष रूप से श्री जार्ज फर्नान्डीज को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरा हृदय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं विचलित हो सकता जिसे कोई ऊंचा दर्जा प्राप्त है, बल्कि मेरा हृदय किसी ऐसे गरीब से विचलित हो सकता है जो गलियों में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कष्ट झेलता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत मैं किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक विशेष मामले के रूप में मैं केवल श्री दाऊ दयाल जोशी को एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप स्वयं महसूस करते हैं कि यह तो श्री फर्नान्डीज ने हाईलाइट किया है। श्री फर्नान्डीज ने दूसरी बात की है और सभापति महोदय ने भी उसकी ओर

इंगित किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसे रोकने के लिए क्या कानून बनाने जा रहे हैं और कब तक बनाने जा रहे हैं, यह स्पष्ट करें।

श्री एम० एल० फोतेदार : इसमें जो कानून सख्त से सख्त लिखा हुआ है उसका पूरा अम्ल किया जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसा करता है। एक सबजैक्ट ऐसा है जिसमें सब स्टेटस इनवाल्व हैं। अगर ऐसा कानून बनाने की किसी समय जरूरत पड़ी तो उसका हम ध्यान रखेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिलासपुर, मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भवानीलाल वर्मा (जांजगीर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के बिलासपुर सम्भाग गरीब हरिजन-आदिवासी बहुल होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत यह सम्भाग अनुसूची पांच में सम्मिलित है। अनुसूची 5 में सम्मिलित कर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का उद्देश्य यही रहता है कि ऐसे क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से शासन द्वारा विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायें।

बिलासपुर संभाग के नागरिक विगत अनेक वर्षों से चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की मांग करते आ रहे हैं। संभाग मुख्यालय बिलासपुर में इस विद्यालय की स्थापना के लिये निम्न सशक्त आधारों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना उपादेय होगा

यह संभाग दुर्बल घटक, अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल है। इस संभाग की कुल जनसंख्या 75, 12, 202 है जिसमें अनुसूचित जाति-जनजाति की जनसंख्या लगभग 50,00,000 है। जनसंख्या वृद्धि का औसत ढाई प्रतिशत है। बिलासपुर रायगढ़ एवं सरगुजा जिलों को मिलाकर बनाये गये इस संभाग का उत्तरी भाग पहाड़ी है। संभाग की कुल करीब एक लाख छात्र सख्या में से अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रों और छात्राओं की संख्या क्रमशः 35,000 एवं 9,000 है। संभाग में कुल 49 महाविद्यालय हैं। इनमें विज्ञान महाविद्यालयों की सख्या 18 है। संभाग में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण इस संभाग के इच्छुक छात्रों को अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाने के लिये बाध्य होना पड़ता है। शोष संबंधी बीमारियों, क्षय फीलपांव, गलसुआ जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। इन बीमारियों के अतिरिक्त नेत्र रोग और जशपुर के आदिवासी क्षेत्रों में बहरेपन का रोग वृद्धि पर है। संभाग की बाल मृत्यु दर 34 प्रतिशत है। यह दर देश एवं प्रदेश के औसत की तुलना में बहुत अधिक है। इस दर को देखते हुए बेगा जाति का संरक्षण निहायत जरूरी हो गया है। प्रदेश के अधिकांश संभागों में चिकित्सा महाविद्यालयों की विद्यमानता की पृष्ठभूमि में बिलासपुर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना स्वयमेव औचित्यपूर्ण, हो जाती है।

साउथ ईस्टन कोल फील्ड्स की ओर से लगभग 50 लाख रुपये लागत का एक संवाग परिपूर्ण चिकित्सालय खोलना प्रस्तावित है। अत: साउथ ईस्टन कोल फील्ड्स और मध्यप्रदेश शासन के समन्वित साधनों से यहां चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना अपेक्षाकृत आसान परियोजना सिद्ध होगी।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर में एक चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र स्थापित किया जाये।

(दो) आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित समन्वित समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कामगारों की संख्या करीब दो लाख है। आंगनवाड़ी कामगारों और सहायकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। कामगारों के लिए यह राशि उनकी योग्ताओं और सेवा काल पर निर्भर करते हुए 225/- से 325/- रुपये तक प्रतिमाह के बीच होती है। सहायकों को 110/- रुपए प्रति माह दिया जाता है। यह धनराशि उनकी अजीविका के लिए बिलकुल भी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, उन्हें उनके काम की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।

देश भर से आंगनवाड़ी कामगारों और सहायकों ने दिल्ली आकर अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए धरना दिया तथा प्रदर्शन किया। उनकी मांगें इस प्रकार हैं—मानदेय में वृद्धि की जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए तथा उन्हें प्रोन्नति के अवसर एवं पेन्शन सम्बन्धी लाभ प्रदान करने के लिए वह सब वेतन लाभ दिए जाएं जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने तथा कुछ अन्य मांगों को स्वीकार किए जाने की सिफारिश की है। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदया, कुमारी ममता बनर्जी यहां उपस्थित हैं। वह मामले का समाधान निकालने हेतु अपने सुझाव दे सकती हैं।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) (कुमारी ममता बनर्जी) : अनुदान की मांगें चर्चा के लिए आ रही हैं। आप अपना प्रश्न उस समय उठा सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि श्री ओस्कार फर्नान्डीज ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

(तीन) हरिद्वार उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री स्वामी चिन्मयानन्द (बदायूं) : सभापति महोदय, हरिद्वार में टेलीफोन एक्सचेंज की हालत बहुत ही खराब है। अक्सर फोन खराब रहते हैं। कुम्भ मेला शुरू होने पर भी और इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज बिल्डिंग तैयार होने के बावजूद भी इलैक्ट्रोनिक्स टेलीफोन एक्सचेंज चालू नहीं किया जा सका है। इसके बारे में सम्बन्धित मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखा गया है और उनसे अनुरोध भी किया गया।

वहां पर टेलीफोनों की हालत इतनी खराब है कि पुलिस को जो 71 टेलीफोन दिए गए हैं, उनमें से 56 टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। कुम्भ मेला होने के कारण इस समय वहां पर देश-विदेश से लाखों यात्री आ रहे हैं। वह एक धार्मिक स्थल है और हमेशा यात्रियों का आवागमन होता रहता है। लेकिन इस समय कुम्भ मेले के अवसर पर यात्रियों को टेलीफोन आदि करने की सुविधा नहीं मिल पा रही है और वे परेशानी का अनुभव कर रहे हैं।

उग्रवाद की बढ़ती हुई स्थिति को देख कर तथा कुम्भ मेले में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर अविलम्ब इलैक्ट्रोनिक्स टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने की आवश्यकता है। इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए ताकि उग्रवादियों द्वारा कुम्भ मेले में कोई भी गडबडी पैदा करने और दुर्घटना होने से रोका जा सके।

(चार) इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मुम्बई को ओर से गारण्टी की गई डिग्री की धनराशि का भुगतान महाराष्ट्र सरकार को किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने 28-9-1989 को पंजाब नेशनल बैंक के लिये 12,34,93,000 रुपए की एक धनराशि मंजूर की तथा उसे जारी किया, जो उच्च-न्यायालय के निर्णय के अनुसार आज्ञप्ति धनराशि थी तथा जिसका सम्बन्ध भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इण्डिया युनाइटेड मिल्स, बम्बई की ओर से संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से दी गई गारण्टी से था। भारत सरकार उस राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा देने को सहमत हो गई थी तथा फरवरी, 1990 में उसने भारतीय कपड़ा निगम को महाराष्ट्र सरकार को 6,17,40,189 रुपए का भुगतान करने के निदेश दिए थे। राज्य सरकार समय-समय पर मुद्दे को उठाती रही है। लेकिन आज की तारीख तक कुछ भी नहीं किया गया है।

अतः, मैं भारत सरकार, विशेषरूप से वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर विचार करें तथा महाराष्ट्र सरकार को अपने हिस्से की क्षतिपूर्ति का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करें।

(पांच) हथकरघा वस्त्रों की थोक बिक्री पर दी जाने वाली छूट से प्रतिबन्ध हटाए जाने की आवश्यकता ।

[अनुवाद]

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, इस समय बुनकर सहकारी समितियों को हथकरघा वस्त्रों की बिक्री हेतु खुदरा बिक्री पर 20 प्रतिशत की छूट दी गई है । एक बिल में केवल 200 रुपये की अधिकतम छूट देने की अनुमति है और एक बिल में केवल 500 रु० तक की कुल राशि तक का माल बेचा जा सकता है । यह छूट केवल खुदरा बिक्री पर दी जाती है, न कि थोक बिक्री पर । 13-1-1986 तक थोक बिक्री और खुदरा बिक्री दोनों पर छूट दी जाती थी । बुनकर सहकारी समितियों को देश भर में नगद आधार पर अथवा बैंक के माध्यम से प्रचुर मात्रा में माल बेचने की अनुमति प्राप्त थी । तत्पश्चात्, थोक बिक्री पर छूट समाप्त कर दी गई । इसके कारण, समितियां सैकड़ों बुनकरों को काम पर लगाती है और उन्हें निरन्तर रोजगार प्रदान करती हैं । वे काफी मात्रा में माल का उत्पादन करते हैं । वे अपने गांवों में अपना माल नहीं बेच सकते हैं और उन्हें दूर के स्थानों से आर्डर लेना पड़ता है । जब उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया, तो 17-8-1982 से 13-1-1986 तक थोक बिक्री पर छूट की अनुमति दे दी गई और तत्पश्चात इसे पुन: समाप्त कर दिया गया ।

बुनकर सहकारी समितियों को नगद राशि प्रवाहमयता प्राप्त करने के लिए और वर्ष भर निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में अपना माल बेचने के लिए तभी तैयार बाजार मिलेगा जब थोक बिक्री की छूट पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाये । अत, मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि थोक बिक्री की छूट पर से तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध हटाया जाये ।

(छ:) बुनकरों तथा लघु उद्योगों को सस्ती दर पर सूत और रेशम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

श्री राम बदन (लालगंज) : सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा आत्महत्या के समाचार पिछले दिनों अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं । लघु उद्योगों की ओर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण आज देश के बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । वहीं कुछ कम्पनियों द्वारा पोलिस्टन फिल्मों, जिनसे कि पोलिएस्टर यार्न बनाया जाता है, का मूल्य गत छ: महीने में ही 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिए जाने के कारण पूरा हथकरघा उद्योग ही संकट में फंस गया है । वहीं रेशम की आपूर्ति सुचारू रूप से न होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में चल रहे बनारसी साड़ियों के कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त संदर्भ में सूत एवं रेशम की आपूर्ति सही कीमत के साथ नियमित रूप से की जाए एवं बनारसी साड़ियों के सीधे निर्यात की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि देश के लाखों बुनकरों की समस्याओं का निदान हो सके ।

(सात) पश्चिम बंगाल में सुन्दर वन के ग्रामीण क्षेत्र में दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, संचार मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व यह घोषणा की थी कि आठवीं योजना के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी। निर्धारित लक्ष्य प्रतिदिन 100 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनक्शंस प्रदान करने का था। पश्चिम बंगाल में सुन्दर वन अपने बेजोड़ वनस्पति और जीव-जन्तु और बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। किन्तु अब तक इस क्षेत्र में, जो कि मानसून के दौरान नदीय और दलदलमय और कुछ-कुछ पहुंच से बाहर हो जाता है, इसकी किसी भी पंचायत में एक भी टेलीफोन नहीं लगाया गया है। इससे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भी उस क्षेत्र में टेलीफोन लगाने की अत्यावश्यकता सिद्ध हो जाती है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स लि० ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग हेतु डाट को 11,000 पावर सिस्टमस की आपूर्ति की है और चालू वर्ष में, और 10,000 और अधिक सिस्टमस प्रदान करने की योजना है। डाट द्वारा ग्रामीण टेलीकाम नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सोलार फोटो वोल्टेनिक सिस्टमस का प्रयोग किया जा रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि वह सुन्दर वन क्षेत्र में भी जहां किसान अथवा कृषक इतने धनवान नहीं हैं कि वे अपना टेलीफोन लगा सकें, एस पीवी सिस्टमस के माध्यम से ग्रामीण टेलीकाम नेटवर्क की रचना करे, और अगले वर्ष के दौरान कम से कम कुछ ग्राम पचायतों में टेलीफोन की सुविधा देना आरम्भ करें।

4.19 म०प०

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा में श्री बलराम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। श्री वल्लभ पाणिग्रही बोलेंगे।

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, यह विधेयक एक अध्यादेश, अर्थात् खनिजों पर, उपकर और अन्य कर। विधिमान्यकरण) अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाया गया है। (व्यवधान)

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1992 का स्थान लेने के लिये लाया गया है।

कल इस विधेयक के समर्थन में काफी कुछ कहा था और पूरे सदन ने इस विधेयक का समर्थन किया था। मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पार्टी इस विधेयक का पहले ही समर्थन कर चुकी है। दूसरा कोई उपाय नहीं है।

महोदय खनिज उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा 4 अप्रैल, 1991 तक खनिजों पर उपकर और कर के रूप में काफी अधिक धन वसूल किया जा चुका है। खनिजों पर उपकर और कर लगाने वाले कुछ राज्य अधिनियमों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय सहित अनेक न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कुछ न्यायालयों ने अधिनियमों का नामंजूर कर दिया है। अन्तिम झटका तब लगा जब देश के शीर्षस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष अप्रैल में खनिजों पर इस प्रकार के उपकर और कर लगाने संबंधी राज्य अधिनियमों को नामंजूर कर दिया। संबंधित राज्यों के लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वे वसूल की गई राशि को वापस करें। अध्यादेश जारी करने से पहले ही यह अवैध पायी गयी थी। यह तथाकथित अवैध धन राशि वापस नहीं की जा सकती थी। राज्य ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। भाग्य की विडम्बना यह है कि जो राज्य खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है अथवा जिनके पास खानें, खनिजों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, वे भी काफी पिछड़े हुये और आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है। उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और बिहार ऐसे राज्य हैं जो इन अदालती निर्णयों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। निःसंदेह, पश्चिम बंगाल भी अप्रत्यक्ष रूप से इनमें आ रहा है। परन्तु ये तीन राज्य इन अदालती निर्णयों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। वे इसे वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी ओर अन्तिम उपयोगकर्त्ताओं की संख्या काफी अधिक है। इन सभी लोगों का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना भी संभव नहीं है कि उन्हें यह राशि वापिस की जायेगी।

हमारे समक्ष और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परन्तु मेरे दिमाग में एक या दो बातें उठ रही हैं। वे राज्य जो कर तथा उपकर एकत्रित कर रहे थे उनकी यह धारणा है चूंकि भूमि तथा खनिज राज्य का विषय है, उनको सभी प्राधिकार है—जब तक प्रावधानों को हटा लिया नहीं जाता तब तक उन्हें ऐसे करों और उपकरों को लगाने का कानूनी अधिकार है। इन अधिनियमों की सूची काफी लम्बी है। यह स्वयं विधेयक विवरण के साथ संलग्न की गई है। यह लम्बी सूची है और 11 राज्य अपने राज्य अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत ऐसे करों का संग्रहण करने में लगे हुए थे। 1958 में 1958 का एक अधिनियम है। उससे पहले भी 1957 का अधिनियम है। 1962 और 1982 में भी कुछ राज्यों ने ऐसा कानून बनाए हैं। 1957 में हमारे यहां खान और खनिज विकास अधिनियम बना है, अतः, कई वर्षों से ये कर संग्रहित किए गए हैं। अचानक यह कैसे पता लगाया जा सका कि ये विधिक कार्य नहीं थे।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा खनिज तथा कोयले पर कुछ राज्यों को जो रायल्टी दी जाती है उससे उनमें असंतोष, आक्रोश और परिताप व्याप्त है, हाल ही में 1 अगस्त 1991 से कोयले की रायल्टी को संशोधित किया गया है। तथा मुझे विश्वास है कि अन्य खनिजों पर भी संशोधन की इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अन्तिम बार इसे 1987 में संशोधित किया गया था। एक बार यह कर दिया जाता है, तो फिर तीन वर्षों के लिए यह मान्य रहता है। इसे पिछले तीन वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। अब यह संशोधन के प्रक्रियाधीन है। मैं प्रभारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसे शीघ्र करें। ऐसा करते समय वर्तमान प्रावधान, प्रक्रिया तथा मात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि यह उचित नहीं है कि हमारे जैसे संघीय स्वरूप में केन्द्र और राज्य की ऐसे नाजुक मामलों पर एक राय नहीं है। अपने देश के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में हम सभी की रुची है।

जैसाकि मैंने कहा है कि खनिज उत्पादक वाले क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं। आप बिहार की उड़ीसा की तथा मध्यप्रदेश किसी की भी बात करते हों, इन राज्यों में विशेषकर खनिज उत्पादक क्षेत्रों में, सड़क, यातायात, संचार, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी न्यूनतम मूल सुविधाओं की कमी है। और ये सभी क्षेत्र पर्यावरणीय जोखिमों से भरे पड़े हैं। उन पर अत्याधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः, हम संसाधन बढ़ाने के लिए इन राज्यों कि आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से, विशेषकर यह जानना चाहूंगा कि जब असंतोष बढ़ता जा रहा है, तो वे क्या करने जा रहे हैं?

चार या पांच महीने पहले, बिहार के मुख्यमन्त्री महोदय ने भूख हड़ताल करने कि धमकी दी थी। कभी-कभी एक या दो मुख्यमंत्री महोदय यह कह कर धमकी देते हैं कि जब तक यह नहीं कर दिखाया जाता है, जब तक यह संशोधित नहीं कर दिया जाता है, अथवा अनुदानों आदि के माध्यम से अमुक राशि उन्हें नहीं दे दी जाती है; तब तक वे कोयला ढुलाई आदि के संचलन की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे अनुत्तरदायी वक्तव्य दिये जा रहे हैं, यहां तक कि उसके कारण केन्द्र-राज्य के संबंध तनावपूर्ण हुये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले पर सरकारिया आयोग के समक्ष कोई आन्दोलन चलाया गया था, और यदि हां, तो सरकारिया आयोग का क्या निष्कर्ष था और उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया थी? बाहर कुछ मुख्यमन्त्री केन्द्र के खिलाफ क्यों बात करते हैं? हाल ही में, इस पर उड़ीसा विधान सभा में चर्चा की गई और इस खनिज विकास अधिनियम की वैधता उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के बारे में राज्य सरकार ने बहुत जोर-शोर से बोला है। इस पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। रायल्टी आदि का संशोधन समुचित होना चाहिए। कुछ राज्य कहते हैं कि यह मनमाना तथा अवैज्ञानिक है। मेरा मुद्दा यह है कि इसे तर्क संगत, उपयुक्त तथा वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। कोयले के संबन्ध में रायल्टी के संशोधनोपरान्त भी, हुआ यह है कि राज्यों को उप करों के द्वारा जो प्राप्त होता था, उसे हटाये जाने के बाद अब उन्हें उससे कम मिल रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पाणिग्राही कृपया समाप्त कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं समाप्त कर दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि रायल्टी का संशोधन तर्क संगत तथा वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें कई गम्भीर चूंके तथा कुछ विसंगतियां हैं। इसी कारण उड़ीसा सरकार को अब संशोधन के भी बाद कुछ अधिक मिलने के बजाय काफी कम मिल रहा है क्योंकि कोयले के ग्रेड उन्नयन में काफी कुछ विसंगतियां हैं।

कोयले का ग्रेड उन्नयन त्रुटिपूर्ण किया गया है। यह सही ढंग से नहीं किया गया है। इसीलिए, मुझे आश्चर्य है कि क्यों उड़ीसा सरकार, खासकर मुख्य मंत्री महोदय जो ज्यादा चिल्लाते हैं, वे चर्चा के समय शान्त रहें। खैर, कई गम्भीर विसगतियां हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए।

परन्तु यह दलील कि तीन वर्षों तक तथा जब तक करार की अवधि पूरी नहीं हो जाती है, मामले को फिर से खोला नहीं जा सकता है, यह दलील उड़ीसा के मामले में नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें भारत सरकार के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही महोदय, कृपया समाप्त कीजिए आपने छः-सात मिनट ज्यादा ले लिए हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनको भारत सरकार के विरुद्ध शिकायत है तथा वे कई बार आरोप, निराधार आरोप लगाते रहते हैं। क्या मामला है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार परियोजनाओं को बेच रही है—चार्ज क्रोम प्लांटस को बहुत ही कम कीमतों में बहुत बड़े औद्योगिक घरानों को बेच रही है तथा बहुत ही दुलर्भ तथा कीमती क्रोम खदानों को बहुत ही नगण्य रायल्टी राशि पर पट्टे पर दे रही है। ऐसा कैसे हो रहा है ? परियोजनाओं को नहीं रखने के लिए, उन्होंने बेचा है, अपनी आवश्यकताओं से भी कहीं अधिक समय के लिए पट्टे पर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या राज्य सरकार ने ऐसे पट्टों को देने से पूर्व भारत सरकार से स्वीकृति अनुमति तथा अनुमोदन हेतु भेजा था। इसकी अनुमति के बिना वे उन्हें पट्टे पर नहीं दे सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान, उड़ीसा सरकार को खदानोंको पट्टे पर देने तथा ऐसे अपमानजनक—मैं जोर देकर कहूंगा—सौदों, जिनमें निजी औद्योगिक घरानों को क्रोम खदान तथा चार्ज क्रोम प्लांट देना शामिल है, की स्वीकृति देने से पूर्व इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि सरकारी उपक्रमों को पहले से ही रियासतें दी जाती—जिनमें बिजली की निश्चित आपूर्ति भी शामिल है, तो हस्तांतरण से पूर्व चार्ज क्रोम प्लांट रुग्ण नहीं होता। मेरा यह कहना है कि वह कभी भी रुग्ण नहीं होता। यह बड़ी ही स्वस्थ परियोजना है, इसे रुग्ण

बनाया गया तथा अब इसे बड़े ही 'दोषपूर्ण तथा रहस्यमय ढंग से हस्तांतरित किया जा रहा है ! मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि --इसके कारण बड़े स्पष्ट हैं तथा हर कोई इसे पढ़ सकता है कि क्या हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे हस्तांतरण से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाये ।

जैसाकि मैंने शुरू में ही कहा है कि इस विधेयक के बारे में कोई विवाद नहीं है । यह विधेयक तो उन सरकारों, गरीब तथा पिछड़े राज्यों की, जो कि खनिज उत्पादन करते हैं तथा इस न्यायालय आदेश के कारण कठिन स्थिति में है, मदद करने के लिए हैं, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । तथा साथ ही साथ प्रभारी खान मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे मेरे द्वारा उड़ीसा के सम्बन्ध में उठायी गई बातों; पट्टे पर खदानों के हस्तांतरण तथा कोयले को रायल्टी के संशोधन, आदि के बारे में स्वयं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें । इसमें कई भूलें, तथा गलतियां की गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा राज्य को भुगतना पड़ रहा है ।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि कतिपय संशोधन होना चाहिए । जब भारत सरकार राज्य सरकारों को रायल्टी के रूप में भारी धनराशि दे रही है, तो इसमें से पर्याप्त राशि सड़क संचार, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण और सम्बद्ध कार्यक्रम शुरू करके परिस्थिति की संतुलन को बनाने हेतु पर्यावरणीय सुधार आदि काम करने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ, इस विधेयक पर चर्चा में शामिल होने हेतु समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब उत्तर दे सकते हैं ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : श्रीमन् । यह एक अति महत्वपूर्ण विधेयक है और हम इस पर चर्चा में शामिल होना चाहते हैं ।

श्री हाराधन राय (आसन सोल) : महोदय, मेरे दल ने मेरा नाम दिया है, कृपया मेरी बात भी सुनिए ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस पर डेढ़ घण्टे हो गए हैं इससे ज्यादा मेरी अथारिटी नहीं है ।

श्री नितीश कुमार : जनता दल से कोई नहीं बोला है।

सभापति महोदय : अब नितीश कुमार जी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने चीफ व्हीप से बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, कृपया हमारे अधिकारों की रक्षा करें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, हम लोग सैस एंड अदर टैक्सेज ओन मिनेरल (वैलीडेशन) बिल-92 पर चर्चा कर रहे हैं। इस बिल को लाया गया तो उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कई राज्य सरकारों ने जो सैस वसूला है, वह गलत था इसलिए जिनसे सैस वसूला है उसको लौटा दिया जाए। एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पिछले नौवीं लोक सभा में एक सवाल आया था तो उस समय सरकार ने कहा था कि इस बारे में हम काम्प्रीहेन्सीव बिल लायेंगे। हमने सवाल उठाया था जिस पर सैस लगाना रोक दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया। उसके चलते बिहार और बंगाल को काफी नुकसान पड़ रहा था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था। लेकिन उसके मुताबिक कोई बिल नहीं आ रहा है कि राज्य सरकारों को फिर से सैस वसूलने का अधिकार हो और उसके बाद सैस एंड अदर टैक्सेज ओन मिनेरल बिल में संशोधन किया जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने लिखा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने विधान सभा में चुनौती देने की बात कही। मतलब इसमें संशोधन आवश्यक है। यह लिमिटेड बिल है। जो लोगों ने वसूला है उसको लौटाना न पड़े। इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि काम्प्रीहेन्सीव बिल लाए जिसमें सैस वसूलने का अधिकार उनको मिले।

अब रायल्टी का रिवीजन आपने किया है और यह कहा कि 1994 तक कोई दूसरा रिवीजन नहीं करेंगे। जो रिवीजन किया है उससे कितने राज्यों को फायदा हुआ और कितनों को नुकसान हुआ है यह लोक सभा में जो जवाब दिया है उससे साफ है कि 1989-90 को आधार माना गया जो रायल्टी मिलती थी, जो सेस की वसूली अपने कानून के द्वारा राज्य सरकारें करती थीं उसको मिलाकर राज्यों को कुल प्राप्त होता था और अब जो रायल्टी की दर निर्धारित की गई है उसके आधार पर उन्हें क्या मिलेगा यह जो आंकड़े दिये गये हैं इस सदन में उसके अनुसार तीन राज्यों को जो लाभ हो रहा है सत्तारूढ़ दल में तीन नेता है। श्री नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के हैं, दूसरे नेता हैं श्री अर्जुन सिंह और तीसरे नेता हैं श्री शरद पवार। सेस और रायल्टी को मिलाकर आंध्र प्रदेश को जो मिलता था वह था करीब 55 करोड़ और नये निर्धारण मे मिलेगा 119 करोड़, महाराष्ट्र को मिलता था, 7.79 करोड़ रुपये और अब मिलेगा 96.35 करोड़ रुपये, श्री अर्जुन सिंह जो कि

मध्य प्रदेश के हैं उसके राज्य को पहले सेस और रायल्टी मिलाकर मिलता था। 45.35 करोड़ रुपये और अब मिलेगा 334.33 करोड़ रुपये। आप समझ लें कि तीन नेता कांग्रेस में हैं और तीनों ने अपने अपने राज्यों की चिन्ता कर ली। आन्ध्र प्रदेश की नरसिंह राव जी ने, मध्य प्रदेश की अर्जुन सिंह जी ने और महाराष्ट्र की शरद पवार जी ने, चूंकि बलराम यादव जी मिनिस्टर हैं इस लिए उत्तर प्रदेश को जो पहले 9.98 करोड़ मिलता था अब मिलेगा 26.53 करोड़ रुपये। चूंकि वह राज्य मंत्री हैं केबिनेट मंत्री नहीं हैं इसलिए उनके उत्तर प्रदेश को थोड़ा लाभ मिलेगा लेकिन जहां सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वह हैं बिहार, क्योंकि वहां का कोई नेता सरकार में नहीं है इसलिए वहां कुछ नहीं किया गया है बिहार में भविष्य में कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है, जनाजा निकल गया है इसलिए वहां घाटा दे रहे हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कोई स्कोप नहीं है वहां भी घाटा हो रहा है। उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया है। बिहार में हम लोगों को जो मिल रहा था रायल्टी और सेस से वह 676.52 करोड़ रुपये और अब जये निर्धारण से 541.49 करोड़ रुपये मिलेंगे। मतलब सीधा है, इनके आंकड़ों के अनुसार हम लोगों को नुकसान हो रहा है 35.13 करोड़ रुपये का और ऐसे ही पश्चिम बंगाल को नुकसान हो रहा है 113.77 करोड़ रुपये का। उड़ीसा में भी जनता दल का राज है वहां भी नुकसान हो रहा है। पहले मिलता था 46-42 करोड़ और अब मिलेगा 45.26 करोड़रुपये। इसलिए यह साफ है कि जो कोयले की रायल्टी की दर निर्धारित हुई है वह राजनीतिक कारणों से निर्धारित की गई है। आपने अपने राज्यों को लाभ दिया है और दूसरों को घाटा पहुंचाया है। यह राजनीतिक विचारधारा के कारण से किया गया है। पाणिग्राही जी खुद वकालत कर रहे थे कि रायल्टी का दर साइंटिफिक होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि यह होना चाहिए। एडवलोरम होना चाहिए, रायल्टी की दर मूल्य दर पर निर्धारित की जाये, वजन की दर पर नहीं की जाये। यह सबसे बड़ा अन्याय है। आप अगर नहीं करते तो फिर से माइंस एण्ड मिनरल डवलपेंट एक्ट 1957 जो है उसमें संशोधन करें और फिर से सेस वसूल करने का राज्य सरकार को अधिकार मिले। बिहार के पास इंटरनल रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन का आधार यही है। हमें कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इसलिए यहां मुख्यमन्त्री आये थे, और सरकारिया आयोग का हवाला देने लगे। मरता क्या न करता, जब देखा स्थिति इतनी बिगड़ गई है और बिहार के पास कर्मचारियों को वेतन नहीं देने की नौबत आ गई है, क्योंकि पैसा नहीं रहा। कोई विकास का काम नहीं, सारा काम ठप्प, इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा था। इसलिए हमारे प्लान-साइज में कटौती होती चली गई। उसके चलते यह नौबत आई और तब जाकर वहां के मुख्यमन्त्री ने धमकी दी कि हम अनशन पर बैठ जाएंगे प्रधान मंत्री के कार्यालय के समक्ष, अगर तत्काल हमको इसके लिए रिलीफ नहीं दी गई, रायल्टी का रिवीजन नहीं किया गया। आप ने उस दबाव में रायल्टी का रिवीजन किया। दुनिया को मालूम है कि मुख्यमन्त्री ने धमकी दी तो रायल्टी का रिवीजन किया गया, लेकिन ऐसा रिवीजन कर लिया है कि आपने अपने लिए तो मलाई ले ली है, हम लोगों के लिए क्या दिया ? बिल्कुल छांट दिया। ऐसी स्थिति में पहुंचाया जिससे सदा-सर्वदा के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सफर करते रहेंगे और उनके इंटरनल रिसोर्सेस हमेशा के लिए नीचे चले जाएंगे और आने वाले दिनों में प्लान साइज

छोटा होता चला जाएगा। यह हो रहा है, ...इसके माध्यम से। पैदा हम करते हैं, रिसोर्सेस हम पैदा करते हैं, प्राकृतिक सम्पदा जहां प्रचुर मात्रा में है, वही इलाके पिछड़े रहेंगे। एक तरफ जो धन सम्पदा देता है, इस देश को सम्पत्ति देता है, वह इलाका पिछड़ा रहेगा और दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ स्थानों पर विकास के द्वीप बनते चले जाएंगे, यह स्थिति है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि जल्दी से जल्दी काम्प्रिहेंसिव बिल लाए और इसमें दो बातें हों, एक तो रायल्टी का निर्धारण बीच में ही आप तय करिए, इस सवाल का जवाब आप इस रूप में मत दीजिए कि 1994 तक हम रायल्टी का रिवीजन नहीं करेंगे। रायल्टी का रिवीजन तत्काल करिए और कीमत के आधार पर तय करिए, वजन के आधार पर नहीं। दूसरी बात यह है कि एक्ट में संशोधन लाइए, ताकि राज्यों को फिर से सैस वसूलने का अधिकार हो। बिहार की सरकार ने ऐसी बात कही है कि हम जो सैस लगायेंगे, उस सैस की दर जो हम निर्धारित करेंगे, वह केन्द्रीय सरकार के कंसल्टेशन से करेंगे इतनी दूरी तक उन्होंने कहा है, उन्होंने यह नहीं कहा है मनमरजी से हम सैस लगा देंगे। आप उस एक्ट में यह प्रोविजन भी करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बाद ही सैस की दर फिर से निर्धारित होगी। लेकिन राज्यों की सरकारों को सैस लगाने का अधिकार होना चाहिए। जमीन उनकी है, सम्पत्ति उनके यहां से निकल रही है। सारा देश फायदे में जा रहा है; लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम आग्रह करना करेंगे कि इस एक्ट में संशोधन करिए। माईन्स एण्ड मिनरल्स डिवेलपमेंट एक्ट 1957 में संशोधन करिए। जैसा मैंने पहले कहा है रायल्टी को तत्काल निर्धारण करिए और जो सुप्रीमकोर्ट का फैसला हुआ है, उसके मलते राज्यों पर जो देनदारी आई थी, उससे सिर्फ राज्यों को मुक्ति दिलाने के लिए यह बिल लाया गया है। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि पिछली सरकार का यह वायदा था, इस बिल को लाने का, इसलिए यह लाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि रायल्टी के निर्धारण में जिस प्रकार से आपने पक्षपात कर लिया है, वह ठीक नहीं है। अर्जुन सिंह जी के लिए, शरद पवार जी के लिए और नरसिंह राव जी के लिए, मेरा कहना है कि आप तो सारे देश के लिए हैं, आप किसी राज्य विशेष के नहीं हैं। आप तो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। इसलिए पूरे देश का ख्याल कीजिए और जो पिछड़े इलाके हैं, उनका विशेष ख्याल करिए।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सभापति महोदय, जब आप मुझे अवसर दे रहे हैं, तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। जिन परिस्थितियों में इस विधेयक को लाया गया है, हम इसको अपना पूरा समर्थन देते हैं। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक ही एकमात्र लक्ष्य बन कर न रह जाए। आप कृपा करके ऐसे ठोस कदम उठायें ताकि राज्य सरकारों, विशेषकर वे राज्य जिनके पास अत्यधिक खनिज संसाधन मौजूद हैं, को अधिक राजस्व मिलना चाहिए जिससे वे विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को व्यापक स्तर शुरू करने में सक्षम हों। दुर्भाग्यवश, अब वे राज्य, जिनके पास काफी खनिज सम्पदा मौजूद हैं, ही ज्यादा पीड़ित और पिछड़े हुए हैं। बिहार

के पास सर्वाधिक खनिज सम्पदा है। यह सर्वाधिक निर्धन और गरीबी से पीड़ित राज्यों में से एक है। यहां पर अत्यधिक बेरोजगारी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, जो खनिज सम्पदा की दृष्टि से द्वितीय है, भी अधिक विकसित नहीं है। यही स्थिति उड़ीसा और अन्य राज्यों की है।

मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह कतिपय ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ये इस तरह के हो सकते हैं जो श्री नितीश कुमार ने अभी बताए हैं। आपको यह करना चाहिए कि राज्य सरकारों की बढ़ी हुई रायल्टी में से अधिक आय प्राप्त हो। सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि इस समय हम जापान को अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात कर रहे हैं। इसी तरह से, मैंगनीज और अन्य खनिजों का निर्यात किया जा रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कोड़ियों के भाव इस तरह से निर्यात करने की बजाय, आप संयुक्त उपक्रम के लिए उन्हें आमन्त्रित क्यों नहीं करते ? तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सम्बन्ध में कुछ दिन पहले वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस के संसाधनों का दोहन करने और प्राकृतिक गैस को वायुमंडल में जलने की बजाय, उन्होंने कतिपय विदेशी सहयोगकर्ताओं को आमंत्रित किया है। इसी तरह से, खनिज सम्पदा के अन्वेषण में भी कतिपय विदेशी उद्यमों और सहयोगियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिससे इन राज्यों के विकास में सहायता मिलेगी। महोदय, हमारा अनुभव यह है कि अद्यतन प्रौद्योगिकी से इनका कम कीमत पर अन्वेषण किया जा सकता है। जिसका कि अन्ततः प्रभाव तैयार उत्पाद पर पड़ेगा और बदले में इससे हमारे निर्यात को भी सहायता मिलेगी। पाणिग्रही महोदय ने अपने राज्य के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। कतिपय अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है। यहां तक कि आन्ध्र प्रदेश में, ग्रेनाइट के मामले में वही बात हो रही है और सरकार को कुछ दिन पहले ग्रेनाइट के मामले में लाइसेंस देना बन्द करना पड़ा। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि इस बहुत ही दुर्लभ और बहुमूल्य सम्पदा का समाज के कल्याण और राज्य के विकास के लिए सर्वोत्तम तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सरकार और कतिपय व्यक्तियों के कुछ गुप्त समझौते होते हैं और उनसे बहुत ही कम लोगों का फायदा होता है। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि गैर-सरकारी लोगों को फायदा नहीं होना चाहिए। उन्हें युक्ति-संगत लागत पर फायदा होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि उन्हें कौड़ियों के दाम पर सब प्राप्त हो रहे हैं।

मेरी अन्तिम बात यह है कि सरकार के खनिज उपकर, जिसका बड़ा हिस्सा किसी क्षेत्र विशेष से एकत्रित किया जाता है, का उपयोग करने के लिए कतिपय कदम उठाने चाहिए। महोदय, ऐसे क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए। महोदय, हमारा यह अनुभव रहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी लोग अधिकतर असन्तुष्ट हैं। मुझे ये सभी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है।

इस सम्पदा के फायदे इन क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। मैं सरकार से इन निर्धन लोगों के उत्थापन के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का सुझाव देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं।

*कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, मैं खनिज (विधीकरण) विधेयक, 1992, संबंधी उपकर और अन्य कर के सम्बन्ध में अपनी बात रख रहा हूं। महोदय, भारत में काफी संख्या में खानें हैं। प्रत्येक राज्य में किसी न किसी तरह की कोई खान हैं। उड़ीसा में खनिज सम्पदा प्रचुर मात्रा में हैं। यहां पर लौह अयस्क, मैंगनीज, बाक्साइट, डोलोमाइट और चूने पत्थर के भारी भण्डार हैं। यहां पर उत्तम किस्म का खनिज प्राप्त होता है मेरे राज्य में मिलने वाला लौह अयस्क प्रथम श्रेणी का और निर्यात स्तर का होता है। देश को लौह और बाक्साइट का निर्यात करके भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। खनिज और धातु व्यापार निगम को निर्यात हेतु उड़ीसा से लौह अयस्क और खनिज पदार्थ मिलते हैं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता माननीय श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने राज्य में व्याप्त मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है। खानों का स्वामित्व राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी निजी मालिकों के पास है। खनिजों के निकालने में काफी धनराशि खर्च होती हैं। उड़ीसा में खनन उद्योगों में हजारों श्रमिक लगे हुए हैं। वे बहुत ही निर्धन हैं। श्री पाणिग्रही ने उनकी समस्याओं के बारे में बताया है, मैंउन बातों को दोहराना नहीं चाहती।

महोदय, मैं उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले की रहने वाली हूं। वहां पर कोयले और लौह अयस्क की खानें हैं जहां पर कि बहुत संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं।

वहां कुछ डोलोमाईट खानें भी हैं। अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर इन खानों पर निर्भर करते हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं। मैं इस सभा का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदय, जब सरकार उड़ीसा की खानों से बड़ी मात्रा में राजस्व एकत्र कर रही है तो सरकार का यह मुख्य कर्त्तव्य बन जाता है कि वह इन कामगरों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करे। कामगरों के कठिन परिश्रम के कारण ही सरकार इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में उपकर प्राप्त कर रही है। किन्तु कामगर अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। पूरा क्षेत्र खानों के कारण प्रदूषित हो गया है। अतः, कामगर टी.बी. तथा कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। किन्तु उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अस्पताल नहीं हैं। यहां तक कि पूरे राज्य में ई.एस.आई हस्पतालों की संख्या भी बहुत कम है। दवाईयों तथा उचित उपचार के अभाव में कामगरों की असमय मृत्यु हो रही है। अतः; सरकार को उनके लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए।

महोदय, कामगर बहुत ही गरीब हैं। प्रत्येक खनन पट्टी में स्कूल नहीं हैं। अतः, कामगरों के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यदि कुछ विद्यार्थियों को प्राथमिक और माध्यमिक

* मूलतः उड़ीया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तक शिक्षा मिल जाती है तो वे इससे अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। एक तो अपने माता-पिता की गरीबी के कारण तथा दूसरे वहां पास में कोई कालेज नहीं हैं। अत:, सरकार को कामगरों के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल खोले जाने चाहिए नहीं तो वे क्षेत्र पिछड़े तथा अशिक्षित ही रह जायेंगे।

इसके बाद महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह खनन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे। प्रत्येक वर्ष खनन कार्य द्वारा एक बड़े वन क्षेत्र को निरावृत कर दिया जाता है। खानों की खुदाई के बाद उस जमीन को भरने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नियमों के अनुसार खाली तथा निरावृत वन क्षेत्र के खनन कार्य के तुरन्त बाद भरना चाहिए। परन्तु वास्तव में ऐसा किया नहीं जाता। इसके परिणामस्वरूप पूरा क्षेत्र अनुप्रयुक्त तथा खाली पड़ा है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन खनन क्षेत्रों में तत्काल वन-रोपण कार्यक्रम आरम्भ करे। क्षेत्र की परिस्थितियों को किसी भी कीमत पर पुन: बहाल किया जाना चाहिए। इन सुदूर क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों का प्रणालीबद्ध तरीके से विकास करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय मेरे पास समय बहुत कम है। अत:, मैं उन कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकता जिन्हें मैं उठाना चाहता था। मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए धन्यवाद।

मैं खुले दिल से विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हाराधन राय, आपकी पार्टी ने पहले ही 16 मिनट का समय अधिक ले लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, ऐसा नहीं है कि केवल मेरी पार्टी ने अधिक समय लिया है। सभी पार्टियों ने ऐसा किया है।

सभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वक्तव्य को चुनौती न दें। मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं कि आपकी पार्टी ने 16 मिनट का अधिक समय लिया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात को चुनौती न दें। मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं। कृपया अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हाराधन राय : सभापति महोदय, मैं बंगाली में बोलूंगा।

सभापति महोदय : कृपया केवल दो मिनट।

श्री हाराधन राय : महोदय, मैं दो मिनट में किस प्रकार अपनी बात समाप्त कर सकता हूं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने पहले ही 16 मिनट का अधिक समय ले लिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हाराधन राय : नहीं यह सच नहीं है। अन्य पार्टियों ने भी समय लिया है। यह बात केवल मेरी पार्टी पर ही लागू नहीं होती।

सभापति महोदय : श्री हाराधन राय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वक्तव्य को चुनौती न दें।

श्री हाराधन राय : नहीं महोदय, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने पहले ही सोलह मिनट का समय अधिक ले लिया है तथा यह सबसे अधिक लिया गया समय है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वक्तव्य को चुनौती न दें। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

***श्री हाराधन राय :** महोदय; मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि जिन राज्यों में खानें तथा खनिज अधिक हैं, उन राज्यों के विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। इन राज्यों को उपकर तथा कर वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा वे कुछ राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत रायल्टी प्राप्त कर रहे हैं। खनिजों तथा खानों के सम्बन्ध में उपकर तथा अन्य कर लगाने सम्बन्धी इन राज्य अनिनियमों को उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य अपने खनिज संसाधनों से राजस्व एकत्रित नहीं कर सकते। जब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के साथ, ये राज्य अपने बकाया उपकर तथा कर वसूल कर सकेंगे। किन्तु भविष्य में क्या होगा। प्रश्न भविष्य का है। अब सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से कुछ मामलों में रायल्टी बढ़ा दी है। किन्तु जैसा कि पहले वक्ता श्री नितिश कुमार द्वारा बनाया गया था कि कुछ क्षेत्रों में रायल्टी कम हो गई है। उन्होंने राज्यों में रायल्टी से सम्बन्धित कई आंकड़े बताये हैं तथा यह दिखाया है कि किस प्रकार कुछ राज्यों में यह कम हो गई है। उन्होंने जो कुछ पहले कह दिया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल सरकार का मामला उच्चतम न्यायालय के पास लम्बित पड़ा है तथा अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, हम नहीं जानते कि न्यायालय का क्या निर्णय होगा।

महोदय, स्कूल, कालेज, अस्पताल, पीने का पानी उपलब्ध कराना, सड़कें, संचार व्यवस्था आदि विकास सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त लोगों के लिए विशेषकर कठिन परिश्रमी लोगों के लिए कल्याण विकास योजनाओं के लिए धन की भी आवश्यकता है। राज्य सरकारें इस प्रकार के विशेष विकासात्मक कार्यक्रमों को हाथ में नहीं ले सकती, यदि उन्हें पूरी तरह कर उगाही अन्यक रायल्टी नहीं मिलेगी।

* मूलतः बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आसनसोल क्षेत्र में हमारी खानें हैं और इसके परिणामस्वरूप मेरे क्षेत्र बुर्दवान के तालाब और कुएं सूख गए हैं इसलिए पीने का पानी उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्र जल कार्य योजना को शुरू किया है। उस कोयला क्षेत्र का नाम जल कार्य योजना है और इसका कार्य पूरे क्षेत्र का नाम जल कार्य योजना हैं और इसका कार्य पूरे क्षेत्र को खासकर दो उपखण्डों आसनसोल और दुर्गापुर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें कम से कम 80 से 85 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अगर राज्य सरकार उपकरों और करों की वसूली नहीं करेगी तो वह इस क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकेगी। पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में केन्द्र राज्य सरकार को सहयोग नहीं कर रहा है।

इसके अलावा खानों के होने से गांवों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खानों से जलने वाली गैस और अवतलन उत्पन्न हो रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे इस प्रभावी क्षेत्र को छोड़ कर चले जाए। उनको पुनर्स्थापित करना और उन्हें मुआवजा देना केन्द्र का उत्तरदायित्व है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र इस सन्दर्भ में कोई (कार्यवाही) उपाय नहीं कर रहा है। इसके कारणवश पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलपुर में एक विस्तृत कोम्पलैक्स स्थापित किया है। 600 एकड़ भूमि के औद्योगिक और वाणिज्यिक कोम्पलैक्स में आवासीय कोम्पलैक्स जिसमें बैंक, स्कूल, कालेज और अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

राज्य सरकार उपकर और रायल्टी की वसूली किये बिना विकासात्मक योजना को पूरा नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में कोयला खानें होने की वजह से प्रदूषण भी भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है हम लोग प्रदूषण और पर्यावरण समस्या के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं। हमने केन्द्र विशेषज्ञ और खान विभाग से निवेदन किया है कि वह गांवों और शहरों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्थिति का निरीक्षण करें।

विशेषज्ञ समिति के अनुसार इस क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए 960 करोड़ से 5600 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। एक अन्य सरकारी संस्थान सी.एम.पी.जी,एल के अनुसार भी प्रदूषण नियन्त्रण और स्थिरीकरण के लिए 900 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कई प्रदर्शनों और आन्दोलनों के पश्चात् केन्द्र 5 करोड़ रुपये देने को राजी हुआ है। लेकिन यह 5 करोड़ रुपया किस प्रकार दिया जाए अभी तक पता नहीं है।

इसलिए हमारी सरकार और हम लोग एक व्यापक अधिनियम बनाने की मांग कर रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने और उसे पारित करने का

उत्तरदायित्व लेना चाहिए। यह एक विधायी निर्णय है और इस कार्य के लिए पश्चिम बंगाल को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि निर्णय लेते हुए राज्य सरकार से भी परामर्श करना चाहिए अगर केन्द्र राज्य सरकार को विश्वास में लिये बिना कोई निर्णय लेती है तो राज्य को उसके मुनासिब हिस्से से वंचित रखा जाएगा। इस प्रकार राज्य से परामर्श, केन्द्र-राज्य संबंधों को मधुर बनाते हैं।

इसलिए केन्द्र को विभिन्न राजनीतिक नेताओं, संसद सदस्यों और उन राज्यों में जो खनिज सम्पदाओं तथा खानों से भरपूर है, परामर्श करके विश्वास में लाकर व्यापक विधेयक के साथ आगे आना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने और स्वयं मैंने एक अन्य तथा खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम के बारे में कई बार मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। यह अधिनियम राज्यों के लिए लाभकारी नहीं रहा है इसलिए हमें एक व्यापक अधिनियम की आवश्यकता है ताकि राज्यों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

मैं आपका ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पुराने जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन 999 वर्षों के लिए पट्टे पर पड़ी हुई हैं। यह सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है इसलिए इस अधिनियम को भी संशोधित करने की आवश्यकता है और यह संशोधन राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही किये जाने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन एकदम स्पष्ट हैं। केन्द्र को राज्य के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि राज्य अपनी कल्याणकारी विकास योजनाओं को उचित प्रकार से चालू कर सकें। इससे राज्यों को उपकरों और रायल्टी की पूरी वसूली करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा अलगाववाद की समस्या बार-बार उभर कर सामने आएगी। आज पूरा भारत समस्याओं से घिरा हुआ है। हम नहीं चाहते कि वे राज्य अपने अधिकारपूर्ण हिस्से से वंचित रहे जो देश की खनिज सम्पदा में योगदान देने के लिए जिम्मेदार हैं। यह लोग शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके साथ भेदभाव रखा जाएगा और अगर उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया जाएगा तब अवश्य ही वह अपने खनिज ससाधनों को दोहन करने के अधिकार के प्रश्न को उठाऐंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि केन्द्र को द्विमागीकरण और मतभेद को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। राज्यों में सलाह-मशविरा करने के पश्चात् केन्द्र को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ताकि राज्य अपने उपकरों और रायल्टी की पूर्ण वसूली कर सकें। ऐसा करने पर ही हम शान्ति, कानून और व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.00 म.प.

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, माननीय सदस्य नितीश जी ने जो कहा है, उस बात का समर्थन करते हुए मैं समझ रहा हूं कि आपका यह बिल अधूरा है।

सुप्रीम कोर्ट के जरिये जो राज्यों के अधिकार पर कुठाराघात किया गया था, उसकी आपने पूर्ति करने का इसमें प्रयास किया है लेकिन बिहार जैसे राज्य को, आप जानते हैं कि सारे हिन्दुस्तान का 90 फीसदी कोकिंग कोल बिहार में होता है और दूसरे मरकज़ में, हिन्दुस्तान के खनिज पदार्थों का 46 फीसदी हिस्सा केवल बिहार देता है लेकिन आपने अभी जो रायल्टी की दरों में वृद्धि की है, उससे बिहार की जनता और केवल हमारी सरकार ही नहीं बल्कि तमाम वामपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करके यहां पर भी आन्दोलन किया था।

बोट क्लब के सामने प्रदर्शन किया रायल्टी के प्रश्न को लेकर। आप सदन में यह बिल अधूरा लेकर आए हैं और मुख्य बात को नजरअन्दाज कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को लाभ हो गया, लेकिन उड़ीसा और बिहार जैसे राज्य पिछड़े रह गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सर्वसम्मित से मांग है कि रायलटी भाव के आधार पर तय कीजिए ताकि बिहार की विकास की योजनायें लागू हों। बिहार में पैसे के अभाव में बिहार की योजनायें सम्पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। बिहार में प्राकृतिक सम्पदा होने के बावजूद भी और अगर आपका बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार रहा तो बिहार का विकास नहीं होगा, लेकिन आपने इस बिल को लाकर एक अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाए और ऐसा बिल लाए जिन राज्यों में खनिज सम्पदा है, उन राज्यों को उससे मिलने वाली राशि से विकास के काम में सहायता मिल सके। इसमें कोई दल का भेद नहीं है, वामपंथी लोग और जनता दल इस बात की मांग कर रहे हैं और हमारे मुख्यमन्त्री ने भी इस बात को कहा है, फिर भी आप वह नीति नहीं बनाते हैं। आप सोचते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहीं के लिए विकास की योजनायें बनायें और रायल्टी को बढ़ाया जाए। यह एक अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। मैं इसका विरोध करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि कीमत के आधार पर रायलटी का अधिकार दिया जाए ताकि उन राज्यों का विकास हो। साथ ही साथ काम्प्रिहैंसिव बिल लाइए, ताकि पिछड़े हुए राज्य हैं, जहां पर प्राकृतिक सम्पदा है, उन राज्यों के अन्दर सुविधायें बढ़ाने के लिए और उन को लाभकारी मूल्य देने के लिए। यदि आप इस प्रकार का बिल लायेंगे तो खुशी की बात होगी और स्वागत योग्य बात होगी।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : सभापति जी, मैं तमाम माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस से बिल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए है, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्यों ने, मुझे लगता है, सर्वसम्मिति से इस बिल को लाने का समर्थन किया है। यह बात अलग है कि उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। सुझाव महत्वपूर्ण है, मूल्यवान हैं और सरकार उन पर विचार करेगी।

इस संबंध में मुझे निवेदन करना है कि जिन राज्य सरकारों ने अपने राज्य कानूनों के तहत लेवियां लगाई थीं, वे प्रस्तावित कानून को जल्दी लागू करने के लिए जोर डाल रही थीं, ताकि

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई राशियों को विधिमान्य बनाया जा सके। मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों ने इस मामले में तात्कालिता को देखते हुए, एक अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुरोध किया था।

लगभग 40 याचिकाएं जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई और अनुरोध किया गया कि वे एम०पी० उपकर अधिनियम, 1981 और एम०पी० कराधान अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत वसूल की गई लेवियों को लौटाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दें।

उड़ीसा में भी इसी प्रकार की स्थिति थी। उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने उड़ीसा सरकार द्वारा खनिजों पर लगाए कर उपकर और अन्य करों की विधिमान्यकरण करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित करने का अनुरोध करते आ रहे थे, इसके लिए पत्र भी लिखे थे और उनसे संपर्क भी स्थापित किया था, जिसे मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा सरकार और मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। माननीय सदस्यों ने कहा कि इस अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता थी, इसको लाने की आवश्यकता इसलिए थी, चूंकि संसद के दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही थी और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने कानूनों के तहत 4.4.1001 तक एकत्र किए गए उपकर को विधिमान्यकरण करने की आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1992 को खनिज उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 7) प्रख्यापित किया गया।

इन परिस्थितियों में, राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1992 को प्रख्यापित खनिज उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकर) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 7) को सदन द्वारा अस्वीकृत करने के लिए प्राइवेट मेम्बर्स का प्रस्तावित संकल्प न्यायोचित नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस संकल्प पर जोर न डालें।

इसके अलावा कुछ सदस्यों ने विचारार्थ प्रस्ताव में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो यह अध्यादेश कालातीत हो जाएगा। इस अध्यादेश और इसके स्थान पर विधेयक लाने का आशय राज्य सरकारों को लाभ पहुंचाना है।

5.11 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।]

अनेक राज्यों द्वारा, विशेष रूप से जहां सम्पन्न खनिज है, विभिन्न खनिजों पर अलग-अलग लेवियां उन राज्यों के वित्त का बड़ा भाग होती हैं। राज्य सरकार द्वारा पहले ही वसूल की गई और उपयोग की लेवियों को लौटाने से राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय दबाव आ जाएगा और साथ ही इससे विभिन्न विकास कार्यक्रमों काकाम रुक जाएगा, धीमा पड़ जाएगा अथवा छोड़ दिया जाएगा। यदि यह राशि लौटाई जाती है तो, इसका निसंदेह राज्य सरकारों को गंभीर अपूर्णीय

नुकसान होगा। किन्तु यदि ये राशि नहीं लौटाई जाती है तो खनन पट्टा धारियों को कोई बड़ी हानि नहीं होगी क्योंकि ये लेवियां उन्हीं के माध्यम से वास्तविक खपत कर्त्ताओं के पास गई हैं। यदि कोर्ट का निर्णय सच्चे अर्थों में कार्यान्वित किया जाए तो इसे लौटाने का लाभ यदि कोई होगा, तो वह वास्तव में उन खपत कर्त्ताओं को मिलना चाहिए जिन पर अन्ततः इन लेवियों का भार पड़ता है तथापि, यह असंभव नहीं तो काफी कठिन होगा कि एकत्र की गई लेवी वास्तविक खपत-कर्त्ताओं को मिले, चूंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है और इनमें से अनेक तत्काल मिलेंगे भी नहीं।

इस बात को देखते हुए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हमारी सरकार का न तो कोई फायदा है और न इससे हमारी सरकार का कोई नुकसान है। हमारा जो उद्देश्य है वह सिर्फ इतना ही है कि इसमें राज्य सरकारों की मदद की जाए, वास्तव में उनके सामने यह संकट और एक समस्या आ गई है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वैसे तो इसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया है, कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसके सम्बन्ध में नितिश कुमार जी ने मुझ से एक-दो बातें कहीं हैं कि माननीय प्रधानमन्त्री जी ने अपना फायदा पहुंचाने के लिए किया है। तो आन्ध्रप्रदेश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आन्ध्रप्रदेश को इससे कुल करीब 15 लाख 47 हजार रुपए का घाटा होगा, फायदा नहीं होगा। आपने बताया कि आंध्रप्रदेश को लाभ होगा, लेकिन आंध्रप्रदेश को इससे नुकसान होगा है।

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : आपका ही दिया हुआ उत्तर है, उसके आधार पर मैंने कहा है। यह बात आप कैसे कह रहे हैं।

श्री बलराम सिंह यादव : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो रायल्टी का रिवीजन है, वह तो हो चुका है।

श्री नितीश कुमार : एक मिनट मंत्री जी मेरी बात सुन लें। यह लोकसभा का स्टार्ड क्वेश्चन नंबर 670, दिनांक 3 सितम्बर 1991 के उत्तर में सरकार ने बताया है—

[अनुवाद]

> "1989-90 वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और सिंगरानी कोलरिज कम्पनी लिमिटेड द्वारा राज्यवार एकत्रित और वितरित की गई रायल्टी और उपकर दिनांक 1.8.91 से प्रभावी कोयले की रायल्टी पर रायल्टी की संशोधित दरों के आधार पर राज्यों को मिलने वाली लगभग रायल्टी की राशि नीचे दर्शायी गयी है....."

[हिन्दी]

यह तो कहा कि जो रायल्टी का रेट निर्धारित किया है, उसके आधार पर 1989-90 में जो इनको मिला, उसके स्थान पर क्या मिलता, मतलब आगे के सालों में फायदा होगा। ये आपके

दिए हुए आंकड़े हैं, हमने अपनी तरफ से नहीं दिए हैं।

श्री बलराम सिंह यादव : यह प्रश्न कौल विभाग से सम्बन्धित था हमारे विभाग से संबंधित नहीं था।

श्री नितीश कुमार : मैं कोयले के बारे में ही कह रहा हूं। क्या यह एक्ट सारे मिनरल्स पर इफेक्टिव नहीं होगा, क्या यह कोयले पर इफेक्टिव नहीं होगा ? (**व्यवधान**)

श्री बलराम सिंह यादव : कुछ माननीय सदस्यों ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाने के बारे में कहा है कि उनको टैक्स लगाने का या टैक्स बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि यह जो एम.एम.आर.डी एक्ट है, यह इसलिए बनाया गया है, इसका कंसेप्ट यह है कि देश के अन्दर माइन्स एण्ड मिनरल्स का एक प्लेन्ड और यूनीफार्म तरीके से विकास हो सके। रायल्टी के अलावा सेस का जहां तक सवाल है, देखा यह गया कि किसी स्टेट ने तो एक पर्टीकुलर मिनरल पर 100 रुपए प्रति टन लगा दिया, किसी स्टेट ने 400 रुपए और किसी स्टेट ने 900 रुपए प्रति टन सेस लगा दिया। मान्यवर यह पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दृष्टिकोण का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कोशिश यह की जाती है कि यूनीफार्म रेट्स लगाए जाएं।

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, वे ठीक हैं। रायल्टी रिवीजन के बारे में राज्य सरकारों की तरफ से स्वागत किया गया है। राज्यों से मिनिस्टर्स के फोन मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने यह अच्छा कर दिया है, इसको जल्दी करवा दिया है। तो ऐसा कोई खास विरोध राज्य सरकारों की तरफ से कहीं से नहीं आया है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : क्या कोयले की रायल्टी के बारे में भी सब स्टेट्स ने आपको कांग्रेचुलेट किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव : मैंने कहा है कि कहीं से ज्यादा विरोध नहीं आया है। लगभग सभी गवर्नमेंट्स ने इसको वेलकम किया है, कहीं से कोई खास विरोध नहीं आया है।

श्री नितीश कुमार : बिहार में इसका विरोध किया गया है और लोगों ने अनुरोध किया है कि माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन किया जाए और सेस वसूलने का अधिकार फिर से उनको मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि सेस जो लगाएंगे वह आपकी कंसल्टेशन से लगाएंगे, आपको कंसल्टेशन से रेट तय करेंगे, आपने जैसा कहा कि अपनी मर्जी से लगा देते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी से लगाएंगे, आपकी सलाह से लगाएंगे, जितना भी लगाना होगा। यह एक साइंटिफिक अप्रोच हो सकती थी। इस तरह से बिहार सरकार ने विरोध तो किया है। (**व्यवधान**)

श्री बलराम सिंह यादव : आपके चीफ मिनिस्टर ने तो हमको फोन किया है, सबने वेलकम किया है और आप यहां पर ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं से विरोध नहीं आया है, लगभग सभी ने इसका स्वागत किया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदय, उड़ीसा सरकार ही नहीं बल्कि उड़ीसा विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस रायल्टी में गलत वृद्धि के बारे में भारत सरकार से सिफारिश भी की थी। उड़ीसा सरकार को इससे नुकसान होगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। इस तरह का कोई रेज्यूलूशन मेरे सामने नहीं आया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह उनकी सूचना है।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : असंगतियां भी होती हैं और यहां भी असंगति है। कोयले के अलावा अन्य खनिजों के बारे में कह रहे हैं। जिन मुद्दों को माननीय सदस्यों ने उठाया है वे कोयले से संबंधीत हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर देते समय उन्हें दोनों में अन्तर रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मैंने बताया कि कोल इससे अलग है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कोयले के मामले में जब पहली बार इसमें संशोधन की घोषणा की गई थी तो मुख्य मन्त्री काफी प्रसन्न थे। बाद में राज्यों में जाकर काफी समय के बाद परिकलन आदि करने के बाद उन्होंने कुछ पत्राचार किया है। उन्होंने विरोध किया। उन्होंने लिखा है। कुछ विधानसभाओं में इस पर चर्चा हुई है। कुछ संकल्प पारित किये गए और सभी कुछ हुआ। रायल्टी में संशोधन की आवश्यकता के लिए ···

सभापति महोदय : उस पर चर्चा मत कीजिए। यह क्या हो रहा है ? कृपया मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह उनका कथन है कृपया उनकी बात सुनिये ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है । यह माननीय मन्त्री महोदय का कथन है । कृपया उन्हें समाप्त करने दें इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य ..... *

सभापति महोदय : कुछ भी अभिलिखित नहीं किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, कोयले की रायल्टी का अलग सब्जैक्ट है । इसकी जानकारी कोयला मन्त्री से करनी चाहिए । उसके बारे में मैं सूचना नहीं दे सकता हूं ।

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मेरा प्वांइन्ट आफ आर्डर है । मुझे आपकी प्रोटैक्शन चाहिए । एक्ट कौन बनाएगा ? कोल की रायल्टी के रिवीजन के बारे में हम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माइन्स एण्ड मिनरल्स डिवलेपमेंट एक्ट 1957 में अमैण्ड किया जाए । बिहार, उड़ीसा और बंगाल की सरकारों ने मांग की है । आखिर इस एक्ट को कौन लाएगा ? उस बिल को कौन पायलट करेगा ? इसी हाउस में नवीं लोक सभा में ऊर्जा मन्त्री श्री कल्याण सिंह कालवी ने जवाब दिया था कि एक्ट माइन्स एण्ड मिनरल्स डिपार्टमेंट लाएगा । उसी को मैंने आरम्भ में अपने भाषण में कोट किया है, जब मैंने अपनी बात कही । ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यह है, बिल ये लायेंगे, एक्ट इनके कहने के आधार पर बनेगा । इसके आधार पर हम कह रहे हैं । कोल डिपार्टमेंट से पूछिए, यह कह कर भाग नहीं सकते ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मन्त्री महोदय स्पष्ट कर सकते हैं । बस इतना ही मुझे कहना है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं जानते । कोयले से अधिकतम आय प्राप्त होती है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, जो एम.एम.आर.डी. एक्ट है वह अपने आप में पूर्ण है । इसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्यों की भावनाएं और सुझाव मैंने नोट किए हैं । मैं विचार करूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है ।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : अगर उड़ीसा जैसे राज्य को कोयले की रायल्टी से 100 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ रही है तो इसका कारण भारत सरकार का उड़ीसा राज्य के प्रति ऐसा दृष्टिकोण है। यह भारी हानि कोयले पर हो रही है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : भारत सरकार को यह आश्वासन चाहिए कि वह इस पर विचार करेगी, यही असन्तोष का कारण है।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार : अधिकारियों ने इनको ठीक से ब्रीफ नहीं किया। बिहार में सबसे बड़ा कोल का भंडार है और सबसे ज्यादा झंझट उसी प्रदेश में हो रहा है। खास तौर से ईस्टर्न रीजन में, बिहार बंगाल और उड़ीसा में। उसी के दर्द को हमने यहां पर रखा था। मध्यप्रदेश में कम है, अर्जुन सिंह जी का राज है, ले लिया, आन्ध्र प्रदेश में कम है, नरसिंह राव जी प्रधान मन्त्री हैं, ले लिया। शरद पवार के यहां महाराष्ट्र में कम है, लेकिन ले लिया। हम कह रहे हैं कि तीन राज्य से आपने छीन लिया। यह हम यहां रख रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इनको तैयार हो कर आना चाहिए था कोल के लिए।

श्री अर्जुन सिंह : हमसे आकर मिलिए तो मैं राज बताऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए है तो मैं उनका स्वागत करता हूं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा कानून के दायरे में मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैंने इस अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव इसलिए रखा था कि 14 फरवरी 1992 को यह अध्यादेश महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षरों से प्रसारित किया गया। आपको ध्यान होगा कि 24 फरवरी को लोक सभा का सत्र समाप्त हो गया था। उस दस दिन के अन्तर में आपको अध्यादेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आप सीधे ही बिल ले आते तो महामहिम राष्ट्रपति जी को बुढ़ापे में कष्ट नहीं होता दस्तखत करने का। सरकार चलाने की जो प्रवृत्ति आप बना रहे हैं और इस अध्यादेश की जो महत्ता है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) मैंने इसमें कोई बुरी बात नहीं कही है। ....(व्यवधान) जब सत्र खत्म हो रहा था तो जल्दी से जल्दी यह अध्यादेश निकाला इसलिए मैंने इसको निरस्त करने वाली बात कही है। अच्छी भावना से यह बिल लाए हैं और राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों को बधाई दे दो कि राज्य सरकारें इस रायल्टी की रकम को यथावत वसूलें। कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधान मंडलों को इस प्रकार की रायल्टी वसूल करने का कोई

अधिकार नहीं है। यह उन्होंने फैसला दे दिया। राज्य विधान मंडलों ने जो उनसे रकम वसूल की थी तो उसका प्रश्न सामने आकर खड़ा हो गया विशेषकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) यह समस्या आ गई इसलिए इस बिल को यहां पर लाए। एक बार बताएं कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्रा जैसी कुछ राज्य सरकारों ने उपकर जैसे शुल्क को बहाल किया. रायल्टी के अलावा अन्य शुल्कों के मामले में विभिन्न राज्यों में एकरूपता रखना और उपकर की कमी को पूरा करने के लिए रायल्टी की दरें बढ़ाने की मांग की। मैं राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रांत से आता हूं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको पत्र लिखा है कि खनिज रायल्टी की दरों में संशोधन किया जाए। और संशोधन किया जाये कि राज्य सरकार ने केन्द्र से ताम्बा, लाइम स्टोन ग्रेनाइट की रायल्टी लेने के लिए आपसे अनुरोध किया है आपसे उस पर कोई विचार नहीं किया और न ही अपने उत्तर में कहा। आपने जो 1989 में कमेटी बनाई थी, उस अध्ययन दल ने रायल्टी दरों में परिवर्तन होना चाहिए ऐसी सिफारिश की थी और अप्रैल 1990 में सब प्रकार की रायल्टी बढ़ाने की सिफारिश की थी। उस कमेटी की सिफारिशों को आप कब लागू करने जा रहे हैं यह भी बतायें ? आप उनको लागू नहीं कर रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान में जो एरिया है वहां जो प्राकृति गैस इत्यादि है उनके कार्यक्रम में तेजी लाने की बात अलग रही जो राजस्थान के लघु खनिज उद्योग हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण में है उनको आप इस श्रेणी में लेकर खनिज लाइम स्टोन, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन आदि को राज्य सरकार के नियंत्रण से छीनकर केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले रही हैं, आखिरकार हमारे प्रांत का क्या होगा ! वहां जो राज्य सरकार ने खनिजों के पट्टे लोगों को देने की बात कर रखी है इससे उन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सारी बातों को छोड़कर आपको रायल्टी की दरों में समय-समय पर परिवर्तन करना चाहिए और नियम यह है कि प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् आप खनिजों की रायल्टी में अनिवार्य रूप से परिवर्तन करेंगे। आप यह बतायें कि रायल्टी की दरों में कब परिवर्तन किया है ? आठ-आठ, नौ-नौ वर्ष हो गये रायल्टी की दरों में परिवर्तन किए हुए। जहां केन्द्र सरकार का प्रश्न हो, चाहे उत्पादन कर हो, चाहे आयकर हो, चाहे सीमा शुल्क हो इनमें प्रतिवर्ष परिवर्तन करेंगे और खनिजों में जो 20 प्रतिशत तक परिवर्तन करने का प्रावधान है वह नहीं ...करेंगे। आप अध्यादेश लाये हैं उसको निरस्त करने का प्रस्ताव मैंने इसीलिए रखा है कि 14 फरवरी और 24 फरवरी के बीच 10 दिन के लिए इसे यहीं निकालना चाहिए था। केन्द्रीय सरकार के साथ अन्याय नहीं करें और रायल्टी की दरों में कब संशोधन करेंगे यह विश्वास दिलायें तो मैं अपने संशोधन को वापस लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा।

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि ग्रेनाइट, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन इत्यादि को भारत सरकार अपने हाथ में ले रही है, ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य को खामख्वाह वहम हो गया है। ये कहते हैं कि इसको हम शिड्यूल में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के अभी विचाराधीन नहीं है। जहां तक आपने रायल्टी के बारे में पूछा है....

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कोयले के बारे में बतायें ?

श्री बलराम सिंह यादव : कोयले की रायल्टी से यहां मतलब नहीं है। उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने राज्य सभा में रामप्रसाद अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार का इस प्रकार से रायल्टी बढ़ाने का राजस्थान का प्रस्ताव हमारे सामने विचाराधीन हैं।

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, जिस समय रायल्टी बढ़ाई थी उस समय तमाम राज्य सरकारों की रिक्तेमेडेशन्स आई थीं। उन सारी रिकमेडेशन्स पर विचार करने के बाद ही यह रायल्टी रिवीजन दिनांक 17 फरवरी, 1992 को कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना संविधित संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यदि माननीय मंत्री महोदय का यह कथन सत्य है और वैसा संशोधन कर दिया है, तो मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिए तैयार हूं। ईमानदारी मंत्री महोदय की है। यदि सदन मुझे अनुमति देवा तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए तैयार हूं।

श्री बलराम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं बता चुका हूं कि 17 फरवरी, 1992 को रायल्टी का रिवीजन हो चुका है और उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव के ऊपर जोर न दें और इसको पास होने दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय । क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संविधान संकल्प वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : विचारार्थ प्रस्ताव के लिए एक संशोधन है श्री जी.एल, भार्गव, क्या आप अपने संशोधन को वापिस ले रहे है ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा और सदन की अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जो आश्वासन दिया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने संशोधन वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने की सदन अनुमति देता है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 2, सदन की अनुमति से वापस लाया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ राज्य विधियों के अन्तर्गत खनिजों पर उपकरों और कतिपय अन्य करों के आरोपण तथा संग्रहण को मान्यता देने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और खण्ड 3 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और खण्ड 3 विधेयक में जोड़े गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची को विधेयक में जोड़ा गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़े गए ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, यह प्रस्ताव करें :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री लोक नाथ चौधरी : इससे पहले कि प्रस्ताव को पारित किया जाए, मैं कहना चाहूंगा कि हमने चर्चा के दौरान कतिपय मुद्दे उठाए हैं। हम माननीय मन्त्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सबसे पहले, हमने यह प्रश्न उठाया कि रायल्टी का निर्धारण मात्रा पर नहीं, मूल्य पर किया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो हमने उठाया वह उस हानि के बारे में है जिसे राज्य, विशेषकर उड़ीसा, कोयला रायल्टी के संबंध में, उठा रहे हैं।

तीसरा, प्रश्न, जिसके बारे में हमारा सुझाव था कि एक व्यापक कानून बनाया जाए, जिससे कि राज्य उपकर एकत्र करने में सक्षम हो सकें तथा सभी प्रकार के वैधानिक प्रतिबन्धों एवं बाधाओं को हटाया जाए।

मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय का उन सारे मुद्दों पर क्या कहना है।

श्री श्रीकान्त जेना : मन्त्री महोदय को कोयला रायल्टी के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। आन्दोलन न केवल उड़ीसा में, बल्कि बिहार और बंगाल में भी चल रहा है। जिस प्रकार से आपने कोयले पर रायल्टी निर्धारित की है, वह बिलकुल अनुपयुक्त है तथा इससे उड़ीसा सरकार लगभग 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की हानि उठाने जा रही है।

उड़ीसा विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि भारत सरकार का रायल्टी निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

भारत सरकार को इस पर शीघ्र पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि उड़ीसा सरकार के पास, रायल्टी के अतिरिक्त और कोई अन्य संसाधन नहीं है। वे इसी पर निर्भर करते हैं। मन्त्री महोदय को चाहिए कि वह इन तीन राज्यों—उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल—के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं तथा इस संबंध में कोई निर्णय लें। मन्त्री महोदय को एक निश्चित आश्वासन देना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि मन्त्री महोदय इस बारे में सकारात्मक रुख अपनाएंगे तथा शीघ्र ही इन तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे।

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार : हम मन्त्री जी से क्लेरीफिकेशन चाहेंगे कि जो बिहार की सरकार ने कहा है, माईन्स एण्ड मिनेरल्स डेवलपमैंट एक्ट 1957 में ये संशोधन लाने जा रहे हैं या नहीं ताकि सैस वसूलने का अधिकार फिर से राज्य सरकारों को मिल जाए। रायल्टी की दर इन्होंने जो निर्धारित की है वह अनसाईंटीफिक है, उसका ऐडवैलोरैम करने जा रहे हैं या नहीं। मतलब कीमत

के आधार पर रायल्टी तय होगी या नहीं या अभी तक जो वजन के आधार पर चल रही है वह चलती रहेगी। हम इन दो बिन्दुओं पर क्लैरीफिकेशन चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : इस विधेयक का प्रयोजन बहुत ही सीमित है, अर्थात्, संग्रहीत उपकर को केवल पुन: वैध ठहराना। उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है और उसे पुन: वैध ठहराया जाना है।

जब माननीय सदस्यों ने कुछ बाह्य प्रश्नों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं, मैंने भी एक प्रश्न उठाया है जिसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह अपना स्पष्टीकरण दें अर्थात् उड़ीसा सरकार द्वारा भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कतिपय लकड़ी के कोयले की खानों को बहुत ही कम कीमत पर एक निजी औद्योगिक घराने को हस्तांतरित किए जाने के बारे में आपका क्या कहना है? मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर स्पष्टीकरण दिया जाए।

एक दूसरे लकड़ी के कोयले के संयत्र को भी अनाप-शनाप बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया था।

श्री श्रीकान्त जेना : श्री पाणिग्राही जी, इस कोयले के मुद्दे को मिलाइये मत।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कुछ मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमन्त्री की तरह, ऐसे भी हैं जो दो नावों में पैर फंसाने में सक्षम हैं। यही उनका दृष्टिकोण है। यह श्री श्रीकान्त जेना का दृष्टिकोण है। वह क्यों आपत्ति उठा रहे हैं? ऐसा वह केवल वाद-विवाद को लम्बा खींचने के लिए कर रहे हैं। विधेयक को पारी करने के समय, स्पष्टीकरण मांगना और किसी बात को मुद्दा बनाना, एक बाह्य मामला होता है।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय सदस्यों ने दो-तीन पाईंटस रेंज किए हैं। एक तो आपका कहना है कि कम्प्रीहैंसिव लॉ बने ताकि सैस लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाए। एम०एम०डी० एक्ट कम्प्रीहैंसिव एक्ट है और मैं समझता हूं कि आज उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सैस लगाने का सवाल है, यह मामला रायल्टी के ऊपर जो स्टेट गवर्नमैंट ने सैस लगाया था उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट कोटका जजमैंट हुआ। जहां तक कीमत के आधार पर ऐडवैलोरेम रेटस की बात जो कही है, इसको करना कतई उचित नहीं है क्योंकि कीमतें बाजार से तय होती है और जो क्वांटिटी है उसके आधार पर ही इस पर काफी विचार करके तय

किया गया है। कीमतें आज कुछ हैं, कल कुछ होंगी, परसों कुछ होंगी, कीमतों में उतार-चढ़ाव आता रहता है इसलिए सोच समझकर क्वांटिटी के आधार पर इसको किया गया है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। आप ऐसा जानबूझ कर कर रहे हैं। (व्यवधान)

आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसके द्वारा आप पिछड़े राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हम इस पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं तथा इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

5.45 म०प०

इस समय श्री श्रीकान्त जेना तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यों की कोयले की रायल्टी पर होने वाली हानि के मामले तथा रायल्टी का निर्धारण टन भार पर न करके खनिज के मूल्यों पर करने के मामले पर भी विचार नहीं किया है।

[हिन्दी]

इस समय, श्री लोकनाथ चौधरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए।

श्री बलराम सिंह यादव : मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसके ऊपर हो ही नहीं सकता है।

[अनुवाद]

मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सदन अगली मद पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि अभी गुलाम नबी आजाद यहां पर हैं। दो बजे से पहले उन्होंने बताया था कि विदेश मन्त्री ने अपना इस्तीफा प्रधान मन्त्री के सुपुर्द किया है। इस के बाद कुमारमंगलम जी ने यहां कहा था कि जब कभी मालूमात हो जायेगा, मैं हाउस में उसको बतलाऊंगा। अभी 6 बजे हाउस का समय समाप्त हो जायेगा। 15 मिनट बचे हैं। स्थिति ऐसी हो जायेगी कि 6 बजे के बाद मालूमात बिल्कुल नहीं मिलेगी। दोनों मिनिस्टर यहां पर हैं। मैं आपके द्वारा उन्हें फिर से सूचित करता हूं और पूछना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या ? उन्होंने जो इस्तीफा दिया, वह मन्जूर हुआ है या नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (गुलाम नबी आजाद) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने दोपहर में बताया था कि माननीय फारेन मिनिस्टर ने प्रधान मन्त्री जी को अपना इस्तीफा दिया है। इसके बारे में अभी जानकारी है। आपने इस्तीफे की मांग की थी और मांग के अलावा भी फारेन मिनिस्टर ने यह उचित समझा। उन्होंने अपनी आनेस्टी और इंटिग्रेटी का एक सबूत दिया और इस्तीफा दिया। यह प्रधान मन्त्री तक है। कितना समय लगेगा पता नहीं ? यह पहली दफा नहीं हुआ है कि इस्तीफा दें और मिनटों में रिजल्ट आ जाये। आप तो बड़े अच्छे विद्वान् हैं और सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी मन्त्री का इस्तीफा आता है तो उसे राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। कल यहां फुल-फलैज्ड डिसकसशन होने वाली है। आपको बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिये। रात में कहीं भाग नहीं जायेगा। जो कुछ होगा, यहां होगा और उसका उत्तर कल तक मिलेगा।

श्री राम कापसे : जल्दी की बात नहीं है। हम पौने 6 बजे तक राह देखते रहे, लेकिन हमें पूरी सूचना नहीं मिली। गलती बहुत बड़ी है। डिसकसशन के बाद बताना ठीक नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह प्रधान मन्त्री का प्रैरोगेटिव है कि वे उसे राष्ट्रपति को भेजें।

श्री नितीश कुमार : अगर विदेश मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को इस्तीफा दिया तो इन्ट्रनल बात थी लेकिन जब हाउस में एनाउन्स किया पार्लियामेंटरी मिनिस्टर के द्वारा तो उससे अर्थ निकलता था कि उन्होंने इस्तीफा दिया वह स्वीकृत हो गया है। अगर इस्तीफा प्रधान मन्त्री को दिया वह स्वीकृत हो गया है। अगर इस्तीफा प्रधान मन्त्री को दिया और प्रधान मन्त्री उस पर निर्णय लेने वाले हैं और उस पर निर्णय नहीं लिया है तो यह हाउस को बताने की जरूरत नहीं थी। हाउस को जब उन्होंने बताया तो उससे ध्वनि निकलती है कि उन्होंने इस्तीफा दिया औ प्रधान मंत्री उसको स्वीकृत करेंगे। सदन जानना चाहता है कि इस्तीफा स्वीकृत हुआ हैया नहीं ? ....(व्यवधान)....जार्ज फर्नान्डीज का जो सैंसर मोशन था, वरना उस पर भी बहस होती।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : यहां ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा नहीं गया है। यह उचित नहीं है····(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री शरद् दिघे) : ठीक है। अब इस पर कोई चर्चा न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह वह समय और अवसर नहीं है जबकि सम्पूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाए। उन्होंने सूचना दी है कि इसे अभी भी स्वीकार नहीं किया गया है और यह प्रधान मन्त्री का परमाधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : माननीय प्रधान मंत्री जी क्या कर रहे हैं, यह माननीय मन्त्री जी को बताना चाहिए। ···(**व्यवधान**)···यह उचित नहीं है। हम इस बात से सन्तुष्ट नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : उन्हें सूचना देने दीजिए। हमने कहा है कि प्रधान मन्त्री जी को यहां आकर इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको सूचना दी है। अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : यह प्रधान मन्त्री द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने का प्रश्न नहीं हैं। प्रश्न यह है कि प्रधानमन्त्री·····

सभापति महोदय : इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। हम अगले विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप वहां पर उपस्थित थे परन्तु उस स्थान पर नहीं जहां चर्चा हो रही थी। आप जानते हैं कि नियम 184 के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में निन्दा प्रस्ताव

लाया गया था और इस वक्तव्य के आधार पर कि मंत्री जी ने अपना त्यागपत्र भेज दिया है उस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई। हमें बताया गया है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है परन्तु प्रस्तुत नहीं किया गया था। यदि अब विरोधात्मक वक्तव्य दिया जाता है कि तो प्रधानमन्त्री जी को हमें बताना चाहिए अन्यथा इस नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने अथवा किसी और प्रकार चर्चा करवाने पर जोर देंगे। हमारे लिए और कोई तरीका नहीं है।...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति जी, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, उससे तो और ज्यादा भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और अब स्थिति क्लियर नहीं है। त्यागपत्र की कहकर आपने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिससे लगा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और हम इस विषय पर (व्यवधान)...यह ठीक नहीं है। इस मामले में भाजपा के सभी सदस्यों सहित सदन का त्याग करते हुए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

5.52 म०प०

[अनुवाद]

इस समय श्री जसवन्त सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बात समझ सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : यह देश हित से संबंधित है। हम निन्दा प्रस्ताव लाये थे। यदि मंत्री जी अपनी गलती मानकर अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो इसका आशय यह नहीं है कि उनके कार्य की निन्दा की गई है। यह देश में अत्यधिक गन्दा पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसलिए या तो प्रधानमन्त्री जी को मार्गनिदेश जारी करने चाहिए और मंत्री जी को निकाल दिया गया है अथवा आप।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। (व्यवधान) मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है कि संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल 7 अप्रैल को अयोध्या जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : क्या सदन का मजाक उड़ाया जा रहा है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : समापति जी, सदन का मजाक उड़ाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को क्या अपनी जागीर समझ लिया है ? आपने सुबह कोई घोषणा की···· ····(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने वक्तव्य क्यों दिया ? सवेरे आपने हमें बताया था कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब वह वक्तव्य दे रहे है ··(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, आकाशवाणी ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसलिए निन्दा प्रस्ताव को लाने के लिए जोर दिया जाए। चुंकि उन्होंने सवेरे गलत विचार व्यक्त किए हैं और अब प्रधान मन्त्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरी अंग्रेजी कमजोर हो सकती है। परन्तु इतनी कमजोर नहीं। मैं अपने मित्र से अधिक बुद्धिमान नहीं हूं। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि हर कोई सदस्य मेरा पूरा साथ देगा। मैंने कहा है विदेश मन्त्री जी ने माननीय प्रधान मन्त्री जी से मुलकात की और विदेश मन्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया। (**व्यवधान**) आप कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कीजिए। (**व्यवधान**) आप जब कभी भी चाहें हमें हर समय बाध्य नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने इस बारे में सवेरे क्यों नहीं कहा और अब आप इसे क्यों बता रहे हैं।(**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वे रिकार्ड देखें।

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार : समापति महोदय, यह घोषणा करने की क्या जरूरत थी। इससे यह ध्वनि निकलती थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वाजीव इस्तीफा दिया है और फर्जी इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसा इसलिए किया गया कि सैंसर मोशन जो जार्ज फर्नान्डीज साहब द्वारा सदन में रखा गया, उस पर बहस न हो सके।····(**व्यवधान**)····ऐसे नहीं चल सकता है।

....(व्यवधान)....देवी लाल जी का इस्तीफा सदन में घोषित नहीं हुआ था। सदन में नहीं बताया गया था।....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उन्होंने बताया है कि मंत्री ने अपना त्याग पत्र भेज दिया है सब कुछ ठीक है। इसलिए उन्हें त्यागपत्र देने के संबध में वास्तविक कारण बताने चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : दुर्भाग्यवश यह विशेषाधिकार आप में किसी को नहीं केवल प्रधान-मन्त्री जी को है....(व्यवधान)

5.56 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबधित मांग सं० 47 से 50 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 6 घण्टे का समय नियत किया गया है।

जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
47.	शिक्षा विभाग	28563,00,000	9,00,000	143619,00,000	43,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	1844,00,000	33,00,000	9235,00,000	168,00,000
49.	कला और संस्कृति	2102,00,000	...	10557,00,909	...
50.	महिला और बाल विकास	8144,00,000	17,00,000	40719,00 000	83,00,000

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, सदन संसदीय कार्य मंत्री जी की जागीर नहीं है।....**(व्यवधान)** ...ऐसे कैसे सदन को चलाइएगा।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कुमार चटर्जी (दमदम) : हमने उनका त्यागपत्र मांगा और उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदय, कृपया आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री श्रीकान्त जेना : अब हमें संसदीय कार्य मंत्री की आलोचना करनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें कोई अन्तर्विरोध नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री ने सवेरे क्या कहा है और अब क्या कहा है। उन्होंने बताया है कि विदेश मंत्री जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यदि जो कुछ भी मैंने कहा है, उसमें अन्तर्विरोध है तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा और यदि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसमें अन्तर्विरोध है तो उन सभी को त्यागपत्र देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री थाईमा सिंह युमनाम : (आन्तरिक मणिपुर)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपये किया जाये।"

नई शिक्षा नीति को पूर्ण मन से लागू करने में असफलता : (23)

मणिपुर में केन्द्रीय सहायता से इन्जिनियरिंग कालेज खोलने में असफलता। (24)

शिक्षा के लिये अधिक धनराशि आवंटित करने में असफलता। (25)

सम्पूर्ण देश में सभी के लिये अनिवार्य शिक्षा लागू करने में असफलता। (26)

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट नियतन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (30)

पिछड़े राज्यों में महाविद्यालय खोलने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता।(31)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

मणिपुर में तकनीकी कालेज विशेषत: इन्जिनियरिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता। (32)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपये किया जाये।"

निरक्षरता दूर करने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता। (34)

महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता। (35)

समूचे देश में निरक्षरता दूर करने की आवश्यकता। (36)

बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता। (37)

नवोदय विद्यालयों को दिये गये अनुदानों को ठीक प्रकार से उपयोग किये जाने की आवश्यकता। (39)

देश भर में केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने की आवश्यकता। (40)

देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता। (40)

देश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (45)

"कि युवा कार्य और खेलकूद विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

"भारत महोत्सव" पर आवश्यक खर्च में कमी करने की आवश्यकता।(46)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

भारत की कला और संस्कृति को पूरी तरह से बढ़ावा देने की आवश्यकता। (47)

"कि महिला और बाल कल्याण विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की उचित मांगों पर विचार करने की आवश्यकता। (48)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) मैं प्रस्ताव करता हूं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक सभी को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने में असफलता।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक संस्कृत भाषा को एक अनिवार्य बनाने में असफलता । (50)

विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने में असफलता । (51)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

शिक्षा को एक राज्य का विषय बनाये जाने से असफलता । (5)

उत्तर प्रदेश के झांसी तथा ललितपुर जिलों की प्रत्येक तहसील में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता । (53)

निरक्षरता को दूर करने तथा शिक्षा के स्तर में सुधार किये जाने की आवश्यकता (54)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सभी केन्द्रीय विद्यालयों की दशा में सुधार किये जाने की आवश्यकता । (55)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

झांसी के केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2 तथा संख्या 3 में छात्रावासों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता । (56)

"कि युवा कार्य और खेल-कूद विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

सम्पूर्ण देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेलों तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने तथा केन्द्रीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षत दिये जाने की आवश्यकता । (62)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ;"

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्राचीन तथा ऐतिहासिक कला तथा संस्कृति को संरक्षण प्रदान किये जाने तथा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता । (63)

झांसी तथा ललितपुर जिलों के ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों तथा तथा अन्य स्थानों के सौंदर्य को संरक्षण देने तथा उन्हें विकसित किये जाने की आवश्यकता । (64)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़, जहांपुर तथा चांदीपुर के प्राचीन स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने तथा वहां खुदाई कार्य को जारी रख जाने की आवश्यकता । (65

"कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

आंगनवाड़ी कर्मकारों की सेवाओं को नियमित किये जाने तथा उनकी मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार की आवश्यकता । (66)

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता । (67)

महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता । (68)

सम्पूर्ण देश में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को रखा जाये । (69)

विद्यालयों में शैक्षिणिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध करायें जाने की आवश्यकता । (70)

चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता ।(71)

देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता, असन्तोष को दूर करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता । (72)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तगत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता।(73)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कदाचार को दूर किये जाने तथा इसे अधिक कारगर और कार्यकुशल बनाये जाने की आवश्यकता। (74)

सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता। (75)

शिक्षा के माध्यम से छात्रों के मन में राष्ट्रीयता मानवतावादी और नैतिक मूल्यों को बैठाये जाने की आवश्यकता। (76)

शिक्षा नीति के प्रभावीरूप से कार्यान्वित करने तथा इसे राममूर्ति समिति की सिफारिशों में शामिल किये जाने की आवश्यकता। (77)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

सभी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति में आमूल-चालू परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता।(78)

शिक्षा के वाणिज्यीकरण की रोके जाने की आवश्यकता।(79)

विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेल-कूद तथा अतिरिक्त कार्यक्रमों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता। (80)

पाठ्यक्रम को कम करके विद्यालय जाने वाले छोटे बच्चों पर पुस्तकों के बोझ को कम किये जाने की आवश्यकता। (81)

सरकार और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों/कर्मचारियों के मध्य असमानता को दूर किये जाने की आवश्यकता। (82)

सम्पूर्ण देश में त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाने तथा हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता। (83)

उन अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक विद्यालयों को नियमित करने तथा नियंत्रित करने की आवश्यकता, जो सम्पूर्ण देश में अध्यापन दुकानों की तरह जगह-जगह पर पनप रहे हैं। (84)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं,

व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाकर साक्षरता का प्रसार करने की आवश्यकता। (85)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

देश के दूर-दराज के क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्व के जिलों में निरक्षरता दूर करने की आवश्यकता। (86)

व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। (87)

समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। (88)

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यावायिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। (89)

नवोदय विद्यालयों में योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। (90)

नवोदय विद्यालयों को सफल बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त धन राशि आदि प्रदान करने की आवश्यकता । (91)

देश में कैपिटेशन फीस, दान तथा भवन निर्माण धनराशि के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में फैले कदाचार को रोकने की आवश्यकता । (92)

समूचे देश में विदेशी मिशीनिरियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में भारतीय बच्चों के लिए प्रवेश देने में भेदभाव पूर्ण रवैये पर रोक लगाने की आवश्यकता । (93)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

विदेशी मिशीनिरियों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में पश्चिमी संस्कृति का विकास करने तथा अपनी राष्ट्रीय भाषा की उपेक्षा करने तथा अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति पक्षपात का रवैया अपनाने पर रोक लगाने की आवश्यकता । (94)

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक हायर सैकेन्डरी स्कूल तथा कालेज खोलने की आवश्यकता । (95)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने में भेदभावपूर्ण रवैये को रोकने को आवश्यकता । (96)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रिसर्च एसोसिएटों तथा अन्य रिसर्च स्कालरों को समय पर पर्याप्त सहायता देने तथा उनके शोध ग्रन्थों तथा अन्य शोध विषयों आदि के बारे में निर्णय लेने में बिलम्ब को रोकने की आवश्यकता ।(97)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रभावी नियन्त्रण की कमी के कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे विश्वविद्यालयों में कदाचारों को रोकने की आवश्यकता । (98)

देश की शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को वार्षिक पुरस्कार देने में किये जा रहे भेद-भाव को दूर करने की आवश्यता । (99)

सम्पूर्ण देश के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता । (100)

देश के स्कूलों और कालिजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों के विभिन्न वर्गों जैसे सहायक अध्यापक, व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर, उपकुलपति तथा कुलपति के पदों को भरने की आवश्यकता । (101)

देश के कालिजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्ध गैर शिक्षण कर्मचारियों के पदों की भरे जाने की आवश्यकता । (102)

देश में प्राथमिकता विद्यालयों जूनियर हाई स्कूलों तथा हाई स्कूलों के भवनों के लिए बिना किसी भेदभाव के राज्य सरकारों को अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता । (103

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य रूप से बुक बैंक खोलने की आवश्यकता। (104)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान करने की आवश्यकता । (105)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश के केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता ।" (106)

"कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।"

"केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तरों में सुधार करन की आवश्यकता ।"(107)

"कि युवा कार्य और खेलकूद विभागशीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में खेल तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता ।(108)

"कि युवा कार्य और खेलकूद विभाग में शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, तथा बलिया जिलों में भारतीय कुश्ती को नया रूप देने तथा इसे प्रभावी रूप से विकसित करने की आवश्यकता । (109)

"कि युवा कार्य और खेलकूद विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये तक कम किये जायें ।"

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में तैराकी, नौकायन आदि परम्परागत खेलों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता । (110)

"कि युवा कार्य और खेलकूद विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

वाराणसी के हरहुआ ब्लाक के चोलपुर के निकट बसत खलीफा अखाड़ा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्य कुश्ती प्रशिक्षण केन्द्र बना कर उसे अनुदान देकर उसका विकास किए जाने की आवश्यकता । (111)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में प्राचीन चन्द्रगुप्त मौर्य काल के स्थानों के संरक्षण, खुदाई और उनका विकास किए जाने की आवश्यकता । (112)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किये जायें ।"

वाराणसी में सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध और चन्द्रगुप्त काल के ऐतिहासिक स्थलों का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता । (113)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

वाराणसी में सारनाथ में जमीन के नीचे दबे प्राचीन नगरों में पुराने स्मारकों को खोलने के उद्देश्य से टिल्लो, मैदान की खुदाई किए जाने की आवश्यकता । (114)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के भुरमुरा मठ, हथिया राम मठ जैसी प्रसिद्ध स्थली और पीठ को विकसित किए जाने की आवश्यकता । (115)

"कि कला और संस्कृति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

संत मीणा राम समाधि स्थल और पित्तर कुंड, मीसाराम कुंड, दुर्गा कुंड, लक्ष्मी कुंड, लोलारक कुंड, राम कुंड, सूर्य कुंड तथा अन्य कुंडों और पिशाच मोचन और शकुल धारा जैसे जलाशयों के रख रखाव और उनकी सफाई के लिए उनका अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा कल 11 म.पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.00 **म०प०**

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 1 अप्रैल, 1992/12 चैत्र, 1914(शक) के 11 म.पू. तक के लिए स्थगित हुई ।

सम्राट प्रैस, बी-88 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली 110020 द्वारा मुद्रित ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1410
TO BE ANSWERED ON 28.11.2016

TARGET UNDER DDU-GKY

1410. SHRI SHIV PRATAP SHUKLA:
SHRIMATI RANEE NARAH:

Will the Minister of **RURAL DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) the main objectives of the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY);
(b) the details of target set to create skilled workforce under DDU-GKY during 2015-16; and
(c) the number of youth trained and the number of new jobs generated under DDUGKY?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(SHRI RAM KRIPAL YADAV)

(a) : Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) is a placement linked skill development program for rural poor youth under National Rural Livelihood Mission with the objective of imparting specific set of knowledge, skills and attitude needed by such youth to access jobs with regular monthly wages. It is one of the initiatives of the Ministry of Rural Development to promote rural livelihoods.

(b) DDU-GKY had a target of skilling 1.77 lakhs candidates in the year 2015-16.

(c) : Against the target for the year 2015-16, a total of 2.70 lakhs candidates have been trained. It is stated that DDU-GKY does not generate new jobs. DDU-GKY provides training to candidates to improve their employability for getting jobs. However, as per available information, a total of 1.34 lakhs candidates were placed in jobs after training in the year 2015-16.

*****